Fifth Series, Vol. XXVI, No. 36, Monday, April 16, 1973/Chaitra 20, 1895 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 31 से 40 तक है / Vol. XXVI contains Nos. 31 to 40]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

PRICE : TWO RUPEES

LIBRARY
No. 72 (21)
DATE 29 8 73

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा वाद-विवाद का शुद्धि-पत्र

16 अप्रैल, 1973 । 26 चैत्र, 1895 (शक)

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
	अग्रिम पंक्ति में निम्नलिखित पृष्ठों की , '91,97,99,101, 103, 105 , 115, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 ' में मौखिक उत्तर के स्थान पर 'लिखित उत्तर' पढ़िये ।

विषय सूची/CONTENTS

अंक 38, सोमवार, 16 अप्रैल, 1973/26 चैत्र, 1895 (शक)

No. 38, Monday, April 16, 1973/Chaitra 26, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
721. सड़क बोर्ड की स्थापना	Setting up of Road Board	4
722. शहरों और कस्बों का सुव्यवस्थित विकास करने के लिए योजना	Scheme for Systematic Development of Cities & Towns	5
725. उत्तर प्रदेश को रिग मशीनों की सप्लाई	Supply of Rigs to U. P.	7
726. भारतीय नौवहन निगम द्वारा जहाजों के लिए दिए गये आर्डर	Orders placed for Ships by Shipping Corporation of India	9
728. तपेदिक के रोगियों की संख्या में वृद्धि	Increasing number of T. B. Patients	11
730. कचौरा घाट और बटेश्वर में यमुना पर पुलों का निर्माण	Construction of Bri6ges over Yamuna at Kachaura Ghat and Bateshwar .	13
731. आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि न होना	Food Production Stagnant in Andhra Pradesh	13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
723. फार्म इंजीनियरों को शीघ्र ऋण देने के लिए कार्यवाही	Steps for Quicker Loans to Farm Engineers	15
724. ब्रह्मपुत्र घाटी के बाहर शैक्षणिक सुविधाएं	Educational Facilities outside Brahmaputra Valley	15
727. शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के उपाय	Ways to help educated Jobless	16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
729.	भारत-सोवियत सांस्कृतिक सहयोग	Indo-Soviet Cultural Co-operation .	16
732.	राष्ट्रीय भवन संगठन के कार्यकारी दल के निष्कर्ष	Conclusions of the Working Group of M. B. O.	17
733.	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत गांवों तथा कमांड क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशें	National Commission on Agriculture for Development of Villages and Command areas of Major and Medium Irrigation Projects	17
734.	वेस्ट कोस्ट रोड का निर्माण कार्य	Work on West Coast Road	17
735.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के अस्पतालों में औषधियों की कमी	Hospitals in Andaman and Nicobar Islands short of Medicines. . . .	18
736.	फिरोजपुर तथा फरीदकोट स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनाज का गायब होना	Foodgrains missing from Godowns of F. C. I. in Ferozepur and Faridkot	18
737.	फार्म योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब	Delay in farm Scheme	19
738.	भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी द्वारा आयोजित चार दिवसीय सम्मेलन	Four day convention organised by Indian Society for Technical Education .	19
739.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार	Extension of Homoeopathic and Ayurvedic Medical facilities to C. G. H. S. Dispensaries	19
740.	राजस्थान के रेगिस्तान के विकास संबंधी समस्या के बारे में सांविधिक स्वायत्त प्राधिकरण	Statutory Autonomous Authority on Development Problems of Rajasthan Desert.	20

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
6980.	दिल्ली के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची	Seniority list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in Education Department, Delhi . .	20
6981.	दिल्ली में घटिया किस्म के राशन की वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Inferior Quality of Ration in Delhi	21
6982.	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार किया गया 'वर्किंग पेपर'	'Working Paper' prepared by Central Advisory Board of Education . .	21
6983.	मध्य प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजपथों की घोषणा के लिए प्रस्ताव	Proposals for declaring New National Highways in Madhya Pradesh .	22

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6984.	समाज कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के भिंड जिले की संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions in Bhind District of Madhya Pradesh by Social Welfare Department	22
6985.	समाज कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के देवास जिले में संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions in Dewas District of Madhya Pradesh by Social Welfare Department	23
6986.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली के कार्यों की जांच	Enquiring into affairs of Delhi School Teachers' Co-operative House Building Society Ltd., Delhi. . . .	23
6987.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली की आम बैठक	General Body Meeting of Delhi School Teachers' Co-operative House Building Society Ltd., Delhi . .	24
6988.	चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन	Sugar Production during Current Year	24
6989.	समुद्री जल को सिंचाई के काम में लाने की योजना	Scheme to utilise Sea-Water for Irrigation Purpose	25
6990.	कृषि उपकरणों का अभाव और उनका निर्माण करने के लिए सहकारी कारखाने	Scarcity of Agricultural Implements and Government Factories for their Manufacture	25
6991.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में आदिवासी छात्र	Adivasi Students in Central Schools and Public Schools in Madhya Pradesh .	25
6992.	आदिवासियों के लिए दिल्ली में राजकीय स्कूलों और कालेजों में सीटों का आरक्षण	Reservation of Seats for Adivasis in Government Schools and Colleges in Delhi	26
6993.	मध्य प्रदेश में अकाल और पेय जल का अभाव	Famine and Shortage of Drinking Water in M. P.	26
6994.	ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार के बारे में होशंगाबाद और पूर्वी नीमाड़ के जिला अधिकारी के प्रस्ताव	Proposals from District Officer, Hoshangabad and East Nimar regarding Emloyment of Uneducated unemployed in Rural Areas	27
6995.	मध्य प्रदेश में रबी की फसल की सम्भावनाएं	Prospects of Rabi Crop in Madhya Pradesh	28
6996.	आपातकालीन खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने के लिए आपातकालीन खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम	Short Term Summer Food Production Programme for Implementation of Emergency Food Production Programme.	28
6997.	दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में टी. जी. टी. और पी. जी. टी को सेलेक्शन ग्रेड देना	Selection Grade to T. G. Ts. and P. G. Ts. in Delhi Municipal Corporation Schools	29
6998.	ट्रैक्टर की मांग पर बहुविध कर प्रणाली का प्रभाव	Effect of Multiple Taxation on demand for Tractor	29

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6999.	दिल्ली में पानी के मीटरों का परीक्षण शुल्क	Testing Fee for Water Meters in Delhi .	30
7000.	दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक संघ	Parents-Teachers Association in H. S. Schools, Delhi	30
7001.	कम आय वाले वर्ग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों का निर्माण	Construction of DDA Flats for Lower Income Group	31
7002.	गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons under Gradgil Assurance	33
7003.	पारी से पहले सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	Out of Turn Allotment	33
7004.	दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय में कर्मचारियों की संख्या	Staff Strength in Delhi Public Library .	34
7005.	केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में कर्मचारियों की संख्या	Staff Strength in Central Secretariat Library	36
7006.	स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के ग्रंथालय के कर्मचारी	Staff of D. G. H. S. Library	36
7007.	मन्दिर मार्ग पर टाइप II क्वार्टरों के लानों के विकास में विलम्ब	Delay in development of Lawns of Type II Quarters in Mandir Marg, New Delhi	37
7008.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, मैसूर में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजना	Scholarship Scheme for Scheduled Castes/Tribes in Government Medical College, Mysore	38
7009.	नगर एवं ग्राम्य आयोजना संगठन में बनाए गए पद	Posts created in Town and Country Planning Organisation	38
7010.	नगर एवं ग्राम्य आयोजना संगठन में पदोन्नति	Promotion in Town and Country Planning Organisation	39
7011.	डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में सफाई तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना व्यवस्था	Sanitation and CGHS Arrangements in DIZ Area, New Delhi	39
7012.	केरल में कार्यालय और आवासीय भवनों का निर्माण	Construction of Office and Residential Accommodation in Kerala . .	40
7013.	ग्राम्य चिकित्सालयों का जाल	Net Work of Rural Dispensaries .	41
7014.	बागान श्रमिकों के लिए राज सहायता प्राप्त आवास योजनाएं	Subsidised Housing Schemes for Plantation Workers	41
7015.	बड़े पत्तनों की तुलना में 1972-73 में कोचीन पत्तन पर उतारा तथा चढ़ाया गया माल	Cargo handled by Cochin Port during 1972-73 as compared to the Major Ports and its development . . .	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7016.	वर्ष 1973-74 में क्वार्टरों के निर्माण पर किये जाने वाले धन में केन्द्रीय सहायता	Central Assistance of Amount to be spent on Housing in 1973-74. .	42
7017.	ग्रामीण रोजगार के लिए सड़कों को द्रुत कार्यक्रम में शामिल करने का आधार	Criteria for inclusion of Roads in Crash Programme for Rural Employment .	43
7018.	स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फार्मों की कमी	Shortage of Forms of D.D.A. in the Branches of S. B. I.	44
7019.	हुगली नदी पर नये पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त विदेशी परामर्शदाता	Foreign Consultants appointed for execution of New Bridge over Hooghly	44
7020.	स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए दिल्ली में 'आवास गृह'	Home for Freedom Fighters in Delhi .	46
7021.	दिल्ली में आवास की समस्या और अनाधिकृत मकानों के गिराने के लिए सरकारी आदेश	Accommodation problem in Delhi and Government's order for demolition of Houses	46
7022.	आयुर्वेदिक वैद्यों की श्रेणी 2 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित पद	Reserved posts for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in the Ayurvedic Vaids Class II	47
7023.	जिला पुरी (उड़ीसा) में खुर्दा एन० ए० सी० क्षेत्र के निवासियों को नलों से जल की सप्लाई	Piped water supply to residents of Khurda N.A.C. area in District Puri (Orissa)	48
7024.	भारत सेवक समाज के स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतनक्रम	Pay Scales of Teachers working in Schools run by Bharat Sewak Samaj . .	48
7025.	महाराष्ट्र में नलकूप कार्यक्रम के लिए 'रिग्स'	Rigs for Tubewell programme in Maharashtra	49
7026.	खलघाट के नर्मदा पुल का कार्य	Work on Narmada Bridge of Khalghat .	49
7027.	दिल्ली में दवाओं में मिलावट और अधिक मूल्य लिये जाने के बारे में शिकायत	Complaint regarding adulteration in Drugs and charging of high prices in Delhi	49
7028.	सूखापीड़ित क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति	Setting up of Expert Committee to assess the various problems of the drought affected areas	50
7029.	श्रीमती फिशर को सम्मानित करना	Honour to Shrimati Fisher	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7030.	प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों में काम करने वाली महिलाओं के बारे में भारतीय मजदूर संघ का ज्ञापन	Bhartiya Mazdoor Sangh Memorandum regarding Lady Workers in Training and Production Centres . .	51
7031.	खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण के वित्तीय पहलू	Financial implications of taking over Foodgrains Trade by Government	51
7032.	छोटे किसानों को ऋण	Small Farmers access to credit	52
7033.	कृषि को बन्दरों से खतरा	Monkey as a menace to farming	52
7034.	आंध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्रों का दौरा	Tour of speaker of A. P. Legislative Assembly to Famine stricken areas .	53
7036.	बैसाघाट पुल (जिला पुर्णिया, बिहार) का निर्माण	Construction of Baisaghat Bridge (District Purnia, Bihar)	54
7037.	हुगली पुल परियोजना का निष्पादन	Execution of Hooghly Bridge Project	54
7038.	भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में जनरल मैनेजर का भरा न गया पद	Unfilled post of General Manager in Government of India Press, Minto Road New Delhi	55
7039.	लघु सिंचाई के अन्तर्गत भूमि	Acreage of land under Minor Irrigation	55
7040.	सहकारी समितियों तथा अन्य वितरण एजेन्सियों के पास बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त पड़े उर्वरकों का निपटान	Disposal of huge quantities of Fertilizer lying unused with Co-opertive Societies and other Distributing Agencies .	57
7041.	उर्वरकों के विक्रेता नियुक्त करने के बारे में प्रक्रिया	Procedure regarding dealership in fertilizer.	57
7042.	एक राज्य से दूसरे राज्य में उर्वरक लाने ले जाने पर प्रतिबंध	Ban on movement of Fertilizer from one to another	58
7043.	बिजली की कमी के कारण विशाखापत्तनम पत्तन को हुई हानि	Loss to Visakhapatnam Port due to Power cut	58
7045.	गंगानगर राजस्थान के एक किसान द्वारा गेहूं की नई किस्म का विकास	Development of a new variety of wheat by a farmer of Ganganagar, Rajasthan	59
7046.	पांचवीं योजना में लघु सिंचाई के लिए मास्टर प्लान	Master Plan for Minor Irrigation during Fifth Plan	59
7048.	विदेशी जहाज मालिक संघ के साथ भारतीय नाविकों के संगठन का करार	Agreement by Organisation of Indian Seamen with Foreign Ship Owners, Association	60
7049.	चित्तूर सहकारी चीनी के कारखाने में तालाबन्दी	Lock-out in Chittoor Co-operative Sugar Factory	60
7050.	गुजरात को सोयाबीन और सूरजमुखी बीजों की सप्लाई	Supply of Soyabean, Sunflower seeds to Gujarat	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7051.	गुजरात को उर्वरकों की आवश्यकता	Requirement of fertilizer for Gujarat	61
7052.	पी० जी० टी० ग्रेड में पदोन्नति के बाद टी० जी० टी० में सेलेक्शन ग्रेड	Selection Grade in T. G. T. after Promotion in P. G. T. Grade . .	62
7053.	सेलेक्शन ग्रेड के कारण दिल्ली के शिक्षकों के वेतन में विषमता	Anomaly in Salary of Delhi Teachers due to Selection Grade	62
7054.	टी० जी० टी० वेतनक्रम के सेलेक्शन ग्रेड के लाभ पाने वाले पी० जी० टी० शिक्षक	P. G. Teachers getting benefits of Selection Grade of T. G. Scales . .	63
7055.	गुलाल का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना	Use of 'Gulal' as a Health Hazard	63
7056.	नगर एवं ग्राम प्रायोजन संगठन में पदोन्नति के अवसर न होना	Stagnation in the Town and Country Planning Organisation . .	63
7057.	मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के डी० आई० जैड० क्षेत्र में दुग्ध केन्द्र	Milk Booths in D. I. Z. area of Mandir Marg, New Delhi . .	64
7058.	दिल्ली की सरकारी कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वचालित पूछताछ कार्यालय	Enquiry Offices run by C. P. W. D. in Government colonies in Delhi .	65
7059.	आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा कम लागत के मकान उपलब्ध कराने के लिए पैनल की स्थापना	Setting up of Panel by HUDCO for providing low cost Housing . .	65
7060.	कृषि योग्य भूमि को चारा उगाने के लिए प्रयोग करने के बारे में तमिल नाडु के मुख्य मंत्री का सुझाव	Suggestion from Chief Minister of Tamil Nadu for diverting cultivable land for growing Fodder . .	66
7061.	दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of quarters to Class IV Employees in Delhi	66
7062.	कम बिजली सप्लाई के कारण तम्बाकू की फसल को हानि	Loss to Tobacco Crop due to short supply of Power	67
7063.	दिल्ली में गेहूं तथा चावल की कमी	Shortage of Wheat and Rice in Delhi	67
7064.	पांचवीं योजना के दौरान पूर्वी समुद्र तट पर मत्स्य पालन का विकास	Development of Fisheries on Eastern Coast during Fifth Plan . .	67
7065.	भूमि सुधार के क्रियान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का संशोधन	Amendment of Articles 226 and 227 of the Constitution for Implementation of land reforms	68
7066.	विश्वविद्यालयों को खोलने की शर्तें तथा उन्हें सहायता देना	Norms and Assistance for Universities	69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7067.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम को क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Aligarh University (Amendment) Act . .	70
7068.	नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए कसौटी निर्धारित करना	Norms fixed for starting new Universities	70
7069.	नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operations . .	70
7070.	राज्यों द्वारा खाद्य निगमों की स्थापना	Setting up of Food Corporation by States	71
7071.	रामस्वरूप टी० बी० अस्पताल महरौली, नई दिल्ली	Ram Swarup T. B. Hospital, Mehrauli, New Delhi	71
7072.	परीक्षा पद्धति में सुधार	Reform in Examinations . .	72
7073.	ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता	Assistance to State Governments in the formation of Rural Roads . .	72
7074.	भवन निर्माण सामग्री की आवश्यकता	Requirement of Building Material.	73
7075.	समाज कल्याण निदेशालय से अधिकारियों का दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरण	Transfer of Officials of Social Welfare Directorate to Delhi Administration	74
7076.	ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम को क्रियान्वित करना	Implementation of Crash Programme for Rural Employment . .	74
7077.	वर्ष 1973–74 के दौरान खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए परिव्यय और उसके साधन	Outlay and Source on Procurement of Foodgrains during 1973-74 . .	75
7078.	आन्ध्र प्रदेश में विदेशी सहायता कार्यक्रम	Foreign Aid Programme in Andhra Pradesh	75
7079.	भूमिहीन और खेतीहर मजदूरों को भूमि वितरण करने के कार्य में हुई प्रगति	Progress of Distribution of Land to Landless and Agricultural Labour . .	78
7080.	'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम की प्रगति	Progress of 'Operation Flood' Programme	78
7081.	मैसूर में सूखा और भूखमरी से हुई मृत्यु	Drought and Starvation Deaths in Mysore	79
7082.	देशीय तथा होम्योपैथी औषधियों को उचित स्थान देना	Due Place to Indigenous and Homoeopathic Medicine	80
7083.	दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों में कालेजों की स्थापना	Location of Colleges in Residential areas in Delhi	80
7084.	खाद्य उत्पादन के नए कार्यक्रमों के लिए सूखा ग्रस्त राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Drought affected States for new Food Production Programme	81
7085.	दूध के डिब्बों में छिपकली का पाया जाना	Presence of a Lizard in a Milk Tin	81

प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7086	खुले बाजार की चीनी के कोटे में कमी	Curtailment of Quota of Open Market sale of Sugar	82
7087	गुजरात राज्य की भोज जल निकासी योजना	Bhoj Drainage Scheme of Gujarat State	82
7088	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवश्यकता	Requirement of D.T.C. Buses during Fifth Five Year Plan	82
7089	पश्चिम बंगाल के अलसी और तिलहन के कोटे की अन्यत्र सप्लाई	Diversion in Quota of Rape Seed and Oil Seed of W. Bengal . .	83
7090	अनुपयोगी फर्नीचर की नीलामी	Auction of unserviceable furniture in M.Ps. Flats	84
7091	आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए औषधियों की खरीद	Purchase of Medicines for Ayurvedic Dispensaries	84
7092	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में संसद सदस्यों के लिए दवाओं का कोटा	Medicine Quota provided to C.G.H.S. Dispensaries for Members of Parliament	85
7093	आयुर्वेदिक स्नातकों को ऐलोपैथिक डाक्टरों के समान वेतनमान दिया जाना	Pay Scales of Graduates in Ayurvedic at par with M.B.B.S. . . .	85
7094	बाजरा (मिलेट) और गेहूं के वसूली मूल्यों में वृद्धि	Upward revision of Procurement price of Millet and Wheat . . .	86
7095	दादरा और नागर हवेली में पंचायत राज्य की प्रगति	Progress of Panchayati Raj in Dadra and Nagar Haveli	86
7096	दादरा और नागर हवेली क्षेत्र में किसान राहत कार्य	Farmers' relief work in Dadra and Nagar Haveli	87
7097	दादरा और नागर हवेली, गोवा में भूमि सुधार अधिनियम	Land Reforms Act in Dadra and Nagar Haveli, Goa	88
7098	अनाज का रक्षित भण्डार और फसल पद्धति का पुनर्गठन	Buffer Stock of Foodrgrains and Restructuring of Cropping Pattern . .	88
7099	बिड़ला हायर सेकेन्डरी स्कूल, दिल्ली को अनुदान देना बन्द करना	Discontinuation of Grants to Birla Higher Secondary School, Delhi .	89
7100	राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of recommendations of National Commission of Agriculture .	89
7101	शाहदरा में मेडिकल कालेज स्थापित करना	Setting up of Medical College at Shahdara	89
7102	गेहूं लाने ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाने का औचित्य	Justification for Imposing Zonal restriction on Movement of Wheat . .	89

अता० ० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7103	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों को खराब घोषित करने की दर	Rate of Condemnation of seeds by National Seeds Corporation . . .	90
7104	दिल्ली में रिहायशी सम्पत्ति का दुरुपयोग	Misuse of residential properties in Delhi	91
7105	निम्न आय वर्ग अथवा मध्य आय वर्ग में प्लाटों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकरण	Registration with D.D.A. for allotment of Built-up flats in Middle Income Group or Low Income Group . .	92
7106	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सैक्टर II में कोयला डिपो का आवंटन	Allotment of Coal Depot in Sector II of RK Puram, New Delhi . .	92
7107	अपने दर्जे से एक दर्जा कम के क्वार्टर-प्राप्त सरकारी कर्मचारी	Government servants occupying below one class of their entitled class . .	93
7108	सुन्दरगढ़ को राष्ट्रीय राजपथ के साथ मिलाना	Linking of Sundergarh with National Highway	94
7109	पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की मरम्मत	Repair of Jagannath Temple, Puri .	94
7110	पारादीप में शिपयार्ड बनाने हेतु समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee for establishing shipyard at Paradeep . .	94
7111	भुवनेश्वर स्थित भौतिक विज्ञान संस्थान	Institute of Physics at Bhubaneswar.	95
7112	दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सिविल सर्विस (आचरण) नियम, 1964 का लागू किया जाना	Application of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 to employees of Delhi Milk Scheme	95
7113	राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भूमि सुधार अधिनियम	Land Reforms Acts for President's Assent	96
7114	'अनुपयोगी अमरीकी पशु भारत को दिया जाना'	'Rejected U.S. Cattle dumped on India'	96
7115	नगर तथा ग्राम योजना संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन	Incentive to staff working in Town and Country Planning Organisation . .	97
7116	मंदिर मार्ग के सेक्टर 'डी' टाइप-II क्वार्टरों का मार्ग दर्शी मानचित्र लगाया जाना	Installation of guide map of Sector 'D' Type II quarters of Mandir Marg, New Delhi	98
7117	राजधानी में जलपूर्ति बढ़ाना	Stepping up water supply in the Capital	98
7118	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, मोती नगर, न्यू दिल्ली	C.G.H.S. Dispensary, Moti Nagar, New Delhi	100
7119	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में सड़कों पर बिजली लगाना	Street lights in Mandir Marg, New Delhi	100

U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
7120	वसूली के अन्तर्गत समूचे चीनी उत्पादन को अपने नियंत्रण में लेना तथा उसका बफर स्टाक बनाना	Take over of ent re sugar production under levy and its buffer stock . . .	101
7121	आपात खाद्य उत्पादन के अन्तर्गत राज्यों को नियंत्रण	Allocation of States under Emergency Flood Production Programme . .	101
7122	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 और 7 के काम में प्रगति	Progress in work at National Highways No. 6 and 7	103
7123	फाइलेरिया के मामले	Incidents of Filaria .	103
7124	नवीनतम घटनाओं के बारे में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति की रिपोर्ट	Report from Vice Chancellor, B.H.U. about latest incidents . . .	104
7125	राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के सदस्य-सचिव का पद	Post of Member-Secretary of the Raja Rammohan Roy Library Foundation	104
7126	भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर मैसूर सरकार द्वारा असंतोष व्यक्त किया जाना	Dissatisfaction with the working of F.C.I. by Mysore Government . .	105
7127	विश्वकप फुटबाल प्रतियोगिता से नाम वापस लेना	Withdrawal from World Cup Football Competition	105
7128	नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने के बारे में प्रधान मंत्री का सुझाव	P.M.'s suggestion regarding installation of Netaji's Statue	106
7129	वनों को मानवनिर्मित वनों में बदलना	Change of forests into man-made forests	106
7130	विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत खराब दुग्धचूर्ण और घी की सप्लाई	Supply of rotten milk-powder and Ghee under World Food Programme . .	107
7131	अर्हताप्राप्त नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार देना	Employment to Qualified Blind	108
7132	दलित सुधार एसोसियेशन, शेख सराय दिल्ली की मांगें	Demand of Dalit Sudhar Association, Sheikh Sarai, Delhi	108
7133	इण्डिन रोड्स कांग्रेस से ज्ञापन	Memorandum from Indian Roads Congress	108
7134	पांचवीं योजना के दौरान सड़क निर्माण कार्य के माध्यम से रोजगार देने की संभावना	Employment Potential through Road Building during Fifth Plan	109
7135	सड़क निर्माण कार्य के मशीनीकरण की प्रगति	Progress of mechanisation of road building	109
7136	पांचवीं योजना अवधि में अन्तर्देशीय जलपरिवहन के विकास के लिए योजनाएं	Scheme for developing inland water transport during Fifth Plan period .	110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7137	बिहार में गर्मा धान के उत्पादन के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध	Request for Central Aid from Bihar for Production of Garma Paddy . .	110
7138	बिहार में पांचवीं योजना में सड़कों के विकास के लिए सहायता	Assistance for development of roads in Bihar during Fifth Five Year Plan	111
7139	झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के विभिन्न कैंपों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of civic amenities in various camps of Jhuggi-Jhompri dwellers .	111
7140	छोटे किसानों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी	Modern Technology for small farmers	112
7141	आपात खाद्य उत्पादन योजना के लिए गुजरात को ऋण	Loan to Gujarat for emergency food production plan	113
7142	जमे हुए आयातित वीर्य से पशुओं के संकरण संबन्धी परियोजनाएं	Projects for cross-breeding of cattle with imported frozen semen . .	113
7143	चीनी के व्यापार सरकारीकरण का निर्णय करने वाले राज्य	States decided to take-over trade in sugar	115
7144	'लाल डोरा' के अन्तर्गत आने वाले मकानों को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध आरोप	Allegation against D.D.A.'s operations for demolishing houses within, 'Lal Dora'	115
7145	भारतीय फुटबाल का स्तर	Standard of Indian Football .	115
7146	इण्डियन रोडस कांग्रेस का शिष्टमंडल	Delegation of Indian Roads Congress	116
7147	पांचवीं योजना में हरिजनों और आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं	Health facilities for Harijans and tribals during Fifth Plan	117
7148	पत्तनों की तेल गोदी परियोजना की कार्यान्विति में विलम्ब के खिलाफ कोचीन पत्तन न्यास बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा बैठकों का बहिष्कार	Boycott of meetings by Non-official Members of Cochin Port Trust against delay in implementing Ports' Oil Dock Project	118
7149	दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to D.D.A. employees	118
7150	मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए फ्लेटों और प्लाटों का पंजीकरण	Registration for flats and plots for Middle Income Group	119
7151	छोटे किसानों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	Training Committee for small farmers	119
7152	सामूहिक खेती	Collective Farming .	120
7153	अपंगों के लिए संस्थाएं	Institutions for Disabled	120
7154	उत्तर प्रदेश में सूखा तथा केन्द्रीय सहायता	Drought in U.P. and Central aid	122

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7155	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी सैक्शन आफिसरों की पदोन्नति	Promotion of diploma holders and degree holder S. Os. in C.P.W.D. . .	122
7156	फसल अनुसंधान योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	U.N.D.P. for crop research scheme	123
7157	केन्द्रीय राज्य कृषि कार्य कर्मचारी संघ, सूरतगढ़, राजस्थान, की मांगें	Demands of Kendriya Rajya Krishi Farm Karmchari Sangh, . Suratgarh, Rajashthan	123
7158	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि श्रमिकों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क भूमि देना	Free house-sites for agricultural labourers during Fifth Five Year Plan . .	124
7159	पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में चुकंदर से चीनी निकालना	Extraction of sugar from Beet in Pant Nagar Agriculture University . .	124
7160	गौनस्ल की रक्षा तथा सुधार	Protection and improvement of Cow-progeny	124
7161	परिवार नियोजन पर आर्थिक-सामाजिक अध्ययन	Socio-economic study on Family Planning	126
7162	नए अस्पताल स्थापित करने संबन्धी योजना के बारे में नियम	Rules for a scheme for setting up of new hospitals	128
7163	रबी फसल के अन्तर्गत गेहूं और बोरो किस्म की धान की खेती का क्षेत्र	Target of area of wheat and Boro paddy under Rabi crop	128
7164	इथियोपिया के लिए अध्यापकों की भर्ती	Recruitment of teachers for. Ethopia	129
7165	'सीमाबन्दी विधेयक पर पंजाब सरकार का दुविधा में होना,	'Punjab Government in a fix over Ceiling Bill'.	130
7166	सरकारी कृषि कार्य को हानि	Loss to Government Agricultural Farm	130
7167	कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन	Reconstitution of Agricultural Prices Commission	131
7168	'वाट, नो रिकार्ड्स आफ राईट'	'Wot, No Records of Right' . .	131
7169	1973-74 में ग्राम्य रोजगार संबन्धी योजना	Scheme for rural employment during 1973-74	131
7170	गुजरात के तट के साथ-साथ पत्तनों के विकास हेतु सहायता	Assistance to develop ports along Gujarat coastal line . .	132
7171	नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of new Central Universities .	133
7172	दिल्ली में नए कालिजों का खोला जाना	Opening of new colleges in Delhi .	133
7173	लद्दाख उच्चतर शिक्षा संस्थान में काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी किया जाना	Regularisation of staff working in Laddakh Institute of Higher Studies	133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7174	बिना बारी के क्वार्टरों के आवंटन की पद्धति समाप्त करना	Elimination of out-of-turn allotment of quarters	135
7175	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to construct National Highways in Orissa	135
7176	परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप जन्म में हुई कमी की प्रतिशतता	Percentage fall registered in birth-rate as result of family planning . .	137
7177	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी के चिकित्सक	Ayurvedic practitioners and Homoeopaths in Rural Health Service . .	138
7179	अखिल भारतीय नेत्र सुधार संघ	Akhil Bhartiya Netra Sudhar Sangh	138
	अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	138
	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन्द कर दिये जाने का समाचार	Reported closure of Aligarh Muslim University	138
	श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	138
	प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan . .	141
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	143
	सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members	143
	(श्री आर० वी० बड़े, डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय और श्री फूल चन्द वर्मा)	**(Shri R. V. Bade, Dr. Laxminarain Pandeya and Shri Phool Chand Verma)**	
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	143
	32वां प्रतिवेदन	Thirty-second Report	
	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill— **Introduced**	144
	बोकारो में श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में	Re. Police Firing on workers in Bokaro	144
	अनुदानों की मांगें, 1973-74 सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	Demands for Grants, 1973-74 . Ministry of Irrigation and Power	145
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	145
	श्री दीनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	145
	श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi . .	146
	श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda . .	147

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री पी० गंगा रेड्डी	Shri P. Ganga Reddy .	148
श्री वी० मायावन	Shri V. Mayavan . .	149
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	150
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	150
श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M.S. Sanjeevi Rao	151
श्री पी० एम० मेहता	Shri P.M. Mehta .	152
श्री जी० भुवाराहन	Shri G. Bhuvarahan .	152
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	153
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . .	153
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango .	154
श्री ए० के० कोत्राशट्टी	Shri A.K. Kotrashetti .	154
श्री बी० एन० भार्गव	Shri B.N. Bhargava .	155
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	156
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Panna Lal Barupal .	157
श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद राव	Shri P. Ankineedu Prasada Rao .	157
श्री पी० एम० सईद	Shri P.M. Sayeed .	158
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	Shri Narendra Singh Bisht .	158
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा	Shri Hamendra Singh Banera	159
डा० के० एल० राव	Dr. K.L. Rao	159
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture	168
श्री० बी० एन० रेड्डी	Shri B.N. Reddy . . .	175
श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwari	176
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion . . .	177
शा वैलेस एण्ड कम्पनी के शेयरों की खरीद	Purchase of Shares of Shaw Wallace & Company	177
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	177
श्री डी० आर० चव्हाण	Shri D.R. Chavan. . . .	179

6LSS/73—2

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

(LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 16 अप्रैल, 1973--26 चैत्र, 1895 (शक)

Monday, April 16, 1973—Chaitra 26, 1895, (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker **in the Chain**

निधन संबंधी उल्लेख

Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : सभा को वर्तमान सदस्य, श्री तेजा सिंह स्वतंत्र के दुखद और अचानक निधन के बारे में विदित ही है। वह गत गुरूवार को सभा में उपस्थित थे परन्तु अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हमारे डाक्टर ने उनका तुरन्त उपचार किया और उन्हें बिलिंगडन अस्पताल ले गए परन्तु वहां कुछ मिनट बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।

श्री स्वतंत्र पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और इससे पूर्व वह पंजाब विधान सभा के 1937-45 में सदस्य रहे और 1964-69 में पंजाब विधान परिषद के सदस्य रहे। वह बहुत मृदुभाषी और मित्र प्रकृति के थे और निष्ठावान समाज सेवक थे। उन्होंने किसानों की भलाई और भूमि सुधार लागू करने के बहुत प्रयास किए। सभा में भी वह किसानों और दलितों का पक्ष लेते रहे। वह एक अग्रणी स्वाधीनता सेनानी, महान देशभक्त और क्रान्तिकारी थे और आरम्भिक जीवन में विदेशों में रह कर स्वाधीनता के लिए और गदर पार्टी का गठन करने में लगे रहे। केवल एक दिन पूर्व ही वह मुझे मिले थे और हमने इकट्ठे अमृतसर जाकर स्वतंत्रता सेनानी सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम बनाया था परन्तु काल के हाथों ने उन्हें छीन लिया।

हमें इस मित्र के निधन पर गहरा शोक है और मेरा विश्वास है कि सभा भी मेरे साथ संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करेगी।

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हम आपके द्वारा प्रकट उद्‌गारों में आपके साथ हैं।

मृत्यु ने अचानक उन्हें छीन लिया है। कोई नहीं जानता था कि काल उन्हें ऐसे छीन लेगा जबकि वह विविध कार्यों के लिए तैयारी कर रहे थे।

वह बहुत भले व्यक्ति थे और देश की स्वाधीनता तथा दलितों के हितों के लिए संघर्षरत रहे। किसान आन्दोलन, विदेश-प्रवास और बाद में विधान सभा तथा संसद में उनके कार्य सदा याद रहेंगे।

आज हम एक सम्मानित सहयोगी और राष्ट्र एक पुराने कार्यकर्ता से वंचित हो गए हैं। हम अपनी सच्ची सहानुभूति और संवेदना उनके परिवार और साथियों को भेजते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमें श्री स्वतंत्र के अचानक निधन से गहरा आघात पहुंचा है। वह किसानों और श्रमिकों के साथी थे और इस संघर्ष में सदा सबसे आगे रहे। उनके निधन से हमें और देश को बहुत क्षति हुई है।

कृपया हमारी गहरी संवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) । हम सबके लिए और विशेषकर हमारे दल के लिए यह विशेष शोक का अवसर है। मैं उनके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि उनके जीवन से सभी परिचित हैं। वह न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे अपितु उन अमर क्रान्तिकारियों में से थे जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए न केवल अपना घर-बार छोड़ा बल्कि अपने जीवन की भी बाजी लगा दी।

आप जानते ही हैं कि वह कई वर्षों तक छिपते फिरे क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए इनाम रखा गया था। परन्तु वह इससे कभी नहीं घबराए। उनका संबन्ध उस अमर गदर पार्टी से था जिसके अनेक सदस्यों को अपने जीवन को आहुति देनी पड़ी थी। बाद में उन्होंने 'पैप्सू' में किसानों की राजा से मुक्ति की लड़ाई का नेतृत्व किया। वह मूल रूप से एक किसान थे और उन्होंने सारा जीवन किसानों की सेवा की। उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी के हित में काम किया।

जैसा कि आपने कहा है कि वह इतने मृदुभाषी थे कि यह अनुमान लगाना कठिन था कि वह इतने जोशीले और क्रान्तिकारी भी रहे हैं। मैं उस समय यहां नहीं था और मुझे पता लगा है कि उनकी मृत्यु डाक्टरों के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही हो चुकी थी और मैं नहीं कह सकता कि यदि तुरन्त और पर्याप्त चिकित्सा सहायता उन्हें मिलती तो वह शायद बचाए जा सकते। तथापि अब उन्हें जिलाया तो जा नहीं सकता।

मेरा आपसे निवेदन है कि हम सभी सदस्यों की ओर से सभा की संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दें। साथ ही मैं आपके, प्रधान मंत्री के तथा सभी सहयोगियों द्वारा प्रकट उद्‌गारों के लिए उनका आभारी हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, on behalf of my Party and on my own behalf, I express profound condolences on the demise of Shri Teja Singh Swatantra. He died in tragic circumstances. He was here in the House and had to be taken away all of a sudden. His association with us here was comparatively short but he belonged to that illustrious generation whose valiant record inspired the entire nation. The stirring account of such heroes as Shri Swatantra of Gaddar Party stirred in us the flame of freedom. He fought throughout his life. Punjab has suffered heavily due to his death. Despite political differences, his integrity and devotion to duty and his determination to wage constant struggle for the oppressed shall always be source of inspiration to us.

Today the entire country mourns his death which transcends all party considerations. I would like you to Convey our sorrow and condolences to the bereaved family.

Shri Shyam Nandan Mishra (Begusarai) : I was shocked to hear this tragic news only yesterday evening. His amiability was spell binding. He was a veteran leader. From 1919 when he joined Congress, his life was a constant struggle and of renun ciation. The generation to which he belongs is ending fast.

On behalf of my party, I express deep sorrow and send profound condolence to the bereaved family.

श्री वी० मायावन (चिन्दाबरम) : डी० एम० के० ग्रुप की ओर से मैं अपने को आपके, प्रधान मंत्री जी के तथा अन्य दलों के नेताओं द्वारा प्रकट उद्गारों से संबन्धित करता हूं। वह यहां मेरे पड़ौसी थे और वृद्धावस्था के बावजूद बहुत फुर्तीले थे। अपने दल की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि संतप्त परिवारों को हमारी गहरी संवेदना पहुंचा दी जाए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एक एक कर के हम से बिछड़ते जा रहे हैं और अभी श्री स्वतंत्र हमसे विदा हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में श्री स्वतंत्र ने देश में रहकर और विदेशों में जाकर भी भाग लिया। वह इस सभा के सदस्य भी थे और पंजाब में जनता के साथ भी कार्य करते रहे। अपनी तथा अपने दल की ओर से मैं दिवंगत नेता को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं और संतप्त परिवार तथा साम्यवादी दल की संवेदना भेजता हूं।

Shri Ram Kanwar (Tonk) : On behalf of Swatantra Party I express deep sorrow on the death of Shri Swatantra. On 13th I was with him in the lift but soon after I was informed of his death. He was an honest worker and the Champion of the peasants and workers. We may also be associated with the sentiment expressed by the Prime Minister and other Party leaders.

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : Although, Shri Swatantra is not between us, he has left a history behind. He spend 50 years in the freedom Struggle and he never thought of self and family. He always fought for the freedom of Gurdwaras. He was previously named Summed Singh but he changed his name to Teja Singh when he freed a Gurdwara in Gurdaspur district. He devoted his entire life to the cause of peasant and workers and contested two Parliamentary elections while remaining underground. I was associated with him for the last 12-13 years and I considered him my political Guru. I regret that I was not by his side when he breathed his last. He spent his life for public welfare and opened many colleges. Just before his death, he opened another College which has been taken over by S.G.P.C. He was running one college, Kirti College, even now and recently when he went there and found that there are no funds to distribute pay to the teachers, he collected 10,000 rupees immediately.

While paying tribute to his memory, I had appealed to the people of Punjab and here I reiterate it that in order to see that Kirti College continues to function, I would appeal to the hon. Minister to ask the Punjab Government to take it over and run it in his name. He had only one daughter who died when she was only seven while he had gone underground. He had a younger brother who was sentenced for 20 year's jail, his property and house were confiscated. He was in the village where this house was located.

I am sure that everyone would help in response to my appeal. Kindly convey my sentiments to the bereaved family.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : It is a matter of chance that I was by his side when Shri Swatantra breathed his last. I personally knew him for the last twenty-two years though I knew him for 35, 36 years. His 55 years long life of struggle is a part of history. He was not only a freedom fighter but a fighter till last for bringing socialism. His last cherished desire was to establish a system in India wherein there should be no disparity.

I feel that a true tribute to his memory would be to realise this dream. He must have died a satisfied man to see that the nation has accepted this goal. It has been my privilege to see Aluna village of Punjab where this revolutionary was born.

With these words I pay my tribute to his memory and request you to convey our condolences to the bereaved family.

अध्यक्ष महोदय : अपना दुःख व्यक्त करने के लिए सभा में सभी सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े हों ।

इसके पश्चात सदस्यगण कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सड़क बोर्ड की स्थापना

721. **श्री अरविंद एम० पटेल** † :

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे बोर्ड की तरह एक सड़क बोर्ड स्थापित करने का विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केन्द्रीय सड़क बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। रेलवे बोर्ड की तरह प्रस्तावित सड़क बोर्ड का स्वरूप सांविधिक नहीं होगा।

(ख) प्रस्ताव के ब्यौरों का अभी हिसाब किया जा रहा है ।

Shri Arvind M. Patel : Country's progress and particularly progress of rural areas depends on network of good roads, for which road Board should have been set up earlier but Government has not taken any decision even now. I want to know when such decision shall be taken ?

Shri Raj Bahadur : Not only one but many issues have to be decided. We all are aware that except for National Highways and those roads which are maintained by the Centre, all other highways are the concern of State Governments and this road Board would be regarding these highways. These should function smoothly, They should have liaison and coordination and work should be done expeditiously and more speedily. These are vital factors. Presently, even the execution of roads has to be done through State Governments. Hence this problem is very complicated.

Shri Arvind M. Patel : Gujarat is the most backward in respect of roads. According to Nagpur Plan many States have executed their schemes except Gujarat. I want to know whether Gujarat would be given preference when this Board comes into being in accordance with Nagpur Plan ?

Shri Raj Bahadur : The circumstances in which Nagpur Plan was framed in 1943 are no longer valid therea fter, in 1961 in a Chief Engineers' Conference, a twenty years programme was prepared, under which we have constructed about 7,00,000 Kilometre long roads. It is hoped in the remaining 8-9 years of that Plan, we would be able to achieve our target of as far as I recall one million kilometre long highways.

श्री हरि किशोर सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्य सरकारें सम्पर्क सड़कों के लिए आवंटित राशि का सदुपयोग नहीं कर सकी हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी सड़कें, विशेषकर देश के पिछड़े क्षेत्र में, बनाने के लिए कोई सरकारी एजेन्सी बनायेगी?

Shri Raj Bahadur : As regards the lateral road project Bareli-Amingaon road project has been worked out for the particular purpose. The construction work on it is going satisfactorily. Most of the work has been finished and the rest will be completed soon.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो किन कारणों से ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो सड़क बोर्ड से सम्बद्ध है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राष्ट्रीय परिवहन नीति में सड़क परिवहन भी सम्मिलित है।

श्री राज बहादुर : सड़क बोर्ड के कार्यों में सड़क-निर्माण का काम अवश्य आता है। (**अन्तर्बाधाएं**) हमारी एक निश्चित नीति है।

Shri Shankar Dayal Singh : Though the Central Government gives large amount for the maintenance of National Highways, including Grand Trunk Road yet their condition is worse. They are not maintained properly. I would like to know whether Government are considering any scheme of putting all the National Highways under their own control.

Shri Raj Bahadur : It is not doing justice with our engineers, road-builders and State Governments to say that the maintenance of all the National Highways is not satisfactory. Of course, here and there it may not be satisfactory. As regards the Grand Trunk Road, some portions of it are not covered under the national highway and such portions of it are the responsibility of the State Governments. I am happy to note that the U.P. Government and Bihar Government are paying special attention to it. At least during last two years work on National Highways has been done rapidly.

Shri Shankar Dayal Singh : The condition of sixty kilometre long portion of G.T. Road in my area in very bad.

Shri Raj Bahadur : I shall look into this.

श्री डी० बसुमतारी : क्या सेना की ओर से यह प्रस्ताव है कि बोरों में-मिसमरी सड़क को मोड़ा जाये। सामरिक महत्व की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण सड़क है?

श्री राज बहादुर : यह सड़क सड़क बोर्ड के अधीन न होकर सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन है।

SCHEME FOR SYSTEMATIC DEVELOPMENT OF CITIES AND TOWNS

*No.722. **SHRI M. C. DAGA :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether the Central Government have formulated any scheme to develop cities and towns in the country in a systematic and beautiful way;

(b) if so, the main features thereof and

(c) the steps taken by Government to improve it ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क), (ख) तथा (ग) नगरों तथा कस्बों का विकास करना मुख्यतया स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों का कार्य है। केन्द्रीय सरकार तकनीकी मार्ग-दर्शन तथा सलाह द्वारा सहायता करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध की गई निधियों से 72 नगरों के लिये वृहत योजनाएं भी बनाई गई हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे उचित कानून बना कर तथा प्लान-साधनों से निधियों का नियतन कर के उन्हें कार्यान्वित करें।

Shri M. C. Daga : Mr. Speaker, Sir, beautiful cities create good atmosphere and in good atmosphere good citizens are made. I had asked whether Government have formulated any scheme to develop cities in systematic and beautiful way. But the Minister gave an evasive answer instead of giving a direct answer in 'no' or 'yes'. I would like to know whether Government have any plan for development of cities or towns in union territories where the Central Government is responsible for administration.

Shri Om Mehta : There cannot be two opinions about this fact that there should be beautiful cities. We allotted five crores of rupees for this purpose during third Five Year Plan with the hope that people will formulate master plans for thier cities and towns. As regards the Union Territory of Delhi...

Shri M. C. Daga : I would like to know as to when they asked the States to implement them and whether their advice has been accepted by any State or not ?

Shri Om Mehta : In 1969 they were asked to do so. The Ministry of Finance gives them block grants and block loans. At that time they were also advised to divert some of their funds for this purpose so that the cities can be beautified.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने बताया है कि 72 नगर मास्टर प्लानों के अन्तर्गत आ चुके हैं। क्या ऐतिहासिक महत्व के नगर पश्चिम बंगाल के बर्दवान और मुर्शिदाबाद भी मास्टर प्लान में सम्मिलित हैं?

श्री ओम मेहता : पश्चिम बंगाल के आसनसोल, सिलिगुड़ी और हाल्दिया नगरों के लिए मास्टर प्लानें बनाई गई हैं। उस समय तक ये तीन शहर ही उनमें थे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : ऐतिहासिक महत्व के बर्दवान और मुर्शिदाबाद जैसे नगरों के बारे में क्या हुआ?

श्री ओम मेहता : ये मास्टर प्लानें राज्य सरकारों ने बनाई हैं।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऐसी सलाह देगी कि नगरों को इस तरह से बसाया और विकसित किया जाये जिससे वे ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रगति केन्द्रों का काम दे सकें और वे आजकल की तरह ऊटपटांग ढंग से न बसें?

श्री ओम मेहता : योजना का यह वास्तविक लक्ष्य है। हमने कुछ आदर्श योजनाएं बनाकर उन्हें राज्यों में परिचालित किया है और उन्हें सलाह दी है कि वे उन्हीं जैसी योजनाएं बनाएं।

श्री प्रबोध चन्द्र : मंत्री महोदय ने बताया है कि इस कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकार किये गये हैं। क्या यह राशि केवल दिल्ली के लिए है अथवा पूरे देश के लिए?

श्री ओम मेहता : पूरे देश के लिए।

श्री प्रबोध चन्द्र : भारत की जनसंख्या 50 करोड़ है और सरकार के अपने ही अनुमान के अनुसार केवल 40 प्रतिशत के पास रहने योग्य स्थान है। क्या 5 करोड़ रुपये की राशि इस दृष्टि से पूरे देश के लिए पर्याप्त होगी और राज्य सरकारें इस राशि से लोगों को आवास प्रदान करने की समुचित योजनाएं बना सकेंगी ?

श्री ओम महता : प्रश्न आवास का नहीं है। प्रश्न मास्टर प्लान बनाने का है। पांच करोड़ रुपये की राशि योजनाएं बनाने के लिए दी गई है न कि आवास प्रदान करने के लिए।

प्रो० मधु दंडवते : क्या केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग ने दो-बम्बई योजना (टिवन बोम्बे प्रोजेक्ट) को स्वीकृति दे दी है? क्या इस के लिए कुछ केन्द्रीय सहायता का वचन दिया गया है; और यदि हां, तो कितनी।

श्री ओम मेहता : इस प्रश्न का नोटिस अलग से आना चाहिए। वैसे दो-बम्बई शहर, योजना के लिए नगर और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कार्य कर रहा है और उसे हमने सम्मिलित कर लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या केन्द्रीय सहायता के लिए आश्वासन दिया गया है।

श्री ओम मेहता : बिना रिकार्ड देखे मैं कुछ नहीं कह सकता।

Shri Krishna Chandra Pandey : The Minister told that 72 cities have been selected for the development. What is the basis population or backwardness—adopted for selecting these cities ?

Shri Om Mehta : Capitals of States fast growing industrial cities Urban towns and educational centres have been indcluded in it.

श्रीमती मुकुल बनर्जी : कोटला मुबारकपुर क्षेत्र के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? इस क्षेत्र में मल-निकासी की व्यवस्था तक नहीं है। सुन्दर और विकसित डिफैन्स कालोनी के पास यह एक गंदी बस्ती है।

श्री ओम मेहता : इसके लिए अलग से नोटिस दिया जाना चाहिए।

Shri Jharkhande Rai : As far as big cities are concerned, they have many sources of income in addition to the grants sanctioned by Government. But the Town Area and Notified Area Committees in small towns have no rich sources of income. May I know whether Government is considering to formulate the plans which will provide for more attention and funds to these small towns.

Shri Om Mehta : There is no such scheme in the central sector. However the State Governments give them block grants and block loans for development.

उत्तर प्रदेश को रिग मशीनों को सप्लाई

*725. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश को अपेक्षित संख्या में रिग मशीनें उपलब्ध कराने में असफल रही है ;

(ख) क्या रिग मशीनों के अभाव में बहराइच जिले के भीमगा, तुलसीपुर और चरदा परगनों में नलकूपों की खुदाई का काम रुक गया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन क्षेत्रों में रिग मशीनें भेजेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। नलकूपों या कुओं के बेधन के ज़रिये भूमिगत जल का विकास और इस काम के लिये उपयुक्त रिग मशीनें प्राप्त करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड राज्यों में मुख्यतः खोज कार्यों के लिये रिग मशीनों का प्रचालन करता है।

(ख) राज्य सरकारों से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) ऊपर भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्न हीं नहीं उठता।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या केन्द्रीय सरकार ही राज्य सरकारों को रिग मशीनें सप्लाई करती है और राज्य सरकारों की अपनी ऐसी एजेन्सियां नहीं हैं जिनसे वे रिग प्राप्त कर सकें। उत्तर प्रदेश को कितनी रिग मशीनें दी गई हैं? क्या खोज कार्य के लिए नलकूप लगाने हेतु राज्य सरकार ने अभ्यावेदन दिये हैं? यह भी बताया गया है कि राज्य सरकारों के पास ऐसी मशीनें नहीं हैं जो बहुत गहराई तक खुदाई कर सकें और नलकूप लगा सकें। इस दृष्टि से इस स्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार भी जिम्मेदार है।

प्रो० शेर सिंह : अपने ही देश में बने कई प्रकार के रिग उपलब्ध हैं। राज्य सरकार उन्हें खरीदती हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 110 रिग विभिन्न प्रकार के हैं। बहराइच जिले में भू-जल के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट मिलने पर ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और तभी खोज के उद्देश्य से नलकूप लगाने का काम शुरू किया जा सकता है। किन्तु काम रिग मशीनों के अभाव से नहीं रुका है। देश में रिग उपलब्ध हैं।

श्री बी० आर० शुक्ल : ऊपर जिस सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया है, वह कब से किया जा रहा है। यह सूचना गलत जानकारी पर आधारित है क्योंकि उस स्थान पर अभी तक कोई भी दल जांच के लिए नहीं गया है और न ही वहां सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है।

प्रो० शेर सिंह :—उक्त सर्वेक्षण का कार्य वहां चल रहा है। जैसे ही हम उन स्थानों को खोज लेंगे जहां नलकूप लगाये जाने चाहिएं वैसे ही नलकूप लगाने का काम शुरू हो जायेगा।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मंत्री महोदय ने बताया है कि रिग मशीनें राज्य सरकार खरीदती है। क्या देश में आवश्यकता के अनुसार रिग उपलब्ध हैं, यदि नहीं तो क्या राज्य सरकारों को रिग मशीनें विदेशों से मंगाने की सुविधाएं दी गई हैं?

प्रो० शेर सिंह : इस समय किसी भी राज्य से रिग के आयात के लिये अनुरोध हमें नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश ने यह मांग की थी और उसे हमने विदेशी मुद्रा इसके लिए दे दी थी। अब देश में पर्याप्त संख्या में रिग उपलब्ध हैं।

Shri Ambesh : The Minister says that there is no shortage of rigs. But there are a number of places in U. P. where survey had been completed several years ago and tubewells have not been bored so far. What are the reasons for it ?.

Prof. Sher Singh : We have all the equipments required for boring-tubewells in aluvial soil area and the work is going on there. In places like Ghazipur and Kanpur the work of exploratory tubewells is in process. At some places hydrogeological survey is being conducted. Thereafter exploratory work will start. At places where exploration work has been completed tubewells are being constructed. We have all means for it.

श्री पी० एम० मेहता : गुजरात राज्य ने कितने रिगों की मांग की थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एक अलग प्रश्न है जो मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है । इसके लिये आप पृथक नोटिस दीजिये ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : प्रतिवर्ष कम होती जा रही वर्षा की दृष्टि से क्या सरकार अधिक से अधिक रिग प्राप्त करने जा रही है जिससे राज्यों में अधिक से अधिक नलकूप लगाये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न तो केवल उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने एक आम बात कही है ।

प्रो० शेर सिंह : जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, ऐसा नहीं है कि बहराइच तथा अन्य क्षेत्रों में कमी के कारण काम नहीं हो रहा है । उत्तर प्रदेश में रिग उपलब्ध हैं । ठोस चट्टानों वाले क्षेत्रों के लिये हमें उस प्रकार के कुछ रिगों का आयात करना पड़ता है । ठोस चट्टान वाले क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां पीने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है और जहां नीचे ठोस चट्टानें हैं, उन स्थानों के लिये हमें आयात करना पड़ता है । हम ने कुछ रिगों का आयात किया है और यदि आवश्यक हुआ, तो हम और रिगों का आयात करेंगे ।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा जहाजों के लिए दिये गये आर्डर

*726. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने इस साल 38 जहाजों के लिये आर्डर दिये हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष उन्हें केवल 17 जहाज ही मिलने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस तारीख को 43 आर्डर दिये गये हैं जिसमें से 6 जहाजों का आर्डर 1-4-1969 से पहले दिया गया । 1969-70 के दौरान 10 जहाज, 1970-71 के दौरान 8 जहाज, 1971-72 के दौरान 12 जहाज, 1972-73 के दौरान 5 जहाज और 1 अप्रेल, 1973 के बाद 2 जहाज का आर्डर दिया गया ।

(ख) जी हां, आर्डरों के सुनियोजित कार्यक्रम और जहाजों की डिलीवरी के अनुसार।

श्री पी० गंगादेव : सरकार जहाजों की खरीद के लिये धन की व्यवस्था कैसे कर रही है और किन देशों ने जहाजों की खरीद के लिये ऋण देने का प्रस्ताव रखा है ?

श्री राज बहादुर : इनमें से अधिकांश जहाज अथवा व्यावहारिक तौर पर सब जहाजों को आस्थगित ऋण अथवा किश्तों के आधार पर खरीदा जाता है । कुछ मामलों में 10,15 अथवा 20 प्रतिशत तक भुगतान नकद किया जाता है और शेष राशि उधार रखी जाती है । हम इस प्रकार धन की व्यवस्था करते हैं । इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यकताओं और क्रयादेशों को ध्यान में रखते हुए कुछ आवंटन किया जाता है ।

श्री पी० गंगादेव : क्या माननीय मंत्री ने इस बात का अनुमान लगाया है कि आगामी 5 वर्षों में कितने जहाज प्राप्त किये जायेंगे, और यदि हां, तो भारतीय पोत-प्रांगण से कितने जहाज प्राप्त होंगे तथा अन्य देशों से कितने जहाज प्राप्त होंगे ?

श्री राज बहादुर : वास्तव में इन प्रस्तावों पर अध्ययन दल द्वारा विचार किया जा रहा है । मैं वास्तविक संख्या नहीं बता सकता लेकिन तैयार किये गये प्रस्तावों के अनुसार पांचवीं योजना के अन्त तक 106 लाख टनभार प्राप्त करने का लक्ष्य है । जिसका अभिप्राय यह है कि हमारी वर्तमान प्रति टनभार शक्ति में 60 लाख टन की वृद्धि होगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भारतीय नौवहन निगम द्वारा आर्डर दिये गये इन 43 जहाजों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और इस व्यय में से भारतीय नौवहन निगम को नौवहन विकास निधि से कितनी धनराशि दी जा रही है ?

श्री राज बहादुर : मुझे दुःख है कि मैं इस बारे में नहीं बता सकता कि इसके लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी लेकिन मैं निश्चित रूप से जहाजों की किस्म और प्रत्येक के टनभार के बारे में जानकारी दे सकता हूं क्योंकि इस मामले में विदेशी मुद्रा जहाजों की किस्म और आकार पर निर्भर करता है और मैं इस बारे में जानकारी एकत्र करूंगा और उक्त जानकारी माननीय सदस्य को दूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेशी मुद्रा के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है ?

श्री राज बहादुर : इस बारे में कोई जानकारी देना उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें विभिन्न किस्मों के जहाजों, जैसे टैंकर, बड़े माल वाहक जहाज, सामान्य जहाज और माल वाहक आदि जहाज शामिल हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नौवहन विकास निधि से कोई धनराशि दी जा रही है ?

श्री राज बहादुर : जी हां, नौवहन विकास निधि द्वारा इस सम्बन्ध में धन दिया जा रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 43 जहाजों के लिये कितनी धनराशि दी गई है ?

श्री राज बहादुर : इस बारे में मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मुझे समाचार पत्रों से पता लगा है कि पोलैंड के नौवहन और परिवहन मंत्री ने हाल ही के अपने दौरे में भारत सरकार को बड़े माल वाहक बेचने के लिये 105,000 टन की क्षमता वाले जहाज बेचने का प्रस्ताव रखा था । यदि हां, तो क्या नौवहन निगम उस प्रस्ताव का लाभ उठायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न पहले दिये गये क्रयादेशों से सम्बन्धित है और भविष्य में दिये जाने वाले क्रयादेशों से सम्बन्धित नहीं हैं । माननीय सदस्य इसके लिये पृथक से नोटिस दें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या बड़े माल वाहक के क्रयादेश रूमानिया स्थित पोत-प्रांगण को 1969 में दिये गये थे और बाद में प्रत्येक का मूल्य ठेका मूल्य से 60 लाख रुपये बढ़ा दिया गया था और क्रयादेशों को 1967 तक अन्तिम रूप दिया जाना है और यदि हां, तो सरकार द्वारा 60 लाख रुपये बढ़ाने के लिये सहमति देने के तथा जहाजों की डिलीवरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : जब आर्डर देते समय उनकी संख्या 10 थी और इस बीच मूल्यों में वृद्धि हुई है । अतः रूमानिया स्थित पोत-प्रांगण उनके मूल्यों में वृद्धि करना चाहता है । काफी चर्चा के बाद हम इन आर्डरों को अन्तिम रूप देने में समर्थ होंगे और इन जहाजों के कुछ मूल्य बढ़ाने पर सहमति दे दी गई है ।

Increasing Number of T.B. Patients

728. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health & Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the number of T.B. Patients are increasing day by day.

(b) whether Government of India do not have sufficient Medical Centres for the proper treatment of patients; and

(c) If so, the effective steps being taken by Government during the year 1972-73 in this regard.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि क्षय रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ।

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 547 टी०बी० क्लिनिक चल रहे हैं जिनमें से 278 का दर्जा बढ़ा कर उन्हें जिला क्षय रोग केन्द्र बना दिया गया है ताकि जिला व्यापी क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया जा सके । विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अन्तरंग उपचार के लिये कुल 37,000 से अधिक पलंग उपलब्ध हैं ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(ग) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक केन्द्र पोषित योजना है जिसके लिये राज्य सरकारों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम में देश भर में क्षय रोगियों के कारगर उपचार के लिये जिला क्षय रोग केन्द्रों की स्थापना करने/उनका दर्जा बढ़ाने, क्षय रोग के लिये अलग पलंगों की व्यवस्था करने और क्षय रोग केन्द्रों को क्षय रोग रोधी दवाइयां देने की व्यवस्था है ।

बीस वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को रोग की रोकथाम के उपाय के रूप में बी० सी० जी० का टीका लगाया जा रहा है । मौजूदा स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थाओं के साथ मिलकर सभी जिलों में रोगियों का पता लगाने, उनका इलाज करने और बी०सी०जी० टीका कार्यक्रम को चलाने के लिये जिला क्षय रोग केन्द्र आधार के रूप में काम कर रहे हैं ।

जमाकर सुखाई गई वैक्सीन को अधिक मात्रा में तैयार करने के लिये बी०सी०जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी का विस्तार करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं ।

सेवा भाव से काम करने वाली क्षय रोग संस्थाओं की सहायता स्वरूप अनुदान और क्षय रोग रोधी औषधियां भी मुफ्त दी जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त नई दिल्ली टी०बी० सेण्टर और लाला राम स्वरूप टी०बी० अस्पताल, महरौली को चलाने के लिये टी०बी० एसोसिएशन आफ इंडिया को अनुदान दिये जाते हैं ।

इस योजना के अधीन विभिन्न राज्यों में जिला व्यापी क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाने के लिये 1972-73 में 25 जिला क्षय रोग केन्द्रों की स्थापना के विरुद्ध 31 केन्द्र खोले जा चुके हैं । 1972-73 में ही 99.60 लाख रुपये के मूल्य की क्षय रोग रोधी दवाइयां दी गई हैं ।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : From the answer given by the Minister, it appears that efforts are not being made to take any action in this regard. In his answer he has stated that the number of T.B. patients have not increased but in reply to other part of the question he has mentioned that 543 T.B. Centres have been set up and 278 centres have been developed. I want to know the number of such centres required to be established and the action Government proposed to take in this regard?

श्री ए० के० किस्कू : सरकार समस्त स्थिति के बारे में पूर्णतया सतर्क है और इसका पता लगाने के लिये विस्तार से कार्यवाही की जा रही है । यद्यपि 1972-73 में 25 केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य था लेकिन हमने 31 केन्द्र खोले हैं लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि तपेदिक के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि इस बारे में विभिन्न क्षेत्रों में नमूना सर्वेक्षण द्वारा जांच की जा रही है और हमें पता लगा है कि वास्तव में तपेदिक के रोगियों की संख्या में कमी हुई है ।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : You have stated in your statement that they have found out some schemes for controlling T.B. They have also stated that efforts are being made to Control T.B. with the help of B.C.G. injections. I want to know whether there is any B.C.G. Programme to Control T.B. like that of anti-Cholera and anti-Small-pox vaccination programme and the number of B.C.G. injection administered during 1972-73 and the number of such injections proved successful and unsuccessful ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जहां तक बी०सी०जी० के टीकों का सम्बन्ध है, टीके लगाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी यह राष्ट्रीय-कार्यक्रम का अंग नहीं बना है । अतः जहां कहीं भी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से टीका लगवाना चाहता है अथवा जहां कहीं तपेदिक केन्द्र काम कर रहे हैं, टीका लगाने की व्यवस्था है। जहां तक लोगों को टीका लगाने का प्रश्न है, इसके आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं । इसके लिये मुझे नोटिस दिये जाने की आवश्यकता है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या समस्त देश में जिसमें, ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, तपेदिक के रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई प्रयास किया गया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मेरे मित्र ने उल्लेख किया है, इस बारे में नमूना सर्वेक्षण काम कर रहा है । लेकिन जैसा मैंने उल्लेख किया कि चूंकि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम का अंग नहीं है अतः इस बारे में इस स्थिति में समस्त देश में कार्यवाही करना कठिन है ।

श्री दिनेश जोरदर : क्या सरकार को विशेषकर पश्चिम बंगाल के संथाल परगना क्षेत्र और माल्दा और पश्चिम दीनाजपुर जिलों में, आदिम जाति के तपेदिक के रोगियों की औसत संख्या की जानकारी है और क्या सरकार का विशेषकर संथाल, मुन्डास और कोराहस में तपेदिक के रोगियों के इलाज के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बद्ध तपेदिक केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वे उक्त प्रश्न राज्य सरकार से पूछ सकते हैं अथवा हम राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्र कर सभा पटल पर रख देंगे ।

कचौरा घाट और बटेश्वर में यमुना पर पुलों का निर्माण

*730. **श्री राम प्रकाश :**

श्री पन्नालाल बारुपाल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा जिला को तहसील वाह में कचौरा घाट तथा बटेश्वर (नौरंगीघाट) में यमुना नदी पर पुलों के निर्माण की कोई योजना केन्द्र के अनमोदनार्थ भेजी है,

(ख) यदि हां, तो क्या इन पुलों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा, और

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कचौरा घाट तथा बटेश्वर (नौरंगीघाट) में यमुना नदी पर पुलों के निर्माण संबंधी किसी प्रस्ताव को शामिल करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Panna Lal Barupal : Agra is a big district according to the area and population. Most of the parts of Agra are surrounded by river Yamuna and Chambal river.

A road goes direct from Agra to Kachaura Ghat but Kachaura Ghat is 100 kilometer from Agra but Itawa is only 20 kilometer from there. As there is no bridge at Kachaura Ghat over Yamuna the people of that area have to go to Agra which is hundred kilometre from there. The residence of that area have to face great difficutlties as a result of it. Taking this fact into consideration, I want to know whether the Government will give top priority to the construction of a bridge at Kachaura Ghat and whether, the Government is considering to construct a bridge over it ?

Shri Raj Bahadur : As this bridge comes under the jurisdiction of state Government, so they are responsible for that. But I will try to forward your suggestions to the State Government.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has stated that this matter concerns the State Government but whether he is not aware that the amount collected from the Bateshwar fair is not spent for the construction of the bridge, but it is spent for the development of the district of Agra. So much injustice is being done to Bateshwar but the Government is not prepared to intervene ?

Shri Raj Bahadur : That income belongs to State Government and the State Government have the right to spend it in the way it likes. But regarding the requirement of the bridge, I can write to the State Government.

Shri Narendra Singh Bisht : I want to know whether the Government is aware that there was a railway line from Waha to Agra during the British period but it has since been dismentled and as a result of it, the people of that area have not been able to take the advantage of that facility ?

Shri Raj Bahadur : I am not a Railway Minister. So far as the construction of road is concerned, that work has already been done.

आंध्र प्रदेश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि न होना

*731. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964-65 से आंध्र प्रदेश में खाद्यान्नों का उत्पादन ज्यों का त्यों बना हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

यह सच है कि 1964-65 से आंध्र प्रदेश में खाद्यान्नों के उत्पादन की स्थिति में न्यूनाधिक गतिरोध है। इसके कई कारण हैं। लगातार सूखे की परिस्थितियों से राज्य में उत्पादन को भारी धक्का लगा है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के अलावा इस स्थिति के लिये जिम्मेदार अन्य कारण ये हैं -- नई विकसित किस्मों का खासकर चावल की ऐसी किस्मों का अनुपयुक्त होना, कीट और रोग संबंधी समस्यायें, मूल्य और विपणन सम्बन्धी कठिनाइयां आदि।

यह मंत्रालय इस स्थिति के प्रति सजग है और राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं, जो कि इस प्रकार हैं :--

(1) अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार, (2) चावल की नई विकसित की गई किस्मों के लिये जिला स्तर पर परीक्षण तथा प्रदर्शन कार्यक्रम प्रारम्भ करना, (3) वनस्पति-रक्षण उपायों को तेज करना, (4) सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विकास और बहुफसली पद्धति प्रारम्भ करना, (5) बीज, उर्वरक और ऋण जैसे कृषि आदानों की पर्याप्त मात्रा में और समय पर पूर्ति करना, (6) पर्याप्त मात्रा में और संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर जोर देना, (7) राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम के साथ-साथ कृषकों का प्रशिक्षण।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : विवरण में उल्लिखित खाद्यान्न के गतिरोध को कम करने के लिये की गई कार्यवाही के अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि भूमि सुधार क्रियान्वित करने से गम्भीर रूप से सम्बन्धित है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम सितम्बर में लागू किया और राष्ट्रपति ने इसे 31 दिसम्बर को स्वीकृति दी लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार यह अनुभव करती है कि इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है। उसका विचार था कि इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाना चाहिये जिससे इसे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। सरकार इसे 9वीं अनुसूची में कब शामिल करेगी? क्या सरकार इस बारे में कोई निश्चित तारीख बता सकती है?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : स्वाभावतया भूमि सुधार की क्रियान्विती का उत्पादन से सम्बन्ध है। जहां तक इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रश्न है, हमारा विचार भूमि से सम्बन्धित सब विधानों को 9वीं अनुसूची के अन्तर्गत लाने का है जिससे सब राज्य सरकारों द्वारा, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार भी शामिल है भूमि सुधार के उपायों को आवश्यक संरक्षण दिया जा सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

फार्म इंजीनियरों को शीघ्र ऋण देने के लिए कार्यवाही

*723. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के फार्म इंजीनियरों को शीघ्र ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) कृषि सेवा केन्द्रों के जरिये बेरोजगार तकनीकी कार्मिकों को रोजगार दिलाने की विशेष योजना में, जिसे इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, ऐसे सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए ऋण स्वीकृत करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस उद्देश्य के लिए ऋण सम्बन्धी सहायता देंगे। इस योजना के अन्तर्गत तथापि, बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर कृषि सेवा केन्द्र ऐसे उद्योग माने गये हैं जिनके लिये ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त हो सकता है और इस योजना के अनुसार इन केन्द्रों को कुछ सीमा के अन्तर्गत रहते हुए ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज पर राजसहायता प्राप्त हो सकती है।

ब्रह्मपुत्र घाटी के बाहर शैक्षणिक सुविधायें

*724. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के आन्दोलन के कारण जो छात्र आसाम से चले आये थे, उन्हें ब्रह्मपुत्र घाटी के बाहर शक्षणिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई पहल की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग उन 250 बंगला भाषी छात्रों में से, जो गत वर्ष के उपद्रवों के कारण असम से चले गए थे, लगभग 200 छात्र असम में वापस लौट आए हैं। तथा अपने-अपने शैक्षणिक संस्थानों में पुनः सम्मिलित हो गए हैं। असम स्थित अपने-अपने संस्थानों में वापस लौटने के लिए शेष छात्रों को मनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार असम की घटनाओं से निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा असम में शिक्षा के माध्यम से संबंधित विवाद का सोहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं।

इसलिए, असम राज्य के किसी भी भाग में शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई पहल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

6 LSS/73—3

शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के उपाय

***727. श्री सी० टी० दंडपाणि :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि विद्यार्थियों को डिग्री देने से पूर्व एक वर्ष तक कृषि का कार्य करने को कहा जाए तथा उन्हें एक वर्ष तक सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाए, और

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां। कुछ योजनाओं को पहले ही से कार्यान्वित किया जा रहा है। पांच लाख शिक्षित व्यक्तियों के लिए 1973-74 के दौरान अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस आशय का एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए कुछ निर्धारित अवधि की राष्ट्रीय सेवा करने की पूर्व शर्त लगा देनी चाहिए।

(ग) भाग (क) में उल्लिखित प्रस्ताव और भाग (ख) में उल्लिखित सुझाव की जांच की जा रही है।

भारत-सोवियत सांस्कृतिक सहयोग

***729. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडो-सोवियत कल्चरल सोसायटी (आई० एस० सी० यू० एस०) और यूनियन आफ कल्चरल सोसायटी (यू० एस० सी० एस०) ने वर्ष 1973 में सांस्कृतिक सहयोग की एक योजना पर हस्ताक्षर किये हैं,

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) क्या इसी तरह की किसी योजना पर किसी अन्य देश के साथ भी हस्ताक्षर किये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं कि संविदाकारी पक्ष जनता को दूसरे देश के जीवन, इतिहास, और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की जानकारी प्रदान करके, दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रतिनिधि मंडलों, पर्यटकों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, सांस्कृतिक और कलाकारों के आदान-प्रदानों पर सहमति हो गयी है। साहित्य, चित्र प्रदर्शनियों आदि के भी आदान-प्रदान का प्रस्ताव है।

(ग) किसी अन्य देश के साथ ऐसी ही योजनाओं के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय भवन संगठन के कार्यकारी दल के निष्कर्ष

*732. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय भवन संगठन के कार्यकारी दल द्वारा पांचवीं योजना में निर्माण कार्य की रूपरेखा तैयार करते समय निकाले गये इस आशय के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है कि यदि आगामी पांच वर्षों में ईंट, सीमट, इस्पात और इमारती लकड़ी के उत्पादन में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की गई, तो उससे भवन निर्माण सामग्रियों की कमी से निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दल की सिफारिशें योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत गांवों तथा कमांड क्षेत्रों के विकास के लिये राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशें

733. **डा० रानेन सेन :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की है कि बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के गांवों और कमांड क्षेत्रों के विकास के लिये समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कमांड क्षेत्रों की सिंचाई पद्धतियों तथा समेकित विकास को आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) इस अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सारांश संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी—4798/73]।

(ग) आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

वेस्ट कोस्ट रोड का निर्माण कार्य

*734. **श्री शंकर राव सावंत :**

श्री एस० एल० पेजे :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) वेस्ट कोस्ट रोड का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ था तथा यह कब तक पूरा हो जायेगा,

(ख) अब तक कितना निर्माण कार्य हुआ है और उस पर कितना धन व्यय हुआ है, और

(ग) क्या रत्नगिरि जिले में संगनेश्वर और बान्द्री के बीच सड़क पर निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) पश्चिम तट सड़क जो 8 मार्च, 1972 से राष्ट्रीय राजमार्ग 17 घोषित की गई है महाराष्ट्र, मैसूर, केरल के राज्यों और गोवा के संघ राज्य क्षेत्र से होकर जाती है। इस सड़क पर कार्य अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की केन्द्रीय सहायतित सड़कों के कार्यक्रम के भाग के रूप में मूल रूप से लगभग 15 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। संलग्न विवरण में मूल कार्यक्रम में अब तक सड़क पर किये गये कार्य के बारे में राज्यवार जानकारी दी गई है। (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी—- 4799/73) इसके राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने पर, सड़क को चौथी योजना कार्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर के इकहरी गली के लिये और सुधार करने का प्रस्ताव है जिसके लिए कमियों की सूचीकरण और सुधार के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। उक्त सुधार की पांचवीं योजना काल के अंत तक प्राप्त होने की संभावना है।

(ग) महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले में संगनेश्वर से बांद्री खण्ड के निर्माण पर कार्य को मूल रूप से अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की केन्द्रीय सहायतित सड़कों के पहले के कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था। वह अभी पूरा नहीं हुआ है और अब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया जायेगा और तदनुसार उस पर कार्य किया जायेगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के अस्पतालों में औषधियों की कमी

*735. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के अस्पतालों में प्रतिदिन काम आने वाली औषधियों की कमी है क्योंकि सरकार द्वारा उनकी वे औषधियों सप्लाई नहीं की जा रही हैं; और

(ख) इन अस्पतालों में औषधियां आदि उपलब्ध करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजपुर तथा फरीदकोट स्थित भारतीय खाध निगम के गोदामों से अनाज का गायब होना

736. **श्री लाल जी भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपि करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजपुर और फरीदकोट स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनाज के सैंकड़ों बोरे हाल में चोरी हो गये थे!

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों कें विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दें) : (क) और (ख) जी हां। हाल ही में फिरोजपुर और फरीदकोट जिलों में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लगभग 848 खाद्यान्नों की बोरियां जिनमें 836 बोरियां गेहूं की थीं और 12 बोरियां धान की थी चुरा ली गई थीं।

(ग) पुलिस ने इन मामलों की जांच अभी पूरी नहीं की है। तथापि, कुछ मामलों में, जहां प्रत्यक्षतया यह पाया गया था कि कुछ अधिकारियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हाथ था, उनके विरुद्ध आगे कार्यवाही होने तक उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है।

फार्म योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब

737. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1973 के 'दि मदरलैंड' में 'मिनिस्ट्री डिलेज फार्म स्कीम' (फार्म योजना के क्रियान्वयन में मंत्रालय का विलम्ब) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सरकार समाचार पत्र में व्यक्त किये गये विचारों से सहमत नहीं है।

भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी द्वारा आयोजित चार दिवसीय सम्मेलन

*738. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसाइटी द्वारा बम्बई में आयोजित चार दिवसीय सम्मेलन में, इंजीनियरी में स्नातकोत्तर अध्ययन का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में अन्य क्या सिफारिशें की गईं; और

(ग) क्या सरकार ने सुझावों और सिफारिशों पर विचार किया है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

*739. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के सभी औषधालयों में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के रेगिस्तान के विकास सम्बन्धी समस्या के बारे में सांविधिक स्वायत्त प्राधिकरण

*740. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री राज देव सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या कुछ वैज्ञानिकों ने जिन्होंने राजस्थान के रेगिस्तान की विकास सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया था, यह सिफारिश की है कि इस कार्य के लिए शीघ्र ही सांविधिक स्वायत्त प्राधिकरण की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने पश्चिमी राजस्थान में शुष्क क्षेत्र के कुछ पहलुओं और विशेषकर उस क्षेत्र में जुलाई, 1970 में आये तेज रेतीले तूफानों के सम्बन्ध में मौके पर अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था। इस अध्ययन दल ने 1970 में अपनी सिफारिशों का केवल सारांश ही प्रस्तुत किया था । अब पता चला है कि इस दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट अकादमी को पेश कर दी है। यह रिपोर्ट अभी भारत सरकार को नहीं मिली है। पता चला है कि अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि इस मंत्रालय द्वारा 1966 में गठित रेगिस्तान विकास बोर्ड को एक उच्चाधिकार प्राप्त, स्थायी और संवैधानिक निकाय बनाया जाना चाहिये। इसका एक ऐसा नियमित सचिवालय होना चाहिये जिसमें स्थायी तकनीकी अधिकारी उपलब्ध हों । ये विशेषज्ञ परिस्थिति-विज्ञान, जीव विज्ञान, भू-आकृतितत्व, पशु-चिकित्सा विज्ञान, ऊर्जा शक्ति, सस्य-विज्ञान, घास विज्ञान, प्रजनन, मृदा विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, आदि क्षेत्रों से लिये जाने चाहियें। यह बोर्ड रेगिस्तान के विकास तथा उसके सुधार से सम्बन्धित तीनों पहलुओं, अर्थात् अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार हों ।

अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह से उसकी जांच की जायेगी।

दिल्ली के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

6980. **श्री अम्बेश : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री शिक्षा विभाग, दिल्ली के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के बारे में 26 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 931 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों के कुछ अध्यापक (टी० जी० डी०) आदेश संख्या 607 पत्र संख्या डी० ई० 1(4) ए० डी० II दिनांक 23 अक्तूबर, 1962 के द्वारा अस्थायी आधार पर दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में नियुक्त किये गये थे;

(ख) क्या गृह मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 10/28/68-ई० एस० टी० (एस० सी० टी०) दिनांक 12 सितम्बर, 1968 के द्वारा स्थायीकरण के लिये आरक्षण नियत होने के बावजूद वे अभी तक अस्थायी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Supply of Inferior Quality of Ration in Delhi

6981. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister Of **Agriculture** pleased to state :

(a) whether Government have received some complaints that inferior quality of ration goods are being sold at ration shops in Delhi; and

(b) if so, whether Government have taken action in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) A few such complaints have been received by Delhi Administration. Inspectors have been posted in godowns and mills to see that only proper quality of food articles are supplied to fair price shops holders. Food Corporation of India on its parts are releasing to Fair Price Shops only stocks falling within P.F.A. standard. Sealed samples are given to the fair price shops holders in order to enable the card holders to ensure that they are supplied proper quality of ration articles from the fair price shops holders.

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार किया गया 'वर्किंग पेपर'

6982. **श्री मार्तण्ड सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने पांचवीं योजना के लिए एक 'वर्किंग पेपर' तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नई दिल्ली में दिनांक 18-19 सितम्बर, 1972 को हुई अपनी 36वीं बैठक में पांचवीं पंचवर्षीय योजना—(1974-79) की रूप रेखा अनुमोदित कर दी है। इस कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं ?

(1) शिक्षा संबंधी प्रणाली में परिवर्तन,

(2) स्तरों में सुधार,

(3) विशेष रूप से सामाजिक दलित वर्गों के लिये पूर्व स्कूल कार्यक्रम व्यापक रूप से शुरू करना,

(4) 6—11 वर्ष के आयु वर्ग के लिये 1980-81 तक सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था,

(5) सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में, स्कूल तथा कालेज कक्षाओं की एक समान पद्धति अर्थात् 10+2+3 का अपनाया जाना,

(6) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण और स्कूल स्तर पर शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव शुरू करना,

(7) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नीति का विकास करना, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी तथा खासतौर से समाज के अति दलित वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल तथा विश्वविद्यालय की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके,

(8) 14—25 वर्ष के आयु के लोगों के लिए युवक आन्दोलन शुरू करना,

(9) कालेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा का पुनर्गठन,

(10) तकनीकी शिक्षा का विकास;

(11) राष्ट्रीय समाज सेवा का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना; और

(12) विस्तार तथा कोटि सुधार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना।

मध्य प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजपथों की घोषणा के लिए प्रस्ताव

6983. **श्री मार्तण्ड सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजपथों की घोषणाओं के संबंध में गत तीन वर्षों में राज्य से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना (लगभग 1970) में राज्य सरकार ने 11 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हाल ही में उन्होंने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 10 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का एक नया प्रस्ताव रखा है।

(ख) और (ग) वित्तीय कठिनाइयों तथा मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावों तथा अन्य राज्यों द्वारा सुझायी गई परियोजनाओं की तुलनात्मक निम्न प्राथमिकता देने के कारण, चौथी योजना में मध्य प्रदेश में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में कोई नयी सड़क शामिल करना संभव नहीं पाया गया। परंतु, राज्य सरकार के चौथी योजना प्रस्तावों में सम्मिलित सड़क पर निम्नलिखित पुलों के लिए 110 लाख रुपये की ऋण सहायता अनुमोदित की गई :

	रुपये लाखों में
(1) शिवपुर-सवाई माधोपुर सड़क पर चम्बल नदी पर पुल	70.00
(2) जयपुर-विश्रौरा सड़क पर धार नदी पर पुल । जयपुर-विश्रौरा सड़क पर काली सिंध नदी पर पुल	40.00
	110.00

पांचवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव अन्य राज्यों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विचारार्थ नोट कर लिये गये हैं, परन्तु उन पर अंतिम रूप से विचार केवल तब ही किया जायेगा जब कि योजना के लिए उपलब्ध किया गया योजना नियतन पर निर्भर करते हुए पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जायेगा।

Grants to Institutions in Bhind District of Madhya Pradesh by Social Welfare Department

6984. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the institutions in Bhind District of Madhya Pradesh which have been given grants by the Social Welfare Department during the financial year 1971-72 and 1972-73 and the amount thereof ; and

(b) the number of institutions which have asked for grants during the same period ?

The Minister in the Ministry of Education, Social Welfare & Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) No grant was given during these years to any institution in Bhind District.

(b) Information is not readily available.

Grants to Institutions in Dewas District of Madhya Pradesh by Social Welfare Department

6985. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the institutions in Dewas District of Madhya Pradesh which have been given grants by the Social Welfare Department during the financial year 1971-72 and 1972-73 and the amount thereof ; and

(b) the number of institutions which have asked for grants during the same period ?

The Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) The following grants were given by the Central Social Welfare Board to institutions in Dewas district during the years in question :

	1971-72	1972-73
	Rs.	Rs.
1. Mahila Mandal, Kannod (Dewas). . . .	1,300	1,857.50
2. Ahila Bai Mahila Mandal Gandharvapuri, Dewas. .	1,500	1,500.00
3. Shishu Vihar, Dewas.	1,500	2,557,50

(b) The information is not readily available.

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली के कार्यों की जांच

6986. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मंत्री 12 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2984 और 2985 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति के कार्यों की जांच के आदेश कब दिए गए थे ;

(ख) उसके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) जांच पूरी करने के लिए कितना समय निश्चित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जांच के आदेश 21 मार्च, 1972 को दिए गए थे ।

(ख) सोसायटी के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति की जांच करना ।

(ग) जांच आदेश में जांच अधिकारी को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने और रिपोर्ट देने को कहा गया था । दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 31 जुलाई, 1972 तक जांच कार्य रोक दिया गया था। उसके बाद उच्च न्यायालय ने तारीख 4 सितम्बर, 1972 के अपने आदेश के अन्तर्गत निदेश दिया कि जांच जारी रखी जानी चाहिए और उसे इस आदेश की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए । चूंकि अभिलेखाधिकारियों द्वारा जांच अधिकारी को पूरे संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं किए गए थे, अतः उच्च न्यायालय ने 11 दिसम्बर, 1972 को निदेश दिया कि सोसायटी को चाहिए कि वह जांच अधिकारी के सामने समस्त संबंधित अभिलेख पेश करे और यदि संभव हो तो 30 मार्च, 1973 तक जांच पूरी की जाए । चूंकि अभिलेखाधिकारियों द्वारा जांच अधिकारी के सामने अभी तक सारे अभिलेख पेश नहीं किए गए हैं, अतः जांच अधिकारी ने अभिलेख पेश करने के लिए कानून के मुताबिक सख्त तरीके अपनाने के वास्ते उच्च न्यायालय की अनुमति के लिए समावेदन किया है ।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली की आम बैठक

6987. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 में ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को ऐसी समितियों की आम बैठकें बुलाने का अधिकार है, जिनका चुनाव लम्बे समय से नहीं हुआ है तथा जहां विभिन्न गुट हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी भवन निर्माण समिति की आम बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित बैठक कब तक बुलाई जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 में ऐसा उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत सहकारी सोसायटियों के पंजीयक को सहकारी सोसायटी की आम बैठक बुलाने का अधिकार है, यदि सोसायटी द्वारा अधिनियम में दी गई नियत अथवा बढ़ाई गई अवधि में ऐसी बैठक नहीं बुलाई जाती है ।

(ख) चूंकि दिल्ली प्रशासन द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम के उपबंधों के अधीन, सोसायटी के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति की जांच करने के आदेश दिए गए हैं, अतः, इस समय, ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Sugar Production During Current Year

6988. **Shri M. S. Purty** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the State-wise figures of the production of sugar during the current year ; and

(b) whether the production of sugar is likely to be decreased during this year also like that during the last year ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) A statement showing State-wise the production of sugar during 1972-73 (up to 31st March 1973) is attached. The production this year has already exceeded the last year's total production of 31.13 lakh tonnes, and finally may even exceed the earlier estimate of 36 lakh tonnes.

Statement

(Figures in '000 tonnes)

State	1972-73
U.P.	1135
Bihar	215
West Bengal	4
Assam	5
Haryana	76
Punjab	41
Rajasthan	15
M.P.	28
Orissa	5
Maharashtra	998
Gujarat	115
Mysore	225
Kerala	15
Andhra	226
Tamil Nadu	195
Pondicherry	17
ALL INDIA	3315

Scheme to Utilise Sea-Water for Irrigation Purpose

6989. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the action proposed to be taken by Government to utilise sea-water for irrigation purposes in order to increase agricultural production and face famine conditions; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Exploratory studies have been initiated to test the feasibility of utilising sea water for agriculture. In the absence of proven results, development project has not been taken up to increase agricultural production by use of sea water.

(b) Does not arise.

Scarcity of Agricultural Implements and Government Factories for their Manufacture

6990. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether scarcity of agricultural implements is being experienced;

(b) if so, the number of factories to be opened by Government themselves to meet the scarcity; and

(c) the number of factories for which licences for setting them up would be given to private firms ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No permission or licence is needed to start any unit for manufacturing agricultural implements in the small-scale sector.

Adivasi Students in Central Schools and Public Schools in Madhya Pradesh

6991. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the places in Madhya Pradesh where Central schools and public schools are located;

(b) the number of students in these schools on Ist February, 1973 classwise and the number of Adivasi students out of them in each class ;

(c) whether Government of India have provided any reservation for Adivasis in the matter of admission to these schools and if so, the percentage thereof, and if not, the reasons therefor ; and

(d) whether Government of India grant scholarships to the Adivasi students of the public schools located in Madhya Pradesh and if not, the reasons therefor?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) There are the following Central Schools and Public Schools in Madhya Pradesh :

Central Schools	Public Schools
1. Amla-One	1. Indore-One
2. Bhopal-One	2. Raipur-One
3. Indore-One	3. Rewa-One
4. Gwalior-One	4. Gwalior-Two
5. Jabalpur-One	
6. Pachmarhi-One	
7. Saugor-One	
8. Neemuch-One	
9. Bacheli-One	

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) The Kendriya Vidyalayas are primarily intended for the children of transferable Central Government employees, including Defence employees. The rules of admission to these Vidyalayas provide for preference being given to the children of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in each priority category, subject to their qualifying in the admission test. Public Schools, however, are managed by private bodies who have their own rules of admission. Under the Government of India Merit Scholarships Scheme for studies in residential schools, including public schools, 7-1/2% and 2-1/2% of the seats are reserved respectively for Scheduled Castes and Scheduled Tribes students.

Reservation of Seats for Adivasis in Government Schools and Colleges in Delhi

6992. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government of India have provided for reservation of some seats for Adivasis in the Government Schools and Colleges of Delhi with a view to provide good higher education to the Adivasis ;

(b) if so, the percentage of seats reserved for them and if not, the reasons therefor ;

(c) the total number of students studying in Government schools and colleges of Delhi as on 1st February, 1973 and the number of Adivasi students out of them ; and

(d) Government's scheme for providing education to the adivasis in Delhi?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) Since all eligible candidates are admitted in Delhi Government Schools ; no separate reservations are made. As for the Colleges, respectively 15% and 5% of the seats are reserved for students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(c) The information is being collected and will be laid down on the Table of the House.

(d) There are no Scheduled Tribes in Delhi, nor has a separate scheme been formulated by the Delhi Administration for education of this section of the people. However, students belonging to Scheduled Tribes from other States/Union Territories, who may be studying in Delhi Colleges, are entitled to the usual Post Matric Scholarships.

Famine and Shortage of Drinking Water in M.P.

6993. Shri G .C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some parts of Madhya Pradesh are facing serious famine and shortage of drinking water ;

(b) if so, the extent of Central assistance required for removing difficulties of the people of Madhya Pradesh ; and

(c) the names of the districts affected by the recent droughts and the number of persons affected thereby?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Some parts of Madhya Pradesh have been affected by drought, and difficulties of drinking water are being felt in certain areas.

(b) On the basis of the recommendations made by the Central Study Team which visited Madhya Pradesh in February, 1973, a ceiling of expenditure of Rs. 1.44 crores has been adopted for the purpose of central financial assistance for relief measures other than relief works. Expenditure on relief works which are of productive and durable nature would be eligible for Central assistance in accordance with the priorities agreed to between the State and Central Governments.

(c) 30 districts involving a population of 93 lakhs are reported to have been affected in varying degrees in Madhya Pradesh. These districts are :—

1. Raipur
2. Durg
3. Bastar
4. Bilaspur
5. Raigarh
6. Sarguja
7. Jabalpur
8. Chhindwara
9. Seoni
10. Mandla
11. Balghat
12. Dhar
13. Dewas
14. Ratlam
15. Jhabua
16. West Nimar
17. East Nimar
18. Sehore
19. Betul
20. Rewa
21. Satna
22. Shahdol
23. Chhatarpur
24. Panna
25. Rajgarh
26. Shajapur
27. Indore
28. Ujjain
29. Mandsaur
30. Tikamgarh

Proposals from District Officer Hoshangabad and East Nimar regarding Employment of Uneducated Un-Employed in Rural Areas

6994. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of proposals received from the District Officers of Hoshangabad and East Nimar districts (M.P) under the crash programme for providing employment to the uneducated unemployed persons in rural areas of these districts and the number, out of them, approved by the Central Government ;

(b) the number of such Block Officers of the said districts whose schemes have since been approved and the work has also been started according to these approved schemes and the extent of work executed therein ;

(c) the number of persons who have been provided employment so far and the expenditure incurred so far on the work being executed under the said scheme in the said districts ; and

(d) the funds still required to be spent during the remaining period of current financial year and the details of the proposals in regard to works for execution and in regard to those to be started during the remaining period of the financial year blockwise ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Government of India have delegated the power of sanctioning projects to State Governments. Therefore no proposals have been received by the Government of India from these districts.

(b), (c) & (d) The information asked for is being collected and will be laid on the Table of the House.

Prospects of Rabi Crop in Madhya Pradesh

6995. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received any report in regard to prospects of rabi crops in Madhya Pradesh.;

(b) whether scarcity of rains has affected the crops and if so, the estimated shortfall in production during the next crop as shown in the said report ; and

(c) the initial action proposed to be taken to meet the situation created by droughts and scarcity of rains in various parts of Madhya Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) to (c) Information has been called for from the State Government and a reply will be placed on the table of Sahba **as** soon information is received.

आपत्कालीन खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने के लिए आपत्कालीन खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम

6996. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 की रबी की फसल में आपत्कालीन खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने के लिए कृषि मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई जिसमें मैसूर, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और केरल के वरिष्ठ कृषि उत्पादन अधिकारियों ने भाग लिया था ;

(ख) क्या खरीफ के उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र ने रबी की उपज के अतिरिक्त एक विशेष अल्पकालीन ग्रीष्म वस्तु खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) खरीफ के मौसम में भारी सूखा पड़ने के कारण उत्पन्न हुई खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिए 1972-73 की रबी/ग्रीष्म कालीन फसलों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरु किया गया था । ग्रीष्म के लिए मुख्यतः ग्रीष्मकालीन चावल की फसल शामिल की गई थी । ग्रीष्म कालीन चावल के कार्यक्रम को अपनाने के लिए, राज्यों में लघु सिंचाई सुविधायें सृजन करने हेतु विशेष अनुदान मंजूर किये गये हैं । आदानों की खरीद के लिए अल्पावधि ऋण भी दिये गये । मैसूर, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और केरल की सरकारों द्वारा स्वीकृत लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

राज्य का नाम	राज्य द्वारा स्वीकृत क्षेत्र (हजार हैक्टार)
मैसूर	140
आन्ध्र प्रदेश	1000
तमिल नाडु	50
केरल	120

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में टी० जी० टी० और पी०जी०टी० को सेलेक्शन ग्रेड देना

6997. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 5 सितम्बर, 1972 से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टी०जी०टी० और पी०जी०टी० को सलेक्सन ग्रेड देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 15 प्रतिशत टी०जी०टी० और पी०जी०टी० (पुरुष और महिलाएं दोनों) को सेलेक्शन ग्रेड दिया जा चुका है;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम ने प्राइमरी स्कूलों में काम कर रहे अध्यापकों को भी सेलेक्शन ग्रेड दिया है; और

(घ) क्या पहले दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत काम कर रहे टी०जी०टी० को जिन्हें जुलाई, 1970 में दिल्ली प्रशासन में मिला दिया गया था, अभी तक कोई सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है, यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क), (ख) और (ग) जी हां।

(घ) इन मामलों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

ट्रैक्टर की मांग पर बहुविध कर प्रणाली का प्रभाव

6998. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुबिध कर प्रणाली के कारण ट्रेक्टर खरीदने वाले किसानों को उस राशि से 32 प्रतिशत अधिक देना पड़ रहा है जो वे सामान्य देते थे ;

(ख) क्या इस अतिरिक्त व्यय-भार के कारण ट्रेक्टरों की मांग तेजी से घटती जा रही है और इससे एक ओर ट्रेक्टर उद्योग पर दुस्प्रभाव पड़ेगा और दूसरी ओर इससे मशीनीकरण की गति धीमी होगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और विक्रय कर लगने के फलस्वरुप देशी और आयातित ट्रेक्टरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।

(ख) और (ग) राज्य कृषि-उद्योग निगमों और ट्रैक्टरों के देशी निर्माताओं के पास ट्रैक्टरों के लिये रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में कमी हो रही है। विभिन्न राज्यों के कृषि-उद्योग नियमों से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित कारणों से ट्रैक्टरों की मांग में कमी हुई है:--

(1) विशेषतः सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और अन्य शुल्कों के कारण मुल्यों में वृद्धि होना ;

(2) भूमि की प्रस्तावित अधिकतम सीमा के कारण अनिश्चयता उत्पन्न होना ;

(3) कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होना; तथा

(4) ऋण सुविधायें प्रदान करने में सख्ती, दफ्तरी कार्यवाही की कठिनाइयां तथा ऋण की मंजूरी में विलम्ब होना ।

ट्रैक्टरों की मांग में किसी प्रकार की कमी होने से यंत्रीकृत खेती के कार्य को धक्का लगने की संभावना है । कृषकों को आवश्यक सुविधायें प्राप्त कराने की दृष्टि से राज्य कृषि उद्योग निगमों के मरम्मत संबंधी कार्यों और उद्यम कर्ताओं द्वारा कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के कार्य को तेज किया जा रहा है। ट्रैक्टरों के आयातित पुर्जों पर सीमा शुल्क कम करने और देशी ट्रैक्टरों पर उत्पादन शुल्क कम करने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है । राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ट्रैक्टरों पर बिक्री कर कम करने के प्रश्न पर विचार करें ।

दिल्ली में पानी के मीटरों का परीक्षण शुल्क

6999. **श्री रणबहादुर सिंह**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पानी के मीटरों का परीक्षण करने का शुल्क 5 रुपये प्रति मीटर से बढ़ा कर 17 रुपये प्रति मीटर कर दिया गया है किन्तु इस बात को कभी सुनिश्चित नहीं किया जाता कि उनम ठीक-ठीक आंकड़े आए जिसके परिणामस्वरुप उपभोक्ताओं को देय राशि से अधिक राशि देनी पड़ती हैं;

(ख) क्या अधिकारी 75 पैसे मासिक किराये के अतिरिक्त प्रत्येक मीटर के लिए 100 रुपये की सिक्योरिटी रखते हैं;

(ग) क्या सिक्योरिटी की जमा राशि पर उपभोक्ताओं को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र तथा दिल्ली नगर निगम क्षेत्र दोनों में पानी के मीटरों के लिए परीक्षण फीस केवल 5 रुपये प्रति मीटर है । तथापि, जब दिल्ली जल सप्लाई तथा मल जल निपटान उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा परिसर से मीटर हटाया जाता है और परीक्षण करने के बाद दोबारा लगाया जाता है तो निगम द्वारा 12 रुपये का अतिरिक्त प्रभार लिया जाता है ।

(ख) जी, नहीं । नई दिल्ली नगर पालिका केवल 50 रुपये प्रति मीटर जमानत के तौर पर लेती है तथा दिल्ली नगर निगम 75 रुपये प्रति मीटर जमानत के तौर पर लेती है ।

(ग) तथा (घ) म्युनिसिपल नियमों के अनुसार मीटर की ज़मानत की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है ।

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक संघ

7000. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक संघ की स्थापना करने की व्यवस्था है ; और

(ख) क्या उपरोक्त अभिभावक-शिक्षक संघ के लिए प्रतिवर्ष छात्रों से कुछ धनराशि एकत्र की जाती है, और यदि हां, तो अभिभावक-शिक्षक संघ के लिए प्रत्येक छात्र से कितनी धनराशि ली जाती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । अभिभावक-अध्यापक संघ निधि के लिए चन्दे की दर सामान्यता एक रुपया प्रति छात्र प्रति वर्ष है । तथापि, अभिभावक-अध्यापक संघ इस आशय का एक विशिष्ट संकल्प पारित करके इस राशि को बढ़ा सकता है ।

कम आय वाले वर्ग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण

7001. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

श्री सी० एम० स्टीफन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किन-किन स्थानों पर कम आय वाले वर्ग के लोगों को आवंटन करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का निर्माण कार्य हाल ही म पूरा हो गया है अथवा पूरा होने वाला है और प्रत्येक क्षेत्र में कितने और कितनी-कितनी मंजिल के फ्लैट हैं ,

(ख) वर्ष 1973 में फ्लैटों का आवंटन करने हेतु किन-किन तिथियों की घोषणा की जायेगी ; और

(ग) वर्ष 1973 और 1974 में कम आय वाले वर्ग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण कार्य कहां-कहां पूरा हो जायेगा और प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग कितने और कितनी-कितनी मंजिल के फ्लैट बनाये जायेंगे ?

संसदीय काय विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) (I) **लारेन्स रोड**

(i) 2 मंज़िले	480
(ii) 2 मंज़िले	660
(iii) 3 मंज़िले	2684
(iv) 4 मंज़िले	776
	4600

(II) **पंखा रोड**

(i) एक मंज़िले	893
(ii) दो मंज़िला एकहरे एकक	1000
	1893

(III) वजीरपुर	
(i) दो मंजिले	188
(IV) टैगोर गार्डन	
2 मंजिले .	348
(V) नारायणा	
(i) 3 मंजिले (2 कमरे)	162
(ii) 3 मंजिले (1 कमरा)	48
(iii) 4 मंजिले (2 कमरे) .	136
	346
कुल जोड़ .	7375

(ख) 7375 फ्लैटों में से 5375 फ्लैटों को आवंटन किया जा चुका है। शेष 2000 फ्लैटों का आवंटन जून 1973 में किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) 1973 के लिए कार्यक्रम

(I) पंखा रोड	
(i) 2 मंजिले	1278
(ii) 3 मंजिले	300
(II) कालकाजी	
2 मंजिले	1066
(III) राजौरी गार्डन	
2 मंजिले	436
(IV) वजीरपुर	
(i) 2 मंजिले	466
(ii) 3 मंजिले	481
(V) कटवाड़िया सराय	
2 मंजिले	88
(VI) सनलाइट कालोनी .	
2 मंजिले	148
(VII) प्रसाद नगर	
4 मंजिले	300

1974 के लिए कार्यक्रम

(I) राजौरी गार्डन	
3 मंजिले	694
(II) मुनीर्का	500
(III) नजफगढ़ रोड के सामने **मादीपुर**	250
(IV) **मादीपुर चरण-III** . . .	250
(V) मालवीय नगर	500

टिप्पणी : II, III, IV तथा V पर उल्लिखित 1974 के लिये योजनाएं आयोजना के चरण में हैं तथा इनके संबंध में मंज़िलों की संख्या को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत विस्थापितों का पुनर्वास

7002. **श्री के० मालन्ना : क्या निर्माण और आवास** मंत्री गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत विस्थापितों का पुनर्वास करने के बारे में 29 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाडगिल-आश्वासन के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र पाये गए 1221. व्यक्तियों का पुनर्वास करने हेतु कुछ उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 323 परिवारों को उन्हीं स्थानों पर फिर बसाने का निर्णय किया है जहां पर वे बैठे हुये हैं। शेष रिहायशी आबादकारों के सम्बन्ध में विस्तृत वास्तविक सर्वेक्षण करने तथा विशिष्ट क्षेत्रों की क्षेत्रीय/कार्यान्वयन योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् उनके पुनर्वास की योजनाएं बनाई जायेंगी ।

पारी से पहले सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

7003. **श्री के० मालन्ना :**

श्री मुख्तियार सिंह मालिक:

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में पारी से पहले सरकारी क्वार्टरों का आवंटन करने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) डाक्टरी चिकित्सा के आधार पर अधिकारियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के रूप में, उनके माता/पिता के सेवा निवृत्त होने पर तथा अन्य आधारों पर प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को अलग-अलग क्वार्टर आवंटित किए गए हैं; और

(ग) 31 मार्च, 1973 तक ऐसे कितने आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय कर्मचारियों की संख्या

7004. **श्री ए० एस० कस्तूरे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 अक्तूबर, 1972 को दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय में श्रेणीवार कितने कर्मचारी थे तथा उनमें अनुसूचित जातियो/जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या थी;

(ख) क्या सुरक्षित स्थानों का कोटा पूरा किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या विशेष कदम उठाने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे विवरण में दी गई है:–

श्रेणी	31–10–72 को स्टाफ की वास्तविक संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
श्रेणी-i	1	—	—
श्रेणी-ii	12	—	—
श्रेणी-iii	159	14	1
श्रेणी-iv . . .	65	26	3
	237	40	4

(ख) से (घ) दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, जो कि एक स्वायत्त निकाय है, समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण से सम्बन्धित आदेशों और अनुदेशों का 1967 से पालन कर रहा है। पुस्तकालय के कुल स्टाफ की संख्या में से लगभग 18.6 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। उनकी संख्या में कमी का कारण पुस्तकालय विज्ञान में अपेक्षित योग्यताओं वाले व्यक्ति प्राप्त करने में कठिनाई है। इस कमी को पूरा करने के लिए पुस्तकालय बोर्ड से अपने प्रयत्न तेज करने के लिए कहा जाएगा।

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में कर्मचारियों की संख्या

7005 **श्री ए० एस० कस्तूरे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अक्तूबर, 1972 को केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में श्रेणीवार कितने कर्मचारी थे तथा उनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या थी;

(ख) क्या सुरक्षित स्थानों का कोटा पूरा किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या विशेष कदम उठाने का बिचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के पद शिक्षा तथा संस्कृति विभागों के सर्वोपरि संवर्गों के अन्तर्गत ही आते हैं। इन पदों के लिए भर्ती करते समय आरक्षण आदेशों को निश्चय ही ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में स्टाफ के विभिन्न वर्गों और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-30 अक्तूबर, 1972 की स्थिति--

क्रमांक	वर्ग	कर्मचारियों की संख्या (संस्वीकृत)	अनुसूचित जातियों की संख्या	अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या
1	2	3	4	5
(1)	निदेशक केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय .	1	—	—
(2)	पुस्तकाध्यक्ष-ग्रेड-i . .	5	—	—
(3)	अवर पुस्तकाध्यक्ष .	1	—	—
(4)	पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड-ii	12	2	—
(5)	पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड-iii .	19	1+1*	—
(6)	पुस्तकालय परिचर (वरिष्ठ) .	9	—	—
(7)	पुस्तकालय परिचर (अवर) .	7	—	—
(8)	जनिटर . . .	3	—	1
(9)	वैयक्तिक सहायक-ग्रेड-ii .	1	—	—
(10)	उच्च श्रेणी-लिपिक .	1	—	—
(11)	अवर श्रेणी-लिपिक .	10	1	—
(12)	दफ्तरी . .	1	—	—
(13)	फराश . .	6	1	—
(14)	चपरासी . .	3	—	—
(15)	झाड़ूकश-व-फराश .	1	1	—
(16)	झाड़ूकश (स्वीपर) .	1	1	—
(17)	चौकीदार . . .	1	—	—

* उम्मीदवार 31-10-1972 से नियुक्त किया गया था।

केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय के लिये कोई पृथक साम्प्रदायिक नामावली नहीं रखी गयी है। केन्द्रीय सचिवालय के ग्रंथालय में काम करने वाले कर्मचारी शिक्षा तथा संस्कृति विभागों के सामान्य संवर्गों से सम्बद्ध रखते हैं।

स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के ग्रन्थालय के कर्मचारी

7006. श्री ए० एस० कस्तूरे: क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के ग्रन्थालय में 31 अक्तूबर, 1972 तक श्रेणीवार कितने कर्मचारी थे और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित कोटे को भरा गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार का इस कमी को पूरा करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पुस्तकालय में 31 अक्तूबर, 1972 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार थी:—

		कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
1	2	3	4	5
1.	अपर उप सहायक निदेशक (पुस्तकालय) प्रथम श्रेणी .	1	—	—
2.	पुस्तकाध्यक्ष . . . ग्रेड-i (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित)	5	—	—
3.	पुस्तकाध्यक्ष . . ग्रेड-ii (तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित)	7	1	—
4.	पुस्तकाध्यक्ष . . . ग्रेड-iii (तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित)	5	—	—
5.	पुस्तकालय सहायक तृतीय श्रेणी, अराज-पत्रित	6	2	1
	योग :	24	3	1

(ख) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों के आरक्षण का कोई अलग कोटा नहीं रखा जाता है क्योंकि ये पद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मुख्यालय के ही पदों में आते हैं। सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के लिए प्रतिनिधित्व द्योतक एक विशेष रोस्टर बना रखा है।

(ग) प्रश्न नहीं उटता।

मन्दिर मार्ग पर टाइप II क्वार्टरों के लानों के विकास में विलम्ब

7007. श्री वरके जार्ज :

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागबानी विभाग ने मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के टाइप II के क्वार्टरों के फ्लैट लानों के लिये किनारा–बन्दी, बाड़ लगाने तथा घास लगाने की व्यवस्था नहीं की तथा नए बने इन क्वार्टरों के अलाट किये जाने के बाद गत डेढ़ वर्ष से इस क्षेत्र में सफाई की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई ;

(ख) इस इलाके की स्थिति में सुधार करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य में विलम्ब करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) इन मकानों की परिधि में नरम लोहे की घेराबन्दी की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में घास लगाने का कार्य आरम्भ किया गया है। कुछ क्षेत्रों में किये गये कार्य को घटिया कोटि का पाया गया था। टेण्डर की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस क्षेत्र में किनाराबन्दी करने तथा बाड़ लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मकानों के बीच के खुले स्थान पर, जहां-कहीं आवश्यक होगा, रेलिंग तथा रुकावटों की व्यवस्था की जाएगी। इस क्षेत्र में मल नियास तथा बरसाती नाले के कार्य सम्पूर्ण हो गये हैं तथा सफाई का कार्य, जिसमें सड़कों तथा खुली जगह की सफाई शामिल है, को नियमित रूप से किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) क्षेत्र में घास लगाने के कार्य में विलम्ब करने के लिए घास लगाने वाले ठेकेदार के विरुद्ध टेण्डर के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

गवर्नमेंट मेडिकल कालेज मैसूर में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए छात्रवृत्ति योजना

7008. **श्री एस० एम० सिदैया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 के लिये 300 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी योजना (बैंच-एक और बैंच-दो) में से कितनी छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के स्नातकोत्तर छात्रों को दी गई हैं ;

(ख) क्या यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में आई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के जिन छात्रों को उक्त छात्रवृत्तियां दी गई थीं उन्होंने या तो अपना अध्ययन बन्द कर दिया है या उनको मैसूर सरकार से छात्रवृत्ति दी गई है और यदि हां तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्तियां समाप्त हो जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ये छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उन छात्रों को दी जायेंगी जिन्होंने इसके लिये आवेदनपत्र दिये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) 1972–73 (प्रथम बैंच) में "300 अतिरिक्त शिक्षावृत्ति योजना" के अधीन अनुसूचित जाति के छात्रों को 11 शिक्षावृत्तियां दी गई और अनुसूचित जनजाति के किसी भी छात्र को शिक्षावृत्ति नहीं दी गई, क्योंकि इस वर्ग के किसी भी छात्र ने आवेदन नहीं दिया था । 1972–73 (दूसरा बैंच) में अनुसूचित जाति के छात्रों को 16 और अनुसूचित जनजाति के एक छात्र को शिक्षावृत्ति दी गई है।

(ख) जी हां। 1972–73 (दूसरा बैंच) में "300 अतिरिक्त शिक्षावृत्ति, योजना" के अधीन अनुसूचित जाति के जिन दो छात्रों को शिक्षावृत्तियां देने के लिए चुना गया था उन्हें राज्य सरकार ने वृत्तियां देने की संस्वीकृति दे दी है, इसलिए ऐसी शिक्षावृत्तियों के सम्बन्ध में लागू होने वाली शर्तों के अनुसार उपर्युक्त योजना के अधीन में छात्र इन शिक्षावृत्तियों को पाने के पात्र नहीं होंगे।

(ग) शिक्षावृत्तियां चयन समिति की शिफारिशों पर ही दी जाती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उन प्रत्याशियों को जिन्होंने इस शिक्षावृत्ति के लिए आवेदन किया हो किन्तु चयन समिति ने शिक्षावृत्ति देने के लिए उनके नाम की सिफारिश न की हो, उक्त योजना के अधीन कोई शिक्षावृत्ति नहीं मिल सकेगी।

नगर एवं ग्राम्य आयोजना संगठन में बनाए गये पद

7009. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर एवं ग्राम्य आयोजना संगठन (निर्माण और आवास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) के तकनीकी विभाग में 1966 के बाद कुछ पद बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):

(क) जी, हां।

(ख) तकनीकी साईड में 1966 से बनाये गये पदों की संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	बनाये गये पदों की संख्या
1966	28
1967	48
1968	1
1969	10
1970	16
1972	21

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर एवं ग्राम्य आयोजना संगठन में पदोन्नति

7010. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय अपर डीविजन क्लर्कों और लोअर डीविजन क्लर्कों की अनुमानित अवधि के पश्चात् पदोन्नति के कुछ अवसर बना दिये गये हैं जिसके लिये उन्हें नगर एवं ग्राम्य आयोजना संगठन (निर्माण और आवास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) में प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) तथा (ख) निम्न श्रेणी लिपिक उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर तथा उच्च श्रेणी लिपिक हैड क्लर्क के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा की अवधि उच्च श्रेणी लिपिक तथा हैड क्लर्क के ग्रेडों में रिक्तियों पर निर्भर है।

डी०आई०जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में सफाई तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना व्यवस्था

7011. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले डेढ़ साल से डी०आई०जैड० क्षेत्र, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या मन्दिर मार्ग क्षेत्र की नव निर्मित सरकारी कालोनी में भी कोई केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का औषधालय नहीं है और गोल मार्किट के निकट दूरी पर स्थित औषधालय जाने में सरकारी कर्मचारियों को भारी कठिनाई होती है, यदि हां, तो वहां इसकी व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्षेत्र में औषधालय की व्यवस्था करने और कालोनी को साफ बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन चल रहे एक औषधालय को अपने इर्द गिर्द तीन किलोमीटर तक के क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। मंदिर मार्ग की नव-निर्मित बस्ती केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन गोल मार्किट में चल रहे औषधालय की सीमा में पूर्ण रूप से आ जाती है। इस क्षेत्र के निवासियों की बढ़ती हुई संख्या को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना सुविधायें प्रदान करने के लिये यह आशा की जाती थी कि 1973–74 में इस क्षेत्र में एक दूसरा औषधालय खोल दिया जायेगा परन्तु इस समय साधनों की कमी के कारण इस औषधालय को खोलना सम्भव नहीं है।

इस बस्ती को स्वच्छ रखने के लिये केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस क्षेत्र में पर्याप्त मल-निष्कासन और बरसाती पानी की नालियों की सुविधाएं दे रखी हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग नालियों में रुक जाने वाले कचरे की अथवा मैनहोलों की सफाई का काम भी देखता है। बरसाती पानी की नालियों को भी समय-समय पर साफ किया जाता है। नई दिल्ली नगर पालिका ने उपयुक्त स्थानों पर कूड़ेदानों की व्यवस्था कर रखी है और वहां के निवासियों को चाहिए कि वे कूड़ा वहां डालें। सड़कों और खुले मैदानों की सफाई नियमित रूप से की जा रही है।

केरल में कार्यालय और आवासीय भवनों का निर्माण

7012. श्री रामचन्द्रण कडनापल्ली : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1973–74 में केरल में जनरल पूल के अन्तर्गत कार्यालय और आवासीय भवनों का निर्माण करने संबंधी कोई योजना मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

ग्राम्य चिकित्सालयों का जाल

7013. **श्री रामचंद्रन कडनापल्ली:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में ग्राम्य चिकित्सालयों का जाल बिछाने के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूप रेखा क्या है, उस पर क्या उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

(1) 5000 की आबादी के लिए कम से कम एक औषधालय होना चाहिए।

(2) राज्य सरकार केन्द्रीय सहायता से 550 आयुर्वेदिक औषधालय और 225 होम्योपैथिक औषधालय खोल सकती है।

(3) राज्य सरकार का ग्राम क्षेत्रों में औषधालयों के स्थायी भवनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता में से एक "रिवोल्विंग फण्ड" बनाने का विचार है।

(4) प्रशिक्षित चिकित्सकों को रोजगार तथा ग्रामीण लोगों को सस्ते में इलाज की सुविधाएं देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्राम क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवा योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

बागान श्रमिकों के लिए राजसहायता प्राप्त आवास योजनाएं

7014. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में बागान श्रमिकों के लिए राजसहायता प्राप्त आवास योजनाओं पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी; और

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1973–74 के लिए आवंटित राशि का राज्य-वार विस्तृत विवरण क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) असम, केरल, मैसूर, तमिल नाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल, जहां बाग हैं, की सरकारों द्वारा बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु 1973–74 के वर्ष के लिये केन्द्रीय बजट में 64.00 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है (36.00 लाख रुपये ऋण के रूप में तथा 28.00 लाख रुपये अनुदान के रूप में) राज्य सरकारें स्वयं योजना के अन्तर्गत आवास परियोजनाएं स्वीकृत करने तथा वित्तीय सहायता देने में सक्षम हैं। राज्य सरकारों से उनकी 1973–74 की आवश्यकताएं प्राप्त होने पर तथा संसद द्वारा अनुदानों की मांग पारित होने पर संबंधित राज्य सरकारों को निधियों का नियतन कर दिया जायेगा।

बड़े पत्तनों की तुलना में 1972-73 में कोचीन पत्तन पर उतारा तथा चढ़ाया गया माल

7015. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1972–73 के दौरान कोचीन पत्तन पर कुल कितना माल उतारा एवं चढ़ाया गया और देश के अन्य बड़े पत्तनों पर उतारे तथा चढ़ाये गए माल की तुलना में यह कितना कम अथवा अधिक था; और

(ख) 1973-74 में कोचीन पत्तन पर आरम्भ किए जाने वाले विकास कार्यों की संक्षित रूप रेखा क्या है और उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1973-74 में कोचीन पत्तन में जिन मुख्य विकासात्मक योजनाओं को शुरू किये जाने की संभावना है, वे हैं–खुले घाट का विस्तार, महा तेलवाही घाटों का निर्माण, उर्वरक तथा कंटेनरों की धरा-उठाई के लिए सुविधाएं, तरल अमोनिया के रख-रखाव की सुविधाओं की व्यवस्था, चार घाट केनों की खरीद, एक हायर ग्रैब निकर्षक, एक उच्च शक्ति वर्ष कर्षनाव, एक हायर चूषण निकर्षक तथा आवास योजनाएं आदि। 1973-74 में इन सभी योजनाओं के लिए कुल अनुमानित व्यय 3.00 करोड़ रुपये है।

विवरण

बड़े पत्तनों का नाम	1972-73 में धरा-उठायी किया गया यातायात (टन भार लाखों में)
कलकत्ता	66.8
बम्बई	15.41
मद्रास	67.8
कोचीन	43.0
विशाखापतनम्	75.4
कांडला	24.3
मारमागाव	12.85
पारादीप	20.2

नोट:–उपरोक्त आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि अंतिम आंकड़ों की प्रतीक्षा अभी की जा रही है।

वर्ष 1973-74 में क्वार्टरों के निर्माण पर किये जाने वाले धन में केन्द्रीय सहायता

7016. **श्री वयालार रवि:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1973-74 में क्वाटरों के निर्माण पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए केरल को कितनी राशि मिलेगी ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए केन्द्र ने कुल कितनी सहायता दी है और इसका राज्यवार विवरण क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) सभी राज्यों के लिए (संघ क्षेत्रों को छोड़ कर) 1973-74 के लिए राज्य क्षेत्र में आवास पर कुल अनुमोदित प्लान परिव्यय की अन्तरिम रकम 30.63 लाख रुपये है, जिसमें से केरल का परिव्यय 149 लाख रुपये है।

1969-70 से अर्थात् चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए (आवास सहित) केन्द्रीय वित्तीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को 70:30 के अनुपात में "ब्लॉक ऋणों" और "ब्लॉक अनुदानों" के रूप में दी जा रही है। यह केन्द्रीय ब्लॉक सहायता किसी विशेष योजना परियोजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है। अतः राज्य सरकारें उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीय ब्लॉक सहायता का उपयोग अपनी योजना में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः उन्हें नियत की गई केन्द्रीय ब्लॉक सहायता में से 1973-74 के वर्ष के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आवास के लिए निर्धारित की गई राशि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

तथापि, यह मंत्रालय निम्नलिखित दो सामाजिक आवास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करता है, जो केन्द्रीय क्षेत्र में हैं तथा राज्य प्लान की सीमा से बाहर हैं:

(i) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना; तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास-स्थल देने की योजना।

उपर्युक्त (i) पर योजना वर्ष 1970-71 से केन्द्रीय क्षेत्र को हस्तान्तिरत कर दी गई हैं 1973-74 के दौरान इस योजना के लिये 64 लाख रुपये की राशि की (36 लाख रुपये ऋण के रूप में तथा 28 लाख रूपये सहायता के रूप में) व्यवस्था की गई है। असम, केरल, मैसूर, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों को मिलाकर कुल नियतन उन द्वारा 1973–74 के वर्ष के लिये निधियों की आवश्यकताएं इस मंत्रालय में सूचित करने के बाद किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त (ii) की योजना अक्तूबर, 1972 में आरम्भ की गई है। 1973-74 में इस योजना के कार्यान्वियन के लिये 5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध की गई है। 1973-74 के लिए कोई राज्यवार नियतन नहीं किए गए हैं। राज्य सरकारों को योजना के अन्तर्गत निधियां अनुमोदित परियोजनाओं तथा समय समय पर उन द्वारा सूचित वास्तविक व्यय के आधार पर दी जाती हैं।

ग्रामीण रोजगार के लिए सड़कों को द्रुत कार्यक्रम में शामिल करने का आधार

7017. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **कृषि** मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य के आन्तरिक क्षेत्रों में रोजगार प्रधान विकास कार्य के लिए केन्द्र द्वारा चलाए जाने वाले द्रुत कार्यक्रम में शामिल करने के लिए ग्रामीण सड़कों का चयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या आधार निश्चित किया है,

(ख) क्या इसके लिए जनसंख्या संचार सुविधाओं और लोगों के पिछड़ेपन पर भी विचार किया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (ग) भारत सरकार ने त्वरित योजना में शामिल करने हेतु ग्रामीण सड़कों का चयन करने के लिए कोई विशेष आधार निश्चित नहीं किए हैं। कोई भी परियोजना, जो श्रम प्रधान और जिले के विकास के लिए उपयोगी है, इस योजना के अन्तर्गत आरम्भ की जा सकती है। इस शर्त के अधीन परियोजनाओं का चयन करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है। तथापि, अधिकांश राज्यों के मामलों में विभिन्न कारणों से सड़क निर्माण कार्यों की प्रधानता रही है।

Shortage of forms of D.D.A. in the Branches of S.B.I.

7018. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether the forms of the Delhi Development Authority meant for depositing money in the name of the Authority are not available in the branches of the State Bank of India;

(b) if so, whether the persons depositing money have to face difficulties on this account;

(c) whether Government have also received some complaints in this regard; and

(d) if so, the time by which the said difficulty would be removed?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No, Sir. The branches are regularly supplied with requisite number of challan forms on requistion.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

हुगली नदी पर नये पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त विदेशी परामर्शदाता

7019. डा० रानेन सेन :

श्री समर गुह :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में नई हुगली नदी पुल परियोजना को पूरा करने के लिए तीन विदेशी परामर्शदाताओं अर्थात् एफ०एफ०पी० के लिए मैसर्स बी०बी०एस०सी०, लिमिटेड, आर०पी०टी० के लिए सी०पी०सी० (पुल के मुख्य भाग के लिए क्रियान्वयन एजेंसी) और एल० एण्ड ए० के लिए एफ०आर०बी०सी० को नियुक्त करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परामर्शदाता को कितना विदेशी मुद्रा दी जायेगी,

(ग) कलकत्ता में निर्माण के लिए प्रस्तावित पुल की किस्म अर्थात् 'केवल स्टेड बाक्स ग्राइडर डिजायन' के बारे में मैसर्स आर०पी०टी० को कोई अनुभव अथवा विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है, और

(घ) यदि हां, तो मैसर्स एल० एण्ड ए० के अलावा मैसर्स आर०पी०टी० को परामर्शदाता नियुक्त करने के क्या कारण हैं, जबकि सूचना के अनुसार मैसर्स एल० एण्ड ए० को इस किस्म के पुल के निर्माण और डिजाइन बनाने के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञता प्राप्त है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (घ) प्रस्तावित दूसरा हुगली पुल मुख्यतः एक राज्य परियोजना है। राज्य सरकार मुख्यतः इस परियोजना से संबंधित

सभी मामलों से ताल्लुक रखती है। उसकी सूचनानुसार, यह सच है कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित तीन परामर्शदाताओं को प्राप्त करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है। इन तीन परामर्शदाताओं के लिए उनकी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता निम्न प्रकार से है :

परामर्शदाताओं का नाम	आवश्यक विदेशी मुद्रा
ठेकेदार (मैसर्स बी०बी०सी०सी० लिमिटेड) के विदेशी परामर्शदाता मैसर्स फ्रीमैन फाक्स एण्ड पार्टनर्स की फीस	1,05,000 पौण्ड
कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के विदेशी परामर्शदाता मैसर्स रंडेल पालमर एण्ड ट्रिटन की फीस	2,99,375 पौण्ड
हुगली नदी पुल आयुक्तों के विदेशी परामर्शदाता मैसर्स ल्योन हाडट अंड एंड्रा की फीस	2,27,500 पौण्ड

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त, जो कि राज्य सरकार की ओर से पुल विशेष के लिए कार्यकारी अभिकरण हैं, ने मैसर्स रंडेल पालमर और ट्रिटन को निम्नलिखित आधारों पर अपने परामर्शदाता नियुक्त करने का समर्थन किया है :

(क) वे कई वर्षों तक पत्तन के नियमित परामर्शदाता रहे हैं।

(ख) उन्हें हुगली नदी क्षेत्र और गोदी संरचनाओं का गहरा ज्ञान है। किदरपुर गोदियों के पुल के काफी निकट होने के कारण नदी क्षेत्र और डुबाव पर इसके प्रभाव के अनुसार विधियों की ध्यानपूर्वक आयोजना और निर्माण क्रम की आवश्यकता है, अन्यथा पत्तन के क्रिया-कलापों में भारी गड़बड़ी हो सकती है।

(ग) मैसर्स आर०पी०टी० 1962 से इस पुल परियोजना से संबंधित रहे हैं। उन्होंने टेंडर दस्तावेजों की जांच की और बाद में टेंडरों के प्राप्त होने पर उनका मूल्यांकन किया। कार्य आर्डर देने से लेकर इस समय भारतीय इंस्टीट्यूट आफ साईंस, बंगलौर में किये जा रहे वायु-गतिकीय परीक्षणों और भारत में सर्वप्रथम बनने वाले पुल केबलों के देशज निर्माण के संबंध में भी बहुत बहुमूल्य सलाह देते रहे हैं।

(घ) मैसर्स आर०पी०टी० ने टेंडरकर्त्ताओं से प्राप्त एक 1500 फुट और दूसरे 1800 फुट की लम्बाई के दो केबल वाले चौकोर गर्डर पुल के डिजाइनों पर स्वतंत्र रूप से कार्य किया है और उनके डिजाइन में कुछ दोष पाये हैं। जिनमें उनके साथ बातचीत करने के बाद टेंडर कर्त्ताओं के परामर्शदाताओं द्वारा संशोधन कर दिया गया।

(ङ) चौकोर गर्डर पुल के डिजाइन तैयार करने में अपने अनुभव के आधार पर उन्हें यू०के० सरकार ने मौजूदा चौकोर पुलों की मैरीसन नियम जांच करने के लिए परामर्शदाताओं में से एक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। कई चौकोर गर्डर पुलों की असफलता के कारण डिजाइन जांच नियम बनाया गया था ताकि भविष्य में ऐसा न हो। इस पुल की ठेका संबंधी मुख्य शर्तों में मैरीसन नियम द्वारा जांच भी शामिल है।

(च) इस्पात पुलों के निर्माण और अखण्ड स्थापनाओं में उनका विस्तृत अनुभव है। मौजूदा रवीन्द्र सेतु का डिजाइन उन्होंने तैयार किया था और उन्हीं के परामर्श से इसका निर्माण हुआ था।

(छ) प्रस्तावित पुल, विश्व भर में इस प्रकार के निर्मित पुलों में से सबसे लम्बा है। (1500 फुट)। अभी तक बनाये गए ऐसे पुल की अधिकतम लम्बाई केवल 1050 फुट रही है। केवल बाला चौकोर गर्डर पुल, लम्बे झूला पुलों के डिजाइन में एक आधुनिक सुधार है और हुगली पुल के लिए प्रस्तावित लम्बाई वाले पुलों में इसे किफायती पाया गया है। मैसर्स एल० एण्ड ए० के अतिरिक्त मैमर्स आर०पी०टी० की परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति फलस्वरूप पुल के डिजाइन पर दोहरी जांच की व्यवस्था हो जाएगी और निर्माण के दौरान जोखिम और विफलताएं कम से कम हो जाएंगी।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दिल्ली में 'आवास गृह'

7020. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आवास गृह बनाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) से (ग) स्वतंत्रता मेनानियों के लिए एक निवास बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस योजना को निश्चित स्वरूप देने के लिए, इस निवास को कहां पर खोला जाय, इसका क्षेत्र क्या हो, इसका संचालन सरकार करे अथवा कोई स्वैच्छिक एजेंसी करे, ऐसी बहुत सी बातें अभी तय की जानी हैं।

Accommodation Problem in Delhi and Government's Order for Demolition of Houses

7021. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the accommodation problem in Delhi has become more acute due to increase in its population and due to heavy influx of the people from outside during the last few years;

(b) whether the measures resorted to by the public for residential requirements have resulted in unauthorised construction of houses; and

(c) if so, the reasons for which Government are issuing orders to demolish houses of these people?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (c) A city's residential and other constructions have necessarily to be subject to local bodies Acts and regulations and Master Plan restrictions. Delhi is no exception and unauthorized constructions have to be dealt with in accordance with the laws on the subject.

आयुर्वेदिक वैद्यों की श्रेणी 2 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित पद

7022. श्री टी० सोहन लाल :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम में गत तीन वर्षों के दौरान ड्रग इंस्पेक्टरों के पदों सहित श्रेणी 2 के आयुर्वेदिक वैद्यों के कितने पद भरे गए हैं और उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं;

(ख) यदि उपरोक्त अवधि में कोई भी पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित नहीं किए गए तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किए है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण का निर्णय वास्तविक रूप से कार्यान्वित हो और नियुक्तियां करने वाले विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा उनका उल्लंघन और प्रवंचना न हो ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डार्जी बासप्पा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण के लिये रोस्टर रखने, सम्पर्क अधिकारियों का नामांकन करने और आदेशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु छोटे एकांशों की स्थापना करने तथा की गई भरती के ब्यौरे सम्बन्धी वार्षिक विवरणों के भेजने और रिक्त स्थानों के अनारक्षण के लिये कार्मिक विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बारे में अनुदेश विद्यमान है।

विवरण

क्र० सं०	संगठन का नाम	पिछले तीन वर्षों में भरे गये पदों की संख्या		टिप्पणी
		आयुर्वेदिक वैद्य श्रेणी II	औषध निरीक्षक	
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली प्रशासन	--	1 (तदर्थ आधार पर)	औषध निरीक्षक के छः पदों की भरती के लिये मांग पत्र भेजा है। इन पदों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये एक-एक पद आरक्षित किया गया है।
2.	नई दिल्ली नगर पालिका	3	--	इन तीन पदों में से एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिये आरक्षित है। उपयुक्त उम्मीदवार के न मिलने के कारण आरक्षित रिक्त स्थान को अगले वर्ष के लिये रख दिया गया है।

6 LSS/73—5

1	2	3	4	5
3.	दिल्ली नगर निगम	14 (तदर्थ आधार पर)	—	इन पदों को समय समय पर वरीयता के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों में से तदर्थ आधार पर भरा गया है और केवल एक ही अनुसूचित जाति का उम्मीदवार अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करता था। वैद्यों के पदों को भरने के लिये भरती नियमों को बनाया जा रहा है और इन भरती नियमों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों के लिए निश्चित कोटे की व्यवस्था करने की बात को ध्यान में रखा गया है।

जिला पुरी (उड़ीसा) में खुर्दा एन० ए० सी० क्षेत्र के निवासियों को नलों से जल की सप्लाई

7023. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरमी के भावी मौसम को देखते हुए उड़ीसा के जिला पुरी में खुर्दा एन०ए०सी० क्षेत्र के निवासियों को नलों द्वारा जल की सप्लाई करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह योजना गरमी के भावी मौसम से पूर्व पूरी की जा सकती है; और

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। प्राप्त होने पर सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत सेवक समाज के स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतनमान

7024. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सेवक समाज द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में कार्य कर रहे अध्यापकों के लिए वेतनमान अभी भी निर्धारित नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या विद्यार्थियों से अन्य स्कूलों की तुलना में अधिक फीस ली जा रही है; और

(ग) अध्यापकों के वेतनमान निर्धारित न करने के क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ग) भारत सेवक समाज द्वारा संचालित दो गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को, दिल्ली प्रशासन ने, केवल एक वर्ष के लिए मान्यता दी है और वह भी इस शर्त पर कि स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों के वेतन-मान शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित वेतन-मानों के समान होंगे। प्रबन्धकों ने इस शर्त को पूरा नहीं किया है और इस प्रश्न की कि क्या इन परिस्थितियों में मान्यता की अवधि में बढ़ोत्तरी की जाए अथवा नहीं, दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) इस समय जो फीस ली जा रही है, वह सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में ली जाने वाली फीस की अपेक्षा अधिक है।

महाराष्ट्र में नलकूप कार्यक्रम के लिए रिग्स

7025. श्री श्री किशन मोदी :

श्री प० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार को स्वीडन की सरकार से छह 'रिग्स' प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या 'रिग्स' के अभाव में नलकूप कार्यक्रम प्रभावित हो रहा था; और

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी, जिन्होंने नलकूप कार्यक्रम प्रारम्भ किया था 'रिग्स' की सप्लाई के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) महाराष्ट्र सरकार के पास स्वीडन सरकार से कृषि कार्यों के लिए कोई ड्रिलिंग रिग प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) महाराष्ट्र में नलकूपों से सिंचाई करने की बहुत कम गुंजायश है और रिगों के अभाव में इसकी प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ा।

(ग) यदि आवश्यक रिग देशी स्रोतों से उपलब्ध न हों और उनका आयात करने का प्रस्ताव हो, तो राज्यों को केन्द्र से इसके लिए विदेशी मुद्रा नियत करने के लिए अनुरोध करना पड़ता है। रिगों के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन करने का कोई मामला इस समय बकाया नहीं है।

Work on Narmada Bridge of Khalghta

7026. Shri B.S.Chowhan : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the work on Narmada bridge of Khalghat has not been started so far; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : (a) The work has not been started so far.

(b) The tenders for the work were first received in December, 1970. The scrutiny of tenders revealed certain major deficiencies in the lowest tender. Accordingly the deficiencies were pointed out and the State Government were requested to seek clarifications from the tenderer and get the deficiencies removed. This was done by the State Government, and while the tender was under consideration the tenderer in December 1971 asked for certain modifications to be made in some of the tender conditions. On this the State Chief Engineer felt that these modifications would basically affect the very nature of the tender and hence recommended in January, 1972 reinvitation of tenders.

The tenders were reinvited by the State, P.W.D. in November 1972 and have been forwarded by the State Government with their recommendations to the Government of India in March 1973. These are under examination.

Complaint regarding adulteration in Drugs and charging of high prices in Delhi.

7027. Shri Shanker Dayal Singh : Will the Ministei of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint in regard to adulteration in drugs on a large scale and charging high prices for drugs in Delhi; and

(b) if so, the number of shops against which Government have taken action in this regard during the last six months and the nature of the action taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Health & Family Planning (Shri Kondaiji Basappa) : (a) No.

(b) As a result of extensive sampling and testing undertaken from October 1972 to March 1973, two cases of adulterated drugs were detected. Both cases have been registered with the police for investigation. The licence of one drug firm was suspended for a period of 14 days for overcharging and for certain contraventions of the Drugs and Cosmetics Act and Rules.

सूखा पीड़ित क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति

7028. श्री वी० पी० साठे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार-बार सूखा पड़ने के कारण सरकार का विचार इस समस्या के आधार का अनुमान लगाने, समस्या के स्वरूप का पता लगाने और सूखे से निरन्तर पीड़ित रहने वाले क्षेत्रों के संसाधनों के विकास के लिए समुचित नीति बनाने के लिये विशेषज्ञ समिति/आयोग/टास्क फोर्स की नियुक्ति करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख) निरन्तर रूप से सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति/आयोग/कृतिक दल स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। परन्तु योजना आयोग में सदस्य (एम) की अध्यक्षता में एक कृतिक दल विभिन्न संसाधन स्थितियों, से सम्बन्धित समन्वित ग्राम विकास की समस्याओं का अध्ययन कर रहा है। यह कृतिक दल जिन समस्याओं का अध्ययन कर रहा है उनमें एक समस्या निरन्तर रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती है।

Honour to Shrimati Fisher

7029. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government of India have bestowed the honour of 'World Citizen' on Shrimati Fisher;

(b) if so, the special contribution for which she has been honoured with this title; and

(c) the names of other countries whose citizens have been conferred this title by India indicating the number of such citizens of each country alongwith other details thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare & Culture (Porf. S. Nurul Hasan) : (a) and (c) No such title has been conferred by Government.

(b) Does not arise.

Bharatiya Mazdoor Sangh Memorandum Regarding Lady Workers in Training and Production Centres

7030. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether any memorandum has been received by Government in August, 1972 from Bharatiya Mazdoor Sangh, Delhi Pradesh in regard to the ladies working in Training and Production Centres of Government of India;

(b) the main features of the demands; and

(c) the action taken by Government so far in this regard?

The Minister in the Ministry of Education, Social Welfare & Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The main demands relate to confirmation of the piece-rate workers, provision of free medical aid to them, free education and books for their children and waiving of the 25% "Centre Charges" while working out the piece-rate wages due. As for the first three demands, the question does not arise; the workers are not Government employees and are purely voluntary workers who come to work at these Centres as and when they wish. The question of revising their piece-rate wages, however, is under consideration.

खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण के वित्तीय पहलू

7031. श्री एस० सी० सामन्त :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण के कारण होने वाले खर्च की किस प्रकार पूर्ति करने का सरकार का विचार है ;

(ख) राज्यों की आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है राज्यों को ऋणों, राज-सहायता आदि के रूप में किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार कितने प्रतिशत वित्तीय भार और अनुमानित व्यय को वहन करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और सहकारी एजेंसियों को खाद्यान्न की अधिप्राप्ति कार्यों के लिए संकाय (कंसाट्र्यम) व्यवस्था के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों और कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से वित्तीय सहायता दिलाने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं। फिलहाल, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति संबंधी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता सुलभ करने के लिए संबंधित बैंकों में आवंटित राशि की सीमा 575 करोड़ रुपये है। गेहूं का थोक व्यापार लेने के कारण खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति में प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए इस सीमा को अप्रैल, 1973 के बाद बढ़ाने की संभावना है। भारत के रिजर्व बैंक ने संकाय के सदस्य बैंकों से कहा है कि सरकारी अधिप्राप्ति एजेंसियों की बैंकों से पूरी की जानी वाली ऋण संबंधी सभी जरूरतें संकाय के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। संकाय बैंकों के बीच खाद्यान्न ऋण के हिस्से का आवंटन भारत के रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत के रिजर्व बैंक ने बैंकरों की एक समिति भी गठित की है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगी कि संकाय के सदस्य बैंकों में खाद्यान्न-अधिप्राप्ति ऋण का समान वितरण हो।

छोटे किसानों को ऋण

7032. **श्री एस० ए० मुत्तनत्तम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक 10 मार्च, 1973 में 'स्माल फार्मर्स शुड हैव एक्सेस टू क्रेडिट-पाई' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या कृषकों, दुकानदारों, छोटे उद्योगपतियों और स्कूटर ड्राइवरों को ऋण देने की नीति में बड़ा परिवर्तन किया जाना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) सरकार यह बात जानती है कि छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध होना चाहिये ताकि वे कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीलोजी का उपयोग कर सकें। सरकार की यह नीति है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये संस्थात्मक ऋण पद्धति में सुधार किया जाये।

(ग) आशा है कि 1-4-1971 से ऋण गारन्टी योजना शुरू होने और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लागू की गई ब्याज की विभिन्न दरों से सम्बन्धित योजना के शुरू होने से भविष्य में वाणिज्यिक बैंकों से छोटे किसानों, दुकानदारों, परिवहन चालकों आदि को सहायता मिलेगी।

कृषि को बन्दरों से खतरा

7033. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुई कृषि विकास संबंधी गोष्ठी में कुछ प्रतिनिधियों ने यह बताया था कि कृषि को बन्दरों से बहुत अधिक खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों के पास इसका कोई हल नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी हां। विचार गोष्ठी में हाथियों, गीदड़ों तथा लोमड़ियों आदि जंगली जानवरों द्वारा फसलों को होने वाली हानि का उल्लेख करते समय एक प्रतिनिधि ने अकस्मात रूप से बन्दरों के आतंक का उल्लेख किया था।

(ख) बन्दरों को एक या अन्य तरीकों से फसलों से दूर भगाने के सिवाय इस समय बन्दरों के आतंक का कोई विशेष हल उपलब्ध नहीं है।

(ग) अन्य पक्षियों, कृन्तकों आदि की तुलना में बन्दरों द्वारा की जाने वाली हानि का अधिक महत्व नहीं है अतः इस समय फसलों को बन्दरों से बचाने व बन्दरों के आतंक का अध्ययन करने का कोई विचार नहीं है। इसलिए मुख्यतः पक्षियों व कृन्तकों की समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्रों का दौरा

7034. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश संविधान सभा के अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश के रायल सीमा तथा अन्य दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्रों के दौरों के पश्चात् राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन और सिफारिश प्रस्तुत कर दी है;

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जानी है अथवा की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण—1

आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) प्रभावित जनसंख्या को रोजगार देने के लिए भारी संख्या में राहत कार्य शुरू किए गए हैं।

(2) पेयजल की सप्लाई से संबंधित कठिनाइयों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने गहरे बोर करने और मौजूदा कुओं को भी गहरा करने का कार्यक्रम शुरू किया है।

(3) राज्य सरकार ने पेयजल के कुओं की खुदाई करने के लिए भारी संख्या में रिग्ज़ भी लगाए हैं।

(4) सीमांत किसानों को गुजारे के लिए, बीज और चारा खरीदने के लिए सिचाई कुओं को गहरा करने के लिए तक्कावी ऋण दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जंगली घास इकट्ठी करने और विधायन द्वारा उसे सूखी घास बनाने के लिए एक विशेष योजना मंजूर की गई है।

(5) महामारी को फैलाने से रोकने के लिए निरोधात्मक उपाय करना।

(6) एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने राज्य का दौरा किया था और उनकी रिपोर्ट के अनुसार 23 करोड़ रुपये की खर्च की सीमा अपनायी गई है और राज्य सरकार को अब तक 36.50 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

(7) आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए 9.86 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी के प्रति 8.40 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण के रूप में 13.50 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

(8) राज्य सरकार को उपयुक्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध किए गए हैं।

विवरण—2

आंध्र प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को सूखे की स्थिति के बारे में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) कृषि के लिए 4 घंटे की बजाए 6 घंटे बिजली दी जानी चाहिए। गैर आवश्यक कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई में कमी करने, कुछ थर्मल यूनिट आदि लगा कर बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने आदि जैसे अन्य उपायों में सुधार कर यह किया जा सकता है।

(2) सभी सम्भव स्रोतों से रिग्ज़ प्राप्त करने, तेल के इंजनों को पूल करना ताकि उन्हें निर्धन रैयतों को नाम मात्र किराए पर दिया जा सके, जैसे उपायों द्वारा पेयजल सम्बन्धी कठिनाइयों को हल किया जा सकता है।

(3) पर्याप्त खाद्यान्न सप्लाई करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बैसाघाट पुल (जिला पूर्णिमा बिहार) का निर्माण

7036. **श्री मोहम्मद मोलुर्रहमान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बैसाघाट पुल (जिला पूर्णिया, बिहार) के निर्माण अथवा उपरोक्त पुल के निर्माण के लिये निधियों के आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव अथवा योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हुगली पुल परियोजना का निष्पादन

7037. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हुगली पुल परियोजना के निष्पादन के परामर्शदाता ठेकों को अन्तिम रूप देने से पूर्व उसके लिये नियुक्त किये जाने वाले विभिन्न स्वदेशी परामर्शदाताओं की अर्हताओं और व्यावहारिक अनुभव के सम्बन्ध में कोई पुर्नमूल्यांकन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो पुर्नमूल्यांकन के क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :(क) और (ख) प्रस्तावित हुगली पुल राज्य सड़क पर पड़ता है और अतः पश्चिम बंगाल सरकार इस परियोजना की आयोजना, निविदा देना, कार्य देना, निष्पादन इत्यादि जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले विभिन्न विदेशी परामर्श दाताओं की योग्यता और व्यवहारिक सक्षमता की पुर्नमूल्यांकन, यदि कोई हो शामिल है, संबंधित सभी मामलों से मुख्यतः संबंधित है।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में जनरल मैनेजर के भरे न गये पद

7038. **श्री हुक्म चन्द कछवाय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार मुद्रणालय मिन्टो रोड, नई दिल्ली में जनरल मैनेजर के कितने पद हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक पद सरकार ने कब से मंजूर किया और किस तारीख से किस तारीख तक ये पद खाली रहे ;

(ग) इनमें से कितने पदों का दर्जा अब घटाया गया है और किन तिथियों में; और

(घ) उन पदों को रिक्त रखने और उनका दर्जा घटाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) एक।

(ख) यह पद 1100–1400 रुपये के वेतनमान में 14 अक्तूबर 1955 से स्वीकृत किया गया था। 22 सितम्बर, 1972 तक यह भरा रहा।

(ग) यह पद 28 सितम्बर, 1972 से प्रबन्धक ग्रेड I के पद में अस्थायी रूप से 900–1250 रुपये के वेतनमान में अधोमुख कर दिया गया है।

(घ) महाप्रबन्धक का पद अपने ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा वाले ग्रेड I के प्रबन्धकों की पदोन्नति करके भरा जाता है। इस समय इस शर्त को पूरा करने वाला कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है।

लघु सिंचाई के अन्तर्गत भूमि

7039. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार इस समय लघु सिंचाई के अन्तर्गत कितनी भूमि है; और

(ख) प्रत्येक मामले में लघु सिंचाई की प्रति एकड़ औसत लागत क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1969-70 (अर्थात् वह अन्तिम वर्ष जिसके विषय में जानकारी उपलब्ध है) के दौरान देश में सब स्रोतों से सिंचाई होने वाला कुल क्षेत्र 372 लाख हैक्टार (कुल) था संलग्न विवरण में राज्यवार विश्लेषण दिया गया है। बड़े माध्यम और लघु सिंचाई से सिंचित होने वाले क्षेत्र का पृथक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

(ख) लघु सिंचाई योजनाओं की प्रति एकड़ लागत विभिन्न योजनाओं और विभिन्न राज्य के लिये अलग–अलग है जो साधारणतः 300 रु० से 2000 रुपये प्रति एकड़ के बीच है। सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय के अतिरिक्त, लघु सिंचाई योजनाओं पर काफी पूंजी सास्थानिक और निजी संसाधनों द्वारा लगाई जाती है जिसके विषय में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः लघु सिंचाई योजनाओं की प्रति एकड़ लागत के राज्य-वार आधार पर सही–सही औसत आंकड़े बतलाना संभव नहीं है।

विवरण

(हज़ार हैक्टार)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1969-70 में सिंचित कुल क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4153
2.	असम	572ण
3.	बिहार	2741
4.	गुजरात .	1241शश
5.	हरियाणा . .	2158
6.	हिमाचल प्रदेश . .	156
7.	जम्मू तथा काश्मीर . .	338
8.	केरल	589
9.	मध्य प्रदेश . .	1471
10.	महाराष्ट्र . . .	1623
11.	मणिपुर .	75
12.	मेघालय . .	37णण
13.	मैसूर . . .	1305
14.	नागालैण्ड . .	12
15.	उड़ीसा .	1423
16.	पंजाब	4030
17.	राजस्थान .	2419
18.	तमिलनाडु	3272
19.	त्रिपुरा .	17णण
20.	उत्तर प्रदेश	7929
21.	पश्चिम बंगाल	1499श
	समस्त राज्य	37110
	समस्त संघ राज्य क्षेत्र	106
	समस्त भारत	37216

ण 1953-54 से सम्बन्धित

णण 1967-68 से सम्बन्धित

श 1964 65 से सम्बन्धित

शश 1968-69 से सम्बन्धित

सहकारी समितियों तथा अन्य वितरण एजेन्सियों के पास बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त पड़े उर्वरकों का निपटान

7040. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी समितियों और अन्य वितरण एजेंसियों के पास बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त उर्वरकों के बारे में शिकायतें मिली हैं, क्योंकि यह उर्वरक उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध और बिना किसी औचित्य या आवश्यकता के दिए गये थे;

(ख) क्या उर्वरकों की ये बोरियां निकट भविष्य में थोक वितरणों द्वारा उनसे वापस ले ली जाएंगी;

(ग) यदि नहीं तो इन उर्वरकों को किसी अन्य क्षेत्र में प्रयोग में लाने या उन्हें अन्यथा निपटाने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ; और

(घ) क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने इस खाद को अनिच्छुक ग्राहकों पर थोपा था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (घ) : कुछ राज्यों द्वारा अपनी मांगों का अधिक अन्दाजा लगाने, वर्षा न होने तथा उर्वरकों की कम बिक्री होने के कारण 3 वर्ष पूर्व कुछ राज्यों में सहकारी समितियों के पास उर्वरकों का स्टाक इकट्ठा हो गया था। तब से प्रायः सभी स्टाक बेच दिया गया है और किसी भी राज्य ने ऐसी सूचना नहीं भेजी है कि उनकी सहकारी समितियों के पास पुराने स्टाक बिकने से रह गये हैं। इसके विपरीत उर्वरकों की मांग काफी बढ़ गई है और उपलब्ध स्टाक अधिक समय तक गोदामों में रखे बिना तेजी से बिक रहे हैं। इन परिस्थितियों में सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि उर्वरकों के निपटारे के लिए कोई अतिरिक्त उपाय किये जाएं।

उर्वरकों के विक्रेता नियुक्त करने के बारे में प्रक्रिया

7041. **श्री बैंकरिया** :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार कोई व्यक्ति उर्वरक का व्यापार आरम्भ करने के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ व्यक्ति इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह प्रक्रिया बदल रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उर्वरक बेचने का कार्य शुरू कर सकता है बशर्ते कि वह कार्य शुरू करने के 14 दिनों के अन्दर-अन्दर पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र भेजे।

(ख) कुछ राज्यों ने इस सुविधा के संभाव्य दुरुपयोग को रोकने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है, परन्तु किसी व्यक्ति द्वारा इस सुविधा का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) प्रक्रिया में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में उर्वरक लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध

7042. **श्री अर्विन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों का नियतन उर्वरक नियंत्रण आदेश के अधीन किया जाता है;

(ख) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में उर्वरक लाने-ले-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश में उर्वरकों के समान वितरण की दृष्टि से उर्वरकों के निर्माताओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन समय-समय पर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्दिष्ट राज्यों को निश्चित मात्रा में उर्वरकों की पूर्ति करने के निर्देश दिये जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) उर्वरकों को अनधिकृत रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले-जाने को रोकने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

बिजली की कमी के कारण विशाखापत्तनम पतन को हुई हानि

7043. **श्री रानेन सेन : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन को बिजली की कमी के कारण हानि उठानी पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इससे उसे कितनी हानि हुई है, ; और

(ग) ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो इसके लिये क्या कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) समझौते के अनुसार सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को दोनों आन्तरिक और बाह्यबन्दरगाह (निर्माण कार्य) के लिये 7950 के वि० ए० (425 ग) की सप्लाई करने चाहिये । परन्तु उसने इसमें से केवल लगभग 2650 के वि० ए० (140 ए) की सप्लाई की है।
इस बड़ी कटौती का पत्तन पोतों पर निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ा है :

(1) निर्यात लौहायस्क	. .	14
(2) निर्यात अयस्क पोत (मैंगनीज और अन्य अयस्क)	. .	29
(3) आयात माल/उर्वरक और सामान्य माल जहाज		29
(4) मोड़े गये पोत	1 (निर्यात मैंगनीज अयस्क)	1
	1 (निर्यात इस्पात बीम)	1

इसके अलावा डम्पर यार्ड में वैगनों (लौहायस्क वैगनों) यांत्रिक अयस्क धराउठाई संयंत्र द्वारा लौहायस्क के लदान तेल साईडिंगों पर पी० ओ० एल० टैंक वैगनों के लदान । उतराई पर भी प्रभाव हुआ।

(ग) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने राष्ट्रीय मिनरल डिवैल्पमेंट कारपोरेशन से 1000 के० डब्लू का एक सहायक डीजल उत्पादन सेट खरीदा है और एक अन्य 3.5 एम० डब्लू० का उत्पादन सेट प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

गंगानगर राजस्थान के एक किसान द्वारा गेहूं की नई किस्म का विकास

7045. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुम्हारवाला (59 आर० बी०) डाकखाना गंगुवाला (56 आर० बी०) जिला गंगानगर, राजस्थान के एक साधारण किसान कुलवंत राय वर्मा ने गेहूं की दो नई किस्मों के० आर–1 और के० आर०-2 का विकास किया है जिनसे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा विकसित किसी भी किस्म की अपेक्षा गेहूं और भूसे दोनों की प्रति एकड़ अधिक उपज होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राजस्थान में गेहूं विशेषज्ञ ने लालबहादुर, कल्याणसोना और राज० 821 जैसी गेहूं की मौजूदा सुझाई गई किस्मों से तुलना करने के प्रयोजन से रबी 1972-73 मौसम में के० आर०-1 और के० आर० 2 नामक गेहूं की किस्मों का दुर्गापुर और श्री गंगानगर में परीक्षण किया है । इस परीक्षण के कटाई संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। इस लिये उनकी उपज की क्षमता संबंधी सूचना इन आंकड़ों की उपलब्धि के पश्चात् ही मिल पायेगी । फसल के वृद्धि काल के दौरान जो स्थिति थी उससे पता चला है कि गेहूं की ये दोनों किस्में बहुत अधिक लम्बी होती है और इनमें फूल लगने तथा पकने में अधिक समय लगता है । जिस दाने का विकास हुआ है वह छोटा है । इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गेहूं की ये किस्में सघन कृषि के लिये उपयोगी नहीं हो सकती । यदि आंकड़ों के आधार पर ऐसी कोई आवश्यकता महसूस की गई, तो अगले मौसम में इन किस्मों की अखिल भारतीय समन्वित परीक्षण के अंतर्गत लम्बे-चौड़े पैमाने पर जांच की जायेगी ।

पांचवीं योजना में लघु सिंचाई के लिये मास्टर प्लान

7046. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना अवधि में लघु सिंचाई के लिये कोई 'मास्टर प्लान' प्रस्तावित है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) जल-संसाधनों के सर्वेक्षण और उपयोग की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । इसके लिये योजनायें और मास्टर प्लान बनाना भी उन्हीं का काम है । अधिकांश राज्य जल-संसाधनों के सर्वेक्षण के लिये, जो कि मास्टर प्लान तैयार करने के लिये आवश्यक है, कदम उठा रहे हैं, बशर्ते कि इसके लिये वित्तीय साधन और कर्मचारी उपलब्ध हों। प्राकृतिक जल संसाधनों के सर्वेक्षण के लिये उपलब्ध 5.00 करोड़ रुपये की राशि से भूमिगत जल संगठनों को सशक्त करने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने का निर्णय किया गया है । योजना की अवधि में भी उसी प्रकार की सहायता को जारी रखने का विचार है इससे राज्य सरकारों को अपनी मास्टर प्लान की तैयारी के कार्य को गतिमान करने में सहायता मिलेगी।

विदेशी जहाज मालिक संघ के साथ भारतीय नाविकों के संगठन का करार

7048. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश जाने वाले जहाजों के भारतीय नाविकों के संगठन का विदेशी जहाज मालिक के साथ करार हुआ है जिसके द्वारा नाविकों को कुल मिलाकर लगभग 40 प्रतिशत का नकद लाभ मिलेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 25 फरवरी, 1973 को हुई नैशनल मैरीटाइम बोर्ड की बैठक में जहाज मालिकों और नाविकों के बीच एक समझौता हुआ जिसके परिणामस्वरूप नाविकों के विभिन्न वर्गों को 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक का नकद लाभ हुआ। मूल मजदूरी और समुद्रपार भत्ता अवमूल्यन पूरक में वृद्धि के अलावा सभी विदेशगामी जहाजों के नाविक अब 1 मार्च, 1973 से 8.33 प्रतिशत बोनस और कुछ अन्य अतिरिक्त लाभों के प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

चितूर सहकारी चीनी के कारखाने में तालाबन्दी

7049. **श्री सी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर सहकारी चीनी कारखाने, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धकों ने हाल में अवैध तालाबन्दी कर दी थी जिससे श्रमिकों को कठिनाई हुई और उत्पादन में कमी हुई;

(ख) क्या इस परिहार्य हानि और कठिनाई के लिए सरकारी प्रबंध निदेशक और नामजद बोर्ड का गैर-जिम्मेदाराना रवैया जिम्मेदार हैं; और

इसकी जांच करने और प्रबन्धकों के विरुद्ध उचित, कार्यवाही करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात को सोयाबीन और सूरज मुखी के बीजों की सप्लाई

7050. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री वेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मूंगफली के कम उत्पादन के कारण गुजरात में खाद्य-तेलों के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं ;

(ख) क्या तेल निकालने वाली अधिकांश मिलें बन्द हो रही हैं ;

(ग) क्या सरकार सोयाबीन और सूरज मुखी के बीज यथासंभव अधिकतम, मात्रा में गुजरात को सप्लाई करेगी; और

(घ) आगामी तीन मास में प्रत्येक की कितनी मात्रा में सप्लाई की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) गुजरात समेत देश भर में खाने के तेलों के मूल्य पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे बढ़ते रहे हैं।

(ख) कुछ मामलों में मूंगफली की बजाय बिनौला पेरने या कुछ कमजोर यूनिटों के मामले में पेराई अस्थायी तौर पर स्थगित करने की रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) और (घ) : देश में सोयाबीन और सूरज मुखी के बीज का अधिक से अधिक उत्पादन करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और मिलें और/या विलायक निस्सारित यूनिट अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यथा उपलब्ध इन बीजों को खरीदने के लिए स्वतन्त्र हैं।

गुजरात को उर्वरकों की आवश्यकता

7051. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में गुजरात ने केन्द्र को कितने उर्वरकों की अपनी आवश्यकता बताई है;

(ख) वर्ष 1972-73 में कितने उर्वरक उसे सप्लाई किए गए; और

(ग) वर्ष 1973-74 के लिये कितनी मात्रा मंजूर की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) 1972-73 और 1973-74 के वर्षों में गुजरात राज्य की निवल आवश्यकता का क्षेत्रीय सम्मेलन में इस प्रकार निर्धारण किया गया था :--

(हजार मीटरी टनों में)

निवल आवश्यकता

वर्ष	एन०	पी०$_2$ ओ०$_5$	के$_2$ ओ	एन+पी०$_2$ ओ$_5$+ के$_2$ ओ०
1972-73	109.80	70.80	6.90	187.50
1973-74 (लगभग)	162.50	85.05	14.38	261.193

(ख) 1972-73 के वर्ष के दौरान राज्य को लगभग 13290 मीटरी टन एन०, 48438 मीटरी टन पी०$_2$ ओ०$_5$ और 10506 मीटरी टन के०$_2$ ओ० अर्थात् कुल 1,72,234 मीटरी टन पोषक तत्वों की पूर्ति की गई थी।

(ग) जैसा कि ऊपर दिया गया है वर्ष 1973-74 की राज्य की कुल आवश्यकता पूरा करने के लिये प्रयास किये जायेंगे। इस समय राज्य की खरीफ 1973 के मौसम की कुल निवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 67590 मीटरी टन एन०, 37600 मीटरी टन पी$_2$ ओ०$_5$ और 10890 मीटरी टन के०$_2$ ओ० की मंजूरी दी गई है।

रबी 1973-74 के दौरान राज्य को नियत की गई मात्रा का अन्तिम रूप से निर्णय इस वर्ष के मध्य में अर्थात् रबी मौसम के शुरू होने से तुरन्त पहले किया जायेगा। उस समय राज्य सरकारों और निर्माताओं के साथ रबी की आवश्यकताओं को अन्तिम रूप देने के लिए और इस अवधि के दौरान उर्वरकों की उपलब्धि का अनुमान लगाने के लिए सम्मेलन किये जायेंगे।

पी० जी० टी० ग्रेड में पदोन्नति के बाद टी० जी० टी० में सेलेक्शन ग्रेड

7052. श्री मूल चन्द डागा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों का सेलेक्शन ग्रेड उनके अगले ग्रेड अर्थात् पी० जी० टी० ग्रेड से कहीं अच्छा है क्योंकि टी० जी० सेलेक्शन ग्रेड 550-700 है जबकि पी० जी० टी० का वेतनमान केवल 350-700 ही है, और

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों को अगले उच्चत्तर केडर, अर्थात् पी० जी० टी० में पदोन्नति कर दिये जाने के बाद उनका सेलेक्शन ग्रेड निम्नतर वेत्तन-मान अर्थात् 350-700 में पुनः निर्धारित करने का क्या औचित्य है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक 250-550 रुपये के ग्रेड में हैं, उन के लिए 550-700 रुपये का प्रवरण ग्रेड भी है, जबकि उत्तर स्नातक अध्यापक 350-750 रुपये ग्रेड में हैं और उनके लिए 600-800 रुपये का प्रवरण ग्रेड भी है । योग्यताओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर-स्नातक अध्यापकों का पद प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की अपेक्षा ऊंचा है और अन्य बातों के साथ साथ उन पदों को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के ग्रेड में पदोन्नति के आधार पर भरा जाता है । पदोन्नति के समय, प्रवरण ग्रेड वाले प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को उच्च मूल वेतन का संरक्षण प्रदान किया जाता है जो उन्हें प्रवरणग्रेड में मिलता है बशर्ते कि उच्च स्थानापन्न ग्रेड में लिया गया वेतन कम हो।

सेलेक्शन ग्रेड के कारण दिल्ली के शिक्षकों के वेतन में विषमता

7053. श्री मूल चन्द डागा :

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड देकर सरकार ने विभागीय पदोन्नति प्राप्तकर्ताओं और सीधे भर्ती किए गए शिक्षकों के वेतनों में बड़ा अन्तर उत्पन्न कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सीधे भर्ती किए गए शिक्षकों में निराशा के इस मुख्य कारण को हटाने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विभागीय पदोन्नति प्राप्त करने वाले तथा सीधे भर्ती किए गए दोनों प्रकार के अध्यापक प्रवरण ग्रेड के लिए समान रूप से हकदार हैं, बशर्ते कि संबंधित संवर्ग में उनके पास अपेक्षित वरीयता हो और वे अन्यथा भी योग्य हों।

टी० जी० वेतनक्रम के सेलेक्शन ग्रेड के लाभ पाने वाले पी० जी० शिक्षक

7054. **श्री मूल चन्द डागा :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्नातकोत्तर शिक्षकों की वरीयता स्नातकोत्तर शिक्षक केडर में है और साथ ही उन्हें प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम के सेलेक्शन ग्रेड के लाभ भी मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें एक साथ दो विभिन्न केडरों के दोहरे लाभ अर्थात् पी० जी० टी० केडर में वरीयता का लाभ और टी० जी० टी० केडर के वेतन का लाभ देने का क्या औचित्य है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :(क) और (ख) एक उत्तर-स्नातक अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के अवर ग्रेड में स्थाई हो और उत्तर स्नातक अध्यापक के उच्च ग्रेड में स्थानापन्न रूप मे कार्य कर रहा हो वह प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के प्रवरण ग्रेड में स्थाई-रिक्त स्थान के विरुद्ध प्रोफार्मा नियुक्ति का पात्र है। ऐसे व्यक्ति को उसे प्रवरण ग्रेड में प्राप्त होने वाले मूल वेतन के संरक्षण की अनुमति दी जाती है यदि उच्च स्थानापन्न ग्रेड में लिया गया वेतन कम हो।

Use of 'Gulal' as a Health Hazard

7055. **Shri. M. C. Daga :**

Shri Raghunandan Lal Bhatia:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the use of Gulal during Holi Festival is harmful to health according to a study made on health; and

(b) if so, how and Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) and (b) As far as information is available, no study on the harmful effects of Gulal, used during Holi festival, has been carried out. However, one sample of Holi Colour was studied in April, 1972 at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi for its lead content. The said sample was found to contain some lead. Since Holi colours are used only externally once a year, it is felt that it is unlikely that a small quantity of Holi colour inadvertently swallowed, inhaled or absorbed through skin will produce lead toxication.

नगर एवं ग्राम-आयोजन संगठन में पदोन्नति के अवसर न होना

7056. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर और ग्राम आयोजन संगठन (निर्माण और आवास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) में ऐसे कितने उच्च श्रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक हैं, जो अपने अपने ग्रेडों में पदोन्नति के अवसर न होने के कारण 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहें हैं, और

(ख) उनकी पदोन्नति के लिए कुछ अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही को है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 10 वर्षों से अधिक समय से अपने-अपने ग्रेडों में काम कर रहे उच्च श्रेणी के लिपिकों तथा निम्न श्रेणी के लिपिकों की संख्या निम्नलिखित है :—

(i) उच्च श्रेणी लिपिक	5
(ii) निम्न श्रेणी लिपिक	10

(ख) निम्न श्रेणी लिपिक उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं तथा उच्च श्रेणी लिपिक हैड क्लर्क के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र में दुग्ध केन्द्र

7057. श्री एम० एम० जोजफ :

श्री बरके जार्ज :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या मन्दिर मार्ग, डी० आई० जैड० क्षेत्र में दो दुग्ध केन्द्र, जिनकी मार्च, 1972 में मंजूरी मिल गई थी, अभी तक नहीं बनाये गये हैं।

(ख) क्या उस क्षेत्र के निवासियों ने इस आशय के कुछ अभ्यावेदन दिये थे कि उक्त मंजूर शुदा दुग्ध केन्द्रों का निर्माण होने तक केवल प्रातःकाल ही दुग्ध केन्द्र खोला जाये और यदि हां, तो इस पर अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) मंजूरशुदा दुग्ध केन्द्रों के निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं और उनका कब तक निर्माण हो जायेगा और ये अपना कार्य कब तक आरम्भ कर देंगे; और

(घ) इस बारे में विलम्ब करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के मूल प्रस्ताव के अनुसार इस क्षेत्र में दो नये दुग्ध बूथों का निर्माण किया जाना था और उसने उसके लिये दो स्थान चुने थे। बाद में इस क्षेत्र के वर्त्तमान डिपुओं से बिक्री के वर्त्तमान स्तर की जांच करने के बाद दिल्ली दुग्ध योजना ने यह महसूस किया कि केवल एक अतिरिक्त दुग्ध बूथ का निर्माण करना ही पर्याप्त होगा।

(ख) जी हां, । तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना के लिये अपने दुग्ध बूथ के अलावा किसी अन्य जगह पर दुग्ध डिपो खोल सकना संभव नहीं हुआ है ।

(ग) इस क्षेत्र में एक नये दुग्ध बूथ के निर्माण में विलम्ब इस कारण हुआ है कि यहां के निवासियों की दो संस्थायें किसी एक स्थान के लिये परस्पर सहमत नहीं हो सकीं । किसी एक स्थान के बारे में सहमति होने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से इसका निर्माण करने का काम हाथ में लेने के लिये कहा जायेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली की सरकारी कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित पूछताछ-कार्यालय

7058. श्री एम० एम० जोजफ :

श्री वरके जार्ज :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की सरकारी कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने पूछताछ कार्यालय चलाये जा रहे हैं ;

(ख) इन पूछताछ कार्यालयों में से प्रत्येक में काम कर रहे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रत्येक पूछताछ कार्यालय के लिए क्वाटरों की संख्या के बारे में कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 54

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

आवास और नगरीय विकास निगम द्वारा कम लागत के मकान उपलब्ध कराने के लिए पैनल की स्थापना

7059. श्री एम० एम० जोजफ :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगरीय विकास निगम ने कम लागत के मकान उपलब्ध कराने हेतु तरीके और डिजाइन सुझाने के लिए किसी पैनल की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी. हां। आवास तथा नगर-विकास निगम द्वारा एक अनुसन्धान तथा सलाहकार समिति बनाई गई है जिस में प्रसिद्ध वास्तुक, इन्जीनियर, नगर आयोजक, वैज्ञानिक तथा संबंधित कार्यों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

(ख) समिति, नई निर्माण सामग्री तथा तकनीकियों पर विचार और उसका मूल्यांकन करती है तथा अपनी सिफारिशें देती हैं और कम लागत के मकानों के लिये आधारभूत डिज़ाइन बनाती है। बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिये समिति, आवास के सभी पहलुओं पर विचार भी करती है।

समिति ने नई निर्माण सामग्री के प्रयोग और प्रसार की सिफारिश की है जो इस प्रकार है :—

(i) कंक्रीट में राखी का प्रयोग।

(ii) ईंटों का अर्ध-यांत्रिक विधि से उत्पादन।

(iii) नींव के लिये अण्डर रीमड पाइल्ज़ का प्रयोग।

(iv) 4 मंजिले निर्माण के लिये इकहरी मोटाई की भार वाहक ईंट की दीवारें।

(v) प्रिकास्ट कंक्रीट के पतले लिंटलों का प्रयोग।

(vi) फर्शों तथा छतों के लिये प्रिकास्ट कंक्रीट कोर्ड यूनिटों का प्रयोग।

(vii) फर्शों तथा छतों के लिये वैफल शैलों का प्रयोग।

(viii) कम से कम ऊंचाई वाली छतें।

(ix) मकानों की विभिन्न श्रेणियों के लिये प्लाट तथा कुर्सी क्षेत्र के लिये मार्ग-दर्शन।

(x) रिहायशी कालोनियों के ले-आऊट की तैयारी के लिये मार्गदर्शन।

(xi) मकानों की विभिन्न श्रेणियों के लिये बेसिक डिज़ाईन कंसेप्ट।

समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मार्ग दर्शन हेतु विभिन्न निर्माण अभिकरणों के नौटिस में लाया गया है।

कृषि योग्य भूमि को चारा उगाने के लिए प्रयोग करने के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का सुझाव

7060. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने किसानों द्वारा कृषि योग्य भूमि के एक भाग को हरा चारा उगाने के लिए इस्तेमाल करने में किसानों की सहायता करने के लिए व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता का केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह कहा है कि सम्पूर्ण दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम पर निर्भर करता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं, । भारत सरकार के पास तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से इस तरह का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allotment of Quarters to Class IV Employees in Delhi

7061. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether quarters have been allotted to class IV employees in Delhi State during 1971-72; and

(b) if so, the number thereof; and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) & (b) : Employees of the Delhi Administration are eligible for allotment of accommodation from the general pool. During 1971-72, 56 quarters from the general pool were allotted to Class IV employees of the Delhi Administration. Besides, the Delhi Administration also allotted 96 quarters from their own pool to its Class IV employees.

Loss to Tobacco Crop Due to Short Supply of Power.

7062. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether tobacco crop in various States during 1972-73 has suffered loss due to short supply of power; and

(b) if so, extent of loss in production and of revenue as a result thereof, State-wise?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde):(a) & (b) : Due to acute shortage of power supply during 1972-73, power cuts were applied in several States. However, the State Governments were asked not to extend these cuts to agriculture, as far as possible.

The firm estimates of area and production of tobacco during 1972-73 have not so far become available. It is, therefore, too early to indicate the extent of loss, if any, to the tobacco crop due to short supply of power and other seasonal factors.

दिल्ली में गेहूं तथा चावल की कमी

7063. चौधरी राम प्रकाश : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को गेहू तथा चावल की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और उसके लिए क्या कार्यवाही की जानी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांचवीं योजना के दौरान पूर्वी समुद्र तट पर मत्स्य पालन का विकास

7064. डा० रानन सेन :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अधिकांश समुद्री मत्स्यपालन परियोजनायें पश्चिमी तट पर ही स्थित हैं और समुद्री मत्स्यपालन केन्द्रों के विकास में पूर्वी तट की उपेक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी तट पर बड़े पैमाने पर समुद्री मत्स्यपालन का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी तट पर अपेक्षाकृत कुछ अधिक मत्स्यकी परियोजनायें स्थित है परन्तु पूर्वी तट की किसी प्रकार उपेक्षा नहीं की गई है । मात्स्यकी परियोजनायें स्थापित करने के मामले में पश्चिमी तट को अधिक महत्व देने का कारण भारत के पश्चिमी तट से दूर अधिक खुला समुद्र होना, अधिक प्राथमिक कार्बनिक उत्पाद व मछली मिलना और अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल मौसम होना आदि कुछ विशेषतायें हैं ।

(ख) समुद्री मात्स्यकी के विकास के लिए मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण, संसाधनों का सर्वेक्षण करना तथा गहन समुद्र मत्स्यहरण के लिए तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने आदि के संबंध में मूल सुविधायें प्रदान की जा रही है ।

पूर्वी तट पर ट्यूटीकोरिन में एक बड़ा मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण किया जा रहा है जहां गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोत ठहर सकेंगे। मद्रास और रायचौक के मुख्य पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। विशाखापत्तनम और पाराद्वीप में मत्स्यन बन्दरगाह के विषय में तैयार की गई योजनाओं और अनुमानों की स्वीकृति जारी करने के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे पत्तनों पर माल उतारने और पोतों के लिए ठहरने की सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं।

इस समय ट्यूटीकोरिन, विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लैयर स्थित केन्द्रों में समन्वेषी मत्स्यहरण का कार्य किया जा रहा है। इन केन्द्रों को पुष्ट करने के अतिरिक्त मद्रास, पाराद्वीप और कलकत्ता केन्द्रों में भी समन्वेषी मत्स्यहरण का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से भारत के पूर्वी तट के मीन संसाधनों का विस्तृत सर्वेक्षण करने का विचार है। बड़े मत्स्यन पोतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंजीनियरों, स्विपरों और अन्य वर्गों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए मद्रास में एक केन्द्रीय मात्स्यकी प्रचालन संस्थान की स्थापना की गई है।

पूर्वी तट से वाणिज्यिक आधार पर तट से दूर और गहरे समुद्र में मत्स्यहरण का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है और उत्साहवर्धक परिणामों को दृष्टि में रखते हुए पूर्वी तट के केन्द्रों में गहरे समुद्र में मत्स्य-हरण, विधायन और निर्यात से संबंधित नए कार्य शुरू होने की सम्भावना है।

भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का संशोधन

7065. **डा० रानेन सेन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर आयोजित क्षेत्रीय विचार गोष्ठी में संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का संशोधन करने का सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भूमि सुधार क्रियान्वयन संबंधी पूर्वी क्षेत्र की विचार गोष्ठी में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार पर प्रतिबंध लगाने हेतु भूमि सुधार उपायों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 में उपयुक्त संशोधन करने की सिफारिश की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार सिफारिशों का अध्ययन कर रही है।

विवरण

विचार गोष्ठी ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की थीं :—

(1) पट्टेदारों, बटाईदारों, सीमान्त कृषकों आदि की सहायता से पट्टेदारी अभिलेख अधिकारों तथा बटाईदारों के अधिकारों का अद्यतन अभिलेख तैयार करना।

(2) 'खेती करने वाले का भूमि पर अधिकार हो' के सिद्धांत पर आधारित पट्टेदारी सुधार उपाय अद्यतन अभिलेख अधिकारों के आधार पर शीघ्र ही अपनाए जाने चाहिये, बेनामी अन्तरणों को गैर-कानूनी घोषित किया जाये और विभिन्न स्तरों पर लाभानुभोगियों के प्रतिनिधियों की निगरानी समितियां स्थापित की जानी चाहियें, और उपयुक्त पूरक संस्थाओं और सेवाओं की पट्टेदारी सुधार उपायों का समर्थन करना चाहिये;

(3) अधिकतम सीमा विषयक कानूनों की क्रियान्विति में असन्दिग्ध राजनैतिक निर्देश दिए जाने चाहियें। लोकप्रिय निकायो को, लाभानुभोगियों के सहयोग से बेनामी अन्तरणों की जांच-पड़ताल करनी चाहिये, संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 में उपयुक्त संशोधन करके भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन में कानूनी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिये।

(4) जिला आदिवासी क्षेत्रों में भूमि सुधार लागू किए जा चुके हैं उनमें उपयुक्त निकायों और सामान्य जनता के सहयोग से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि सांठ-गांठ करके भूमि का विक्रय न किया जा सके, स्वामित्व, परिवर्तन और ऋण ग्रस्तता को रोका जा सके। उन आदिवासी क्षेत्रों में जिनमें भूमि सुधार लागू नहीं किए गए हैं, समन्वित कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहियें।

(5) क्रियान्विति के लिए एक उपयुक्त स्वतन्त्र प्रशासकीय तंत्र की स्थापना की जानी चाहिये, विभिन्न स्तरों पर लाभानुभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जन समितियां और भूमि सुधार उपायों की क्रियान्विति में होने वाले झगड़ों को निपटाने के लिए विशेष न्यायधिकरण और समन्वय के लिए राज्य स्तर पर भूमि सुधार परिषद् की स्थापना की जानी चाहिये। भूमि सुधार उपायों की क्रियान्विति के लिए अब पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की जानी चाहिये।

(6) प्रशिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय भूमि सुधार संस्थान की शीघ्र ही स्थापना होनी चाहिये।

विश्वविद्यालयों को खोलने की शर्तें तथा उन्हें सहायता देना

7066. **श्री शंकरराव सावन्त :**

श्री एस० एन० पेजे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं तथा वे राज्य-वार, कहां कहां स्थापित हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्र ने ऐसे विश्वविद्यालय खोलने के लिए कोई कसौटी निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी-4800/73]

अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम को क्रियान्वित किया जाना

7067. **श्री शंकरराव सावन्त :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम में किए गए नए संशोधनों को क्रियान्वित करने में बिलम्ब कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन मामलों में विलम्ब हो रहा है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :

(क) और (ख) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972, 17 जून, 1972 से लागू हुआ था। 'कोर्ट' को छोड़कर, विश्वविद्यालय की प्रमुख संस्थाओं/समितियों, कार्यकारी परिषद और छात्र परिषद का 'गठन' पुर्नगठन, संशोधित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया है। 'कोर्ट' और छात्र परिषद में प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन क्षत्रों (इलक्टोरल कालजों) के संबंध में अध्यादेशों के मसौदे तैयार कर लिए गए हैं और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं। क्योंकि 'कोर्ट' की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में अपने सदस्यों में से पांच व्यक्तियों को चुनना है। इसलिए, परिषद के पुर्नगठन में भी देरी हो गई है।

संकायाध्यक्षों, अध्ययन विभागाध्यक्षों आदि की नियुक्तियां भी संशोधित अधिनियम के अनुसार की गई हैं :

नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए कसौटी निर्धारित करना

7068. **श्री शंकरराव सावन्त :**

श्री एस० एल० पेजे :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए कोई कसौटी निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री **(प्रो० एस० नुरुल हसन)** : (क) और (ख) : नए विश्वविद्यालयों से संबंधित अपनी समिति की सिफारिशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक कार्यकारी दल का गठन कर रहा है जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयीय केन्द्र स्थापित करने के लिए सिद्धान्त निर्धारित करेगा।

Vasectomy Operations

7069. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri G.Y.Krishnan :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the target fixed by Government for vasectomy operations in the country during the year 1971-72; and

(b) the number of vasectomy operations performed during this period?

Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) Targets are not fixed separately for vasectomy operations. The target fixed for sterilisation (vasectomy and tubectomy) operations during 1971-72 was 2,078,592.

(b) 1,619,030.

राज्यों द्वारा खाद्य निगम बनाने का अनुरोध

7070. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने खाद्य निगम स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसा सुझाव देने के लिए क्या कारण बताए गए हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : जी हां, । पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसी कुछ राज्य सरकारों ने अपने खाद्य निगम अथवा सरकारी निगमों के रूप में अलग संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकारों ने इस बारे में निम्नलिखित प्रमुख कारण बताए हैं।

(1) भारतीय खाद्य निगम संगठन के रूप में दुसाध्य बन गया है और राज्य सरकारों की विशेष आवश्यकताओं विशेषतया अन्य आवश्यक जिन्सों की खरीद और वितरण के मामले में. को पूरा करने में असमर्थ हैं; और

(2) गेहूं और चावल का थोक व्यापार लेने संबंधी सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप उत्पादकों को उपयुक्त विकल्प सुलभ करने की दृष्टि से बहु-खरीददारी एजेन्सी प्रणाली प्रदान करना।

सरकार इन प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं पर सक्रियता से विचार कर रही है।

राम स्वरूप टी० बी० अस्पताल महरौली, नई दिल्ली

7071. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाला रामस्वरूप टी० बी० अस्पताल, महरौली, नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों द्वारा स्नानगृहों, शौचालयों तथा बिस्तरों आदि को उचित ढंग से साफ नहीं किया जाता है;

(ख) क्या उक्त अस्पताल के स्नानगृहों तथा शौचालयों में हुक्स तथा बोल्ट आदि की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ग) क्या स्नानगृहों तथा शौचालयों का फर्श चिकना है जिसके फलस्वरूप अनेक बिमार बच्चे तथा महिलाएं गिरी हैं और इस प्रकार घायल हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जहां तक हमारे पास सूचना उपलब्ध है इस अस्पताल में स्नानगृहों, शौचालयों तथा बिस्तरों को सदा साफ रखा जाता है।

(ख) सभी स्नानगृहों तथा शौचालयों में हुक्स और बोल्ट प्रदान किए गए हैं।

(ग) स्नानगृहों अथवा शौचालयों के फर्श पर कभी भी कोई रोगी नहीं फिसला।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षा पद्धति में सुधार

7072. **श्री आर० वी० सामिनाथन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की क्रियान्वयन समिति की बैठक मार्च, 1973 में अहमदाबाद में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सभी स्तरों पर परीक्षा पद्धति में सुधार करने का सुझाव दिया है ;

(ग) क्या इन सिफारिशों को राज्य सरकारों को भेजा गया है और यदि हां, तो राज्य सरकार की इस पर क्या प्रक्रिया है; और

(घ) इस समिति ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) इसका संबंध, एक स्वैच्छिक संगठन की बैठक से है और यह संबंधित संगठन पर निर्भर करता है कि वह जैसा कि आवश्यक समझे अनुवर्ती कार्रवाई करे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने के लिये राज्य सरकारों को सहायता

7073. **श्री आर० वी० सामिनाथन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने में सहायता देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में मास्टर प्लान प्रस्तुत करने को कहा है;

(ग) केन्द्रीय सरकार उनकी किस हद तक सहायता करेगी; और

(घ) इस संबंध में कितनी राज्य सरकारों ने अब तक अपने मास्टर प्लान प्रस्तुत किए हैं और केन्द्रीय सरकार ने कितनों को स्वीकार कर लिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) से (ग) ग्रामीण सड़कें मुख्यतः राज्य विषय हैं और अतः मुख्यतः राज्य के क्रियाकलाप के क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1500 से अधिक की आबादी वाले सभी ग्रामों को मिलाने का विचार है । योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे पांचवी योजना के आयोग के उपागम कागजातों में विचारित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों (जिसमें ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं) के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(घ) राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर प्रारंभिक विचार विमर्श चालू है और अब तक योजना आयोग से नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) को 10 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि स्वीकार किये जाने वाली योजनाओं की अंतिम व्याप्ति क्या होगी और केन्द्रीय सरकार योजना के लिये कहां तक सहायता दे सकेगी।

भवन निर्माण सामग्री की आवश्यकता

7074. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री वरके जार्ज :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 1973–74के लिये भवन निर्माण सामग्रियों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है;

(ख) इस समय कितनी सामग्री उपलब्ध है; और

(ग) यदि इस कार्य को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई हो तो वह क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : (क) सीमेंट की मांग का अनुमान 190 लाख टन लगाया गया है। अन्य निर्माण-सामग्री के लिये सही सूचना उपलब्ध नहीं है :—

(ख) सूचना नीचे दी जाती है :—

निर्माण सामग्री	प्रति वर्ष उपलब्ध मात्रा
1. ईंटें . . .	2,00,000 लाख (1971-72) (लगभग)
2. लकड़ी (प्राथमिक किस्म)	20 लाख घन मीटर (1971-72) (लगभग)
3. सीमेंट	157 लाख टन (1972)
4. इस्पात :	
(i) जी० सी० शीट्स	89,200 टन (1972-73 जून, 73 तक)
(ii) सलाखें तथा छड़ें	6,67,500 टन (1972-73)
(iii) हल्की तथा माध्यम . प्रकार के स्टरक्चरलर्ज	2,82,400 टन (1972-73)

(ग) (1) सीमेंट की कमी को दूर करने के लिये आशय पत्रों/सी० ओ० बी० लाइसेंसों द्वारा 85 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता का अनुमोदन किया गया है जबकि लगभग 65 लाख टन की और क्षमता देने का अनुमोदन विचाराधीन है। पहले में से, लगभग 15 लाख टन क्षमता का उत्पादन 1974 के मध्य में हो जाने की आशा है।

(2) जहां तक इस्पात का संबंध है, प्रौद्योगिकी सुधार, अच्छे औद्योगिक संबंध, सुधरे हुए अनुरक्षण आदि, विशेषकर कम सप्लाई की वस्तुओं के बारे में एक अच्छी उदार आयात नीति, निर्यात का नियन्त्रण, सरल और कारगार वितरण नीति, तथा बिजली की भट्टियों की स्थापना के प्रोत्साहन द्वारा स्वदेशी उत्पादन बढ़ाकर स्थिति पर काबू पाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

समाज कल्याण निदेशालय से अधिकारियों का दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरण

7075. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत सरकार के समाज कल्याण निदेशालय से लगभग 700 अधिकारियों का स्थानांतरण दिल्ली प्रशासन को करने पर विचार कर रही है

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों ने इस कार्यवाही का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) भारत सरकार से इस प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम को क्रियान्वित करना

7076. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, राज्यवार ग्रामीण रोजगार के लिये कितने द्रुत कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसी परियोजना नालगोंडा जिले में क्रियान्वित की जा रही है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस जिले में कितने श्रम दिवसों का सृजन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) माननीय सदस्य का तात्पर्य शायद ग्राम रोजगार की त्वरित योजना से है, जिससे यह मंत्रालय संबंधित है। ग्राम रोजगार की त्वरित योजना देश के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष औसतन 12.50 लाख रु० की धनराशि आबंटित की जाती है।

(ख) जी हां। 1971-72 में 9.32 लाख रु० और 1972-73 में (दिसम्बर 72 तक) 10.47 लाख रु० व्यय किए गए ह।

(ग) 1971-72 में 2.51 लाख और 1972-73 में (दिसम्बर, 1972 तक) 4.42 लाख श्रमदिन पैदा किए गए हैं।

वर्ष 1973-74 के दौरान खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए परिव्यय और उसका साधन

7077. **श्री वी० बी० नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान खाद्यान्नों की वसूली के लिये कुल कितना परिव्यय होगा; और

(ख) इस परिव्यय को किन साधनों तथा बजट तथा गैर-बजट एजेंसियों के माध्यम से जुटाया जायेगा तथा कितना धन प्राप्त किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 1973-74 के दौरान खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति पर कुल परिव्यय 1050 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । तथापि, उपर्युक्त सारी धनराशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की बिक्री के साथ ही साथ धन भी प्राप्त होता रहेगा । अनुमान है कि जुलाई, 1973 में 810 करोड़ रुपये के अधिकतम धनराशि की जरूरत होगी ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को इस समय भारत के स्टेट बैंक से 440 करोड़ रुपये तक के ओवर-ड्राफ्ट और भारत सरकार से 150 करोड़ रुपये तक ऋण प्राप्त करने की सुविधा है । इस प्रकार अतिरिक्त आवश्यकता 220 करोड़ रुपये की होगी और इस अतिरिक्त आवश्यकता को भारत के स्टेट बैंक से प्राप्त नकद ऋण सुविधा की 440 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़कर 660 करोड़ रुपये करके पूरा करने का विचार है ।

आन्ध्र प्रदेश में विदेशी सहायता कार्यक्रम

7078. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में विदेशी सहायता कार्यक्रम कहां-कहां चल रहे हैं;

(ख) 'भूख से मुक्ति अभियान' और 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' से सहायता लेने की क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य को इन संभावनाओं का सुझाव भी दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश और राज्य के विभिन्न स्थानों पर विदेशी सहायता से चलने वाली परियोजनाओं का संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है ।

(ख) **'भूख से मुक्ति अभियान'** : चूंकि भूख से मुक्ति अभियान मूलतः एक जनता द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है, अतः इसके लिये सहायता मुख्य रूप से गैर-सरकारी सूत्रों से ही प्राप्त होती है । परियोजना के प्रस्ताव मूल रूप से गैर-सरकारी स्वरूप के हैं । अतः भूख मुक्ति अभियान के सहायता के लिये जनता के सक्रिय सहयोग को ही उपयुक्त समझा जाता है । भूख से मुक्ति अभियान सहायता के लिये परियोजना प्रस्ताव की उपयुक्तता निश्चित करने के लिये अन्य बातें ये हैं : तकनीकी सुदृढ़ता, आर्थिक सम्भाव्यता, कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये प्रायोजी एजेंसी की क्षमता, कार्यकारी एजेंसी का प्रतिरूपी अंशदान, लक्षित उद्देश्य को पूरा करने के लिये विनियोजन अनुपात, कार्यक्रम को सुचारु रूप से लागू करने के लिये स्थानीय परिस्थितियों की अनुकूलता, अधिकाधिक छोटे और सीमांत किसानों को दिये जाने वाले लाभों की परिसीमा, सहायता कार्यों आदि के अलावा उत्पादन पूर्वाभिमुखीकरण । केवल कृषि क्षेत्र तथा उससे सम्बद्ध विषयों पर ही विचार किया जाता है । परियोजनाओं के लिये भूख से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत सहायता तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वे भूख से मुक्ति अभियान के उपरोक्त उद्देश्यों के अनुरूप हों ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम : विश्व खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रों के समस्त राज्य सदस्यों, सदस्य राष्ट्रों तथा खाद्य तथा कृषि संगठन से सम्बद्ध सदस्यों से उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले खाद्यान्नों का उपयोग करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी देश के परियोजनाओं को खाद्यान्न सप्लाई करके आर्थिक तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना है। विश्व खाद्य कार्यक्रम अनुरोध किये जाने पर निम्नलिखित के लिये सहायता प्रदान करता है :

(1) आपातकालीन खाद्य और चिरकालीन अपोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना ;

(2) स्कूल के बच्चों के पोषण, कृषि उत्पादन बढ़ाने, श्रमप्रधान परियोजना तथा ग्रामीण कल्याण के संबंध में आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिये खाद्यान्न का उपयोग करने वाली परियोजनाओं को कार्यरूप देना।

विश्व खाद्य कार्यक्रम खाद्यान्नों के रूप में सहायता देता है। सामग्री तथा मजदूरी पर होने वाले खर्च का एक भाग और संभालने तथा वितरण संबंधी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। किसी परियोजना को विश्व खाद्य कार्यक्रम की परिधि में तभी लाया जा सकता है जबकि वह उपरोक्त कसौटी पर पूरी उतरे।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों को विश्व खाद्य कार्यक्रम भूख से मुक्ति अभियान तथा विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले अवसरों के विषय में अवगत करा दिया गया है।

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है और उस राज्य में अनेक परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में विदेशी सहायता से क्रियान्वित होने वाली विभिन्न परियोजनायें तथा उनके स्थानों को दर्शाने वाला विवरण :

क्रम संख्या	वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम तथा उसके क्रियान्विति का स्थान
1.	भूख से मुक्ति अभियान	शादनगर ब्लाक में कृषक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2.	"	शादनगर ब्लाक में कृषक महिलाओं का प्रशिक्षण।
3.	"	बादवेल तालुक में भूमि सुधार और भूमिहीन श्रमिकों का पुनर्वास।
4.	"	विशाखापतनम में युवा कृषकों के लिये प्रशिक्षण फार्म।
5.	"	वपातला में 'खेत' और 'टेबल' के बीच फसलों और पशुओं की बेकार वस्तुओं की रोकथाम।
6.	"	गन्नावरम (भारत) में आदर्श सूअरपालन का विकास

7. भूख से मुक्ति अभियान	सेदाबाद में इन्दिरा सेवा सदन फार्म का विकास और डेरी तथा कुक्कुट फार्म की स्थापना।
8. विश्व खाद्य कार्यक्रम	(क) सघन पशु विकास कार्यक्रम, हैदराबाद और (ख) सघन पशु विकास कार्यक्रम, विजयवाड़ा में संतुलित खाद्य तथा टोन्ड दूध बनाकर दुग्ध सप्लाई में सुधार लाने की परियोजना।
9. "	(क) हैदराबाद (ख) विजयवाड़ा और (ग) विशाखापतनम में सघन कुक्कुट पालन तथा विपणन केन्द्रों का विकास।
10. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	पोचमपद सिंचाई एवं कृषि विकास परियोजना पोचमपद, क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश।
11. "	आन्ध्र प्रदेश ऋण परियोजना, जो पूरे आन्ध्र प्रदेश के लिये है।
12. कनेडियन इंटरनेशनल डवैलपमेंट एजेंसी (कनाडा सरकार)	बारानी खेती सम्बन्धी परियोजना इस परियोजना के अधीन 15 मुख्य अनुसंधान केन्द्र तथा 8 उप-केन्द्र हैं जिनमें से 2 मुख्य अनुसंधान केन्द्र आन्ध्र प्रदेश में हैं। एक प्रादेशिक मृदा संरक्षण अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद में और दूसरा प्रादेशिक मृदा संरक्षण अनुसंधान केन्द्र, अनंतपुर में स्थित है।
13. कैनेडियन इंटरनेशनल डवैलपमेंट एजेंसी	भूमिगत जल समन्वेषण परियोजना, हैदराबाद।
14. यू० एस० ए० . .	अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना, हैदराबाद।

विदेशी सहायता प्राप्त उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, हैदराबाद स्थित अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नाम उल्लेखनीय है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी परामर्शदात्री दल की ओर से कार्य करने वाले फोर्ड संस्थान के बीच 28-3-72 को एक करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् एक स्वायत्त, अंतर्राष्ट्रीय, लोकहितेच्छ, अलाभकर, अनुसंधान, शैक्षणिक, विकास तथा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में एक अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्धीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। आशा है कि यह संस्थान निम्नलिखित के लिये केन्द्र के रूप में कार्य करेगा :—

(1) चरी, मोटे अनाज, अरहर, छोटी मटर का सुधार करना ;

(2) फसल के उन्नत प्रतिमानों और फार्मिंग की पद्धतियों, (जिनमें कम वर्षा वाले असिंचित, मौसमी तौर पर शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग होता है) के विकास तथा प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिये।

भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को भूमि वितरण करने के कार्य में हुई प्रगति

7079. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 मार्च, 1973 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून क्रियान्वित करने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और क्या भूमि हीन और खेतीहर मजदूरों को भूमि वितरण करने के कार्य में प्रगति अत्यन्त निराशाजनक रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तात्कालिक कार्यवाही की जा रही है कि यह उपाय प्रभावी तौर पर तथा तेजी के साथ क्रियान्वित किये जायें ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पूरी फालतू भूमि का वितरण न कर सकने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) प्राप्त फालतू भूमि में से कुछ का खेती के लिये अनुपयुक्त होना;

(2) कुछ भूमि के मामले में कानूनी कार्रवाई चलने के कारण अड़चने होना;

(3) कार्यविधि संबंधी कुछ विलम्ब; और

(4) पंजाब में भूमि आबंटन के लिये समुचित व्यक्तियों का उपलब्ध न होना।

(ख) पहले से प्राप्त फालतू भूमि के वितरण के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिये कदम उठाने के अतिरिक्त राज्य सरकारों का यह विचार है कि दिसम्बर, 1973 के अन्त तक सीमा-निर्धारण संबंधी कानूनों को पूर्णतः क्रियान्वित कर दिया जायेगा। बहुत से राज्यों में हाल ही में सीमा-निर्धारण संबंधी संशोधित कानून पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में फालतू भूमि और तत्संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन का पता लगाने में कुछ समय लगेगा।

"आपरेशन फलड" कार्यक्रम की प्रगति

7080. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्धचूर्ण के विदेशी उपहारों पर आश्रित रहने के कारण शहरी क्षेत्रों में दूध की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये "आपरेशन फलड" नामक पंचवर्षीय कार्यक्रम में संभावित प्रगति नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े नगरों में दूध की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय अपनाये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) आपरेशन फ्लड की व्यवस्था के अनुसार बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार नगरों के सरकारी क्षेत्र दुग्ध संयंत्रों में दुग्ध परिसंस्करण सम्बन्धी सुविधाओं का समय पर विस्तार नहीं हो सका है जिसके परिणाम स्वरूप विश्व खाद्य कार्यक्रम से स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और वाटर आयल की प्रत्याशित सप्लाई का पूर्णतः उपयोग नहीं हो सका है। लगभग 1973 के मध्य तक इन संयंत्रों का प्रथम चरण का विस्तार कार्यक्रम पूर्ण होने की संभावना है। वर्ष 1974 के दौरान चार नई डेरियों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत 4 प्रमुख नगरों के दुग्ध क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु काफी पूंजी लगाने का भी

विचार है । यह कार्य तकनीकी आदानों दुधारू पशुओं के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध की अधिप्राप्त के लिये व्यवस्था करके किया जायेगा । आशा है कि आपरेशन फ्लड संबंधी कार्य पूरा होने पर परियोजना अवधि के अन्त तक इन 4 नगरों के दुग्ध संयंत्रों के लिये दुग्ध उपलब्धि 10 लाख लिटर दैनिक से बढ़ कर 27.5 लाख लिटर तक बढ़ जायेगी और इससे इन शहरों की कुल मांग पूरी हो सकेगी।

मैसूर में सूखा और भूखमरी से हुई मृत्यु

7081. श्री के० लकप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1973 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मैसूर में सूखा भयंकर रूप ले सकता है;

(ख) यदि हां, तो समाचार पत्र में प्रकाशित निराशाजनक कहानी कहां तक सच है; और

(ग) मैसूर राज्य में भूखमरी से होने वाली मौतों को रोकने में राज्य सरकार को सहायता देने के लिये क्या तात्कालिक कार्यवाही की जा ही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) : जी हां ।

(ख) और (ग) बीजापुर, रायचूर, बिदार, गुलबर्गा और बेलगाम के जिले सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये दोनों राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा किये गये उपायों को संलग्न विवरण में दिखाया गया है ।

विवरण

(1) प्रभावित जनसंख्या को रोजगार सुलभ करने के लिये राहत उपाय शुरू करना । इस समय लगभग 8000 राहत कार्य चल रहे हैं जिनमें लगभग 5 लाख व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मुफ्त राहत देने की योजनायें और मुफ्त आहार कार्यक्रम भी चल रहे हैं ।

(2) पेयजल की सप्लाई संबंधी कठिनाइयों का सामना करने के लिये कुओं को गहरा करने, नये कुएं खोदने, प्रभावित क्षेत्रों आदि में पानी ले जाने जैसे उपाय किये गये हैं ।

(3) चारे से संबंधित कठिनाइयों का मवेशी-कैम्प खोलने, मवेशियों का प्रवर्जन, चारे का रियायती संचलन, चारे की खरीदारी के लिये ऋण देना, चारे के परिवहन की लागत पर राज-सहायता, चारे की अधिप्राप्ति आदि जैसे उपाय कर सामना किया जा रहा है ।

(4) केन्द्रीय अध्ययन दलों ने सितम्बर, 1972 और जनवरी, 1973 में राज्य का दौरा किया था और उनकी सिफारिशों के आधार पर 12.87 करोड़ रुपये की खर्च की सीमा अपनायी गई है । राज्य सरकार को अब तक 16.50 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं । जिस दल ने जनवरी में राज्य का दौरा किया था उनकी सीमा सम्बन्धी सिफारिशों में उन राहत कार्यों के लिए, जिन पर राज्य और केन्द्रीय सरकारों के बीच तयशुदा प्राथमिकताओं के अनुसार दीर्घकालीन तक चलने वाले और उत्पादनकारी कार्यो पर वास्तव में खर्च हुआ है, खर्च की सीमा शामिल नहीं है लेकिन यह केन्द्रीय सहायता के लिये हकदार है ।

6 LSS/73—7

(5) आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, 6,389 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी के प्रति विशेष लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 5.30 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसके अलावा, कृषि आदानों के लिये अल्पकालीन ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

(6) केन्द्र ने राज्य सरकार को उपयुक्त मात्रा में खाद्यान्न मुहैय्या किये हैं, । राज्य सरकार ने भुखमरी से किसी मौत के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

देशीय तथा होम्योपैथी औषधियों को उचित स्थान देना

7082. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषधियों और होम्योपैथी में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद् ने सुझाव दिया है कि देश में जनता की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देशीय और होम्योपैथिक औषधियों को उचित महत्व दिया जाना चाहिये; और

(ख) परिषद् ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् ने 1969 से अर्थात् जब से इस का प्रारम्भ हुआ था आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथिक तथा योग से संबंधित अनुसंधान योजनाओं के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं। परिषद् की 1969-70, 1970-71 और 1971-72 की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां, जिनमें परिषद् की मुख्य सिफारिशें हैं, लोक सभा सचिवालय के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों में कालेजों की स्थापना

7083. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहायशी क्षेत्रों में स्थापित कालेजों में रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थापित कालेजों की तुलना में विद्यार्थियों की समस्यायें अधिक उत्पन्न होती हैं अथवा नहीं,

(ख) दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों में कितने कालेज स्थापित हैं तथा कितने इनसे दूर हैं और गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के कालेजों में हुई अशान्ति के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने विद्यार्थियों में अशान्ति को दूर करने के लिये दक्षिण दिल्ली में एक दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित करने की और सभी कालेजों को वहां स्थानांतरित करने की वांछनीयता पर विचार किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) इस विषय में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) नगर का विस्तार हो जाने से, प्रायः सभी कालेज आवासी क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। आवासी क्षेत्रों से घिरे हुए तथा आवासी क्षेत्रों से दूर, दोनों प्रकार के कालेजों के बारे में समय समय पर परिवहन तथा अन्य मामलों से संबंधित आन्दोलनों के विषय में रिपोर्ट मिली है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खाद्य उत्पादन के नए कार्यक्रमों के लिए सूखाग्रस्त राज्यों को केन्द्रीय सहायता

7084. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारने खाद्य उत्पादन के नये कार्यक्रमों के लिये सूखाग्रस्त राज्यों को अपेक्षित वित्तीय सहायता देने के लिये कोई योजना बनाई है :

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय सहायता देने के साथ साथ राज्य सरकार को कुछ प्रशासनिक सहायता देने की वांछनीयता पर विचार किया है क्योंकि यह पाया गया है कि खाद्य क्षेत्र की असफलता प्रशासनिक दोषों के कारण भी हैं; और

(घ) प्रत्येक सूखाग्रस्त राज्यों को कितनी सहायता दी जायेगी और इस योजना द्वारा उत्पादन का कितना लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) जी नहीं । परन्तु गत वर्ष अर्थात् 1972-73 में एक आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके अन्तर्गत लघु सिंचाई और अन्य कार्यक्रमों के विकास के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को 152.4 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Presence of A Lizard in A Milk Tin

7085. **Shri M.S.Purty :**

Shri Dharamrao Sharanappa Afzalpurker :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a lizard was found in a Milk Tin in President's canteen on 21st March, 1973 at the time of distribution; and

(b) if so, whether any inquiry has been conducted by Government in this regard; and if so, the details of outcome thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) : A sealed milk can was delivered by Delhi Milk Scheme to the canteen of President's Police Guards at about 5.00 A.M. on 21st March, 1973. The recipient signed the docket, accepted the milk can, took it inside the canteen emptied the same and returned the empty milk can to the distribution staff of Delhi Milk Scheme. After three hours, the Canteen Manager rang up Delhi Milk Scheme and complained about the presence of a lizard in the container of the canteen in which the milk supplied by Delhi Milk Scheme had been poured

out. The matter was promptly investigated by an officer of Delhi Milk Scheme. The alleged lizard was not shown to him, but the detailed inquiries made by him revealed that an all likelihood lizard was not present in the sealed milk can supplied by Delhi Milk Scheme. It seems that the lizard was either present in the vessel of the canteen in which the milk was poured out by the canteen staff or it dropped into the vessel after the milk had been poured into it.

खुले बाजार की चीनी के कोटे में कमी

7086. डा० हरि प्रसाद शर्मा :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खुले बाजार की चीनी के वर्तमान 30 प्रतिशत के कोटे में और भी कमी करने के प्रश्न पर अभी हाल में विचार करती रही है;

(ख) अतिरिक्त कटौती करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गुजरात राज्य की भोज जल निकासी योजना

7087. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने भोज जल निकासी योजना के लिये वित्तीय सहायता हेतु अप्रैल, 1972 में अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जल सप्लाई राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम है । चौथी योजना के दौरान सभी विकास शीर्षों के लिये केन्द्रीय सहायता, जिस में जल सप्लाई शामिल है, बिना किसी योजना विशेष के संदर्भ में राज्य प्लान के नियतन के आधार पर क्रमशः 70% तथा 30% के ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जा रही है ।

गुजरात सरकार ने अपने दिनांक 28 मार्च, 1972 के पत्र में भोज भूमिगत जल निकास योजना के लिये केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी तथा पर्यावरण संगठन के तकनीकी अनुमोदन की मांग की थी। 42.35 लाख रुपये की अनुमानित लागत की भोज भूमिगत जल निकास योजना के प्रथम चरण का तकनीकी अनुमोदन केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी तथा पर्यावरण संगठन द्वारा सितम्बर, 1972 में कार्यान्वयन हेतु कर दिया गया था ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवश्यकता

7088. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के लिये बसों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है; और

(ख) इस मांग को पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है और कितना व्यय होने का अनुमान है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम का पांचवीं योजना अवधि में 2485 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 2270 बसें प्राप्त करने का प्रस्ताव है । यदि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सम्पूर्ण यात्री सड़क परिवहन सेवाओं का अन्ततोगत्वा राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया गया तो यह आवश्यक होगा कि 119 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 123 और बसें प्राप्त करनी होगी ।

प्रस्तावों की 31-3-72 तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ।

पश्चिम बंगाल में अलसी और तिलहन के कोटे को अन्यत्र सप्लाई

7089. श्री समर गुह : क्या **कृषि** मंत्री गुजरात के वनस्पति निर्माताओं द्वारा कमी की स्थिति पैदा करने के लिये सरसों की खरीद के बारे में 20 मार्च, 1973 के अल्पसूचना प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के कोटे में से कनाडा की अलसी के 15 प्रतिशत भाग को वनस्पति निर्माताओं को दे देने और पश्चिम बंगाल की 133 तेल मिलों को तिलहन सप्लाई में कमी के मामले की पुनः जांच की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है; और उसका क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या सरकार ने पता लगाया है कि सरसों की खुदरा कीमत बढ़ गई थी ; और

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार और तेल मिल मालिक संघ के केन्द्रीय सरकार को भेजे गये अभ्यावेदनों के आधार पर सरसों के तेल के उत्पादन और मूल्य में पैदा हुए संकट को दूर करने के लिये क्या अन्य कदम उठाये गये हैं या उठाये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) आयातित तोरिया की आवश्यकता पूर्वी क्षेत्र में सरसों के तेल के उपभोक्ताओं और वनस्पति के निर्माताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिये होती है । व्यक्तिगत राज्य को कोई विशिष्ट कोटा निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन यथा सम्भव स्टाक की उपलब्धता की सीमा के अन्दर प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है । जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है, पिछले कुछ महीनों के दौरान लगभग 4,000 मी०टन प्रति मास आवंटन किया जा रहा था । एक ओर, इस वर्ष सरसों की बहुत अधिक फसल और दूसरी ओर मूंगफली के उत्पादन में भारी गिरावट और खाद्य तेलों के रियायती आयात को बन्द करने को ध्यान में रखकर फिलहाल सभी राज्यों को तोरिया के ऐसे आवंटनों को बन्द करने के लिये फरवरी, 1973 में प्रस्ताव किया गया था । तथापि, 20 मार्च, 1973 को लोक सभा में दिये गये आश्वासनों के अनुरूप, इस मामले पर फिर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया है कि पश्चिमी बंगाल को 2,000 मी० टन प्रति मास की दर से आयातित तोरिया का आवंटन जारी रखा जाये ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार के स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चला है कि 23 फरवरी अर्थात् वनस्पति में सरसों के तेल का प्रयोग करने की अनुमति दिये जाने की तारीख से लगभग एक सप्ताह पहले से कलकत्ता में सरसों के तेल के खुदरा मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है । दूसरी ओर,

23 फरवरी को खुदरा मूल्य जोकि 6.00 रुपये प्रति किलो था, गिर कर 16 मार्च को 5.90 रुपये प्रति किलो पर आ गया और 6 अप्रैल अर्थात् पिछली रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख तक वही भाव चलता रहा ।

(घ) वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस संबंध में सरकारी नीति में कोई परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती है । तथापि, इस मामले की लगातार समीक्षा की जा रही है और यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता हुई तो उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

Auction of Unserviceable Furniture in M.Ps'. Flats

7090. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the dates on which the unserviceable furniture of flats of the Members of Parliament are auctioned; and

(b) the names of the newspapers in which notices thereof are advertised?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) There is no definite date for the auction of unserviceable furniture. This is auctioned as and when it has outlived its life. In case the value of the unserviceable furniture is above Rs. 5,000/-, it is auctioned through the Directorate General of Supplies and Disposals. Where the book value is less than Rs. 5,000/-, this is auctioned departmentally by issuing auction notices to various Kabaries' Unions/Contractors' Associations and by pasting a notice on the Notice Board of the Parliament Works Division, C.P.W.D. ; no advertisement for such petty auctions is given in the Press.

Purchase of Medicines for Ayurvedic Dispensaries

7091. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the names of the companies from which medicines are purchased for Ayurvedic dispensaries; and

(b) whether any medicine is purchased from Hamdard Dawakhana?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) The names of the companies from which the Ayurvedic medicines were purchased for supply to the C.G.H.S. Dispensaries during the year 1972-73 are :

S.No.	Name of the firms
1.	The Ayurveda Rasashala, Poona.
2.	Navashakti Ayurvedalaya, Bhusawal.
3.	Shri Dhanwatry Ayurvedic Pharmacy, Amritsar.
4.	Petlad Mahal Arogya Mandal Pharmacy, Nadiad, Gujarat.
5.	Subhash Ayurvedic Store Nawada, Gaya.
6.	Aphali Pharmaceutical Ltd., Ahmed Nagar.
7.	Desh Rakshak Aushadhalaya (Regd.) Kankhal, Hardwar, U.P.
8.	Rishikul Ayurvedic College, Pharmacy, Hardwar.
9.	Raj Vaidya Shital Pd. & Sons, Delhi.
10.	Pushkarna Ayurvedic Pharmacy, Delhi.

1	2
11.	S.P. Pharma Jawahar Nagar, Delhi.
12.	Shri Mohta Rasayanashala Hathras, U.P.
13.	Patiala Ayurvedic Pharmacy (Regd.), Sirhind.
14.	Delhi Ayurvedic Pharmacy, Delhi.
15.	Aravali Chemical Pvt. Ltd., Bombay.
16.	Zandu Pharmaceutical Works Pvt. Ltd., Bombay.
17.	Swasthya Vardhak Aushadhalaya (Regd.), Varanasi.
18.	Prabhat Ayurvedic Pharmacy, Amritsar.
19.	Shri Dhanwantry Laboratories, Bhagalpur.
20.	Swastika Drugs Pharma, Amritsar.
21.	Co-operative Drugs Factory, Ranikhet, U.P.
22.	Delhi Pharmaceutical and Chemical Co-operative Industrial Society Ltd., Delhi.
23.	Rameshwar Dass Chottey Lal, Delhi.
24.	Himalaya Drug Co. Pvt. Ltd., Bombay.
25.	The Indian Medical Practitioner Co-operative Pharmacy and Store Ltd., Madras.
26.	The Arya Vaidya Pharmacy (Coimbatore) Ltd., Coimbatore.
27.	Dabur (Dr. S.K.Burman) Pvt. Ltd., Delhi.
28.	Atreya Ayurvedic Pharmacy, Baraut (Meerut).
29.	Shri Dev Raj Pharmaceutical, Amritsar.
30.	Shri Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt. Ltd., Patna.
31.	Alarsin Pharmaceutical Division, Bombay.

(b) No.

Medicine Quota Provided to C.G.H.S. Dispensaries for Members of Parliament

7092. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the medicine quota provided to the C.G.H.S. dispensaries for Members of Parliament ten years before has been reduced;

(b) if so, whether their quota list is proposed to be revised; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning. (Shri Kondajji Basappa): (a) No separate quota of medicines for Members of Parliament was ever provided to the C.G.H.S. dispensaries since its inception. The medicines are supplied to every C.G.H.S. boneficiary by the C.G.H.S. dispensaries on the basis of his/her medical needs.

(b) & (c) Do not arise.

Pay Scales of Graduates in Ayurvedic at Par With M.B.B.S.

7093. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the pay scales of graduates in Ayurvedic have been brought at par with those of M.B.B.S. ; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa) : (a) and (b) Allopathic Doctors under the Government of India belong to the Central Health Service and are recruited for service under the Central Government, Union Territories and some autonomous bodies. Their emoluments are determined, keeping in view the nature of their duties and the totality of their service conditions. It is not possible to concede parity in emoluments and status between the Allopathic Doctors and the Ayurvedic Physicians.

Upward Revision of Procurement Price of Millet and Wheat

7094. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri M. S. Sanjeevi Rao :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed procurement price of millet at Rs. 70 per quintal and that of wheat at Rs. 76 per quintal ;

(b) whether Government propose to revise the said procurement prices of millet and wheat keeping in view the rise in prices of other commodities ; and

(c) if so, by what time?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The procurement prices of millets and wheat fixed by Government are as under:—

Millets	**Rs. per quintal**
1. Bajra	60.00
2. Jowar	58.00
3. Ragi	57.00
4. Kodon and Kutki	50.00
Wheat	
1. Specified Superior varieties.	82.00
2. Indigenous Red variety	71.00 to 74.00
3. Other varieties	76.00

(b) No revision in the procurement prices is contemplated at present.

(c) Does not arise.

दादरा और नागर हवेली में पंचायत राज की प्रगति

7095. श्री रामू भाई पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र में पंचायत राज सम्बन्धी कार्यों में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उनको अधिक जिम्मेदारियां न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) दादरा तथा नागर हवेली में हाल ही में पंचायतें बनाई गई हैं और सारे क्षेत्र में दस ग्राम पंचायतें और दादरा तथा नागर हवेली अधिनियम, 1961 के अधीन गठित एक वरिष्ठ पंचायत है। यहां 1968 से पहले निर्वाचित पंचायतें नहीं थी। यद्यपि ग्राम पंचायतों के सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, तथापि वरिष्ठ पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सामान्यत: गोवा, दमन व दीव के आधार पर ही पंचायतों के कार्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, लोक निर्माण कार्य, आयोजना तथा विकास, प्रशासन, समाज कल्याण, शिक्षा और संस्कृति शामिल है। वरिष्ठ पंचायत के कार्य परामर्शदायी स्वरूप के हैं और इस संस्था से सभी महत्वपूर्ण विषयों पर नियमित रूप से परामर्श किया जाता है और इसे विकास सम्बन्धी गतिविधियों एवं योजनाओं से अवगत रखा जाता है।

राजस्व एकत्र करने और सहायक अनुदान सम्बन्धी निर्माण कार्यों के बारे में पंचायतों का कार्य अब तक उनकी वर्तमान शक्तियों के अनुरूप नहीं हुआ है, क्योंकि ये संस्थायें नहीं हैं और यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है।

दादरा और नागर हवेली क्षेत्र में किसान राहत कार्य

7096. **श्री रामू भाई पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान राहत कार्य में लोगों की सहायता करने के लिए दादरा और नागर हवेली क्षेत्रों में क्या अतिरिक्त उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : दादर और नागर हवेली के प्रशासन ने सूचित किया है कि निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(1) फसल के जायजे के आधार पर आठ गावों में पूरे और 25 गावों में आधे भूमि के लगान और अन्य सरकारी बकायों की वसूली को स्थगित कर दिया गया है;

(2) हालांकि जनवरी तक ग्रामीण जनता के लिए सामान्यतया पर्याप्त रोजगार उपलब्ध थे, उसके बाद भी भारी संख्या में कार्य खोले गये हैं;

(3) पेयजल की किसी सम्भावी कमी का मुकाबला करने के लिए कुओं की बोरिंग और विस्फोट और नलकूप खोदने का कार्य शुरू किया गया है। जहां कहीं आवश्यक है वहां ट्रकों द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है।

(4) प्रदेश के प्रमुख नागरिकों द्वारा एक स्वयंसेवी राहत समिति गठित की गई है जो प्रशासन की सहायता से पहली मई, 1973 से खाद्यान्नों के वितरण का कार्य शुरू करने का विचार रखती है; इसके अलांवा प्रशासन ने ऋण पर अनाज वितरित करने का कार्य शुरू किया है।

दादरा और नगर हवेली, गोवा में भूमि सुधार अधिनियम

7097. **श्री रामू भाई पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नगर हवेली, गोवा में भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ ; और

(ख) इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : दादरा और नगर हवली भूमि सुधार विनियम, 1971, 8 दिसम्बर, 1971 को लागू किया गया था। गोवा, दमन तथा दीव कृषि काश्तकारी अधिनियम, 1964, 8 फरवरी, 1965 को लागू किया गया था। इसमें काश्कारों को अस्थायी सुरक्षा प्रदान करने और किसी काश्तकार द्वारा दिया जाने वाला अधिकतम लगान नियत किया गया है। दादरा और नगर हवेली के लिए विनियम और गोवा, दमन तथा दीव के लिए काश्तकारी कानून में संशोधन करने का मामला विचाराधीन है।

अनाज का रक्षित भण्डार और फसल पद्धति का पुनर्गठन

7098. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनाज का काफी बड़ा रक्षित भण्डार बनाने और फसल पद्धति के पुनर्गठन करने सम्बन्धी नीति पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष मार्च में कृषि अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी सगोष्ठी में जिन विषयों पर चर्चा की गई थी ; उनमें से यह भी एक था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : चौथी योजना की शेष अवधि के लिए बफर स्टाक की मात्रा 50 लाख मी० टन से बढ़ाकर 70 लाख मी० टन करने के बारे में निर्णय लिया जा चुका है। लम्बी अवधि तक सूखे की स्थिति रहने के कारण एक व्यापक आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि गेहूं, रबी-ज्वार, ग्रीष्मकालीन चावल के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाया जा सके और पैकेज प्रणाली अपनाकर चने का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस वर्ष मार्च में कृषि अनुसंधान और विकास पर हुयी राष्ट्रीय गोष्टी में अन्य बातों के साथ-साथ फसल प्रतिमान को फिर से तैयार करने और प्रत्येक राज्य में प्रमुख फसलों के बीजों का बफर स्टाक बनाने पर भी चर्चा हुयी थी ताकि खराब मौसम के कारण फसल न होने की स्थिति में बीज सुलभ किये जा सकें।

Discontinuation of Grants to Birla Higher Secondary School, Delhi

7099. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have discontinued the grants being given to the Birla Higher Secondary School in Delhi ; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Education, Social Welfare & Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b): According to the information furnished by Delhi Administration, the grants being given to the Birla Higher Secondary School have been discontinued, since the School management have not complied with the Departmnetal instructions and rules of grants-in-aid.

Implementation of Recommendations of National Commission on Agriculture

7100. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the date on which the National Commission on Agriculture was constituted;

(b) the recommendations of the Commission in respect of which implementation work has since been started; and

(c) the total expenditure incurred on the Commission so far?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) The National Commission on Agriculture was set up *vide* Department of Agriculture Resolution No.25-13/68-Genl. Goord. dated the 29th August, 1970. The work of the Commission was inaugurated by the President of India on 16-10-1970.

(b) The National Commission on Agriculture has so far submitted the following 14 Interim Reports:—

1. Multiplication and distribution of quality seeds pertaining to high-yielding varieties and hybrids of cereals.
2. Fertiliser distribution.
3. Some aspects of Agricultural Research, Extension and Training.
4. Credit services for Small and Marginal Farmers and Agricultural Labourers.

शाहदरा में मेडिकल कालेज स्थापित करना

7101. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शाहदरा में मेडिकल कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इस को लगभग किस तारीख तक स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) और (ख): जी हां। एक मेडिकल कालेज 1971 से पहले ही चल रहा है। इस समय यह कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय से परिसर में स्थित है।

गेहूं लाने ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाने का औचित्य

7102. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं के लाने ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का क्या औचित्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पहले ही अन्तर-क्षेत्रीय गेहूं और गेहूंपदार्थ (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 लागू कर गेहूं का एकल राज्य क्षेत्र बना दिया है। गेहूं एकल राज्य क्षेत्र बनाना योजना की बातों में से एक महत्वपूर्ण बात है जिससे चालू मौसम से विशेषतया गेहूं के थोक व्यापार को लेने संबंधी निर्णय के सन्दर्भ में सरकारी एजन्सियों द्वारा गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए अनुकूल वातावरण पैदा होगा।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों को खराब घोषित करने की दर

7103. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम कम अंकुरण शक्ति क्षीणता, और कम क्षमता के कारण प्रति वर्ष बीजों को खराब घोषित करता है, और गत तीन वर्षों में वर्षवार, खराब बताये गये बीजों के आंकड़े और उनका मूल्य क्या है;

(ख) क्या इनके खराब होने के लिए किसी कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के किस्म नियंत्रण विंग का किसी उपयुक्त तकनीकी अधिकारी को अध्यक्ष बनाने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में बीजों को खराब होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) आयु, अधिक समय तक गोदाम में रहने, परिवहन, संभालने, तापमान तथा नमी आदि कुछ कारणों से बीज अधिक संवेदनशील हो जाते हैं उनकी अंकुण क्षमता समाप्त हो जाती है। बीजों का उचित स्तर कायम रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय बीज निगम निम्नस्तर के बीजों को खराब शोषित करता रहा है। गत तीन वर्षों में खराब घोषित किये बीजों में मूल्य का ब्यौरा अनुबंध 'क' में दिया गया। शक्ति तथा अंकुरण विहीन सिद्ध होने पर राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न बिक्री केन्द्रों में बीज दूषण समिति द्वारा निरीक्षण करने के बाद बीजों को खराब घोषित किया जाता है और आवश्यकतानुसार सही कार्यवाही की जाती है।

(ग) किस्म नियंत्रण विंग एक योग्य तकनीकी अधिकारी की देखरेख में कार्य करता है फिर भी किस्म नियंत्रण को उत्पादन प्रभाग से अलग करके अनुसंधान विकास तथा किस्म नियंत्रण से सम्बद्ध एक तकनीकी अधिकारी के अधीन करने का विचार है।

(घ) बीजों के उत्पादन में किस्म नियंत्रण उपाय, उचित भण्डारण प्रबन्ध, प्रबन्ध नियंत्रण तथा उत्पादन एवं मांग में सह संबंध आदि उपाय अपनाने से भविष्य में बीजों का खराब होना बहुत कम हो जायेगा।

अनुबन्ध ए।

विवरण

(लाख रुपयों में)

वर्ष	फालतू स्टाक में से खराब घोषित किये गये बीजों का मूल्य*	अन्य खराब बीजों का मूल्य	खराब बीजों की कुल कीमत	बीजों का टर्नओवर	टर्नओवर फालतू स्टाक में से खराब बीजों की प्रतिशतता	टर्नओवर व अन्य बीजों में से खराब बीजों की प्रतिशतता
1969-70	2.32	13.84	16.16	296.38	.78	4.66
1970-71	8.51	8.42	16.93	403.26	2.11	2.09
1971-72	59.88	8.90	68.78	466.14	12.85	1.91

*निगम के पास 95 लाख रु० के मूल्य का संकर किस्मों के बीजों का नाकारा स्टाक मौजूद था जो राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि में आवश्यकता से फालतू लगाया गया था, वह उपयोग न होने के कारण खराब हो गया था। बीज की अंकुरण क्षमता समाप्त होने पर 1969-70 से 1971-72 की अवधि में नाकारा धोषित कर दिया गया था।

दिल्ली में रिहायशी सम्पत्ति का दुरुपयोग

7104. श्री शशि भूषण :

श्री एम० एम० जोंजफ़ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली में वर्षवार, रिहायशी सम्पत्ति के वाणिज्यिक तथा अन्य गैर-रिहायशी प्रयोजनों हेतु दुरुपयोग के लिए कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया;

(ख) क्या ऐसे उल्लंघनों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है और व्यक्तियों के एक दल को इस सम्बन्ध में घर-घर भेजा गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उल्लंघनों का पता लगाने के लिए ऐसा एक दल घर-घर भेजने का प्रस्ताव है क्योंकि दिल्ली नगर क्षेत्र में ये उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 2,169 मामलों में मुकदमें चलाए गए हैं। वर्षवार स्थिति इस प्रकार है:—

वर्ष	मामलों की संख्या
1970-71	200
1971-72	400
1972-73	1569

(ख) घर-घर का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, खास-खास क्षेत्रों की सख्त निगरानी की जा रही है।

निम्न आय वर्ग अथवा मध्य आय वर्ग में फ्लैटों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकरण

7105. **श्री शशि भूषण:** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मध्य आय वर्ग अथवा निम्न आय वर्ग में निर्मित फ्लेटों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपने नाम पंजीकृत करवाये हैं, फ्लैटों के लिए आवेदन पत्र भेजते समय अपनी मर्जी की मंजिल का उल्लेख नहीं कर सकते और दिल्ली विकास प्राधिकरण उनको अपनी इच्छानुसार कोई भी मंजिल आवंटित कर सकता है और उनको जो मंजिल आवंटित की जाती है उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और क्या भविष्य में इन लोगों को अपनी मर्जी की मंजिल बतानी होगी और यदि उन्हें उनकी मर्जी का फ्लैट न मिले तो उन्हें कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी; और

(ग) यदि कोई व्यक्ति किसी मंजिल विशेष को स्वीकार नहीं करता है जहां वह किन्ही कारणों से नहीं रहना चाहता, तो क्या उसको कोई नुकसान उठाना पड़ता है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां। कोई विकल्प नहीं दिया जाता है। आवंटित की जाने वाली मंजिल का निर्णय पर्ची निकाल कर किया जाता है।

(ख) सभी मंजिलों पर फ्लैटों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए तथा पंजीकृत व्यक्तियों में किसी प्रकार के भेदभाव से बचने के लिए पर्ची निकाल कर आवंटन करने के तरीके को अपेक्षाकृत बेहतर तरीका माना गया है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस मामले पर पुनः विचार करने को कहा जायगा।

(ग) यदि कोई व्यक्ति पर्ची निकलने के बाद आवंटन रद्द करने के लिए अनुरोध करता है तो उसे निर्धारित जुर्माना देना पड़ता है जो इस समय मध्यम आय वर्ग के मामले में 300/- रुपये है तथा निम्न आय वर्ग के फ्लैटों के मामले में 125 रुपय से 225 रुपये तक है।

रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 11 में कोयला डिपो का आवंटन

7106. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 11 में सरकारी क्वार्टरों के बीच उद्यान (लान) में एक डिपो का आवंटन किया गया है; और यदि हां, तो ऐसे स्थान पर कोयला डिपो आवंटित करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस आशय के कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें उपरोक्त डिपो को स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उस क्षेत्र के क्वार्टरों के निवासियों की असुविधा दूर करने के विचार से उस कोयला डिपो को वहां से कब तक हटाया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) डिपो होल्डर को भूमि रक्षा मंत्रालय द्वारा 1963 में इस गलत धारणा के अन्तर्गत आवंटित की गई थी कि सम्पदा निदेशालय द्वारा उनको सौंपे गए डिफेन्स होस्टल की खुली भूमि, जिसमें टाइप IV के 124 फ्लेट तथा टाइप I के 56 क्वार्टर हैं, विभिन्न कारोबारों के संचालन के लिए उन द्वारा लाइसेंस पर दी जा सकती है।

तथापि, जब उनको यह बताया गया कि उस क्षेत्र को खुली भूमि रक्षा मंत्रालय के पूल का हिस्सा नहीं है तो यह लाइसेंस 1-9-1965 से रद्द कर दिया गया । तथापि, पहले आवंटी ने स्थल को अभी तक खाली नहीं किया है। कोयले के डिपो के स्थानान्तरण के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अनधिकृत डिपो मालिक के विरुद्ध लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही शीघ्र ही आरम्भ की जायेगी। चूंकि कानून के अन्तर्गत बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद ही बेदखली की जा सकती है, अतः कोयले के डिपो की बेदखली के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

अपने दर्जे से एक दर्जा कम के क्वार्टर प्राप्त सरकारी कर्मचारी

7107. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, जो टाइप III, IV और V के अधिकारी हैं, अपने दर्जे से एक या दो दर्जे कम के क्वार्टरों में रह रहे हैं;

(ख) 31 मार्च, 1973 को ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष उपाय करने का विचार है कि निचले दर्जे के क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों को उनके अपने दर्जे के क्वार्टर अलाट किए जायें ताकि निचले दर्जे के प्रतीक्षार्थियों के लिए स्थान खाली हो सकें और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां।

(ख) 31-3-73 को जो अधिकारी अपने पात्र टाइप से निचले टाइपों के वास के दखल में हैं. उनकी संख्या निम्नलिखित है:—

टाईप	नीचे के टाइपों में दखल में रखे हुए वास की टाईप		
	टाईप IV	टाईप III	टाईप II
V	2,127	501	—
IV	—	1,823	1,474
III	—	—	5,193

(ग) सामान्य पूल से वास का आबंटन पात्र कर्मचारियों को उनकी परिलब्धियों तथा उनकी प्राथमिकता की तारीख के आधार पर किया जाता है । आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो नीचे टाइप के वास को रखना चाहते हैं वे बिना किसी जुर्माने के ऐसा कर सकते हैं। बशर्ते कि उन्होंने ऐसा विकल्प अपने आवेदन-पत्रों में दिया हुआ है। उनमें से कुछ को जो काफी वरिष्ठ थे, उनके पात्र टाइप के वास उनकी बारी आने पर पेश किए गए थे। कुछ ने ऐसे आवंटन स्वीकार कर लिए और कुछ ने अस्वीकार कर दिए।

कुछ मामलों में निचले टाइपों के आवंटन तब किए गए थे जब कर्मचारी उन टाइपों के पात्र थे, और तत्पश्चात् ऊंचे टाइपों के पात्र बन गए।

सुन्दरगढ़ को राष्ट्रीय राजपथ के साथ मिलाना

7108. **श्री गदाधर साहा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब डिवीजनल मुख्यालय वरयगढ़ के साथ लगने वाले सुन्दरगढ़ जिले को एक राष्ट्रीय राजपथ के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में 8 मार्च, 1972 को राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 के रूप में एक नया मार्ग शामिल किया गया है जो कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 32 पर चास से उड़ीसा में वुकारो, रांची तथा रूरकेला से होता हुआ तालचर के दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग से 42 से जा मिलता है। उड़ीसा में, स्थित इस मार्ग के भाग के लिए उड़ीसा सरकार ने वोनायगढ़ से होते हुये (प्रश्न में उल्लिखित बारामगढ़ की बजाय) अपनाए जाने वाले मार्ग संरेखन का प्रस्ताव भेजा है। वोनायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ेगा या नहीं, यह बिल्कुल ठीक तभी बताया जा सकता है, जबकि विभिन्न विकल्पों की विस्तृत जांच, जो भारत सरकार द्वारा पहले ही की जा रही है, के पश्चात् इसका संरेखन तय किया जाये ।

पुरी के श्री जगन्नाथ मन्दिर की मरम्मत

7109. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री जगन्नाथ मन्दिर, पुरी की मरम्मत के बारे में 5 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1977 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करग कि क्या सरकार ने उड़ीसा में पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मन्दिर के मरम्मत कार्य के लिये धन देने के बारे में और मन्दिर की दखभाल करने के लिये एक पुरातत्वीय शाखा स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मंदिर के परिरक्षण के प्रश्न की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है। उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही मरम्मत कार्य के लिए आर्थिक सहायता देने के बारे में अंतिम निर्णय किया जाएगा।

पारादीप में शिपयार्ड बनाने हेतु समिति की नियुक्ति

7110. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप उड़ीसा में शिपयार्ड की स्थापना संबंधी ब्यौरे की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की है, और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके कृत्य क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

भुवनेश्वर स्थित भौतिक विज्ञान संस्थान

7111. **श्री अर्जुन सेठी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** भुवनेश्वर स्थित भौतिक विज्ञान संस्थान के बारे में 23 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5748 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में प्रस्तावित भौतिक विज्ञान संस्था ने इस बीच कार्य शुरु कर दिया है, और

(ख) यदि नहीं तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार भुवनेश्वर स्थित भौतिकी संस्थान ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सिविल सर्विस (आचरण) नियम, 1964 को लागू किया जाना।

7112. **श्री मोहन राज : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सर्विस (आचरण) नियम, 1964 दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों पर लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी सूचना कर्मचारियों को कब दी गई थी ;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की ओर से 1972 में इन नियमों के उल्लंघन के कोई मामले ध्यान में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना कृषि मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ सरकारी कार्यालय है और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों की भांति दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों की भी इस तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और अन्य केन्द्रीय सेवा नियम और विनियम उन पर लागू होते हैं। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों को विशिष्ट रूप से अधिसूचित नहीं की गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) जिन व्यक्तियों ने इन नियमों का उल्लंघन किया था, उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 के अधीन पहले ही आरोप पत्र दे दिये गय हैं और उन मामलों में आगे जांच पड़ताल की जायगी।

राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भूमि सुधार अधिनियम

7113. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के पास कुछ भूमि सुधार अधिनियम अनुमति के लिए लम्बित पड़े हैं जो कि उनको राज्य द्वारा अनुमति के लिए भेजे गये थे :

(ख) यदि हां, तो ये किन राज्यों द्वारा भेजे गये थे तथा वे किस तारीख को प्राप्त हुए थे ;

(ग) इन अधिनियमों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियमों के राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अभी तक नहीं भेजा है और किन राज्यों के अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियमों पर अनुमति दे दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित विधेयक क्रमशः 24-8-73, 18-9-72 और 27-12-72 को प्राप्त हुए थे।

(ग) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी—4801/73]

(घ) गुजरात, मणिपुर, मैसूर, त्रिपुरा और उड़ीसा में विधेयक विधान मंडलों के विचाराधीन हैं और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने का अभी समय नहीं आया। असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के विधान मंडलों द्वारा पारित भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनके अलावा, जम्मू तथा कश्मीर विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने से यह अधिनियम बन गया है।

अनुपयोगी अमरीकी पशु भारत को दिये जाना

7114. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1973 के 'बिलट्ज' में "रिजेक्टिड यू० एम० कैटल डम्प्ड आल इण्डिया (अनुपयोगी अमरीकी पशु भारत को दिये जाना)" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 24 मार्च, 1973 के 'बिलट्ज' में दिए गए तथ्य या तो ठीक नहीं हैं या उन्हें अनेक पहलुओं से बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है। उदाहरणतया यह ठीक नहीं है कि गत दशाब्दी में अमेरिकन प्रतिष्ठान और एजेन्सियों ने भारत को 10,000 पशु दिए थे। वर्ष 1961 से 31 मार्च, 1973 तक विदेशी सरकारों/एजेन्सियों से सहायता के रूप में कुल 2,593 विदेशी पशु प्राप्त हुए थे। इनमें से केवल 665 पशु अमरीका की ओसर परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए थे। शेष पशु आस्ट्रेलिया, (अधिकांशतः कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत) ब्रिटेन, डेनमार्क और श्रीलंका से प्राप्त हुए थे। यह कहना ठीक नहीं है कि आयातित 10 प्रतिशत

विदेशी पशु और उनकी सन्तति मर चुकी है। यह कहना भी सही नहीं है कि हेस्सरघाट प्रजनन फार्म को ले जाते हुए 60 पशुओं में से 35 पशु मार्ग में मर गए। हेस्सरघाट फार्म तक पशु पहुंचाने में अब तक किसी विदेशी पशु की मृत्यु नहीं हुई है। यह भी ठीक नहीं है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने खुर और मुंहपक्का रोगों के लिए वैक्सीन उत्पादन की दिशा में बहुत कम कार्य किया है या खराब परिस्थितियों के कारण अनेक भारतीय विशेषज्ञों ने इस संस्थान को छोड़ दिया है। सही स्थिति यह है कि संस्थान खुर और मुंहपक्का रोगों के अनुसंधान और इस रोग के लिए वैक्सीन बनाने की दिशा में पूर्ण रूप से दिलचस्पी ले रहा है। 'टिशू कल्चर' तकनीक के प्रयोग से संस्थान ने क्षेत्र प्रयोग के लिए बड़ी मात्रा में एक संयोगी वैक्सीन तैयार की है। इसका उत्पादन 1965-66 में 13,495 था जो बढ़कर 1972 में 4,81,255 तक जा पहुंचा। इसके अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों ने प्रोन्नति पर अच्छा कार्य मिलने पर संस्थान को छोड़ दिया।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि आयातित 123 दुग्ध विधायन संयंत्रों में से 5 प्रतिशत संयंत्र की अपनी निर्धारित क्षमता का 5 प्रतिशत कार्य भी नहीं कर रहे हैं। फरवरी, 1973 में चल रही 132 एककों में 77 तरल दुग्ध संयंत्र, 11 दुग्ध उत्पाद कारखाने और 44 मिल्क पायलट यूनिटें शामिल हैं। पायलट यूनिटों की कोई निर्धारित क्षमता नहीं है। शेष 88 डेरी संयंत्रों में से 48 संयंत्र अपनी दुग्ध विधायन क्षमता के 40 प्रतिशत से अधिक दुग्ध सम्भालते हैं। कुछ संयंत्रों ने तो अपनी निर्धारित क्षमता से भी अधिक कार्य किया है।

घटिया और रोगी विदेशी पशुओं के कथित आयात के संबंध में यद्यपि प्रारम्भिक पूर्ति के लिए कोई उत्पादन मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं और कुछ आयातित पशुओं की वंशावली उपलब्ध नहीं थी, परन्तु समस्त आयातित पशु पशुधन आयात अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य मानकों पर पूरे उतरे हैं। सरकार ने निर्धारित न्यूनतम मानकों और स्वास्थ्य के अनुरूप 'ग्लोबल टेंडर' के आधार पर भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा के माध्यम से बढ़िया पशु खरीदने शुरू कर दिए हैं। इस प्रकार खरीदे गए 751 पशुओं में से अमरीका से 113 पशुओं और डेनमार्क से 202 पशुओं के परिवहन का कार्य एयर इण्डिया इण्टरनेशनल को सौंपा गया था।

नगर तथा ग्राम योजना संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन

7115. **श्री वेंरके जार्ज :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय उच्च श्रेणी लिपिकों/निम्न श्रेणी लिपिकों को, जो नगर तथा ग्राम योजना संगठन (निर्माण और आवास मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय) में 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं, प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) नौकरी में आने वालों को काडर की संरचना के आधार पर पदोन्नति की संभावनाओं का ज्ञान होता है। उच्च श्रेणी लिपिक हैड क्लर्क के पद पर तथा निम्न श्रेणी लिपिक उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

मन्दिर मार्ग के सेक्टर डी टाइप II क्वार्टरों का मार्गदर्शी मानचित्र लगाया जाना

7116. **श्री वरके जार्ज :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के सेक्टर डी टाइप II क्वार्टरों का मार्गदर्शी मानचित्र इस बीच तैयार कर लिया गया है और कालोनी में लगा दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसको कब तक लगाया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) अभी नहीं।

(ख) मई, 1973 तक मार्ग-दर्शक नक्शे की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

राजधानी में जल पूर्ति बढ़ाना

7117. **श्री वरके जार्ज :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में और विशेषकर नई दिल्ली तथा अन्य क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले साल पानी की सप्लाई 1750 लाख गैलन प्रतिदिन थी। जून, 1973 तक सप्लाई के 1900 लाख गैलन प्रतिदिन तक तथा 1974 के अन्त तक 2030 लाख गैलन प्रतिदिन तक बढ़ कर हो जाने की आशा है, इसमें ओखला वाटर वर्क्स से की जाने वाली सप्लाई शामिल है। 1976 तक सप्लाई को और 1000 लाख गैलन प्रतिदिन बढ़ाने का प्रस्ताव है। उठाये गये कदमों/आरंभ किये गये कार्यों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

विवरण

दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल सप्लाई तथा मल-जल निपटान उपक्रम से प्राप्त सूचना के अनुसार राजधानी में पानी की सप्लाई को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. चालू वर्ष से निम्नलिखित स्रोतों से निम्नलिखित अतिरिक्त सप्लाई उपलब्ध होगी :—

(क) वजीराबाद वाटर प्लांट	50 लाख गैलन प्रतिदिन (जिसको अति-भारित करके अतिरिक्त 25 लाख गैलन प्रतिदिन लिया जा सकता है)।
(ख) 3 रैनेय वेलज़ से पानी की सप्लाई	75 लाख गैलन प्रतिदिन।

2. चालू वर्ष में आरम्भ किए गए निर्माण-कार्य निम्नलिखित हैं :—

(i) वजीराबाद से राजघाट तक 900 मि० मी० का मुख्य पाईप बिछाना। निर्माण-कार्य का 97% पूर्ण हो चुका है तथा लाईन के मई, 1973 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है। यह लाईन 100 लाख गैलन पानी प्रतिदिन ले जायेगी तथा कुछ सीमा तक शहरी क्षेत्र में सहायक होगी।

(ii) पटपड़गंज में दो रैनेय वेल्ज़ निर्माणाधीन हैं। इस कार्य के मई, 1973 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। दक्षिण दिल्ली के क्षेत्रों की पूर्ति करने के लिये इन कुओं से कैलाश रेज़-वायर को 50 लाख गैलन प्रतिदिन की अतिरिक्त सप्लाई उपलब्ध होगी।

(iii) दबाव को बढ़ाने के लिये कैलाश टंकी में एक नया पम्पिग स्टेशन स्थापित किया गया है। दो रैनेय वेल्ज को जोड़ने वाला 800 मि० मी० पी० एस० सी० मुख्य पाईप बिछाया जा रहा है। कार्य का 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

(iv) वैरन रोड से लोधी होटल तक 900 मि० मी० का एक मुख्य पाईप पूर्ण हो गया है। इस मुख्य पाईप के चालू हो जाने से दक्षिण दिल्ली को लगभग 10 लाख गैलन प्रतिदिन पानी की अतिरिक्त सप्लाई करना सम्भव हो सकेगा।

3. टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई करने के लिये आपातकालीन प्रबन्ध किए गए हैं तथा सभी क्षेत्रों में नियन्त्रण कक्ष विद्यमान हैं।

4. भावी संवर्धन के लिये मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. उत्तर पश्चिम दिल्ली के लिए 1000 लाख गैलन प्रतिदिन का संयंत्र :

उत्तर पश्चिम दिल्ली के लिए 1000 लाख गैलन प्रतिदिन का एक संयंत्र लगाने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है। भूमि अर्जित कर ली गई है। संयंत्र को स्थापित करने हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई है। पश्चिम यमुना नहर को पक्का करने का कार्य हरियाणा सरकार के माध्यम से करवाया जा रहा है।

2. रामलीला रेजरवायर :

टंकी पूर्ण हो गई है। पम्प लगाने पड़ेंगे जिसके लिए निविदाएं आमन्त्रित की गई है।

3. राजौरी गार्डन टंकी (रेजरवायर)

राजौरी गार्डन में एक भूमिगत जलाशय तथा पम्प हाउस का निर्माण किया जा रहा है। कार्य लगभग पूर्ण होने को है। यांत्रिक तथा बिजली के कार्यों पर और एक वर्ष लगाने की आशा है।

4. पटपड़गंज में अतिरिक्त चार रैनेय वेल्ज़ का निर्माण

पटपड़गंज, शाहदरा के निकट 4 रैनेय वैलज के निर्माण का प्रस्ताव है। तीन कुओं पर कार्य आरम्भ हो गया है। इन कुओं के 1974 की ग्रीष्म तक पूर्ण हो जाने की तथा पानी की सप्लाई 100 लाख गैलन प्रतिदिन और बढ़ने की आशा है

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, मोती नगर, नई दिल्ली

7118. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोती नगर, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में डाक्टरों को अत्यधिक रोगियों को देखना पड़ता है;

(ख) क्या उपरोक्त औषधालय के वर्तमान भवन में इतने अधिक रोगियों, डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों के ठहरने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त औषधालय को किसी अच्छे स्थान पर ले जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) 1972 में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय, मोती नगर में रोगियों की दैनिक उपस्थिति औसतन 415 थी। इसमें पुराने तथा नये दोनों प्रकार के रोगी शामिल हैं। इस औषधालय में कार्यप्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत चार चिकित्सा अधिकारी हैं। इसलिए यहां पर नियुक्त डाक्टरों की संख्या पर्याप्त है।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय, मोतीनगर को एक किराये के मकान में खोला गया है। वैसे, न तो लाभार्थियों से और न ही इस औषधालय में नियुक्त कर्मचारियों से यहां पर स्थान की कमी के बारे में कोई शिकायत मिली है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, इसका अपना भवन बनाने के लिए सरकार भूमि का एक प्लाट लेने के लिए प्रयत्नशील है।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में सड़कों पर बिजली लगाना

7119. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के मंदिर मार्ग (सरकारी क्वार्टरों) में सड़कों पर बिजली लगाने का काम इस बीच पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा;

(ग) क्या सैक्टर डी में टाइप II और III के क्वार्टरों में सड़कों पर जो बिजली लगाई जा रही है, वह योजनाबद्ध तरीके से नहीं लगाई जा रही है और वह मितव्ययी भी नहीं है; और

(घ) उसको ठीक प्रकार से लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) मई, 1973 तक।

(ग) जी, नहीं। इनकी आयोजना नई दिल्ली नगरपालिका की स्थायी विशिष्टियों तथा डिजाइन के अनुसार की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वसूली के अन्तर्गत समूचे चीनी उत्पादन को अपने नियंत्रण में लेना तथा उसका बफर स्टाक बनाना

7120. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को कम करने तथा नियंत्रित वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अधिक चीनी उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार वसूली के अन्तर्गत चीनी के समूचे उत्पादन को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो एक बफर स्टाक बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या अन्य कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) फिलहाल सारे चीनी उत्पादन को लेवी के अन्तर्गत लाने का कोई विचार नहीं है।

(ख) चीनी की पैदावार में उत्तरोत्तर वृद्धि करने से ही केवल खुले बाजार की चीनी के मूल्यों में बढ़ोत्तरी को रोकना और चीनी का बफर स्टाक बनाना सम्भव हो सकेगा। आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति और चीनी का अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादन शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन देने से इस वर्ष चीनी की पैदावार में पांच लाख मीटरी टन से भी अधिक वृद्धि करने में मदद मिली है। इसके अलावा, नये लाइसेंसशुदा चीनी कारखानों को यथासम्भव तेजी से चालू करने और दोनों मात्रावार तथा किस्मवार दृष्टि से गन्ने का विकास करने के बारे में प्रयत्न किए जा रहे हैं।

आपात खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को निबतन

7121. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य-वार कुल कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) राज्य-वार उसका किस हद तक उपयोग किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1972-73 के चालू वर्ष के दौरान आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष लघु सिंचाई योजनायें प्रारम्भ करने के लिए राज्यों के लिए प्रशासकीय रूप से स्वीकृत की गई 152 करोड़ रुपए की कुल राशि में से उनके द्वारा सूचित की गई प्रगति के आधार पर उन्हें किस्तों के रूप में समय-समय पर धनराशि निर्मुक्त की गई थी। हाल ही में आपात कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि के उपयोग और वास्तविक उपलब्धियों की प्रगति की संवीक्षा के आधार पर समस्त राज्यों को अन्तिम किस्त दे दी गई है। अब तक 148 करोड़ रुपये से कुछ अधिक रकम दी जा चुकी है। प्रशासकीय रूप से स्वीकृत और निर्मुक्त की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक और कीटनाशी आदि कृषि आदानों के क्रय और वितरण के लिए राज्य सरकारों को लगभग 100 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण भी प्रदान किए गए थे। सूचित किया गया है कि इन ऋणों का पूर्णतः उपयोग किया जा चुका है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये स्वीकृत और निर्मुक्त की गई धनराशि

(लाख रुपये)

राज्य का नाम	स्वीकृत ऋण	स्तम्भ 2 में दी गई राशि में से निर्मुक्त की गई रकम	निर्मुक्त किए गए अल्पकालीन ऋण
1. आन्ध्र प्रदेश	986.500	840.000	1350.00
2. असम	202.000*	202.000	250.00
3. बिहार	1772.782	1772.782	700.00
4. गुजरात	500.000	500.000	200.00
5. हरियाणा	1200.000	1200.000	10.00
6. हिमाचल प्रदेश	50.000	32.500	35.00
7. केरल	250.000	250.000	125.00
8. मध्य प्रदेश	581.000	581.000	600.00
9. महाराष्ट्र	2496.380	2496.380	1600.00
10. मणिपुर	57.700	38.275	40.00
11. मैसूर	638.900	529.988	200.00
12. नागालैण्ड	20.000	20.000	2.00
13. उड़ीसा	660.000	660.000	200.00
14. पंजाब	1472.000†	1472.000	कुछ नहीं
15. राजस्थान	390.700	389.200	400.00
16. तमिलनाडु	382.000††	299.000	350.00
17. त्रिपुरा	22.875	22.875	20.00
18. उत्तर प्रदेश	2075.000	2075.000	1550.00
19. पश्चिम बंगाल	1433.000	1433.000	600.00
सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत			1780.40
कुल	15190.837	14814.000	9992.40

अरुणाचल प्रदेश के लिये 6.75 लाख रुपये स्वीकृत किए गए और गृह मन्त्रालय से आग्रह किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश की "एरिया डिमाण्ड" में इस रकम की व्यवस्था की जाए।

मिज़ोरम के लिये 2 लाख रुपये स्वीकृत किए गए और गृह मन्त्रालय को प्रार्थना की गई थी कि मिज़ोरम की "एरिया डिमांड" में इस रकम की व्यवस्था की जाए।

*इसमें ट्रैक्टरों और गहाईयंत्र खरीदने के लिये 32.00 लाख रुपए की रकम भी शामिल है।

†इसमें सीमान्त ज़िलों में नलकूपों के लिये 197.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता भी शामिल है।

††इसमें फ़ुहारों के क्रय के लिये 20.00 लाख रुपए की रकम भी शामिल है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 और 7 के काम में प्रगति

7122. **श्री जे० जी० कदम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 और 7 को चौड़ा करने तथा उसको और पक्का करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) जनवरी, 1973 तक किलोमीटर में कितनी प्रगति हुई और उक्त कार्य कितने समय में पूरे हो जायेंगे; और

(ग) इस पर जनवरी, 1973 तक कितनी धनराशि व्यय की गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 6 और 7 को चौड़ा और एसफाल्ट करने की योजना को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल टी 4802/73]

(ख) जिस हद तक कार्य मंजूर किये गये हैं उक्त (क) के विवरण में सूचित किया गया है, स्वीकृत कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है । उनमें से कुछ पहले ही पूरे हो गये हैं । स्वीकृत कार्यों के मामलों में भौतिक प्रगति और योजना को पूरा करने के समय के बारे में सूचना विभिन्न संबंधित राज्यों से प्राप्त की जा रही है ।

(ग) जनवरी, 1973 तक व्यय की गई राशियों के बारे में सूचना भी संबंधित राज्यों से एकत्रित की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

फाइलेरिया के मामले

7123. **श्री जे० जी० कदम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, फाइलेरिया के मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) फाइलेरिया पर नियंत्रण करने तथा उसके उन्मूलन के लिये सरकार ने क्या पूर्वोपाय तथा उपचारी कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) फाइलेरिया एक अधिसूच्य रोग नहीं है । इसलिए इस रोग के सही राज्यवार आंकड़ों की जानकारी नहीं है । फिर भी, ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 80 लाख व्यक्तियों में इस रोग के स्पष्ट लक्षण हैं जबकि अन्य 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस रोग के प्रभावाधीन हैं । इस तरह देश में दो करोड़ व्यक्ति फाइलेरिया रोग से ग्रस्त हैं ।

(ख) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्रीय पोषित योजना बना दिया गया है । लार्वा रोधी कार्यों के लिए सामग्री और उपकरणों की मुफत सप्लाई के अलावा राज्यों को संचालन संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । चिकित्सा कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में फाइलेरिया रोगियों/वाहकों का पता लगाने और इलाज करने का कार्य भी किया जा रहा

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान में नगर आयुक्तों, जन स्वास्थ्य प्रशासकों को मच्छरों की उत्पत्ति, फाइलेरिया रोग को फैलाने में उनकी भूमिका और इस रोग की रोकथाम । नियंत्रण के मौजूदा उपायों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं ।

इस रोग को फैलने से रोकने के लिए नए और अधिक कारगर तरीकों का पता लगाने के विचार से राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा अनुसंधान भी किया जा रहा है । अभी तक वह स्थिति नहीं आई है कि इस रोग के उन्मूलन के लिए उपाय निकाले जा सकें ।

नवीनतम घटनाओं के बारे में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की रिपोर्ट

7124. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंत्री महोदय को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति से नवीनतम घटनाओं के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय को इस तथ्य के बारे में पता है कि बाहरी राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण विश्वविद्यालय शैक्षिक गतिविधियों को जारी नहीं रख सकता; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अशान्ति/स्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति/रजिस्ट्रार से समय समय पर रिपोर्ट मिलती रहती हैं । विद्यार्थियों के आन्दोलन तथा बाहरी कस्बों की वजह से चालू शैक्षिणिक सत्र के दौरान विश्वविद्यालय का कार्य अस्तव्यस्त हो गया है । विश्वविद्यालय के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि सभी महत्वपूर्ण आन्दोलनकारी विद्यार्थी नेता, विद्यार्थी परिषद/आर० एस०एस० तथा समाजवादी युवजन सभा से सम्बद्ध हैं और कुछ राजनैतिक दलों के नेता उनकी मदद करते रहे हैं ।

विश्वविद्यालय के परिसर में इस प्रकार की घटनाओं को सरकार गंभीर चिन्ता का विषय समझती है तथा हिंसा एवं गुंडागर्दी के ऐसे सभी कृत्यों की निन्दा करती है ।

राजा राम मोहन राय लाईब्रेरी फाउन्डेशन के सदस्य सचिव का पद

7125. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1972 में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन के शुरू होने के समय से लेकर अब तक सदस्य सचिव के पद के खाली पड़े रहने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या फाउंडेशन के कार्यालय को कलकत्ता ले जाने में असाधारण विलम्ब के कारण फाउंडेशन के रोजमर्रा के प्रशासन को चलाने हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के मिलने में कठिनाई हो रही है;

(ग) जुलाई, 1972 में फाउंडेशन कार्यालय के तीसरे तथा चौथे दर्जे के पदों के लिये कलकत्ता रोजगार कार्यालय के माध्यम से चुने गये व्यक्तियों की स्थिति क्या है;

(घ) सरकार की नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों के कुछ महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) फाउंडेशन के कार्यालय को कलकत्ता ले जाने में विलंब के क्या कारण हैं जब कि कलकत्ता के बैलवीडीयर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में उपयुक्त स्थान का प्रबंध कर लिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) क्योंकि योजना अभी पूरी तरह से लागू नहीं की गई है, अतः काफी लागत पर सदस्य सचिव के पद को भरना आवश्यक नहीं समझा गया है। फिलहाल, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का एक अधिकारी बिना किसी अतिरिक्त मानदेय के सदस्य सचिव का दिन प्रति दिन का कार्य कर रहा है ;

(ख) जी, नहीं । अभी तक निर्मित किए गए पद बिना किसी कठिनाई के भरे गए हैं । अभी तक भरे गए चार पदों में से तीन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यालयों के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ;

(ग) प्रतिष्ठान ने श्रेणी III के दो और श्रेणी IV के दो पदों का सृजन किया गया था और कलकत्ता रोजगार कार्यालय के जरिए इन पदों के लिए चयन किया गया था तथापि, प्रतिष्ठान के कार्यालय के कलकत्ता जाने के बाद ही चुने गए व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे ।

(घ) क्षेत्रीय अधिकारी का केवल एक पद, जिसका अभी हाल में सृजन किया गया है, रिक्त है और इसे शीघ्र भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ङ) प्रतिष्ठान के कार्यालय को अस्थायी तौर से दिल्ली में ही स्थित किया गया था क्योंकि अपने कार्य के शुरू के चरणों में प्रतिष्ठान ने यहां से कार्य करना उचित समझा । तथापि, निकट भविष्य में ही इसे कलकत्ता में स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव है ।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर मैसूर सरकार द्वारा असंतोष व्यक्त किया जाना

7126. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर असन्तोष व्यक्त किया है और केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि गेहूं तथा चावल का थोक व्यापार राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा ही किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्व कप फुटबाल प्रतियोगिता से नाम वापस लेना

7127. श्री डी० पी० चन्द्रगौडा :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व कप फुटबाल प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है जो कि 6 मई से 24 मई, 1973 तक तेहरान में त । जन-जुलाई, 1973 में म्यूनिख में होने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :(क) जी, हां ।

(ख) : देश में फुटबाल के घटिया स्तर को देखते हुए अखिल भारतीय खेल परिषद् ने भारत द्वारा एशियाई देशों के लिए एफ० आई० एफ० ए० विश्व कप प्रारंभिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी वित्तीय सहायता की सिफारिश नहीं की थी । इस विश्व कप में व्यवसायिक खिलाड़ी भाग ले सकते हैं और भारत के एशियाई जोनल राउंड में भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। तथापि, अखिल भारतीय फुटबाल संघ को सलाह दी गई थी कि यदि वह चाहे तो अपने खर्चे पर प्रतियोगिता में भाग ले सकता है । मुख्यतः भारतीय टीम की सफलता की कम संभावना और संभवतः धन की कमी के कारण संघ ने प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया ।

P.M.'s Suggestion Regarding Installation of Netaji Statue

7128. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Prime Minister has given some suggestions in regard to installation of the proposed statue of Netaji; and

(b) if so, the facts thereof and the time by which the statue would be ready and installed in accordance with these suggestions?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes.

(b) The models received from some sculptors by the Delhi Municipal Corporation were adjudged sub-standard. The Lt. Governor has been requested by P.M.'s Sectt. to take personal interest and to render assistance to the Corporation for organising a more widely publicised competition for a good design. The time of installation of the statue can be known only after a sculptor has been selected.

वनों को मानव निर्मित वनों में बदलना

7129. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनों को बड़े पैमाने पर मानव निर्मित वनों में [बदलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां। सरकार देश में मानव-निर्मित वनों को बढ़ाना चाहती है ।

(ख) सभी पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करके मानव निर्मित वनों का क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये गये हैं :--

1. शीघ्र बढ़ने वाली किस्मों के पेड़ों का रोपण ।

2. औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोगों के लिये आर्थिक दृष्टि से वन-रोपण

3. फार्म वानिकी ।

आशा है कि चौथी योजना के अन्तर्गत 16.2 लाख हैक्टर क्षेत्र मानव निर्मित वनों के अन्तर्गत लाया जायेगा । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी मानव निर्मित वनों का कार्यक्रम कई योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है और इस उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार संस्थागत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना की जांच की जा रही है ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत खराब दुग्धचूर्ण और घी की सप्लाई

7130. श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री राम कंवर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 18 मार्च, 1973 के "पैट्रियट" में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जो विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्लान आपरेशन प्रोजेक्ट संख्या 618 के अन्तर्गत निर्धन लोगों को खराब दुग्धचूर्ण और घी की सप्लाई के बारे में है ;

(ख) क्या उक्त खेप इतनी खराब थी कि उसमें से बदबू आ रही थी और जिसे दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध तैयार करने के काम में नहीं लाया जा सकता था ;

(ग) क्या ये वस्तुयें कृषि मंत्रालय की अनुमति से निरक्षर लोगों को बेच दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो इस अपराध के लिये कौन-कौन से व्यक्ति जिम्मेदार हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जुलाई, 1970 में परियोजना 618 की स्थापना के समय से 31 मार्च, 1973 तक इसके अन्तर्गत दिल्ली दुग्ध योजना को 7506 मीटरी टन स्प्रैटा दुग्ध चूर्ण और 2708 मीटरी टन बटर आयल प्राप्त हुआ था । इसमें से 9.46 मीटरी टन स्प्रैटा दुग्ध चूर्ण और 34.50 मीटरी टन बटर आयल को पुनः तरल दुध में परिवर्तित करने के लिए अनुपयुक्त पाया गया और इसे अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृत मात्रा में से 22.40 मीटरी टन बटर आयल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त पाया गया और वह एक अन्य विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना को दे दिया गया । शेष 9.46 मीटरी टन स्प्रैटा दुग्ध चूर्ण 12.10 मीटरी टन बटर आयल मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया ।

(ग) मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त कोई दुग्ध चूर्ण या बटर आयल कृषि मंत्रालय की अनुमति से निरक्षर लोगों को नहीं बेचा गया ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

अर्हता प्राप्त नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार देना

7131. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अर्हता प्राप्त नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) क्या विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में इन नेत्रहीन व्यक्तियों को, अर्हता होने हुए भी, प्राथमिकता नहीं दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

दलित सुधार एसोसियेशन, शेख सराय, दिल्ली की मांगें

7132. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलित सुधार एसोसियेशन, शेख सराय, दिल्ली ने केन्द्रीय सरकार से शेख सराय गांव अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये सुविधायें देने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वहां कौन सी सुविधायें दी गई हैं ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में एक समाज सदन और स्कूल खोलने के बारे में व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां । एसोसियेशन द्वारा ग्राम शेख सराय के सभी निवासियों, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सदस्य शामिल हैं, के लिये सुविधाओं की मांग की गई है ।

(ख) पानी की सप्लाई की लाईनें बिछा दी गई हैं नथा एक शौचालय खंड का निर्माण किया गया है । सीवर बिछाने का कार्य चल रहा है ।

(ग) पाठशालाओं तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिये भूमि की व्यवस्था कर दी गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंडियन रोड्स कांग्रेस से ज्ञापन

7133. **श्री एम० कताभुतु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रोड्स कांग्रेस ने हाल ही में सरकार को दिये गये एक ज्ञापन में सुझाव दिया है कि पांचवीं योजना की अवधि में सड़क परिवहन से 6300 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व का कम से कम आधा भाग सड़क विकास के लिए नियत किया जाना चाहिए. और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) और (ख) उक्त ज्ञापन के देते समय, इंडियन रोड्स कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने की इच्छा व्यक्त की ताकि वे अपने विचार व्यक्तिगत रूप से बता सकें। प्रतिनिधि मंडल तदनुसार 20 मार्च 1973 को मंत्री महोदय से मिला। ज्ञापन में बहुत सी बातें दी गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सड़क परिवहन से राजस्व को समुचित ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सड़क विकास के लिए अधिक नियतन की आवश्यकता भी शामिल है। इन्डियन रोड्स कांग्रेस के विचार नोट कर लिए गये हैं और मामला योजना आयोग के साथ उठाया गया है क्योंकि आयोग योजना नियतनों से संबंधित सभी मामलों से अन्ततोगत्वा संबंधित है।

पांचवी योजना के दौरान सड़क निर्माण कार्य के माध्यम से रोजगार देने की संभावना

7134. श्री एम० कतामुतु: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क निर्माण कार्य के अन्तर्गत बहुत से व्यक्तियों को रोजगार देने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना की अवधि के दौरान इस रोजगार देने की संभावना का उपयोग किस सीमा तक किया जायेगा,

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई विशिष्ट योजना बनाई गई है, और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : पांचवीं पंच वर्षीय योजना अभी तक प्रारंभिक चरणों में है और इसलिए उस योजना काल में सड़क निर्माण से उत्पन्न होने वाले संभावित रोजगार अवसरों की संभावनाओं को बताना संभव नहीं है परन्तु पांचवीं योजना में सड़क विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करने में सड़कों की रोजगार संभावनाओं का उचित ध्यान दिया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क निर्माण कार्य के मशीनीकरण की प्रगति

7135. श्री एम० कतामुतु: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़क निर्माण कार्य के मशीनीकरण की प्रगति बहुत धीमी है

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सड़क निर्माण कार्य के मशीनीकरण की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) और (ख) देश में सड़क निर्माण में यंत्रीकरण का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि एक ओर निर्माण विशिष्टियों की आवश्यकताओं और निष्पादन की गति के बीच अधिकतम संतुलन और दूसरी ओर राजमार्ग संबंधी

योजनाओं में काफी रोजगार अवसर जुटाने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया है । फिर भी यंत्रीकरण की प्रक्रिया को पहले उपकरण और फालतू पुर्जों की कुछ मदों के आयात और अब सीमित देशज उत्पादन क्षमता के कारण कुछ अभावों का सामना करना पड़ा है, जिसमें औद्योगिक विकास मंत्रालय अब धीरे धीरे तेजी ला रहा है । यांत्रिक संगठन में अपर्याप्ताओं और केन्द्रीय निर्माण कार्यों के लिए भी कार्यकारी अभिकरण के तौर पर उपकरण धारक राज्यों को मरम्मत संबंधी सुविधाओं की समस्याओं का सामना और निपटान किया जा रहा है ।

(ग) विश्व बैंक ऋणों, संकट कालीन कार्यों आदि से वित्तीय सहायता प्राप्त कुछ परियोजनाओं में 1961 के बाद से मशीनरी सर्वप्रथम ठोस इस्तेमाल किया गया । भारी यातायात और चौथी तथा पांचवीं योजनाओं में निर्धारित सड़क निर्माण के एक काफी बड़े कार्यक्रम की पूर्ति की आवश्यकता के फलस्वरुप उस समय निर्मित सड़क निर्माण उपकरण के बेड़े में वृद्धि करने और मशीनरी के अधिक प्रयोग का प्रस्ताव किया गया है । केन्द्रीय सरकार लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत के सड़क निर्माण उपकरण की महत्वपूर्ण मदों की खरीद की व्यवस्था कर रही है । केन्द्रीय सरकार राज्यों को जोकि कार्यकारी अभिकरण है, इस मशीनरी की व्यवस्था के अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र में सड़क निर्माण परिचालनों के यंत्रीकरण हेतु उपकरण प्राप्त करने के लिए राज्यों के लिए प्रतिदेय ऋणों की भी व्यवस्था कर रही है । ग्यारह राज्यों को अभी तक कुल 7.65 करोड़ रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं । केन्द्रीय राजमार्ग क्षेत्र सड़क निर्माण परिचालनों में बढ़ते हुए यंत्रीकरण के फलस्वरुप, राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों की भी धीरे धीरे बढ़ने की आशा है ।

पांचवीं योजना अवधि में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये योजनायें

7136. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना अवधि में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास संबंधी योजनाओं को अन्तिम रुप दे दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) योजनाओं पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Request for Central Aid from Bihar for Production of Garma Paddy

7137. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have formulated a scheme for increasing the production of Garma Paddy during the current year ;

(b) if so, the outlines thereof;

(c) whether the State Government have sought certain assistance from the Central Government for implementing the said scheme; and

(d) if so, the nature thereof and Government reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) to (d) No such scheme has been received from the Government of Bihar. The Government of Bihar have not sought from the Government of India any specific assistance for the programme for production of Garma Paddy in the State. However, under the Emergency Agril. Production Programme for increasing the production of rabi as well as summer crops during the current agriculture year, a total long-term loan assistance of Rs. 17.73 crores has been given to the State Government for undertaking special minor irrigation programmes. Besides, a short-term loan assistance of Rs. 7 crores has also been released to the State Government for purchase and distribution of agricultural inputs like seeds fertilizers and pesticides. The target agreed to by the State Government for summer rice was 24 lakhs hectares.

Assistance for Development of Roads in Bihar During Fifth Five Year Plan

7138. Shri Ram Avatar Shashtri: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the Government of Bihar have formulated a scheme for development of roads in the State during the Fifth Five-Year Plan period; and

(b) whether the State Government have sought assistance from him for implementing the scheme and if so, the reaction of the Government thereto ?

Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana): (a) & (b) The Bihar Government have not submitted any general scheme as such for Central financial assistance to the Government of India for road development in the State during the 5th Plan. They have however submitted certain proposals for some road and bridge works costing altogether Rs 4.06 crores for financial assistance in the 5th Plan under the Central Aid Programme of State Roads of inter-State or economic importance. This request of the State Government has been noted for consideration alongwith similar proposals received from other States. However, a final view regarding these proposals can be taken only while the 5th Plan proposals are finalised dependent on Plan allocation earmarked for this scheme.

Provision of Civic Amenities in Various Camps of Jhugi-Jhonpri Dwellers

7139. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether there are Nehru Labour Camp, Indira Labour Camp, Shastri Labour Camp and Subhash Labour Camp of Jhugi-Jhonpri dwellers in Delhi;

(b) if so, the number of residents living in each of these camps;

(c) whether civic amenities have not been provided there at all;

(d) Whether adequate drinking water facilities have not been provided to them, and

(e) the action proposed to be taken by Government for providing them facility of drinking water and other civic amenties ?

The Minister of State in the Department of Parliamentry Affairs Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta). (a) Yes, Sir.

(b) The approximate number of families residing in these camps are as under:

(i)	Nehru Camp	550 families
(ii)	Indira Camp	1500 "
(iii)	Shastri Camp	900 "
(iv)	Subhas Camp	325 "

(c) to (e) The Municiapl Corporation of Delhi have been providing civic amenities in these camps on a marginal scale. In the Nehru and Indira Camps brick paving and drains have been provided while in the Shastri Camp, brick flooring, drains and electric poles have been provided.

छोटे किसानों के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी

7140. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान तथा विकास संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी में आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने का सुझाव दिया गया है जो कि छोटे किसानों के लिए उपयुक्त है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या गोष्ठी में शामिल हुए प्रतिनिधियों ने कहा है कि एक्सटेंशन एजेंसियों में अविलम्ब संरचनात्मक परिवर्तन तथा नया आधार तैयार किया जाये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 4 से 12 मार्च, 1973 तक हुई कृषि अनुसंधान तथा विकास संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया है कि छोटे किसानों के लिए उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाय ।

(ख) नई प्रौद्योगिकी के लाभ छोटे किसानों तक पहुचाने के लिए इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित दो नीतियों का सुझाव दिया :--

(1) यह सुझाव दिया गया था कि जिन प्रौद्योगिकियों के लिए जोतों का छोटा होना बाधा सिद्ध होती है, उनके लिए सहकारी प्रयासों से छोटी जोतों को एक यूनिट के रूप में परिवर्तित करना, जिससे कि एक खास प्रौद्योगिकी का प्रचालन संभव हो सके ।

(2) कीट नियंत्रण के लिए यह उपयोगी होगा कि छोटे किसान कीटनाशी उपकरणों को सम्मिलित रूप में खरीद कर रखें और इनका प्रचालन न्यूनतम क्षेत्र में किया जाय, ताकि ये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हों।

यह सुझाव भी दिया गया था कि छोटे किसानों के लिए प्रबंध प्रौद्योगिकी के ढांचे में एकरूपता नहीं होनी चाहिए । किसी कार्यकारी ढांचे के ब्यौरे तैयार करते समय परिवेश और सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में स्थानीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखना होगा । छोटे किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए ।

कृषि स्नातकों का एक नया वर्ग तैयार करना होगा जो किसानों के साथ काम करके उन्हें नई प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदर्शित करने के लिए तैयार हों । कृषि आदानों को भाड़े पर देने और उनकी सर्विस के लिए समुचित एजेंसियों का सृजन, संगठन और प्रबन्ध करना होगा । ऐसी खास किस्म की प्रौद्योगिकी के लिए सहकारी प्रयास करने होंगे, जिनके मार्ग में जोतों का छोटा होना एक बाधा है । ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे कि छोटे किसानों को दिये जाने वाले लाभ बड़े किसान अपने आप को छोटा किसान दिखाकर प्राप्त न कर लें ।

आपात खाद्य उत्पादन योजना के लिये गुजरात के ऋण

7141. श्री प्रभुदास पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आपात खाद्य उत्पादन के अन्तर्गत गुजरात के लिए पांच करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है।

(ख) यदि हां, तो राज्य ने ऋण का किस प्रकार प्रयोग किया है; और

(ग) क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी अन्य प्रकार की भी कोई सहायता राज्य को दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख): शीघ्र पूर्ण होने वाली लघु सिंचाई योजनाएं शुरू करने के लिए आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सरकार के लिए 5 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण की सहायता के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई थी। राज्य सरकार ने इस सहायता का निम्न योजनाओं की कार्यान्विति के लिए उपयोग किया है:–

योजना	उपयोग की गई राशि
	(रु० करोड़ों में)
1 उकाई नहरों का विस्तार	1.5
2 उठाऊ सिंचाई	1.0
3 मौजूदा कुओं को गहरा करना और नये कच्चे कुओं का निर्माण।	2.5
कुल	5.0

(ग) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्विन के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन के लिए पुर्नगठित सरकार को चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के दौरान 1972-73 तक 145-65 लाख की राशि सहायता अनुदान के रूप में और 2 लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में दी गई है। इस राशि का योजना-वार विश्लेषण संलग्न विवरण में दिया गया है।

जमे हुये आयातित वीर्य से पशुओं के संकरण सम्बन्धी परियोजनायें।

7142. श्री जी० वाई० कृष्णन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमे हुए आयातित वीर्य से पशुओं के संकरण में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों के स्थानों सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और इन केन्द्रों को कब तक स्थापित करने की संभावना है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जसा और होल्सटीन आदि अच्छी नसल के पशुओं के जमे वीर्य का आयात करके चुने हुए दुग्ध शाला और सघन पशु विकास परियोजना क्षेत्र में अधिक दूध देने वाले संकर किस्म के दुधारू पशुओं की वृद्धि के लिए एक योजना की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना करनाल, अमृतसर, इन्दौर, बंगलौर और लखनऊ के लिए मंजूर की गई है।

विवरण

चतुर्थ योजना के दौरान कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये गुजरात सरकार को निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपयों में)

योजना का नाम/फसल	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	
1. केन्द्रीय आधार बीजों सहित अधिकतमीय उत्पादन . .	12,17,135	11,21,000	9,23,000	—9,00,000	41,61,135
2. सघन कपास जिला कार्यक्रम . .	—	—	7,94,000	—18,00,000	25,94,000
3. संकर-4 कपास बीजों का उत्पादन . .	—	—	—	2,00,000	—2,00,000
4. तोरिया और सरसों अरण्डी प्रदर्शन, सोयाबीन प्रदर्शन, सोयाबीन विकास और सूरजमुखी प्रदर्शन सहित मूंगफली का अधिकतमीय उत्पादन । .	6,59,540	5,98,000	17,92,000	8,28,000	—38,77,540
5. वी० एफ० सी० तम्बाकू का विकास	1,36,857	2,67,354	2,61,500	2,61,500	8,65,711
6. नारियल अंकुरों का साहाय्यप्राप्त सम्भरण	2,00,000	80,218	—	50,000	3,30,218
7. निर्यात के लिए फल उत्पादन का विकास	—	—	—	35,000	35,000
8. बहु फसल पर मार्गदर्शी परियोजना ।	—	—	90,000	2,50,000	3,40,000
*9. एकत्रीकृत बारानी भूमि कृषि विकास ।	—	1,35,000	5,80,000	14,46,000	21,61,000
10. दालों का विकास	—	—	—	—	— —
				जोड़	145,64,604
					145,65, लाख

*1971-72 के दौरान गुजरात को 2 लाख रुपये का ऋण दिया ।

शुरू में इन केन्द्रों में आयातित जमे हुए वीर्य के संग्रह और इन परियोजनाओं के चुने हुए क्षेत्रों में पशु-प्रजनन का कार्य शुरू करने के लिए सुविधाओं का विकास किया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन और डेंनमार्क सरकार के साथ आयातित वीर्य और इन केन्द्रों में उसके संग्रह और प्रयोग के लिए उपस्कर प्राप्त करने के लिए बातचीत चल रही है। खाद्य तथा कृषि संगठन और डेनमार्क सरकार के परामर्श से इन परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

चीनी व्यापार के सरकारीकरण का निर्णय करने वाले राज्य

7143. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने राज्य में चीनी व्यापार का सरकारीकरण करने का निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : पहली जनवरी, 1973 से देश भर में लेवी चीनी के थोक वितरण को भारतीय खाद्य निगम तथा सहकारी समितियों आदि जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, गोआ, पांडिचेरी, दादर-नागर हवेली और त्रिपुरा के राज्यों में थोक वितरण सम्बन्धी कार्य भारतीय खाद्य निगम के स्थान पर सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहकारी समितियों, रसद, निगमों आदि द्वारा किया जा रहा है अथवा शीघ्र शुरू किया जायेगा।

लाल डोरा के अन्तर्गत आने वाले मकानों को गिराने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध आरोप

7144. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महरौली क्षेत्र में 'लाल डोरा' के अन्तर्गत आने वाले मकानों को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) महरौली राजस्व सम्पदा के "लाल डोरे" के भीतर के कोई भी मकान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं गिराए गये।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय फुटबाल का स्तर

7145. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फुटबाल का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय फुटबाल का स्तर सुधारने के लिए कोई ठोस प्रयास किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (घ) मर्डेका प्रतियोगिता में भारत की असन्तोषजनक स्थिति जहां भारत ने 1971 में भाग लिया था तथा साथ ही एशियाई युवक फुटबाल प्रतियोगिता में उसकी स्थिति से इस बात का संकेत मिलता है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत पीछे है।

अखिल भारतीय फुटबाल संघ जो कि एक प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन है देश में फुटवाल के विकास के लिए मूल रूप से उत्तरदायी रहा है। मर्डेका प्रतियोगिता में भारत की असफलता के कारणों की जांच करने के लिए उनसे कहा गया था। उनके द्वारा जो जांच समिति स्थापित की गई थी उसने सामान्यतः यह राय जाहिर की है कि स्थानीय क्लबों द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए समय पर न छोड़े जाने के वजह से सहयोग की कमी के कारण खिलाड़ियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण ही ऐसी असफलता का मुख्य कारण है।

भारत सरकार का भी यह विचार है कि उचित चयन करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा उपलब्ध नहीं होती हैं क्योंकि अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने ऐसी कोई भी योजना शुरू नहीं की है जिससे फुटबाल की प्रतिभा का शुरू से मूल स्तर पर पता लगाया जा सके।

अखिल भारतीय खेल परिषद् इस मामले से अवगत है। अखिल भारतीय फुटबाल संघ के परामर्श से अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय फुटबाल संघ से यह भी कहा गया है कि वह अन्तर विश्वविद्यालय टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दे ताकि विश्वविद्यालय के युवा फुटबाल खिलाड़ियों को अनुभव प्राप्त हो सके और अन्ततः उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीमों में शामिल किया जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार राज्य खेल परिषद् को प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने तथा अन्य भौतिक सुविधाएं सुलभ करने हेतु अनुदान देती है। विश्वविद्यालय तथा राज्य खेल परिषद् को प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवाएं भी उपलब्ध की गई हैं। फुटबाल प्रतिभा की प्रारंभिक स्तर पर ही खोज करने के लिए फुटबाल को अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में भी शामिल किया जाता है।

स्कूल और कालिज स्तर पर फुटबाल के मामले में भी खेल प्रतिभा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

इंडियन रोड्स कांग्रेस का शिष्टमंडल

7146. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

श्री झारखंडे राय :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन रोड्स कांग्रेस को एक शिष्टमण्डल हाल ही में उनसे मिला था और उन्हें देश में सड़कों के विकास और सड़क परिवहन के बारे में एक ज्ञापन पेश किया;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में की गई मुख्य मांग क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित दो मुख्य बातें हैं:

(1) पांचवी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिए अधिक धन की आवश्यकता।

(2) सड़क परिवहन विकास में अड़चनें।

(ग) भारतीय सड़क कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के विचारों को नोट कर लिया गया है और मामला योजना आयोग, जोकि योजना नियतनों आदि से सभी मामलों से सम्बन्धित है, के सम्मुख रखा गया है।

पांचवी योजना के दौरान हरिजनों और आदिवासियों के लिये स्वास्थ्य सुविधायें

7147. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरिजनों और आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में और सुधार लाने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा): (क) और (ख) सरकार का उद्देश्य यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में, जिनमें वे खण्ड भी आते हैं जहां जनजाति, हरिजन और पिछड़े वर्ग रहते हैं, उप-केन्द्रों सहित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया जाए। इस समय देश में 5224 सामुदायिक विकास खण्ड हैं जिनमें से 457 जन-जाति क्षेत्रों में स्थित हैं। इन जनजाति सामुदायिक विकास खण्डों में 298 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 854 उप-केन्द्र कार्य कर रहे हैं। अभी ऐसे 159 जनजाति विकास खण्ड है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हैं। प्राथमिकता के आधार पर इन जन-जाति खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध कर दिया गया है ताकि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र हो जाएं। इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना में लगभग 1500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही के रूप में 1973-74 में लगभग 200 चुने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 30 पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

किस किस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाय यह जानने का एक मानदण्ड यह रखा गया है कि ऐसा केन्द्र अधिमानतः जन-जाति/पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वास्तविक चयन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा विहित मान-दण्डों के अनुसार किया जाता है।

पत्तनों की तेल गोदी परियोजना की कार्यान्वित के विलम्ब में खिलाफ कोचीन पत्तन न्यास बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा बैठकों का बहिष्कार

7148. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन पत्तन न्यास बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों ने पत्तनों की तेल गोदी परियोजना की कार्यान्विति में विलम्ब होने के खिलाफ इसके विरोध में इसकी भावी बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या तेल गोदी परियोजना की शीघ्र कार्यान्विति सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) देरी के विरोध में कोई भी संकल्प पारित नहीं किया गया है। परन्तु सदस्यों ने नौवहन और परिवहन मंत्री से साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया था। इस साक्षात्कार की तारीख 17 अप्रैल, 1973 निश्चित् की गई है।

(ग) कोचीन में तेल गोदी के स्थान निर्धारण के प्रश्न के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और शीघ्र ही फैसला करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को बोनस

7149. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है और यदि हां, तो यह बोनस किन उपबन्धों के अन्तर्गत दिया जाता है और गत तीन वर्षों में इस प्रकार वर्गवार, कितनी राशि दी गई है और कितने प्रतिशत बोनस दिया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को दिए गए बोनस की प्रतिशतता प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां। बोनस की अदायगी अधिनियम, 1965 के उपबन्धों तथा इस विषय के विभिन्न अनुदेशों के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमित तथा कार्यप्रभारित सभी कर्मचारियों (प्रति-नियुक्ति पर आये कर्मचारियों सहित जो स्वीकृत वेतन-मानों में वेतन ले रहे हैं) को अदायगी की जाती है।

गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए बोनस की दर तथा राशि निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	दर	राशि लाख रुपयों में
1969-70 .	19%	15.66
1970-71	8%	7.06
1971-72	12%	12.18

बोनस श्रेणी-वार निर्धारित नहीं किया जाता है। प्रतिशतता सभी मामलों में एक समान लागू होती है परन्तु बोनस के लिए अधिकतम वेतन 1600/- रुपये प्रति मास माना जाता है।

(ख) जी, नहीं। दर 4% से 19% के बीच रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये फ्लैटों और प्लाटों का पंजीकरण

7150. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास प्लाटों अथवा फ्लैटों के लिए अपना नाम पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली के निवासियों की आवास समस्या को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि दिल्ली क्षेत्र के जो निवासी नहीं हैं उन व्यक्तियों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाये और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए फ्लैटों और प्लाटों का पंजीकरण खोलने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां। उन्हें फ्लैटों के आवंटन के लिए पंजीकृत होने की अनुमति दे दी गई थी क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इन पर रोक लगाने का अर्थ भेदभाव होगा।

(ख) इन पंजीकरणों को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पहली पंजीकरण योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की मांग काफी हद तक पूरी हो जाने के बाद ही फ्लैटों के आवंटन के लिए अगला पंजीकरण आरम्भ किया जायेगा।

छोटे किसानों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

7151. **श्री एल० एन मिश्र :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता तथा सहयोग देने की दृष्टि से देश में और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार ऐसे कितने केन्द्र कहां-कहां खोलने के लिए अब तक मंजूरी दे चुकी है या आगामी एक वर्ष में दे देगी; और

(घ) इन पर कुल कितना व्यय होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषक प्रशिक्षण और शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत देश भर के अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए चुने हुए जिलों में 100 कृपक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों में छोटे किसानों सहित समस्त वर्गों के किसानों को कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 100 अतिरिक्त केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

(ख) योजना की मुख्य बातों में विभिन्न विषयों में संस्थागत और गैर-संस्थागत पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण देना और राष्ट्रीय और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि की नवीनतम तकनालोजी का प्रदर्शन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, विचार-विमर्श के लिए विस्तार कार्य करने वाले कृपकों की टोलियां तैयार की गई हैं। ताकि कृषकों को कृषि से सम्बन्धित नवीनतम खोज और विकास के विषय में जानकारी प्राप्त होती रहे।

(ग) पहले से चल रहे केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4803/73] पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने पर भावी 100 केन्द्रों के लिए आवंटन कर दिया जायेगा।

(घ) कृषक प्रशिक्षण और शिक्षा की स्वीकृति योजना में योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रत्येक केन्द्र के लिए प्रति वर्ष 1.19 लाख रुपये के आवर्ती व्यय और 77,000 रुपये के अनावर्ती व्यय की व्यवस्था की गई है।

सामूहिक खेती

7152. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सामूहिक खेती लागू कर दी है;

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां अगले वर्ष के दौरान सामूहिक खेती लागू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या उन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में कोई परामर्श लिया है अथवा कोई अनुमति ली है और यदि नहीं, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अपंगों के लिये संस्थायें

7153. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार देश र में अपं ों के लिए कितनी संस्थायें काम कर रही हैं; और

(ख) इनमें से कितनी संस्थाएं केन्द्र से सहायता प्राप्त कर रही हैं और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने गत वर्ष सब ा क राशि प्राप्त की थी?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) प्राप्य जानकारी का विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) 1972-73 के दौरान जिन संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त हुई उनकी संख्या 65 थी। भौतिक उपचार और पुनर्वास के जवाहरलाल नेहरू संस्थान के व्यावसायिक थैरापी को शैल्टर्ड वर्कशाप तथा रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, पश्चिम बंगाल—ये दो संस्थान हैं जिन्हें सब से अधिक सहायता-राशि प्रदान की गई।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के संस्थानों की संख्या : राज्यवार विभिन्न प्रकार के विकलांग वर्ग

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नेत्रहीन	बधिर	अस्थि विकलांग	कमजोर मस्तिष्क वाले	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6	4	2	4	16
2.	असम	1	1	—	—	2
3	बिहार	11	4	—	2	17
4.	महाराष्ट्र	28	13	8	21	70
5.	गुजरात	16	5	2	6	30
6.	केरल	6	4	2	1	13
7.	मध्य प्रदेश	8	3	1	1	13
8.	तामिलनाडु	8	8	1	5	22
9.	मैसूर	6	3	1	4	14
10.	उड़ीसा	1	1	—	—	2
11.	पंजाब	3	1	3	7	14
12.	हरियाणा	4	—	-	-	4
13.	राजस्थान	2	2	—	—	4
14.	उत्तर प्रदेश	16	15	1	5	37
15.	पश्चिम बंगाल	4	7	—	5	16
16.	दिल्ली	5	2	2	8	17
17.	पांडिचरी	2	—	-	-	2
18.	जम्मू और काशमीर	3	—	—	—	3
						296

उत्तर प्रदेश में सूखा तथा केन्द्रीय सहायता

7154. श्री एस० एन० मिश्र: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उत्तर प्रदेश के अनेक जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य के प्रत्येक जिले में अन्न की पैदावार पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सूखे से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है और इस उद्देश्य के लिए कितनी वास्तविक केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) हालांकि काफी जिले सूखाग्रस्त बताये जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्थिति में सुधार हुआ है ।

(ख) खाद्य उत्पादन में हुई हानि के ठीक-ठीक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अस्थायी अनुमानों के अनुसार आशा है कि इस वर्ष खरीफ की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी होगी ।

(ग) जी हां । एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता

(1) केन्द्रीय अध्ययन दल ने अगस्त, 1972 में राज्य का दौरा किया था और उनकी सिफारिशों के आधार पर राहत उपायों के लिए 8.10 करोड़ रुपये के खर्च की सीमा अपनायी गई है और राज्य सरकार को राहत उपायों के लिए अब तक 5.65 करोड़ रुपये दिये गए हैं । स्थिति का पुनः जायजा लेने के लिए एक अन्य केन्द्रीय अध्ययन दल गठित किया जा रहा है ।

(2) आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को 20.750 करोड़ रुपये दिए गए हैं । इसके अलावा, कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण के रूप में 15.50 करोड़ रुपये भी दिये गए हैं ।

(3) राज्य सरकार को उपयुक्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध किए गए हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी सैक्शन आफिसरों की पदोन्नति

7155. श्री बक्शी नायक: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी सैक्शन आफीसरों की पदोन्नति की वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया में किसी परिवर्तन पर विचार किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत सरकार को इस बारे में संबंधित कर्मचारियों और कुछ संसद सदस्यों से कोई ज्ञापन मिला है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) सहायक इंजीनियर के ग्रेड में अस्थाई रिक्तियों में 50% नियुक्तियां अब से पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तथा शेष 50% में से 25% स्नातक कनिष्ठ इंजिनियरों (सैक्शन आफीसर) की पदोन्नति द्वारा तथा 25% गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजिनियरों की पदोन्नति द्वारा की जाती थी। कुछ अन्य सहायक इंजीनियरों द्वारा दायर की गई रिट-याचिका में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में नियुक्ति के लिए कोटा उचित ढंग से निर्धारित नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्नातक तथा गैर-स्नातक इंजीनियरों को संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर करनी पड़ी।

(ख) जी, हां। इस पद्धति में परिवर्तन करना इस लिए आवश्यक समझा गया है क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कई पद ऐसे हैं जिन पर केवल स्नातक इंजानियरों ही प्रभावकार ढंग से कार्य कर सकते हैं तथा संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर की गई पदोन्नति द्वारा पदोन्नति के क्षेत्र में अपेक्षित सख्या में वरिष्ठ स्नातक इजीनियरों का मिलना सुनिश्चित नहीं हो सकता।

(ग) तथा (घ) जी, हां। स्नातक तथा गैर-स्नातक कनिष्ठ इजीनियरों (सैक्शन आफीसर) की एसोसिएशन और कुछ संसद सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त किये गये विचारों को कनिष्ठ इंजीनियरों की सहायक इजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति करने के मामले में नई नीति निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

फसल अनुसन्धान योजना के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

7156. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को इसकी फसल अनुसन्धान योजनाओं में सहायता देने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एक कार्यक्रम का अनुमोदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Demands of Kendriya Rajya Krishi Farm Karamcharl Sangh, Suratgarh, Rajasthan..

7157. Shri Bhogendra Jha :

Shri Vasant Sathe : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to demands contained in a pamphlet circulated by the Kendriya Rajya Krishi Farm Karamchari Sangh (Central Government Agricultural Farm Employees Union) Suratgarh, Rajasthan;

(b) if so, the action being taken on these demands ;

(c) whether a reserved post of senior Agricultural Assistant has been provided to a person who does not belong to the community for which it has been reserved; and

(d) if not, the correct position in this regard ?

The Ministry of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) A printed paper (in Hindi) containing 23 demands has been received on 28th February, 1973 under a covering letter dated the 26th February, 1973, from the General Secretary, Kendriya Rajya Krishi Karamchari Sangh, Suratgarh. Their demands are under consideration.

(c) & (d) A reserved post of Senior Agricultural Assistant was filled up by an *ad hoc* promotion on 20-1-1969 by a person already working as Junior Agricultural Assistant and not belonging to the reserved community.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि श्रमिकों को मकान बनाने के लिये निःशुल्क भूमि देना

7158. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों को मकान बनाने के लिये निःशुल्क भूमि और मकान देना सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । तथापि, इस कार्य हेतु एक योजना आरम्भ की गई है । लेकिन साधनों पर नियंत्रण तथा समस्या की व्यापकता को देखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भूमिहीन मज़दूरों को इस योजना के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता।

पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय में चुकन्दर से चीनी निकालना

7159. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय ने पता लगाया है कि चुकन्दर से चीनी निकालना अधिक किफायती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है:

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) प्राथमिक निष्कर्षों से यह पता चला है कि भारत के उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चीनी का उत्पादन बढ़ाने में चुकन्दर गन्ने का सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन यह उसका स्थान नहीं ले सकता। इसे दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय कृषि विभाग राजस्थान के श्रीगंगानगर क्षेत्र और महाराष्ट्र के फाल्टन क्षेत्र में चुकन्दर का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना क्रियान्वित कर रहा है। चौथी योजना में इस पर 4.5 लाख रूपये लागत आई थी। पांचवी योजना के दौरान इस विकास परियोजना को और भी दृढ़ करने का प्रस्ताव है।

गो नस्ल की रक्षा तथा सुधार

7160. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाय की नस्ल की रक्षा करने और उसे बढ़ाने तथा उस में सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई प्रयास किए हैं;

(ख) इस नस्ल के सुधार के लिए गत तीन वर्षों में केन्द्र या केन्द्र की सहायता से राज्य सरकारों ने देश में कितने केन्द्र खोले हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन केन्द्रों में कितनी प्रगति हुई है और प्रत्येक वर्ष कितना खर्च किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) इस सम्बध में सरकार ने निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें शुरु की हैं:—

1. केन्द्रीय सघन पशु विकास योजनायें . . . . . . (4)
2. प्रजनन खण्ड में पशु पंजीकरण की योजनाएं (इस योजना के अन्तर्गत 84 केन्द्र हैं)
3. सन्तति परीक्षण परियोजनायें . . . . . . (9)
4. तीन विदेशी सहायता प्राप्त केन्द्रीय प्रजनन परियोजनाएं; अर्थात्—
(1) केरल और पंजाब में इन्डो-स्विस परियोजना
(2) हैसरघाटा (बंगलौर) में इन्डो-डैनिश परियोजना
(3) मन्डी (हि० प्र०) और अलमौड़ा (उ०प्र०) में इन्डो-जर्मन करार
5. जमा हुआ वीर्य बैंक (5)

(ग) प्राकृतिक सेवा और उन्नत दाने चारे और रोग नियंत्रण कायक्रम के अन्तर्गत, ब्याने के योग्य उम्र की लगभग 4.8 लाख गायों व भैंसों का केन्द्रीय सघन पशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृत्रिम रूप से गर्भाधान किया गया। अनुमान है कि इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में लगभग 0.25 लाख संकर नस्ल के पशु उपलब्ध हैं।

1971–72 तक पशु पंजीकरण योजना के अन्तर्गत हरियाणा, गिर, मुर्रा तथा कौकरेज नस्लों की 1653 अधिक दूध देने वाली गाय तथा भैंसों को पंजीकृत किया गया था।

सूरतगढ़, चिपलीमा, दमरोड और हैसरघाटा में चार केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म स्थापित किये गये । दो और फार्म कोरापुट (उड़ीसा) और अलमाडी (तमिलनाडु) में स्थापित किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत एक फार्म और स्थापित किया जायेगा ।

सन्तति परीक्षण परियोजनाओं के अन्तर्गत इन 9 परियोजनाओं में से प्रत्येक में प्रति 30 गायों के साथ 5 से 6 सांडों के मिलन को रिकार्ड किया गया है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत ब्राउन-स्विस, रेड-डेन और जरसी नस्लों को लगभग 900 विदेशी पशु आयात किये गये हैं और कृत्रिम गर्भाधान के लिये वीर्य के एकत्रीकरण व वितरण हेतु उनका पालन पोषण किया जा रहा है।

जमे हुये वीर्य की योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों के लिये 5 जमे हुये वीर्य बैंकों की मंजूरी दे दी गई है।

उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत संकर प्रजनन आदि के लिये सरकार ने विभिन्न नस्लों के 2290 विदेशी पशु भी आयात किये हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजनाओं पर व्यय की गई राशि के संबंध में सलग्न विवरण में जानकारी दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	केन्द्रीय परियोजनाएं	1970-71	1971-72	1972-73 (अस्थायी)
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय क्षेत्र की संघन पशु विकास परियोजनायें	66.76 रुपये	50.58 रुपये	53.00 रुपये
2.	केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजनायें	1.36 रुपये	1.48 रुपये	1.82 रुपये
3.	सन्तति परीक्षण योजना .	अभी मंजूर नहीं हुई	7.00 रुपये	30.00 रुपये
4.	जमा हुआ वीर्य बैंक . .	0.76 रुपये	2.60 रुपये	0.97 रुपये
5.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म .	45.92 रुपये	39.25 रुपये	11.50 रुपये
6.	विदेशी पशुओं का आयात .	49.55 रुपये	1.81 रुपये	55.11 रुपये

परिवार नियोजन पर सामाजिक आर्थिक अध्ययन

7161. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 मार्च 1973 को नई दिल्ली में परिवार नियोजन सम्बन्धी सामाजिक-आर्थिक समिति की बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये; और

(ख) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) :

(क) परिवार नियोजन सम्बन्धी सामाजिक-आर्थिक अध्ययन समिति की 20 मार्च, 1973 को हुई पहली बैठक में को गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) ये सिफारिशें विचाराधीन है

विवरण

परिवार नियोजन सम्बन्धी सामाजिक आर्थिक अध्ययन समिति की 20 मार्च, 1973 को दिल्ली में हुई पहली बैठक में की गई मुख्य सिफारिशें।

1. समिति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान के जनांककीय संचार कार्य अनुसंधान एकक द्वारा तैयार किए गए "भारत में जनांककीय और संचार अनुसंधान" शोर्षक प्रलेख पर विचार किया। यह निर्णय किया गया कि समिति की अगली बैठक के पश्चात् और विस्तृत प्रलेख तैयार किया जाए। संशोधित प्रलेख में अभी तक किये गए सम्पूर्ण अनुसंधान कार्य की विषयवार तथा प्रकरणवार समीक्षा की जाए और कार्यक्रम के आशय भी तैयार किये जाएं।

2. 1973–74 के लिए सभी केन्द्रों को परिवार नियोजन विभाग द्वारा यथा-अनुमोदित 1972–73 की बजट स्वीकृतियों, कर्मचारी रखने को पद्धति तथा अन्य खर्च के प्रतिमान पर वित्तीय अनुदान दे दिए जाएं। स्वीकृति के प्रयोजनों के लिए फिलहाल 18 लाख रुपये के अस्थायी व्यवस्था कर दी जाए परन्तु समिति ने जिस कार्यक्रम की परिकल्पना की है उसे क्रियान्वित करने के लिए अधिक राशि की आवश्यकता होगी।

3. उर्वरता विषयक व्यवहार सम्बन्धी तदर्थ अनुसन्धान के लिए लगभग एक लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएं तथा अगली बैठक में स्थिति की समीक्षा की जाए। किसी तदर्थ अनुसन्धान परियोजना को 25,000 रुपये से अधिक अनुदान स्वीकृत न किया जाए। समिति ने सिफ़ारिश की है कि ऐसी परियोजनाओं को अनुदान मन्जूर करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाए।

4. जनांककीय अनुसन्धान केन्द्र, धारवाड़ तथा जनांककीय अनुसन्धान केन्द्र, बड़ोदा, के उन्नयन के सम्बन्ध में अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया कि वह इन केन्द्रों का दौरा करें तथा समिति द्वारा विचार के लिए सिफारिशें करें। जनांककीय आर्थिक विकास-संस्थान, दिल्ली के अनुसन्धान केन्द्र द्वारा दिए गए नोट पर भी यही निर्णय किया गया।

5. अध्यक्ष को सौंपे गए भारी उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने अध्यक्ष को एक अनुसन्धान अधिकारी और एक आशुलिपिक, जोकि बंगलौर में नियुक्त किया जाये, देने की जोरदार सिफारिश की है।

6. डाक्टरी शिक्षावृत्ति कम से कम दो वर्ष की होनी चाहिए जोकि उपयुक्त मामलों में एक और वर्ष बढ़ाई जा सके।

7. दो उप समितियां, एक संचार कार्य अनुसन्धान केन्द्रों के स्टाफिंग प्रतिमान और वेतनमानों और उनके कार्य की समीक्षा करने और दूसरी तदर्थ अनुसन्धान प्रस्तावों की छानबीन करने और सहायक अनुदान देने के लिये सिफ़ारिशें करने के लिये नियुक्त की गई।

8. जनांककीय अनुसन्धान केन्द्रों और संचार कार्य अनुसन्धान केन्द्रों के मुख्य कर्मचारियों की 2–3 दिवस की एक बैठक बंगलौर में अगस्त/सितम्बर, 1973 के महीने में बुलाई जाए। इन केन्द्रों के प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठक, मुख्य कर्मचारियों की बैठक के एक दिन बाद बंगलौर में बुलाई जाए।

9. किसी जनांककीय अनुसन्धान केन्द्र/संचार कार्य अनुसन्धान केन्द्र द्वारा सितम्बर, 1973 तक कोई गोष्ठी आयोजित न करे।

6 LSS/73—10

नये अस्पताल स्थापित करने सम्बन्धी योजना के बारे में नियम

7162. **श्री सी० के० जफर शरीफ:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन नियमों को अंतिम रुप दे दिया है जिनके अधीन एक नई योजना के अन्तर्गत किसी धर्मार्थ संस्था द्वारा स्थापित नये अस्पताल के व्यय को वहन स्वयंसेवी संस्था सम्बन्धित राज्य तथा केन्द्रीय सरकार बराबर बराबर करेंगी, और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और राज्यवार ऐसे अस्पतालों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल/औषधालय खोलने के लिए अखिल भारतीय स्तर के अथवा राज्य स्तर के महत्वपूर्ण स्वैच्छिक सस्थानों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता देने का विचार है। अस्पतालों/औषधालयों के खोलने पर जो अनावर्ती खर्च आएगा उसको स्थानीय निकाय, संबंधित राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा बराबर बराबर वहन किया जाएगा तथा जो आवर्ती व्यय होगा उसे स्वैच्छिक संस्थान स्वयं अथवा उसको न दे सकने की स्थिति में राज्य सरकार वहन करेगी। कुछ प्रतिशत पलंग मुफ्त पलंगों के रूप में आरक्षित रखे जाएंगे और कुछ पलंग रियायती दरों पर उपलब्ध होंगे। इस योजना का ब्यौरा और इस पर लागू होने वाले नियमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

रबी फसल के अन्तर्गत गेहूं और बोरों किस्म की धान की खेती का क्षेत्र

7163. **श्री सी० के० जफर शरीफ:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में रबी फसल के अन्तर्गत कितने क्षेत्र को लाने का लक्ष्य है और गेहूं तथा बोरो किस्म के धान के उत्पादन का क्या लक्ष्य होगा;

(ख) क्या गेहूं और चावल सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने की सम्भावनायें सन्तोषजनक हैं;

(ग) यदि नहीं, सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) गेहूं तो बोरो/ग्रीष्म-कालीन धान के लिए आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किये गये क्षेत्र के लक्ष्य अनुबन्ध 1 में दिये गये हैं। उत्पादन संबंधी राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	फसल का नाम	(क्षेत्र हजार हेक्टार में)
1	2	3
	गेहूं	ग्रीष्मकालीन चावल
1. आन्ध्र प्रदेश	100	1000
2. असम	148	60
3. बिहार	2400	240
4. गुजरात	700	--
5. हरियाणा	1400	--
6. हिमाचल प्रदेश	350	--
7. जम्मू तथा कश्मीर	200	--
8. मध्य प्रदेश	3760	--
9. मैसूर	350	140
10. महाराष्ट्र	1380	--
11. उड़ीसा	66	260
12. पंजाब	2400	--
13. राजस्थान	1600	--
14. उत्तर प्रदेश	6500	200
15. पश्चिम बंगाल	625	445
16. दिल्ली	50	--
17. केरल	--	120
18. तमिलनाडु	--	50

इथिओपिया के लिये अध्यापकों की भर्ती

7164. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथिओपिया ने भारत से अधिक अध्यापकों के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में अध्यापकों की भर्ती करके भारत ने उनकी सहायता की है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार यथासंभव मदद देगी।

सीमाबन्दी विधेयक पर पंजाब सरकार का दुविधा में होना

7165. **श्री झारखंडे राय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1973 के पेट्रियट में "पंजाब गवर्नमेंट इन ए फिक्स ओवर सिलिंग बिल" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) केन्द्र से सम्बन्धित बातों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) से (ग) जी, हां । भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत एक संकल्प द्वारा संसद को एक ऐसा कानून बनाने का अधिकार देने के बाद, पंजाब सरकार ने नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा लागू करने के लिए राज्य विधान मण्डल में कानून पेश करने तथा उन्हे पेश पारित करने के बारे में भारत सरकार से सलाह मांगी थी। कानूनी स्थिनि जो तत्वतः दिनांक 15-3-1973 के "पेट्रियट" में छपी एक रिपोर्ट जैसी है, पंजाब सरकार को उन के विचारार्थ भेज दी गई है।

सरकारी कृषि फार्म को हानि

7166. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री एस० एन० मिश्रा :

क्या **कृषि** मंत्री घाटे पर चल रहे सरकारी कृषि फार्म के बारे में 4 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2929 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के कृषि फार्मों में से प्रत्येक को कितनी-कितनी हानि हुई; और

(ख) उनके कार्य में प्रगति लाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1971-72 के लेखा-परीक्षण के अनुसार (जो कि अन्तिम है) मिज़ोरम फार्म को छोड़कर जहां केवल विकास कार्य किया जा रहा है, निम्नलिखित केन्द्रीय राजकीय फार्मों को घाटा हुआ :-

झारसूगुडा (उड़ीसा)	7.97 लाख रुपये
कन्नानोर (केरल)	1.46 लाख रुपये
चेंगम (तमिलनाडू)	56,463 रुपये
कोकिलाबाड़ी (असम)	1.40 लाख रुपये

(ख) झारसूगुडा फार्म में हानि ग्रामीणों द्वारा चलायें गए राजनैतिक आन्दोलनों के कारण कृषि कार्य रुक जाने के कारण हुई। इस फर्म को समाप्त कर देने का प्रस्ताव है।

अन्य फार्मों में घाटा मुख्यतः इस कारण हुआ कि वे अभी विकास की स्थिति से गुज़र रहे हैं और इसमें हर मामले में कुछ वर्ष लगते हैं। इन फार्मों के विकास के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन

7167. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) **से** (ग) कृषि मूल्य आयोग के पुनर्गठन के बारे में सरकार किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंची है । लेकिन इस प्रश्न पर संसद सदस्य और अन्य व्यक्तियों द्वारा सुझाये गये प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

वोट, नौ रिकार्डज आफ राइट

7168. **श्री वयालर रवि :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 17 मार्च, 1973 के 'इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली' में प्रकाशित' वोट, नो रिकॉर्ड्ज आफ राइट' प्रमुख शोर्षक के अन्तर्गत 'प्रोक्योरमेंट' शीर्षक की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) **और** (ख) सरकार ने 17 मार्च, 1973 के 'इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली' में प्रकाशित रिपोर्ट को देखा है । रिपोर्ट में उल्लिखित केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में सरकार की नीति को स्पष्ट किया गया था और वह उसके अनुरूप था । सरकार समाचार पत्र में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं है क्योंकि लेखक ने केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में अपना अर्थ लगाया था।

1973-74 के दौरान ग्राम्य रोजगार सम्बन्धी योजना

7169. **श्री वयालर रवि :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के लिए किन-किन राज्यों ने ग्राम्य रोजगार की योजनाएं भेजी हैं और और प्रत्येक की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या निर्णय लिए गए हैं ;

(ख) अच्छी प्रकार की स्थानीय परियोजनाएं सुनिश्चित करने तथा भ्रष्टाचार द्वारा राशि की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) ग्राम्य रोजगार योजनाओं के विभिन्न पहलूओं के सम्बन्ध में गांव के बेरोजगार लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए क्या सरकार का विचार एक जोरदार अभियान चलाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) योजनाएं मंजूर करने की शक्तियां अप्रैल, 1972 से राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं? अब उन्हें मंजूर की गई परियोजनाओं का व्यौरा भारत सरकार को भेजना होता है। सभी राज्य सरकारें वर्ष 1973–74 में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना को जारी रखेंगी। इन परियोज- नाओं में अधिकतर ग्रामीण सड़कों का निर्माण, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, वनरोपण आदि शामिल होंगे।

(ख) इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य में परियोजनाएं ऐसे प्राधिकारी द्वारा तैयार की जाएंगी जिसे राज्य सरकारों द्वारा उन इसी प्रकार के निर्माण कार्यों जो राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा अपनी योजनाओं के अन्तर्गत और अपने ही संसाधनों से आरम्भ किए जाते हैं, के लिए निर्धारित किया गया है। अनुमान, विशिष्ट विवरण और अन्य सभी ब्यौरा उसी मात्रा और मानकों के अनुसार अपेक्षित होता है। जैसा कि इसी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत परिव्यय का अधिकांश भाग सड़कों के निर्माण पर व्यय किया जाता है। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को विभिन्न राज्यों में इस योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का मूल्यांकन करने और इस बात की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है कि आवंटित धनराशि से सर्वोत्तम परिणाम लेने के लिए विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों तथा हालतों में कौन सी उचित तकनीक अपनायी जानी चाहिए।

(ग) सरकार 'ग्राम रोजगार' पर एक वृत-चित्र बनाने की संभाव्यता की जांच कर रही है। इसके अलावा पंचायतीराज संस्थाओं और राज्य सरकारों के अन्य अभिकरणों द्वारा इस योजना के संबंध में पर्याप्त प्रचार किया जा चुका है।

गुजरात के तट के साथ साथ पत्तनों के विकास हेतु सहायता

7170. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात के तट के साथ साथ 50 पत्तनों का विकास करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो क्या श्री एच० एम० त्रिवेदी की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की अन्तरिम रिपोर्ट में एक सिफारिश यह भी थी, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए गुजरात सरकार की सहायता करने के लिए सहमत हो गई है और किस सीमा तक?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पांचवी योजना के दौरान, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात राज्य में छोटे पत्तनों के विकास के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है।

नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

7171. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त वर्ष 1973-74 के दौरान देश में नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों और स्थानों पर इनकी स्थापना की जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) 1973-74 के दौरान शिलांग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। पांडेचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में नये कालेजों का खोला जाना

7172. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में आगामी शैक्षिक वर्ष के दौरान नये कालेज खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों के बारे में ऐसे प्रस्तावों पर विचार हो रहा है; और

(ग) क्या निजी प्रबन्धकों ने भी दिल्ली में नये कालेज खोलने के लिये आवेदन दिये हैं, और यदि हां, तो उनके नाम क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) 1973-74 शैक्षिक सत्र के दौरान दिल्ली के कालेजों में दाखिले से संबंधित आवश्यकताओं का दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त एक कार्य दल द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

लद्दाख उच्चतर शिक्षा संस्थान में काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी किया जाना

7173. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख उच्चतर शिक्षा संस्थान में अधिकांश कर्मचारी गत 7 वर्षों से तदर्थ आधार पर काम करते आ रहे हैं; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उनकी सेवाओं को नियमित करके उन्हें शीघ्र स्थायी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) संस्थान में काम कर रहे अध्यापकों के नाम तथा वेतनमान क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) लद्दाख उच्च अध्ययन संस्थान ने जो पहले दिल्ली प्रशासन से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाली एक संस्था थी, 31 मार्च, 1971 से काम करना बन्द कर दिया है। इसके बंद हो जाने के पश्चात् केन्द्रीय विद्यालय संगठन

ने, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक रजिस्टर्ड सोसायटी है, पहली अप्रैल, 1971 से एक विशेष केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया है। लद्दाख उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा कार्य मुक्त किये गये अध्यापकों को तदर्थ आधार पर फिर से नियुक्त कर लिया गया था किन्तु शर्त यह थी कि वे संगठन में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों। विशेष केन्द्रीय विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को अभी स्थायी नहीं किया गया है; उन्हें स्थाई करने के मामलों पर संगठन के भर्ती नियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

विशेष केन्द्रीय विद्यालय में काम करने वाले अध्यापकों की सूची और उनके ग्रेड अनुबन्ध 'क' में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम सं०	नाम	ग्रेड
1.	श्री जी० राय, प्रिंसिपल	700-40-980-कु० रो०-40-1100 रु०
	उत्तर-स्नातक अध्यापक	
2.	श्री आर० एस० द्विवेदी, पी०जी०टी	350-25-400-30-700 रु०
3.	श्री गंगोवर झा, पी०जी०टी०	--वही--
4.	श्री पी० एल० शर्मा, पी०जी०टी०	--वही-
5.	श्री आर० पी० कौशिक, पी०जी०टी०	--वही--
6.	श्री धनेजय मिश्र, पी०जी०टी० .	--वही--
7.	श्री गेशे तौपा ग्यालस्टन, पी०जी०टी०	--वही--
8.	श्री ए० डी० सती, पी०जी०टी०	--वही--
9.	श्रीमती निर्मल शर्मा	--वही--
	प्रशिक्षित-स्नातक अध्यापक	
10.	श्री तुपस्तन कोचोक	250-20-450-कु० रो०-25-550 रु०
11.	श्री जी० सी० शर्मा .	--वही--
12.	श्रीमती राजकुमारी कपूर	--वही--
13.	श्रीमती चन्द्रमोहन मेनन	--वही--
14.	श्रीमती सुदेश कुमारी .	--वही--
15.	श्रीमती तेंजिन चाकदेरी	--वही--
16.	श्रीमती आर० के० मंडल	--वही--
17.	श्री के० सी० यादव	--वही--
18.	श्री कमलानी (वार्डन के रूप में भी काम कर रहे हैं — 50 रु० के विशेष वेतन सहित)	
	प्राथमिक-अध्यापक	
19.	श्री एम० एल० चुलेट	165-10-215-15-275-कु० रो०-15-350 रु०

बिना बारी के क्वार्टरों के आवंटन की पद्धति को समाप्त करना

7174. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री बिना बारी के क्वार्टरों के आवंटन की पद्धति को समाप्त करने के बारे में 12 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2796 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को आवास का तदर्थ आधार पर आवंटन किन नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत किया जाता है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : आवंटन नियमों के उपबन्धों में ढील देने के सरकार के विवेकाधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में वास का तदर्थ आवंटन/नियमितिकरण किया जाता है :—

(i) सेवानिवृत हो रहे/स्वर्गीय आवंटी अधिकारी के पात्र, पुत्र/पुत्री, पत्नी/पति को।

(ii) आवंटी अधिकारी के दिल्ली से बाहर या दिल्ली/नई दिल्ली में 'अपात्र कार्यालय में स्थानांतरित होने पर उस के पात्र, पुत्र/अविवाहित पुत्री, पत्नी/पति को।

(iii) प्रधान मंत्री सचिवालय में कार्य कर रहे विशेष अधिकारियों को तथा मंत्रियों/उपमंत्रियों तथा अन्य उच्चाधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ को निर्धारित संख्या तक।

(iv) उस अधिकारी को, जो विभागीय पूल वास के दखल में है जो उसे 'सामान्य पूल' से वास के आवंटन के लिये पात्र कार्यालय में स्थानांतरण होने पर खाली करना है।

(v) चिकित्सा आधार पर गम्भीर मामलों में तथा संवेदनाशील या अन्य मजबूरियों के आधार पर तदर्थ आवंटन।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण का प्रस्ताव

7175. **श्री के० प्रधानी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में खराब सड़क संचार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पास उस राज्य में आगामी दो वर्षों में कुछ नये राष्ट्रीय राजपथ बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन सड़कों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) चौथी योजना के आरम्भ में, उड़ीसा में राष्ट्रीय राज मार्ग पद्धति में 1363 कि० मी० सड़कें थीं। 1971-72 में उड़ीसा से गुजरने वाली निम्नलिखित दो और सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई :—

(1) हरिदासपुर–पारादीप पत्तन सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 5-ए)।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग 42 पर समाप्त होने वाली चास-रांची-रूरकेला-नालचर सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23)।

उड़ीसा में इन दो नयी सड़कों की कुल लम्बाई 286 कि० मी० है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ी गई इन दो नई सड़कों में से हरिदासपुर–पारादीप पत्तन सड़क पहले ही एक दोहरी गली वाली मौजूदा सड़क है, जिसके कुछ भागों में पटरी सतह में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है परन्तु इसमें कोई नया निर्माणकार्य नहीं है।

जहां तक उपरोक्त (2) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग 23 का संबंध है, सड़क संरेखन के तय करने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है, जिसके पश्चात् चूंकि चौथी योजना कार्यक्रम में इन सड़कों के इकहरी गली राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर के रूप में विकास करने की व्यवस्था है राज्य सरकार सुधार/अन्तर्हित नव निर्माण, यदि कोई हो, की मंजूरी के लिए आवश्यक अनुमान प्रस्तुत करेगी।

उक्त चर्चित मार्गों के अलावा पांचवीं योजना काल में राज्य में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में और सड़क शामिल करने के लिये राज्य सरकार ने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों में उल्लिखित सड़कों की एक सूची संलग्न है। क्रम संख्या 1 तथा 7 में उल्लिखित मार्ग उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के आदिवासी सीमावर्ती क्षेत्रों में से गुजरते हैं।

अन्य राज्यों से प्राप्त इसी प्रकार के प्रस्ताव के साथ उस समय अन्तिम रूप से विचार किया जा सकेगा जब योजना नियतन जो इसके लिए आगे किया जायेगा, पर निर्भर करते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

लोक सभा में 16-4-1973 को लिखित प्रश्न संख्या 7175 के उत्तर में उल्लिखित सूची

क्र० सं०	मार्ग का नाम
1.	अन्गुल–टीकरपारा–फूलवानी–बैलीगुडा–तुमुरीबन्द–मनीगुडा–कमतेलपेटा-कोरापूत सड़क।
2.	पानीकोआली-जाजपुर-कोअन्झर-चाईवासा सड़क।
3.	गोपालपुर–बरहामपुर–बालीगुडा-टिटलागढ़–नवापारा–रायपुर सड़क।
4.	पुरी–पिपली–खुर्दा–दासपल्ला–मधुपुर-फूलबानी सड़क।
5.	सम्बलपुर–झरसुगुडा-राजगंगापुर–राउरकेला सड़क।
6.	बालासौर–जलेस्वर–दीघा–कलकत्ता सड़क।
7.	बरहामपुर–तपतापानी–रामनगुडा–कोमतेलपेटा सड़क।
8.	कटक-पारादीप सड़क।
9.	पुरी–कोनार्क–पारादीप सड़क।
10.	भद्रक–चन्दावली–पारादीप सड़क।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप जन्म दर में हुई कमी की प्रतिशतता

7176. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप वर्ष 1972 में जन्म दर में कितने प्रतिशत कमी आई; और

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने और जनता में स्वैच्छिक रूप से इसे अपनाने की भावना उत्पन्न करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) : (क) अनुमान है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के फलस्वरूप 1972 के दौरान जन्म दर में लगभग 2.1 प्रतिशत की कमी हुई है।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और स्वीकार्य बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए जा रहे हैं:—

(1) सभी स्तरों पर प्रसूति और बाल स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एकीकरण।

(2) एक नई प्रेरणा नीति अपनाना जिसमें नए नारे सम्मिलित हैं, जिनमें मां के स्वास्थ्य तथा शिशु और परिवार के कल्याण का दृष्टिकोण निहित है और जो व्यक्तियों तथा विशेष वर्गों की ओर अधिकाधिक उन्मुख हो।

(3) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(4) गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) और नसबन्दी सेवाओं के बारे में जनता के डर और शंकाओं को दूर करके और उत्तम चयन द्वारा इन तरीकों में सुधार करना।

(5) सुधरी हुई गर्भनिरोधक तकनीक तैयार करने पर, जिसमें देश में तैयार किये गए तरीके और उपकरण शामिल हैं, अधिकाधिक बल देना।

(6) प्रसवोत्तर कार्यक्रम और सघन जिला कार्यक्रम जैसी विशेष योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देना।

(7) जिन राज्यों में परिवार नियोजन की प्रगति धीमी रही है उनकी ओर विशेष ध्यान देना।

(8) बड़े पैमाने पर वृहद नसबन्दी शिविरों के माध्यम से इसके प्रति गहन दृष्टिकोण अपनाना।

(9) परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य कर रहे विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के प्रशिक्षण को तेज़ करना और उसमें सुधार करना।

Ayurvedic Practitioners and Homoeopaths in Rural Health Service

7177. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Ayurvedic Practitioners and Homoeopaths are not taken in rural health service by Government;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if they are taken, the total number thereof in the service ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa): (a) to (c). The scheme that is at present under consideration of the Government of India for the provision of health service in rural areas does envisage the employment of qualified Ayurvedic Practitioners and Homoeopaths. It is not possible to say at this stage the number of such personnel who would be employed under the scheme as it has not yet been put into operation.

Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh

7179. Shri Chhatrapati Ambesh: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 468 on the 8th December, 1969 and state:

(a) whether C.B.I. had advised his Ministry that they should scrutinise the accounts of Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2F, Lajpat Nagar, New Delhi-24;

(b) if so, the steps taken by his Ministry in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa) : (a) Yes, Sir. The C.B.I. had advised in January, 1969 that the accounts should be got audited as certain complaints against these institutions had been received.

(b) and (c): The Ministry of Health requested the Delhi Administration to have the accounts audited upto the year 1968-69. As a result, some irregularities not amounting to mis-appropriation or criminal liability, were noticed. Further action to be taken in this regard is under consideration of Delhi Administration.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन्द कर दिये जाने का समाचार

श्री बी० आर० शुक्ल (बपराइच) : मैं **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन्द कर दिये जाने का समाचार"।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : कुलपति के आदेशों से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 5 अप्रैल, 1973 को बन्द कर दिया गया था। लोक सभा में 6 अप्रैल, 1973 को,

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की, अनुदान के लिए मांगों पर वाद-विवाद के दौरान, मैंने विश्व-विद्यालय के बन्द होने के बारे में कुलपति द्वारा जारी किया गया वक्तव्य सभा-पटल पर रखा था। उक्त वक्तव्य में उन कारणों का उल्लेख था, जिससे कुलपति को उक्त निर्णय लेना पड़ा।

विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने, अलीगढ़ में 7 अप्रैल, 1973 को हुई अपनी बैठक में, इस स्थिति का पुर्नविलोकन किया था। परिषद् ने विश्वविद्यालय को बन्द करने के लिए, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की और उसका पूरा समर्थन किया। परिषद् ने यह भी निर्णय किया कि (क) कैम्पस में जिन छात्रों और कर्मचारियों ने गड़बड़ी पैदा की थी, उनकी शिनाख्त की जाए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तथा (ख) इस बात को सुनिश्चित करने के बाद कि कैम्पस में दोबारा गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं है, विश्वविद्यालय को पुनः खोलने और विश्वविद्यालय के कार्य-संचालन में यथाशीघ्र सामान्यता लाने के लिए कदम उठाए जाएं। परिषद ने एक समिति भी नियुक्त की है, जो विश्वविद्यालय कैम्पस में गड़वड़ और अनुशासनहीनता पैदा करने के लिए जिम्मेदार छात्रों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सलाह देगी तथा विश्वविद्यालय को दोबारा खोलने के लिए भी सुझाव देगी।

विश्वविद्यालय ने इसके द्वारा संचालित (अनुरक्षित) हाई स्कूलों को 17 अप्रैल, 1973 से खोलने का पहले से ही निर्णय ले लिया है। मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय की अन्य संस्थाओं, संकायों और विभागों को भी यथाशीघ्र खोलने के सभी प्रयत्न किये जायेंगे। मध्यवर्ती अवधि में विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को फिर से तैयार कर सकेगा, जिन्हें पिछले कुछ महीनों में विभिन्न कारणों से एक गम्भीर धक्का लगा था। (विश्वविद्यालय के प्रांगण में अनुशासन को बनाये रखने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि विश्वविद्यालय समुदाय के किसी वर्ग द्वारा बाधा डालने वाली कार्रवाई से विश्वविद्यालय के काम में अड़चन पैदा न होने पाये, कुलपति जो कोई भी निर्णय लेते हैं, सरकार उनको पूरा समर्थन दे चुकी है और देती रहेगी।

मुझे यह भी उम्मीद है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों का शैक्षिक समुदाय शैक्षिक जीवन को जल्दी ही सामान्य बनाने के लिये उपयुक्त योजनाएं तैयार कर सकेगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई में कम से कम हानि हो। इस सभा के सभी वर्गों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया समर्थन शिक्षा के इस महान केन्द्र में सामान्य स्थिति लाने में निश्चय ही बहुत सहायक होगा।

श्री बी० आर० शुक्ल : खेद है कि इस महान शिक्षा-स्थल में गड़बड़ी हुई है। उपकुलपति के विवरण में अनुशासनहीनता के उन कार्यों का उल्लेख नहीं है जिनसे वहां स्थिति बिगड़ी। क्या यह सच नहीं है कि कार्यकारी परिषद् की बैठक में अप्रिय घटनाएं हुईं और प्रदर्शन भी हुए और प्रदर्शनकारियों ने परिषद् के सदस्यों के लिए बने भोजन को भी फेंक दिया? दूसरे क्या विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षाएं नियत समय पर हुई थीं या अवांछनीय घटनाओं के कारण स्थगित करनी पड़ी थीं?

तीसरे, कुछ लोगों का यह कहना है कि परीक्षाएं और कक्षाएं शांतिपूर्वक चल रही थीं और इसे बन्द करने का कोई औचित्य नहीं था। क्या दिसम्बर के आसपास छात्र बहुत सक्रिय होते हैं और वे या छात्रसंघों के कार्यकर्त्ता विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भाषण के लिए वहां बुलाते हैं और क्या सर्वश्री पीलू मोदी, विश्वनाथन, डा० फरीदी और चौधरी चरण सिंह को किसी विषय विशेष पर भाषण देने के लिए बुलाया गया था? क्या प्राध्यापकों के व्याख्यान पर्याप्त नहीं थे, इसीलिए इन व्यक्तियों के

भाषण कराये गए थे ? अतः मैं जानना चाहता हूं कि उपकुलपति ने किन कारणों से विश्वविद्यालय बन्द कर दिया जबकि कई लोगों ने अनुरोध किया है कि कुछेक व्यक्तियों की अवांछनीय गतिविधियों के कारण इसे इस प्रकार बन्द नहीं रखा जाना चाहिये।

प्रो० एस० नुरुल हसन : वहां इतनी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं कि उनका उल्लेख करते हुए भी शर्म आती है। छात्रों ने परिषद् के एक सदस्य को 'कुत्ता' कहा और एक कुत्ते के गले में 'रईस' लिख कर लटका दिया, जो विज्ञान संकाय के डीन हैं। यह सच है कि भोजन लूटा गया। छात्र संघ के अध्यक्ष ने परिषद् के सदस्यों से कहा कि उन्हें कैम्पस में घुसने नहीं दिया जाएगा। उपकुलपति ने छात्रों को समझाया और शिक्षकों को भी हस्तक्षेप करने को कहा परन्तु अन्त में बाध्य होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।

दूसरा प्रश्न परीक्षाएं स्थगित करने के बारे में है। यह मामला गत वर्ष आरम्भ हुआ था जब परीक्षाएं मई, 1972 के प्रथम सप्ताह के बजाय 20 मई, 1972 को आरम्भ करने के लिए कहा गया था। उनकी मांग थी कि जब तक संसद् में अनुकूल विधेयक नहीं लाया जाएगा तब तक वे नहीं मानेंगे। 18 और 19 मई, 1972 को परीक्षाएं अनिश्चित काल तक स्थगित रखने का आंदोलन चला। लगभग 1,000 छात्र उपकुलपति और रजिस्ट्रार के निवास-स्थानों पर गए और अन्त में वरिष्ठ शिक्षकों से परामर्श के पश्चात् परीक्षाएं 5 जुलाई, 1972 तक स्थगित कर दी गयीं। तदनुसार, प्रथम सिमेस्टर की परीक्षाएं 23 जनवरी, 1973 को करने का निर्णय किया गया परन्तु छात्र संघ के मंत्री से लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ कि इसे भी स्थगित कर दिया जाए, इस कारण उपकुलपति ने ये परीक्षाएं 5 फरवरी से किये जाने का निर्णय किया। फिर भी मांग की गई कि इन्हें और आगे तक स्थगित किया जाए। इस प्रकार ये परीक्षाएं फरवरी, 1973 के अन्त में आरम्भ हुईं। फिर भी 9-10 मार्च, 1973 को ये परीक्षाएं न कराने की मांग की गई जिससे 5 अप्रैल, 1973 तक भी कई विषयों की परीक्षाएं समाप्त नहीं हुईं थीं जबकि अधिकांश छात्रों की लगभग एक वर्ष की पढ़ाई खराब हो गई क्योंकि दूसरे सिमेस्टर की पढ़ाई अप्रैल में पूरी की जानी चाहिये थी।

कुछ लोगों का यह कहना कि अध्यापन सामान्य रूप से चल रहा था, गलत है क्योंकि मुझे मिले एक दस्तावेज के अनुसार जाकिर हुसैन कालेज के छात्र तथा अन्य कई कक्षाओं के छात्र पूरे-पूरे अपनी कक्षाओं से कई दिन तक अनुपस्थित रहे। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि उपकुलपति इसे बन्द करने के लिये बाध्य थे। यह बात तो ठीक है कि कुछ छात्रों के कुकृत्यों का फल सभी क्यों भुगतें। मुझे पता चला है कि विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति शीघ्र ही ऐसे छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ताकि शेष छात्रों की पढ़ाई में हर्ज न हो।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I feel that all that has happened in Aligarh University is due to the weakness of the Vice Chancellor. In Bihar, the Vice Chancellor ensured that all those students who were desirous of taking the examination were allowed to do so. Closing it down will not solve the problem. Some so Called Heroes' are usually at the bottom of such mischief. You could have gone to the extent of even making use of troops to ensure that examinations are conducted and completed as Scheduled.

I want to know what steps have been taken to prevent the University from becoming the grazing ground of party-politics consequent on passing of A.M.U. (Amendment) Bill ? How it is sought to be prevented from becoming the area of various political parties for the coming election ?

Is it not a fact that university dues are outstanding against many students and they do not want to pay, that is why they create trouble ? Is the newly appointed Dean a very Junior person and their teacher's representation is inadequate ? These are the causes of their discontent, whether communal elements have been active there and is likely to remain active for sometime ? whether before enacting the recent legislature, any steps were taken circle their activities ?

The hon. Minister talked of variety of reasons but the reasons mentioned by him do not justifying closure of the University. I still feel that the Vice-Chancellor was over-awed by certain unpleasent incidents. Otherwise the situation was not so grave as to warrant such an extreme step.

A fool proof procedure should be adopted for the recruitment and promotion of. teaching staff in the University as I understand that there is much bungling in this regard May I known the steps contemplated in this regard ? whether he would take steps to ensure that no political influence permeats into the campus till after the state elections (*Interruptions*)

I want him to state when it is proposed to reopen the University and whether all the precautionary steps have been taken to see that no one creates communal disharmony.

Prof. S. Nurul Hasan: First of all I want to make it clear that there should be no bar on entry of various political party-workers into Universities, nor it is proposed to be done in this case.

Regarding appointment of teachers, I may state that a Selection Committee has been appointed therefore with the approval of this House and if any specific instance of irregularity comes to Government's notice, we shall advise the Visitor positively. The allegation regarding Dean's appointment is also baseless and it is in accordance with the provisions of the Bill passed here. Regarding teachers' representation, Government is prepared to increase their representation. I may also add that there is maximum teacher representation in various Universities. Even then suggestion for further improvement are welcome. I have already stated that it would be most regrettable if universities are allowed to become the area of Communal politics and every one have would agree with me.

It has been said that the incident there do not justify closure. I may state that I have a very long list of incidents and I would request that I might not be pressed to relate all of them here. I gave only a sample of them. I can not say why so many political leaders went there although that was hardly the time when students welcome political speeches, but those who went there know better.

Regarding conducting examinations, I may submit that it is always better to do so without any external help.

Regarding discipline I have already stated that a committee has been set up to take urgent action to bring the guilty ones to took.

Regarding re-opening, it would have to be done in steps. I have already mentioned about the first instalment announced by the Vice Chancellor to be opened on 17th April. Similarly other instalments would follow and would be announced from time to time.

Regarding arrears of dues against students, I would call for full facts and necessary action would be taken in the matter.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): The closure of Aligarh Muslim University should be seen from the context of all events preceding its closure. When the concerned legislation was brought before the house, I had clearly said that the measure is undemocratic and should be referred to Select/Joint Committee not only Muslims but justice-loving Hindus also feel that the historic character of the university in giving freedom to Muslims to administer the affairs thereof. They have a sentimental attachment with this institution and the refore can not tolerate any encroachment thereof.

Support is drawn from Gajendragadkar Commission report for bringing this legislation but I do not think it is sacrosanct and can not be changed.

Why Student Council has been created when already there is students Union ? Nomination is made to unlimited extent, whether such constitution and court and Committees set up thereunder can be called democratic ? No doubt, the University should be reopened but a high-powered Committee should also be set up to recommend effective amendments after studying the shortcomings of the Act, and if necessary, a new Bill should be brought wherein the said historic character of the University should be guaranteed.

Perhaps Government is not aware of the fact that right reactionary Muslims are harming not only the Institution but they are also playing with the future of Students by their nefarious propaganda.

I take this opportunity to warn all those political elements who want to use this institution for their selfish political end that they would soon come to grief and the services, rendered by progressive congressmen and C.P.I. as also the contribution of Shri Nehru, Maulana Azad and now Smt. Gandhi.

The closure of the University has hit students the most. Their education has been jeopardised and I can say without any hesitation that there is no weight in the arguments advanced by the hon. Minister.

I have been to Aligarh and I was told that students have regretted the incident regarding Executives Council. Hundreds of Students are anxious to take examinations. I, therefore, want that arrangements should be made to hold examinations.

Prof. S. Nurul Hasan: The letter of regret was sent to the Vice Chancellor after he had closed down the University and even then it is not proper apology for the deplorable incidents involving the Executives Council.

Regarding retaining the historic character of the University, I want to emphasise that we wanted it and it has been retained in the Bill passed by the House recently.

Moreover the points raised by Shri Sambhali have been covered by me earlier on 6th and, therefore, I do not want to repeat them now.

Shri Indrajit Gupta (Alipore): In view of as many as 84 amendments brought by the hon. Minister himself I had submitted that the Bill be referred to a Select Committee.

Shri Ram Kanwar (Tonk): Sir, I oppose the move of the Vice Chancellor to close down the University. The recent Act passed by Parliament has greatly disturbed the teachers as well as the taught. We, therefore, feel that it should be suitably amended. There should be a uniform legislation for all the Central Universities and I hope the hon. Minister shall consider it.

Prof. S. Nurul Hasan: The hon. Member has given suggestion only. Regarding the first I have covered it earlier on 6th and regarding the other, I may submit that the basis structure of all the Acts regarding various universities is the same but since all of them have some peculiarities of their own, these have been retained in the respective Acts and I am sure that is what all the hon. Members intend.

(अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : कपड़ा मजदूरों की हड़ताल संबंधी स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकृत कर दिया है परन्तु इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस पर कई बार विचार हो चुका है फिर भी आपकी इच्छा मंत्री महोदय तक पहुंचा दी जाएगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : मैं, श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4796/73]।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1971-72 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4797/73]।

सदस्यों की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मैं, (एक) थाना अधिकारी, पुलिस स्टेशन, बरवाह और (दो) पुलिस अधीक्षक रतलाम, मध्य प्रदेश, से प्राप्त क्रमशः दिनांक 12 और 13 अप्रैल 1973 के दो तारों के बारे में सभा को सूचित करता हूं :—

(एक) कि श्री आर०बी० बड़े, सदस्य, लोक सभा को मध्य प्रदेश गेहूं (रेल, सड़क और जल मार्ग द्वारा लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1973 के उल्लंघन में 12 अप्रैल, 1973 को 18.20 बजे बरवाह पुलिस स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया और उन्हें जमानत न दे सकने के कारण हिरासत में रखा जा रहा है; और

(दो) कि डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, सदस्य, लोक सभा को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 13 अप्रैल, 1973 को 14.00 बजे रिंग रोड पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 25/73 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें तुरन्त न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उन्हें न्यायालय के उठने तक की सजा दी गयी।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं लौह और इस्पात तथा लौह-मिश्र धातु सम्बन्धी आयोजन विकास, उत्पादन, वितरण आदि के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 20वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) के सम्बन्ध में समिति का 32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6 LSS/73—11

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक
NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT (Amendment) BILL

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

बोकारो में श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में
Re: POLICE FIRING ON WORKERS IN BOKARO

श्री ज्योतिर्मय बसु (डासमंड हार्बर) : : मुझे एक तार मिला है जिसमें बोकारो इस्पात कारखाने में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस और बिहार मिलिटरी पुलिस की गोलियों से 10 श्रमिक मारे गए हैं और 40 घायल हुए हैं और प्रबन्धकों ने ठेकेदार से मिल कर मजूरी का भुगतान नहीं किया है और वहां छंटनी हो रही है। मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय, जो उपस्थित हैं, इस पर एक वक्तव्य दें।

इस्पात और खान मंत्री श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : 11 अप्रैल, 1973 को एक ठेकेदार गया प्रसाद ने 150 श्रमिकों की छंटनी फालतू होने के कारण कर दी और साथ ही चार मिस्त्रियों को दूसरों को उकसाने और गड़बड़ी करने पर आरोपपत्र दिए। श्रमिक इस पर नाराज़ हुए और हिन्दुस्तान स्टील के औद्योगिक संबंध विभाग में छंटनी से पूर्व के लिए बोनस, मकान किराये आदि की मांग करने गए।

बताया जाता है कि जब श्रमिक उक्त कार्यालय के निकट ही थे तभी उन्होंने गया प्रसाद ठेकेदार को घेर लिया। पुलिस इसका पता लगने पर शीघ्र ही वहां पहुंच गई और स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया किन्तु स्थिति बिगड़ने पर थाना-इंचार्ज, श्री धनेश उपाध्याय ने कुमक मांगी और रैज़िडेंट मजिस्ट्रेट के वहां पहुंचने पर जो रामनवमी के पर्व के सिलसिले में थाने में आए हुए थे, शांति बनाए रखने के सभी प्रयत्न किए परन्तु वे असफल रहे। तब उन्होंने चार नेताओं को बन्दी बना लिया, इस पर भीड़ और अशांत हो गई और न केवल बन्दियों को मुक्त करा लिया अपितु पुलिस वालों और मजिस्ट्रेट को भी मारा-पीटा। इस पर उन्होंने भीड़ को गैर कानूनी करार दिया और बाद में लाठी चार्ज करना पड़ा। फिर भीड़ पत्थर मारने लगी। उन्होंने थाना इंचार्ज को भी बुरी तरह पीटा। भीड़ थाने की ओर चली। उस पर ईंट-पत्थर फेंके और बाहर खड़ी दो गाड़ियों को नष्ट कर दिया। इससे पुलिस को बाध्य होकर गोली चलानी पड़ी

8 गोलियां थाने के अन्दर से और 8 गेट पर से चलाई गयीं। एक व्यक्ति सुरेश मुण्डा की वहीं मृत्यु हो गई, तीन अन्य गोलियों से घायल हुए और 11 दूसरे व्यक्तियों को अन्य प्रकार से चोटें आयीं। सभी घायलों को हिन्दुस्तान स्टील के चिकित्सालय में भर्ती कर दिया गया और दो की दशा गंभीर बताई जाती है। थाना इंचार्ज के अतिरिक्त एक हवलदार और सात सिपाहियों को भी चोटें आई हैं। ठेकेदार को भी घायल हुआ बताया जाता है परन्तु वह लापता है। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां कर दी गईं हैं और अब तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। शांति समिति बनाई गई है और छोटा नागपुर के उपायुक्त वहां का दौरा कर चुके हैं।

मुझे इस घटना में मरने वालों के लिए दुःख है। गत दो वर्षों से वहां का निर्माणकार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा था। इसलिए यह घटना और भी खेदजनक है। सदस्यगण जानते ही हैं कि शांति और व्यवस्था आवश्यक रूप से राज्य सरकार का विषय है और वही फैसला करेंगे कि इसकी किस प्रकार की जांच होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तार में तो 10 मरे और 41 घायल लिखा है। अतः मैं सच्चाई जानना चाहता हूं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने सच कहने का ही प्रयास किया है।

अनुदानों की मांगें—1973-74 (जारी)

DEMANDS FOR GRANTS—1973-74 (Contd.)

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय (जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी। श्री विभूति मिश्र अपना भाषण जारी रखेंगे।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I would request the centre to take over the work of execution of the Gandak Project and if it is not possible, the Bihar Government should be assisted liberally to ensure early execution. Similarly Kosi Project should also be taken over by the Centre. Government should also appoint an Evaluation Committee to find out whether funds from Gandak Project have been properly utilised or not.

Although Bihar is the second biggest State, hardly any Central Government Office is located therein. I would request Government to locate such offices in each State according to its population and need.

Secondly, I want that electricity charges should be uniform throughout the country and if needed Government should subsidize where such rates are high.

Natural Water Grid is a programme of the future but at present the problem of water-logging and flood control is really very grave and, therefore, something need to be done immediately.

I would like the hon. Minister to tour each state and personally listen to the difficulties of farmers to take concrete steps for removal thereof.

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मैं सबसे पहले उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड या आयोग जो कुछ भी यह है, द्वारा उत्पन्न समस्याओं की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने माल्दा

जिले में महानन्दा नधी वृहत योजना में मनमाने ढंग से परिवर्तन करके हजारों लोगों को बिना घरबार और बेकार बना दिया है। इस नदी को जोड़ने का मार्ग घनी आबादी वाले गांवों से होकर जाता है जहां हजारों घर बिना पूर्व सूचना के गिराये जा रहे हैं और किसानों को जिनके पास पहले ही बहुत थोड़ी भूमि है, बेदखल किया जा रहा है। जो लोग इस अवैध और अप्राधिकृत कार्य का विरोध करते हैं उन्हें राज्य के सिंचाई मंत्री के कहने पर अंधाधुंध गिरफ्तार किया जा रहा है। उक्त मंत्री आयोग के कार्यों में अनुचित रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा महानन्दा नदी के बांध के लिए सारी राशि उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग को अलाट की गई थी परन्तु इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वहां के के लोगों ने मुझे तारें तथा पत्र भेजे हैं जिनमें मांग की गई हैं कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग उक्त योजना में संशोधन के लिए एक विशेषज्ञ भेजे ताकि हजारों लोगों को जिनके मकानों को गिराया जा रहा है, बचाया जा सके।

माल्दा में बहुत सी भूमि कटाव के कारण गंगा के बहाव में आ गई है परन्तु दूसरी ओर उतनी ही भूमि से गंगा पीछे हट गई है। अतः बिहार में इस प्रकार फालतू हुई भूमि उन लोगों को दे दी जानी चाहिए जिनकी भूमि गंगा के कटाव में आ गई है। परन्तु अन्तर्राज्यीय प्रतिबन्धों के कारण माल्दा के लोगों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस बारे में दोनों राज्य सरकारों में एक लम्बी अवधि से झगड़ा चल रहा है।

विद्युतीकरण के मामले में यह क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और बिजली के अभाव के कारण इसका विकास भी नहीं हो रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पूर्णतया असफल हो गई है।

मैं जानना चाहता हूं कि तीस्ता परियोजना पर कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा क्योंकि उत्तर बंगाल की सिंचाई के लिए यही एक परियोजना है।

माल्दा में भी सिंचाई की कोई योजना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने तथा कठिनाइयों को कम कराने के लिए मंत्रालय क्या कार्यवाह कर रहा है

गंगा-कावेरी को मिलाने की योजना की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बारे में 8 अप्रैल को एक लेख "मदर इण्डिया" में प्रकाशित हुआ है। माननीय मंत्री उस लेख को देखें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) :सिंचाई मंत्री को उत्तर देने के लिए चार बजे बुलाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा इस पर सहमत हो।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। देश के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न राज्यों में सिंचाई योजनाओं का विकास करना आवश्यक है।

हमारे देश में अनेक नदियां हैं परन्तु हम इनका पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहे हैं जिस कारण इनसे बाढ़ आती है, और लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हमने सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए केवल 228 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया है। परन्तु बाढ़ से मकानों, फसलों को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये की हानि हो जाती है। इसके अतिरिक्त सूखा राहत कार्यक्रमों पर अलग रुपया व्यय किया जाता है।

इन लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की ओर सरकार ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति बहुत धीमी है। पानी के बंटवारे के बारे में क्या अनेक राज्यों में विवाद है। परियोजनाओं की धीमी प्रगति का एक कारण यह भी है। अनेक वर्षों से यह झगड़े चल रहे हैं।

यह कहा गया है कि मुख्य मंत्रियों का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि सरकार का विचार पानी को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने का है। यह विधेयक जितनी जल्दी पास हो, देश के लिए उतना ही अच्छा है।

बिजली का इस समय प्रति व्यक्ति खपत 93 यूनिट है परन्तु अन्य देशों की तुलना में यह अभी भी बहुत कम है।

उड़ीसा में प्रतिवर्ष बाढ़ तथा सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है।

माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि चौथी योजना के अन्त तक उड़ीसा में 28 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो जायेगी, इस समय उड़ीसा में 11 मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं जो कि काफी समय से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विचाराधीन पड़ी हैं। पता नहीं इन परियोजनाओं को कब पूरा किया जायेगा। हाल में उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से एक दल भेजने का अनुरोध किया है ताकि भीमकुण्ड बांध के लिए स्थान का चयन किया जा सके। राज्य में दो प्रमुख इंजीनियरों में विवाद के कारण स्थान के चयन में विलम्ब हो रहा है। उनमें स्थान के बारे में अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। माननीय मंत्री स्थान के चयन के लिए शीघ्र एक दल नियुक्त करें।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : प्रतिवेदन में 1947 से लेकर 1973 की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। परन्तु मेरे विचार में इतने लम्बे प्रतिवेदन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है इसी प्रकार उड़ीसा के बारे में भी कुछ वचन दिये गये थे। चार में से केवल एक अर्थात् हीराकुण्ड परियोजना ही अभी तक पूरी हो सकी है।

मध्यम श्रेणी की छः परियोजनाओं में से केवल तीन ही पूरी हो सकी हैं। परियोजनाओं के व्यय को बार बार बढ़ाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके कारण क्या हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि धनराशि की कमी के कारण ऐसा होता है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी देने में भी विलम्ब होता है। गंजम जिले में गत पन्द्रह वर्षों से जाराऊ-हारुभंगी योजना लम्बित है। माननीय मंत्री ने हाल में एक पत्र में बताया है कि अब सरकार इस पर विचार कर रही है।

राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में भी विलम्ब होता है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार को परियोजना को अस्वीकृत करने की धमकी देनी चाहिए। इससे स्थिति में सुधार हो सकता है।

मुझे पता लगा है कि एक समिति नियुक्त की जा रही है। इस समय पहले ही 102 समितियां हैं। मेरा अनुरोध है कि हमें समय समय पर स्थिति का पता लगाकर कार्यवाही करनी चाहिए।

मुझे पता लगा है कि महानदी डेल्टा परियोजना की लागत बढ़ जायेगी क्योंकि मूल्यों में वृद्धि हो गई है। यदि इस परियोजना में विलम्ब किया गया तो इसकी लागत में लगभग 3.67 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी। परन्तु इस चेतावनी के बावजूद भी कुछ नहीं किया जा रहा है।

प्रतिवेदन के अनुसार उड़ीसा में 46000 गांवों में से केवल 1300 गांवों में ही बिजली लगाई गई है। परन्तु मैंने सरकारी साधनों से जो आंकड़े एकत्रित किये हैं उनके हिसाब से लगभग छः हजार गांवों में बिजली लगाई गई है, क्या चौथी योजना के खत्म होने से पूर्व 10,000 गांवों में बिजली लगादी जायेगी ?

उड़ीसा में प्रतिवर्ष तूफान, बाढ़ तथा सूखे से तबाही होती है परन्तु केवल पारादीप में ही एक राडार लगाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में और क्या कार्यवाही कर रही है।

भीमकुण्ड, आनन्दपुर और मालनदी परियोजनाओं के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि इनको कब मंजूरी दी जायेगी ? माननीय मंत्री स्पष्ट रूप से बताया कि इनको कब शुरु किया जायेगा तथा कब पूरा किया जायेगा। महानदी डेल्टा परियोजना के लिए क्या 14.69 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जा रही है अथवा नहीं ?

मध्यम सिंचाई योजनाओं को भी अभी पूरा नहीं किया गया है। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है।

चेल्लीगाड से घोडाहोडा नदी में पानी डालना बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु इसके विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। आशा है कि डा० राव इस प्रचार से प्रभावित नहीं होंगे।

क्या यह सच है कि गुजरात बिजली बोर्ड ने पोरबन्दर स्थित ताप बिजली घर को बिड़ला बन्धुओं की फर्म सौराष्ट्र के मिकला को बेच दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं।

Shri P. Ganga Reddy (Adilabad): I support the demands of Irrigation and Power Ministry. We have made use of only 900 lacks acre feet water although we can use 4500 lack acre feet water. Only 24.5 per cent land is being irrigated. We have spent 5,676 crores of rupees on irrigation uptil now.

It was hoped to extend irrigation facilities to 11 lakh acres of land but these facilities have been provided to only a lack acres of land. It will not be able to achieve target of providing these facilities to 216 lack acres of land by the end of Fourth Plan.

About 14 states are involved in Water disputes. We will not be able to have a national water grid unless their water disputes are solved. We have suffered to the line of 900 crores of rupees due to these disputes since independence.

Immediate attention should be paid towards the completion of Dhowleshram Barrage. It has already been delayed.

The Scheme of shifting the Gaujra water to Nizam Sagar Dam should be cleared and construction of Dam at Singnur or koddur should be taken up immediately. Necessary funds should be made available.

Only one phase of the Pachampada project is being completed. more funds should be allotted so that the Project may be completed at an early date. Godawari North canal Project should be taken up. In this way we will be able to generate electricity also.

We will be able to generate only 202 lack units of electricity by the end of Fourth Plan whereas the target was to generate 230 lack units of electricity target will fall. The short by 15 per cent. The reason for less generation of Power is that we have not been able to produce generators in the country.

It is estimated that we have suffered loss to the line of 1000 crore of rupees for want of electricity. I would, therefore, suggest that Government should think of importing generator from various countries.

The target from the Fifth Plan has been fixed at 410 lack kwt. It is not difficult to achieve this target as we have enough Coal, Water, Uranium and Thoruim in the country. We should allot sufficient funds for the purpose.

At present major part of the electricity is supplied to industry and that too at concessional rates. A small part of electricity produced in the country is being supplied to agriculture at comparative rates. This policy should be reviewed. Research should be conducted for producing electricity from sun rayes and also from Hydrogen gas.

Efforts should also be made to save electricity which is wasted in transmission.

100 crores rupees have been allotted for creating employment opportunities for educated people. I suggest that 50% money should be diverted to this ministry for completing the various projects. In this way we will be able to give employment to many unemployed engineers.

Andhra Pradesh needs 980 megawatt whereas it generates 650 megawatt eletricity. This year line shortage of water has affected the generation of electricity badly. I would request the hon. Minister to allot sufficient funds so that different schemes such as Nagarjuna Sagar Pumping scheme could be completed.

The Kuntala Hydel Project should be cleared and work on it should be started at an early date.

Rural Electrification Corporation has done commendable jobs. It deserves congratulating Adilabad cluster scheme should also be sanctioned.

श्री वी० मायावन (चिदाम्बरम) : देश में बिजली की कमी से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय तमिलनाडु और मैसूर में जल-विवाद को हल करने में भी असफल रहा है। कावेरी जल के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर्याप्त कार्यवाही नहीं कर रही है क्योंकि मैसूर में केन्द्र के पसन्द की सरकार है। मैसूर द्वारा 1924 के समझौता का उल्लंघन किया जा रहा है मैसूर सरकार ने हेमवती जैसी अनेक योजनाएं इस करार के उल्लंघन में बनाई हैं। इनसे तमिल नाडु के हितों को भी हानि पहुंची है। मैसूर सरकार ने इन के बारे में तमिलनाडु को कभी जानकारी नहीं दी। इन परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा तकनीकी मंजूरी नहीं दी गई है।

तमिलनाडु सरकार ने 1969 में प्रधान मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा था। परन्तु विवाद को हल करने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस बारे में 1970 में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन भी असफल रहा था। यद्यपि केन्द्र सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि हेमवती परियोजना 1929 के करार के विरुद्ध है तथापि मैसूर सरकार इस बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है।

कावेरी से पानी को निकालने का प्रभाव तमिलनाडु में इस नदी में हो रही सिंचाई पर पड़ेगा। केन्द्र द्वारा नियुक्त आयोग ने कहा था कि किसी अन्य राज्य की तुलना में तमिलनाडु द्वारा कावेरी के पानी का प्रयोग किया जाना अधिक महत्वपूर्ण है। केन्द्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए। समूचा तंजोर डेल्टा कावेरी पर ही निर्भर करता है। मैसूर सरकार के कठोर रवैये को देखते हुए बातचीत का कोई लाभ नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि इस मामले को शीघ्र न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाये क्योंकि मैसूर सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। समाचार पत्रों में छपा है कि भारत सरकार 1924 के करार को 50 वर्ष के लिए बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऐसा करने का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि एक पार्टी इस का बराबर उल्लंघन करती जा रही है। तमिलनाडु सरकार राज्य में विद्युत की कमी के बारे में समय समय पर केन्द्र को सूचित करती रही है। इस कमी के बारे में दो केन्द्रीय मंत्रियों ने जो टिप्पणियां दी हैं; वह ठीक नहीं हैं। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश आदि सभी राज्यों में बिजली की कमी है। मुझे पता लगा है कि 30 अप्रैल को मुख्य मंत्रियों की बैठक होने वाली है। आशा है माननीय मंत्री इसमें कावेरी जल विवाद को तमिलनाडु के पक्ष में हल कर देंगे।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) I support the demands of the ministry of Irrigation and Power. The work on the Jirhut Canal under Gandale Project was started in 1960 but there seem to be no progress. The people of Samastipur and Vaishali districf do not hope to get the water in this century seeing the pace of progress on this project. The pace should be accelerated. The economic condition of Bihar is bad as floods and drought hit the states frequently. We, therefore, request you to take this project in your hands and try to complete at the targetted date.

Ganges Flood control Commission was set up in April, 1972. It has started functioning since August. They have Formulated some schemes about which the Members of Parliament have not been consulted. The work of the Barva and Surkhunna Dams should be taken by the Commission, During the 1971 floods thousands of people were rendered homeless. They are still in the roads. In the floods occured again it will ruin whole of Samastipur. No arrangements have been made to rehabilitate the victims of 1971 floods. These two claims should be put under the control of Ganges Flood Control Commission.

North Bihar is to much backward so far as rural electrification is concerned. Nothing has been done to electrify the villages in North Bihar. Dr. Rao has given an assurance that a big Power Station will be set up at Muzaffarpur. There is a thermal Power Station at Barauni but it is not meeting the needs of the people. Something should be done in this regard otherwise this region will remain backward.

Shri Nageshwar Dwivedi (Muchhlishahr) I rise to support the demands of the ministry of Irrigation and Power I congratulate the Government for its efforts to electrify even the remotest villages.

Today the whole country is facing power crises. Had we constructed sufficient numbers of dams while rivers there would not have been any shortage of power. In this way we would have been even able to use the water of these rivers for irrigation.

We have failed to make use of this under ground water which is available in plenty in Uttar Pradesh. I will requst the hon. Minister to make use of this water through tube-wells.

The Uttar Pradesh Government have submitted eight schemes for producing 1200 megawatt electricity at the cost of 330 crores of rupees. I hope the Central Government will give its clearance to these schemes. Some tube-wells have been left uncompleted. Their work should be completed at an early date.

Water should be declared as national Property. National power grid should be set up. Electricity at uniform rates should be supplied to farmers as well as to industrialists.

I suggest that medium sized dams should be constructed to store the water during the rainy season. It can help in irrigation. The existing water tanks should be used for irrigation purposes and nobody should be allowed to destiny them.

Jaunpur has witnessed a sever flood in 1971. I congratulate the hon-Minister as he has taken some measures to protect it from floods. I will request him be take some measures for the probitition of Birampur and other Villages which are being eroded by Gomati.

श्री एस० एस० संजीवीराव (काजीनाडा) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। देश की आवश्यकताओं को देखते हुए इस मंत्रालय को जो धनराशि दी गई है वह बहुत कम है, बिजली की मांग उत्पादन से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। औद्योगिक विकास के लिए विद्युत का बहुत महत्व है। अतः विद्युत का विकास पांचवीं योजना में औद्योगिक विकास की अपेक्षित दर को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।

चौथी योजना में बिजली का उत्पादन 230 लाख किलोवाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु इस लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया गया है और आशा है कि योजना के अन्त तक केवल 200 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन ही हो सकेगा। इस वर्ष मानसून भी कम हुई है और इससे जलाशयों पर कम पानी आया है और इससे कम बिजली के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। देश में जितने भी बिजली घर हैं अपनी निर्धारित क्षमता से काफी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तारापुर परमाणु बिजली घर की स्थिति भी ऐसी ही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ताप बिजली घर भी निर्धारित क्षमता से कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं कुछ बिजली घर फालतू पुर्जों तथा कोयले के समय पर न मिलने के कारण बेकार पड़े रहते हैं। मंत्रालय का विचार पांचवीं योजना में विद्युत उत्पादन की निर्धारित क्षमता को 200 लाख किलोवाट से बढ़ाकर 400 लाख किलोवाट करने का है। परन्तु मुझे इस बारे में शंका है कि क्या वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

जहां तक कच्चे माल का सम्बन्ध है देश में कोयले का उत्पादन 70,000 मिलियन टन है। इसमें से ताप बिजली घरों के लिए केवल 16,000 मिलियन टन कोयला प्रयोग किया जा रहा है। देश में 30,000 टन यूरेनियम तथा 500,000 टन थोरियम है मेरा अनुरोध है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाये।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है आंध्र प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य सरकार ने 400 मैगावाट क्षमता का एक ताप बिजली घर विजयवाड़ा में स्थापित करने की योजना बनाई है परन्तु उसे योजना आयोग ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। यह कहा गया है कि इसके लिए 90 मील की दूरी से कोयला लाना पड़ेगा। परन्तु योजना आयोग ने अभी कुछ दिन पूर्व एन्नोर में ताप बिजली की मंजूरी दी है और जिसके लिए 400 मील की दूरी से कोयला लाना पड़ेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त ताप बिजली घर को भी मंजूरी दे दी जाये।

लगभग 100 वर्ष पूर्व सर आर्थर काटन द्वारा गोदावरी बांध बनाया गया था। अब यह बांध बहुत कमजोर हो गया है। राज्य का विचार 35 करोड़ रुपये की लागत से एक अन्य बांध बनाने का है। इसके लिए स्थानीय लोगों ने लगभग 5 करोड़ रुपये दिये हैं। गत वर्ष राज्य सरकार ने 90 लाख रुपये खर्च किये थे। इस प्रकार इसके बनाने पर अनेक वर्ष लग सकते हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं नर्मदा परियोजना के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । इस देश की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस परियोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इस परियोजना के बारे में चार राज्यों में विवाद है और यह विवाद न्यायाधिकरण को सौंपा गया था। चुनाव के बाद चारों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस विवाद को प्रधान मंत्री को सौंपने का निर्णय किया था। परन्तु अभी तक इस विवाद का कोई हल नहीं निकाला गया है। आशा थी कि प्रधान मंत्री का फैसला दिसम्बर 1972 में आ जायेगा परन्तु अभी तक इसका कोई फैसला नहीं किया गया है। इससे लोगों के दिल में विशेषकर गुजरात के लोगों में शंका उत्पन्न हो गई है। गुजरात को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसी लिए वे चाहते हैं कि इसको तुरन्त क्रियान्वित किया जाये। इससे राष्ट्र को हानि हो रही है क्योंकि पानी समुद्र में बह जाता है और उसका कोई प्रयोग नहीं होता । विशेषज्ञ समिति ने नौगांव में बांध की ऊंचाई के बारे में भी अपना निर्णय दिया है, मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस विवाद के बारे में अपना फैसला शीघ्र दें ताकि इस योजना को क्रियान्वित किया जा सके।

श्री जी० मुबारहन (मैसूर) : मैं मांगों का समर्थन करता हूं। बिजली के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए बिजली बहुत आवश्यक है। जहां तक लक्ष्यों का सम्बन्ध है, उत्पादन में 24 से 30 प्रतिशत तक की कमी हुई है। 1969 में एक मितव्ययता समिति नियुक्त की गई थी। उसने अनेक सुझाव दिये थे। उन्होंने सिफारिश की थी कि विद्युत योजना तथा अन्य योजनाओं की समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए। परन्तु उसका पालन नहीं किया गया। प्रेषण में ही 18 प्रतिशत की हानि हो जाती है। इसमें कमी की जा सकती है।

तमिलनाडु को भी बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति पर्याप्त कोयला सप्लाई न किये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार की आलोचना कर रहा है। प्रतिवेदन की सूची में मदुरै यूनिट का उल्लेख किया गया है हालांकि इस यूनिट को तमिलनाडु सरकार ने दो वर्ष पूर्व ही बेच दिया था। वे लोग कोयला लेने में रुचिकर नहीं हैं। यदि वह कोयला लेना चाहें तो ले सकते हैं परन्तु वे तो केन्द्र से झगड़ा करने में रुचिकर हैं। ऐसा लगता है कि तमिलनाडु सरकार अधिक बिजली उत्पादन में रुचिकर नहीं है।

तमिलनाडु में धागे का उत्पादन सब से अधिक होता है। परन्तु विजली में 75 प्रतिशत कटौती के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाये।

होजीनेखल एक महत्वपूर्ण पन बिजली परियोजना है। इसको शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए। नेवेली दूसरी 'माइन-कट' परियोजना को भी मंजूरी दी जानी चाहिए।

कलाक्कम परमाणु बिजली घर की स्थापना में बहुत विलम्ब किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस विलम्ब के कारण क्या हैं? कुछ त्रुटियों के कारण एन्नोर ताप बिजली घर की स्थापना में भी विलम्ब हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इन त्रुटियों के लिए कौन जिम्मेदार है।

तूतीकोरीन ताप बिजली घर के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था। परन्तु इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।

कावेरी विवाद के बारे में तथ्य जानने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी, समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। अतः इस मामले को तुरन्त हल किया जाना चाहिए। मुझे पता लगा है कि श्री राव इस समस्या को बातचीत द्वारा हल करना चाहते हैं। यह एक प्रसन्नता की बात है।

गंगा कावेरी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो इस परियोजना पर सच्चे दिल से काम करना चाहिए। इन शब्दों के साथ में मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ग्रोसग्राम)** : मैं सरकार का ध्यान हर दो अथवा तीन वर्ष बाद अजय नदी द्वारा की जाने वाली तबाही की ओर दिलाना चाहता हूं। इस नदी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस नदी से बिहार तथा बंगाल के लाखों लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। इस नदी में आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। क्या इस बारे में पांजवीं योजना में कोई योजना सम्मिलित की गई है अथवा नहीं? कुनूर नदी में से रेत निकालने के लिए भी योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

1956 में आई भीषम बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। इसके प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि अजय नदी के किनारे प्रायः टूट जाते हैं। सरकार ने इनके बचाव के लिए कुछ कार्यवाही तो की है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। बाढ़ के पानी को जलाशयों में जमा किया जा सकता है। इससे सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी और बिजली भी उत्पन्न की जा सकेगी। पांचवीं योजना में ऐसी बहु प्रायोजनीय योजनाओं को हाथ में लिया जाना चाहिए।

तीसरा बांध योजना को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में ले लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बारे में केन्द्र से अनुरोध भी किया है। धन्यवाद।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): Sir, it is needless to mention the importance of water and power for the mankind.

Shri K. N. Tiwari in the Chair

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये

588 Irrigation schemes were approved in 1951 and 366 have been completed out of these. Government has decided to form a National Water Grid in order to overcome the difficulties encountered. This proposal is a welcome step. But even then one has to admit that the performance of this Ministry has not been upto expectations. 70 per cent of our population depends on agriculture and be have about 38 crore acres of agricultural land but out of this only about one Fourth is irrigated land.

There have been many Inter-states disputes with regard Ganga, Godawari, Narmada, Kaveri, some and Krishna Rivers and there are still to be solved. It has also created a hurdle in the field of irrigation. Expeditious action should be taken to solve this problems.

It is very painful that we are neglecting small irrigation schemes and bying stress on Major and medium Schemes. Our failure to achieve the target is due to this factor. The work of the Gandak Project started 10-12 years ago at a cost of 56 Crores of rupees. Though the cost has increased to 120 crores the project has not been completed so far. East Kosy Canal, though constructed recently, is silted and irrigation is suffering the work with regard to western Kosi Canal has begun but it is not going on smoothly. All these difficulties come with major porjects.

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतर।

Summarised Translated version based on English Translation of speech delivered is Bengali.

I want to suggest that during summer water should be pumped out from the Ganga and other big rivers and flowed in their tributories and other small rivers so that it could become available for irrigation without digging of Canals. Amounts meant for relief measures should be spent on digging ponds in villages so that there is no shortage of drinking water during drougts. Surveys for underground water should be conducted and wells dug.

These being shortage of power, diesel pumps should be manufactured in sufficient number of considered necessary plant for their manufacture should be imported.

Though generation of power has increased eight fold since 1951 but sufficient power is not being made available to North Bihar. Per Capita Consumption figures for the whole country is 91 units whereas it is 13 units in North Bihar.

Step motherly treatment is being given to Bihar with regard to establishment of thermal Power stations. Therefore, there is wide spread discontment in the public. The Government had decided in 1965 to set up Regional Electricity Boards at to different places in the country. On the basis of this decision an eastern regional electricity Board was set up and it was decided to have its headquarters at one place for 2 years. Later on it was decided that it should have a permanent office in Patna. This Board was set up there in 1965 and is since working there. But now it has been decided to shift it to West Bengal. This is not fair towards Bihar. I would, there fore request that this decision should be reconsidered and Board may be allowed to continue in Bihar.

श्री गिरिधर गोमागो (कोरापुर) :—उड़ीसा तथा विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो समस्याओं अर्थात सूखा और बाढ़ों का सामना करना पड़ता है । सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने पानी उपलब्ध करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई थीं । जल के संबंध में कुछ अन्तर्राज्यीय विवाद चल रहे हैं । डा० राव ने उड़ीसा के गन्जाम, कोरापुर तथा अन्य जिलों की यात्रा की थी । अपने प्रतिवेदन में उन्होंने सुझाव दिया था कि बन्सधारा नदी की बाढ़ के कारण दोनों किनारों पर स्थित शहरों और खेती योग्य में भूमि को क्षति पहुंची है अतः इस नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाये परन्तु अब यह बांध उड़ीसा में न बनाया जाकर आन्ध्र में बनाया जा रहा है । इसी प्रकार कोलाब, इन्द्रावती और बहुड़ा नदियों के जल के संबंध में भी विवाद हैं ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ने आदिवासियों के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की जिसने 1972 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । उक्त समिति ने आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था के लिए 115 करोड़ रुपये के व्यय और विद्युतीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये के व्यय की सिफारिश की । मुझे आशा है कि मन्त्रालय इन सिफारिशों को भावी योजनाओं में कार्यान्वित करेगा ।

मेरा अनुरोध है कि कोलाव, इन्द्रावती और पोत्तरू की बहुद्देशीय परियोजनाओं और बड़ा नाला, रामानदी तथा बहुड़ा की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाये । जिससे कि उड़ीसा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो । कोरापुर और गन्जम जिलों में आदिवासी ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाये ।

श्री ए० के० क्षशत्री (बेलगांव) : सिंचाई और विद्युत ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए अन्यन्त महत्वपूर्ण हैं । यह ठीक ही कहा गया है कि देश की समृद्धि मापने का मापदंड विद्युत की खपत है । पिछले 25 वर्षों में हम बिजली के उत्पादन की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाये । हमारे देश में बिजली का मुख्य स्त्रोत पन बिजली परियोजनाएं हैं । इसी कारण वर्षा की असफलता के कारण बिजली की कमी है । यदि बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किये गये तो बिजली की मांग उपलब्धता से बहुत अधिक बढ़ जायेगी । मैसूर में 5500 मेगावाट बिजली

उत्पादन की क्षमता है। हमने अभी तक केवल 7 परियोजनाएं चालू की हैं जिनकी क्षमता 966.6 मेगावाट है। 290 करोड़ रूपये की लागत की 6 अन्य परियोजनाओं की स्थापित क्षमता 1623 मेगावाट है। इनमें से शरावती चरण 3 तथा लिंगनमक्की बांध बिजली घर परियोजनाएं चौथी योजना में सम्मिलित हैं। शेष 4 परियोजनाओं में से कालीनदी-चरण 1 तथा कालीनदी-चरण 2 को केन्द्रीय सहायता की अपेक्षा है। इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये। वराही और बेडकी परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं। यदि इन उपरोक्त परियोजनाओं को सरकार मंजूरी दे दे तो इनको पांचवीं योजना में चालू किया जा सकेगा अन्य राज्यों में तापीय बिजली घरों पर धन लगाने की अपेक्षा मैसूर में कम मूल्य की इन पन-बिजली परियोजनाओं पर धन लगाना अधिक उपयुक्त होगा। मैसूर के पास पन-बिजली परियोजनाओं के निष्पादन के लिए तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध है। इससे स्थापित क्षमता 966 मेगावाट से बढ़ कर 2589 मेगावाट हो जायेगी।

हमारे देश में कृषि से लगभग आधी राष्ट्रीय आय उपलब्ध होती है। देश में अधिकतर क्षेत्रों में कृषि वर्षा के जल पर निर्भर करती है। अतः हमें वर्षा के जल पर कृषि की निर्भरता को कम करना चाहिये और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये।

मैसूर में कृष्णा घाटी में तीन प्रमुख परियोजनाएं अर्थात घाटप्रभा, मालाप्रभा और अपर कृष्णा हैं। इनकी अनुमानित लागत 239.77 करोड़ रूपये है। इनके पूरा हो जाने से बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़ और गुलबर्गा के सूखाग्रस्त जिलों को सिंचाई सुविधाएं मिल सकेंगी। इसी विचार से मैसूर के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से विशेष सहायता की मांग की है जिससे कि इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

Shri B. N. Bhargava (Ajmer) : I feel that provision for irrigation and power is not adequate, keeping in view the requirements of the country. Ours is an agriculture based country. Our economy is mostly dependent upon agriculture in which irrigation is a major factor. Agriculture in large areas of our country depends on rain water. Rains are irregular in our country. If we have to improve the economy of our country, we have to give high priority to irrigation.

Prior to First five year Plan, irrigation facilities existed for 560 lakhs acres of land and by the end of 4th Plan this figure would have risen to 1000 lakhs acres. This is a good achievement but even then we have a long way to go. Keeping it in view, it is the prime need of the hour that we should make use of all resources at our disposal to make available irrigation facilities for rest of the agricultural land.

Some areas of the country are affected by floods and some areas are affected by severe droughts every year. To check this recurring loss, we should accord high priority to major irrigation projects, so that problem of Floods and droughts are solved. I would suggest that water should be declared 'national property 'we should try to solve interstate water disputes in order to make maximum utilization of this national property.

It is a pity that though it is agricultural country, condition of our farmers not good. There are large areas of land in our country which are lying uncultivated due to nonavaibilaity of irrigation facilities. This is a national loss. for exampl in Rajasthan alone 43.5% agricultural land is lying uncultivated due to non-availability of irrigation facilities. It is therefore necessary and in national interest to make availble irrigation facilities.

Bhakra and Ganga can irrigate 16 lakh acres of land whereas facilities for irrigation of 12 lakh acres have been provided. Surplus water from neighbouring states should be made available to needy states.

Rajasthan Canal is a major project and it is not possible for the State Government to complete it with its own resources. We sholuld make national effort to complete it. I would request that Central Government should take over this project. Pong Dam should have been completed by now. 2nd phase of Rajasthan Canal has also not been completed. It would have irrigated 30 lakh acres of land. Sidmukh and Mohar Projects, Gurgaon Canal and Bharatpur feeder Canal, Yamuna Canal Scheme, Mohi and Manuede Projects can provide irrigation facilities for 158 lakh acres of agricultural land in Rajasthan. These should therefore be completed.

Lasaria Dam Project in Ajmer District was included in Second five year Plan but it has not been implemented so far. Central Government had undertaken to complete all the projects in erstwhile Ajmer State. But Rajasthan Government is neglecting the area. I request that above project should be completed.

Supply of drinking water to Ajmer city is a major problem. Though lot of money is spent on temporary plans but permanent steps are not undertaken. I would request that Chambal Lift Scheme should be completed to solve the problem. This problem needs solution at the national level.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबान) : सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के लिए जितनी राशि का प्रावधान किया गया है वह देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वथा अपर्याप्त हैं । इस राशि में वृद्धि की जानी चाहिये ।

प्रत्येक पांच वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता को दोगुना करने की आवश्यकता है परन्तु हम प्रति-वर्ष केवल 10 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त कर पाते हैं इसी कारण से मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही ।

देश के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में रक्षा मंत्रालय के पश्चात इस मंत्रालय का स्थान है । हमने देश से गरीबी को समाप्त करने का निश्चय किया है । इसके लिए सिंचाई और बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है । इसके बिना हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते ।

हमारे देश में कहीं सूखा पड़ रहा है और बाढ़ें आ रही हैं । सिंचाई के लिए हमें वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता है । यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ।

हमें पन बिजली तथा तापीय बिजली परियोजनाओं पर अपनी निर्भरता को समाप्त करके अणु शक्ति बिजली घरों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना चाहिये । आज देश में कारखानों में उत्पादन में हानि के कारण प्रतिमास 30 करोड़ रु० की हानि हो रही है । मजदूरों की जबरन छुट्टी के कारण मजदूरों को प्रतिमास 20 करोड़ रुपये की मजूरी की हानि हो रही है । इस प्रकार इन दोनों के कारण राष्ट्र को 10 मास में लगभग 500 करोड़ रुपये की कुल हानि होगी ।

तापीय बिजली घरों का प्रबन्ध ठीक नहीं है । उनको चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है । आन्ध्र प्रदेश की रामागुन्डम् परियोजना इसका उदाहरण है । भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स और हैवी इलैक्ट्रीकल्स द्वारा इन संयंत्रों के पर्याप्त उपकरण सप्लाई नहीं किए जा रहे मेरा सुझाव है कि इन दोनों कारखानों को कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन किया जाए ।

निजामाबाद में निजामसागर परियोजना से 2,75,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । पिछले कई वर्षों से इसकी उपेक्षा के कारण इसमें 60 प्रतिशत तक गाद जम गई है । इस परियोजना क्षेत्र में तीन चीनी कारखाने हैं । इस परियोजना की असफलता के कारण उनका उत्पादन बंद हो गया है । केन्द्रीय सरकार को अगले वर्ष उत्पादन शुल्क में 3.4 करोड़ रुपये की हानि होगी । केन्द्रीय सरकार को इस परियोजना के लिए एक करोड़ रुपया उपलब्ध करना चाहिये ।

मंत्रालय पुरानी परियोजनाओं की उपेक्षा करके नई सिंचाई योजनाओं पर अधिक धन व्यय कर रहा है। ऐसा न कर के पुरानी परियोजनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये जिससे कि वे परियोजनाएं सिंचाई के अयोग्य न बन जाएं। उनके अन्तर्गत भूमि अधिक उपजाऊ है।

Shri PannaLal Barupal (Ganganagar): We should learn lesson from Israel. That country has turned its desert areas into fertile land. We could pursue the policies adopted by that Country and from Rajasthan into a green area.

Flow of water from Sutlej and Beas Rivers to Pakistan was to be stopped after 1970. But we have not been able to Co istruct channels for Pong Dam and water is still flowing towards Pakistan.

There is a 7 km. long Mountains between Gangotri and Yamunotri near Dam Prayag. If water from River Ganga could be fed in River Jamuna through a tunnel in the said mountain and then the water of both these rivers could be fed in River Ghagghar by Constructing an other tunnel in a mountain 5 km. long which separates these rivers, Rajasthan could get plenty of water. This could solve the problem of drought in Rajasthan for ever.

Work of Rajasthan Canal Board is not going on smoothly. There is a lot of bungling. Enquiries about these bunglings should be conducted through C. B. I. the Chairman of the Board is responsible for all this. He is showing lot of money as digging expenses whereas no digging operations are undertaken. In the process pennyless pensons are becoming millionaires.

Though there is water in the Canal, it is not given to farmers. And Chairman is behind this. So long as he was getting money, farmers were getting water. But with the stoppage of money supply to farmers has also been stopped. This chairman should immediately be removed from the post.

श्री पी० आकिनीडु प्रसाद राव (ओंगोल) : बिजली उत्पादन देश की प्रगति एवं समृद्धि को मापने का पैमाना है। हमारे देश में आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा। उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक धन लगाया गया है परंतु बिजली की कमी के कारण न केवल उत्पादन ही प्रभावित हो रहा है, अपितु बिजली उत्पादन उद्योग में लगे अनेकों मजदूरों की नौकरी भी असुरक्षित हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देकर बिजली उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये।

देश में बिजली का जितना उत्पादन हो रहा है उसका वितरण भी समुचित नहीं है। बिजली उत्पादन का कार्य राज्यों के जिम्मे है और राज्य उसका उपयोग अपने विचार के अनुसार कर रहे हैं। कुछ राज्यों में बिजली बिल्कुल उपलब्ध नहीं है जबकि कुछ अन्य में ऐश्वर्य के लिए उसका उपयोग हो रहा है। आन्ध्र प्रदेश में प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे 15 मेगावाट की स्थापित क्षमता उपलब्ध है जबकि तमिलनाडु की उपलब्धता 50 मेगावाट है। तमिलनाडु के बिजली उत्पादन के लिए कोयला आन्ध्र प्रदेश से मिलता है परन्तु हमें वहां से कुछ भी बिजली उपलब्ध नहीं की जाती। केन्द्र को बिजली उत्पादन और वितरण का कार्य अपने हाथों में लेना चाहिये। इस संबंध में राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की जानी चाहिये और राज्यों की आवश्यकता अनुसार बिजली का वितरण किया जाना चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की आवश्यकता 900 मेगावाट है जबकि स्थापित क्षमता 650 मेगावाट है जिसमें केवल 350 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। पम्पों, उर्वरकों तथा मजदूरों पर इस आशा से धन लगाया गया कि उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा परन्तु आज स्थिति इसके विपरीत है। बिजली की कमी के कारण अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। आंध्र

प्रदेश को इस बारे में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये । धन की कमी के कारण बहुत सी परियोजनाएं लटक रही हैं । इनको प्राथमिकता देकर शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिये । इससे राज्य की कठिनाईयां काफी सीमा तक दूर हो जायेंगी ।

आन्ध्र प्रदेश में अधिकतर पन-बिजली का उत्पादन होता है । जब भी वर्षा की कमी हो उसके गंभीर परिणाम प्रकट होते हैं । अतः इस राज्य में अधिक तापीय बिजली घर स्थापित किए जाएं। विजयवाड़ा तापीय बिजलीघर परियोजना और कोठागुडम विस्तार संख्या 4 के संबंध में सम्भाव्यता अध्ययन तैयार हो चुके हैं । अतः इन्हें पांचवीं योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

श्री पी० एम० सईद (लक्कीदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह) : मैं वर्ष 1967 से यह मांग करता आ रहा हूं कि देश में शिक्षा संबंधी प्रबन्ध किसी स्थान पर उपलब्ध कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर किए जाएं । सरकार ने अब अनुभव कर लिया है कि लक्कदीव द्वीप में शिक्षा रोजगार-प्रधान होनी चाहिये । अतः इस वर्ष से वहां पर शिक्षा को रोजगार प्रधान बनाया गया है । आंठवीं कक्षा के आगे की शिक्षा को मत्स्य तकनीकी पर आधारित बनाया गया है ।

मत्स्य उद्योग के विकास के लिए हमने मैसूर तथा केरल के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया तो विद्युत की अधिक लागत होने के आधार पर वहां पर उद्योग की स्थापना का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया । देश के उस भाग में बिजली की प्रति यूनिट लागत सब से अधिक है ।

दूसरी ओर जब हम बिजली की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि वहां पर कोई उद्योग नहीं है । अतः बिजली की क्या आवश्यकता है । उद्योग की मांग करें, तो कहा जाता है कि बिजली उपलब्ध नहीं है ।

आबादी वाले 10 द्वीपों में प्रत्येक में एक एक जनरेटिंग सेट है । जिसके खराब हो जाने की अवस्था में उसे जहाज द्वारा देश में लाना पड़ता है । उसमें परिवहन कठिनाइयां आती हैं । जिस कारण लागत और भी बढ़ जाती है । सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को वहां पर बिजली से राजसहायता देकर उसकी दर देश के अन्य भागों की दर के स्तर पर लानी चाहिये । गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में हमें बताया गया था कि द्वीप समूह के लिए अधिक सेट प्राप्त करने का मामला पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय के विचाराधीन है । मेरा अनुरोध है कि दूरस्थ क्षेत्रों की आवश्यकताओं के मामले में द्वीप समूह को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । द्वीप की समस्या के स्थायी हल के लिए कम लागत पर बिजली पैदा करने के भी प्रयास किये जाने चाहियें ।

Shri Mahendra Singh Bisht (Almora) : U. P. and Bihar are most backward in respect of Power. Moreover power is costlier there in comparison to other states. All the villages of kerala and Haryana have been electrified whereas 8 per cent Villages have been touched in Bihar and U. P.

There are eight districts of hilly areas of U. P. Rivers Ganga and Yamuna flow from these districts but these districts are not given any electricity and water from these Rivers. There are no arrangements for irrigation in those areas. Government should arrange for lift irrigation Schemes or construct small dams for those areas.

We can small schemes with regard to Power. 17 schemes for Pithoragarh were sanctioned but none was implemented and money sanctioned was allowed to lapse. There is much potential for power in these districts. We have merely to top it. Tehri Dam has been sanctioned but dispute with regard to rehabilitation and Compensation shoudl also be settled at an early date. There is Pancheshwar Dam , which was described as a best Dam of the Country, but progress with regard to it is very slow.

Kumaon and Garhwal have natural beauty. If proper attention is paid towards the development of the area it can attract vast tourist traffic. In natural beauty, it compares with Switzerland. But for all this development power is the basic necessity. Raw materials are available for many industries but infra-structure is not developing for want of power. The areas abound in mineral resources but these are not being exploided.

Shri Hemendra Singh Banera (Bhilwara): Central Government had sanctioned an amount of Rs. 1.30 crores for Meja Dam Irrigation scheme for Bhilwara three years ago. But the work did not start. Last year estimates for the said scheme were revised to Rs. 3 crores. If the work is started, it can provide employment for 15,000 workers.

The Government had provided assistance for Chokham Dam. May I know by what time it is going to be completed? Central Government had permitted Rajasthan to set up a 100 MW plant three years ago. Rajasthan Government has not taken action to this regard.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मेरे विचार से यह पहला अवसर है जबकि सदस्यों ने ग्रामीण भारत की समस्याओं की बात की है। चर्चा के दौरान सिंचाई और विद्युत के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को केवल मात्र दर्शक ही न बने रह कर इन दोनों क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान देना चाहिये। यह मंत्रालय इस समय केवल एक समन्वय संस्था है और इसके द्वारा भूमि की सिंचाई नहीं की जाती और न ही स्वयं बिजली का उत्पादन किया जाता है। हम अब तक समन्वय और तकनीकी सहायता ही प्रदान करते रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले वर्षों में रेलवे डाक-तार तथा अन्य विभागों की तरह यह मंत्रालय भी देश में सिंचाई और विद्युत की वास्तविक आयोजना और विकास में अपना योगदान देगा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से स्थिति सुधरी है। सिंचित क्षेत्र पहले से दोगुना हुआ है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सिंचित क्षेत्र में से एक तिहाई भाग ऐसा है जिसमें टैंकों व उथले कुओं से सिंचाई होती है जो कि सूखा के समय बिल्कुल शुष्क हो जाते हैं। इसके कारण खाद्य उत्पादन प्रभावित होता है। सिंचाई की वर्तमान पद्धति का यह सब से बड़ा दोष है।

देश की इन समस्याओं पर विचार करते समय हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हमारी जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। इस शताब्दी के प्रारंभ पर देश की जनसंख्या 15 करोड़ थी जो कि शताब्दी के मध्य में 30 करोड़ हो गई और अब यह 55 करोड़ है। इस बात को ध्यान में रख कर हमें सिंचाई के प्रबंध करने चाहिये जिससे कि अधिक फसल उगाई जा सके। इस समय हम केवल एक चौथाई भूमि का ही उपयोग कर पा रहे हैं। परन्तु हमारा उद्देश्य इस शताब्दी के अंत तक आधी भूमि का उपयोग सुनिश्चित करने का है। इस उद्देश्य को सामने रख कर हम पिछले 10 वर्षों से प्रतिवर्ष 15 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की योजनाओं में हमें प्रतिवर्ष 30 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के प्रयास करने हैं। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस संदर्भ में मैं केवल मुख्य तथा मध्यम सिंचाई की बात कर रहा हूं न कि लघु सिंचाई की। पांचवीं योजना में सरकार का 150 लाख एकड़ भूमि को मुख्य और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत लाने का उद्देश्य है।

एक सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हमें पहली योजना में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये। लगभग 59 मुख्य सिंचाई परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। इस कारण उनकी लागत में वृद्धि हो रही है। मूलतः इन परियोजनाओं की लागत

6 LSS/73—12

का अनुमान 1,200 करोड़ रु० था परन्तु अब बढ़ कर ये लागत अनुमान 2,700 करोड़ रु० हो गये हैं। पांचवी योजना में लगभग 1000 करोड़ का उपबन्ध कर के इन सब को पूरा किया जा सकता है। अतः मैं भी यह समझता हूं कि पांचवी योजना में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिये कि उन परियोजनाओं को पूरा किया जाये जिनका कार्य पहले की योजनाओं में प्रारम्भ किया गया।

हमारे देश में मैसूर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य हैं जिनमें सिंचाई की प्रतिशतता औसत से कम है। चौथी योजना के अन्त में देश में यह प्रतिशतता 26 होगी परन्तु इन राज्यों की प्रतिशतता 18 होगी। मध्य प्रदेश की प्रतिशतता सब से कम है। यह केवल 9 है। मध्य प्रदेश में 510 लाख एकड़ भूमि पर खेती होती है परन्तु इसमें से केवल 9 प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है। पंजाब में 140 लाख एकड़ भूमि है जिसमें कृषि की प्रतिशतता 70 प्रतिशत है। अतः हमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई योजनाएं प्रारम्भ करनी होंगी। आयोजना में हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि सिंचाई की दृष्टि से पिछड़े राज्य उचित स्तर पर लाये जायें।

हमारे देश के एक तिहाई भाग में सूखा है। पिछली शताब्दि में देश में काफी क्षेत्रों में गंभीर दुर्भिक्ष पड़ा। उसके पश्चात् उत्तर तथा दक्षिण में अनेक परियोजनाएं प्रारम्भ की गई। हमें उस कार्य को जारी रखना है। वहीं पर ही समाप्त नहीं करना। गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि इस देश में सिंचाई के बिना कृषि एक जुआ है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि देश के सूखा क्षेत्रों का पता लगाया जाये। उन क्षेत्रों की कठिनाइयों का पता लगाना, उन्हें दूर करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिये। सिंचाई आयोग ने भी यही सिफारिश की है। हमें सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहिये।

कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय जल ग्रिड की बात की है। इसके पीछे केवल उत्तर के जल को दक्षिण में ले जाना ही नहीं है। इस का मुख्य उद्देश्य सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को जल उपलब्ध करवाना है। जिसमें राजस्थान, मैसूर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के सूखा ग्रस्त क्षेत्र आते हैं।

गंगा घाटी में सिंचाई की योजनाओं के अन्तर्गत अधिक सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को नहीं लिया गया। गंगा के दक्षिण में रेवा, पालामऊ और मिर्जापुर ऐसे क्षेत्र हैं जिन के चारों ओर जल है पर फिर भी वहां पर गंभीर सूखा है। राष्ट्रीय जल ग्रिड का सब से अधिक लाभ इस क्षेत्र को प्राप्त होगा। हमने इस संबंध में अभी अन्तिम योजना नहीं बनाई अपितु अभी जांच के लिए मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुन्देल खण्ड क्षेत्र में पंजाब की तरह पांच नदियां है। परन्तु फिर भी यहां पर गंभीर सूखा है। हमें इस बारे में पूरी जांच करनी है और एक नदी को दूसरी से मिला कर बुन्देल खण्ड में पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बेसिन की आवश्यकता से फालतू पानी ही वहां से लिया जायेगा। केवल वर्षा ऋतु में ही जल लिया जायेगा और अन्य ऋतुओं में नहीं। राव वीरेन्द्र सिंह ने यमुना नदी का जल हरियाणा को देने की बात की। वास्तव में किशन बांध तथा लकुवा बांध बन जाने के पश्चात् यमुना में तो कोई फालतू पानी ही नहीं होगा।

हमें भावनाओं में ही नहीं बह जाना चाहिये। हमें सारे देश को ध्यान में रख कर योजना तैयार करनी हैं। हम इस बारे में कोई विशेष अनोखी बात नहीं कर रहे हैं। अमरीका और रूस में

भी आज सूखा वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने के लिए इसी प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं। हम किसी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करना चाहते । हमारा प्रयास यही है कि सूखा क्षेत्रों को भी अपेक्षित जल की मात्रा उपलब्ध हो सके। यही इस राष्ट्रीय जल ग्रिड का उद्देश्य है । इस संबंध में एक विधे-यक का मसौदा तैयार करके विभिन्न मुख्य मंत्रियों के विचार उस पर आमंत्रित किए गए हैं । उनके विचार प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही होगी। यह भी प्रसन्नता की बात है कि सभी सदस्यों ने जल का राष्ट्रीय ससाँधन के रूप में उपयोग करने की बात की है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि लघु सिंचाई को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है वास्तव में लघु सिंचाई का विषय कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है इसीलिए हमारे प्रतिवेदन में उसका कोई उल्लेख नहीं है । कृषि मंत्रालय ने इस पर लगभग 1400 करोड़ रुपये का व्यय किया है । लगभग 1200 करोड़ रुपये की निजी धनराशि का भी लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय हुआ है। इस प्रकार इस पर भी लगभग उतना ही धन व्यय हुआ है जितना मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं पर हुआ है।

राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना के अनुसार चम्बल से अजमेर, बीकानेर होकर जल को राजस्थान नहर ले जाने का प्रस्ताव है। हमारा यह भी प्रयास होगा कि सूखाग्रस्त चुरू क्षेत्र को भी सिंचाई के लिए जल मिले। सोन नदी संबंधी बन सागर परियोजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों से उसके बारे में बातचीत की जा रही है। आशा है कि शीघ्र ही इसका कार्य प्रारम्भ होगा।

यह कहना उचित नहीं कि पोंग बांध के निर्माण से प्रभावित होने वाले क्षेत्र से 5 लाख टन अनाज पैदा होता था और इसके निर्माण के फलस्वरूप लाभान्वित होने वाले क्षेत्र से केवल 10 लाख अनाज पैदा होगा। वास्तव में बांध के निर्माण से 30 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी और लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों से 30 लाख अनाज पैदा होगा जबकि निर्माण से प्रभावित होने वाले क्षेत्र से केवल 24,000 टन अनाज पैदा होता था। इस प्रकार यह बांध कोई गलती नहीं है।

गण्डक परियोजना भारत की सबसे बड़ी योजना है। इससे 38 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी जबकि भाखड़ा से केवल 34 लाख एकड़ की होती है। इस परियोजना पर 144 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। 7 लाख एकड़ भूमि में से केवल 3½ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है । वास्तव में अब तक किए गए व्यय को देखते हुए 15 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जानी चाहिये। सिंचाई सुविधा के उपयोग की यह गति बहुत धीमी है इस पर विभिन्न समितियों द्वारा विचार किया गया है। कमियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। कार्य को गति प्रदान करने के लिए विशेष विकास अधिकारी और विशेष भूमि अभिग्रहण अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे।

असम के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार के अधीन ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड गठित किया जा रहा है। इसके लिए एक विधेयक तैयार किया जा रहा है।

जलकुन्डी परियोजना का विचार तो बहुत अच्छा है परन्तु यह क्षेत्र पूरी तरह नेपाल राज्य की सीमा में है । यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना के प्रति उत्सुख हो तो नेपाल की अनुमति ली जानी होगी।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में विद्युत् का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले दस वर्षों में इस के बारे में पर्याप्त प्रगति की गई हैं। 70 लाख किलोवाट से हम 180 लाख किलोवाट तक पहुंच गये हैं। प्रतिवर्ष 10 लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली

पैदा करने की क्षमता बनाई गई है। बिजली की कमी से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं जिस प्रकार से इस वर्ष उत्पन्न हो रही हैं। बिजली की कमी के कारण इस वर्ष देश को जितनी हानि हुई है उतनी किसी वर्ष भी बाढ़ तूफान और सूखा के कारण नहीं हुई। अतः बिजली का उत्पादन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है।

सरकारी अनुमानों के अनुसार पांचवी योजना में बिजली के उत्पादन में 180–200 लाख अर्थात् प्रतिवर्ष 30–40 लाख किलोवाट तक वृद्धि करने की आवश्यकता है। इस सदर्भ में प्रश्न उठता है कि क्या हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ? इसका उत्तर यही है कि ऐसा करना ही होगा अन्यथा देश पीछे जायेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में दस वर्ष पूर्व 3 लाख पम्पिंग सेट थे जो कि आज 22 लाख हैं। अगले पांच वर्षो में हम इनकी संख्या 25 लाख करना चाहते हैं। देश के प्रत्येक कोने में प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। ग्रामीण भारत जागृत हो गया है और बिजली की मांग कर रहा है। उद्योगों के लिए बिजली की आवश्यकता है। सब ओर से बिजली की मांग उठ रही है।

बिजली की पारेषण हानियों के संदर्भ में कहा गया है कि यदि हम एक प्रतिशत पारेषण हानियां भी कम करलें तो बिजली की कमी मात्रा तक घटायी जा सकती है। यह हानि 20 प्रतिशत तक है। वास्तव में पारेषण हानियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और तमिल नाडु में अधिक हैं। इन राज्यों में कृषि 'लोड' की प्रतिशतता सब से अधिक है। ऐसे राज्यों में जहां पर कृषि प्रयोजनों से बिजली का उपयोग अधिक होता है । वहां पर पारेषण हानियां भी अधिक हैं । सरकार ने इन हानियों के कारणों की जांच करने और उन्हें रोकने के उपाय सुझाने के लिए जांच प्रारम्भ की है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भी इस जांच कार्य से सम्बद्ध किया गया है। प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि वर्तमान "इंडक्शन मोटरों" में कुछ अन्य उपकरणों का उपयोग कर के इस हानि में 5–10 प्रतिशत तक कमी की जा सकती है । इन हानियों को घटाने के विचार से ग्रामीण विद्युतकरण निगम ने भी राज्य विद्युत् मण्डलों के एक 'सिस्टम इम्प्रूवमेंट' ऋण देना प्रारम्भ किया है। यह ऋण रिआयती दर पर दिया जाता है । इससे भी स्थिति में सुधार की आशा है। प्रगतिशील देशों में भी ये हानियां 11–12 प्रतिशत तक होती हैं।

परन्तु सरकार समझती है कि इससे ही स्थिति नहीं सुधरने वाली । बिजली के उत्पादन को बढ़ाने का कार्यक्रम हमें व्यापक आधार पर अपनाना होगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसाराय) : यह आरोप लगाया जाता है कि हमारे बिजली घर केवल 38 प्रतिशत क्षमता तक कार्य कर रहे हैं। इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी जाये।

डा० के० एल० राव : पूर्वी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर लगे तापीय बिजली घरों का कार्य सन्तोषजनक है। बिजली घर यदि वर्ष में 4500 घंटे चले तो उन का कार्य सन्तोषजनक समझा जाता है। इंगलैंड में भी तापीय बिजली घर वर्ष में 4500 घंटे कार्य करते हैं। अमरकंटक तथा नैल्लौर जैसे कुछ छोटे बिजली-घर 7000 घंटे भी चलते हैं। परन्तु पतरातु, तालचेर, दुर्गापुर तथा बन्डेल के बिजली घर 2000 अथवा 3000 घंटों से कम कार्य कर रहे हैं। इसके अनेक कारण हैं। पूर्वी क्षेत्र में तापीय बिजली घरों के असन्तोषजनक कार्य का मुख्य कारण यह है कि वहां पर कोयले का बिना सोचे समझे प्रयोग होता है जिसके कारण मशीनें खराब हो जाती हैं। पूर्वी क्षेत्र में तापीय केन्द्रों की स्थिति में सुधार करने के लिये हर सम्भनव प्रयत्न कर रहे हैं ....

श्री श्यामनन्दन मिश्र: वह समुच्चय प्रयोग के बारे में आंकड़े क्यों नहीं बता देते?

डा० के० एल० राव: प्रत्येक केन्द्र की क्षमता भिन्न भिन्न है। मैं उनको एक सूची भेज दूंगा जिसमें प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हाबरा): पूर्वी राज्यों का राष्ट्रीय औसत बहुत कम है। उनको अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

डा० के० एल० राव: चौथी योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति खपत 120 किलोवाट होगी। परन्तु सात राज्य ऐसे हैं जिनमें प्रति व्यक्ति खपत केवल 60–120 है। आसाम की स्थिति और भी खराब है, वहां केवल 30 है। मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में बिजली की खपत में असंतुलन है। हमें अधिक प्रजनन केन्द्र स्थापित करके स्थिति में सुधार करना होगा। यह कठिन समस्या है, परन्तु हमें इस कार्य को करना है क्योंकि भारत में बिजली घर सभी विकास कार्यों में सहायक होते हैं और इससे स्थानीय क्षेत्रों की जनता को रोजगार भी मिलता है और वे उस क्षेत्र के विकास के साधन भी है।

मुज़फ्फ़रपुर बिजली घर की मंजूरी योजना आयोग ने अभी तक नहीं दी इस बात का मुझे खेद है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को काफ़ी धन दिया है। परन्तु काम की रफ़तार बहुत धीमी है। मैंने उक्त निगम के चेयरमैन के साथ बातचीत की है और हम गौहाटी और भुवनेश्वर में एक एक विशेषाधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं और अधिक योजनाएं आरम्भ करने और उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। हम प्रत्येक राज्य की प्रगति पर ध्यान रखने के लिये पृथक सेल बना रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मे हैं और भाप का प्रयोग बिजली पैदा करने के लिये किया जा सकता है। वैस्टर्न घाट में कोंकन तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में ऐसे स्थान हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ के साथ परामर्श किया है और उन्होंने बहुत ही उपयोगी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। वर्षा समाप्त होने के बाद सितम्बर या अक्तूबर में और जांच आरम्भ करने का हमारा विचार है।

5.6 लाख ग्रामों में से 3.5 लाख ग्राम ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 500 से कम है। 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता 2.1 लाख ग्रामों में रहती हैं। परन्तु दूसरी तरफ 20 प्रतिशत जनता 3.5 लाख ग्रामों में रहती है। इस लिये हम यथासम्भव बड़े ग्रामों में बिजली लगा रहे हैं। ग्रामों में रहने वाली 40 प्रतिशत जनता के लिये बिजली उपलब्ध कर दी गई है और हमें आशा है कि पांचवी योजना के अन्त तक हम 80 प्रतिशत जनता के लिये बिजली की सुविधा उपलब्ध कर देंगे। केवल 20 प्रतिशत लोग रह जायेंगे जो छोटे ग्रामों में रहते हैं। छोटे ग्रामों के सम्बन्ध में हमें 'फ़्यूल सैल' पर निर्भर करना होगा। यह एक छोटा सा बक्सा होता है जिसमें सभी कलपुर्ज़े होते हैं, मिट्टी का तेल या प्राकृतिक गैस का प्रयोग इंधन के रूप में किया जाता है और बिजली पैदा की जाती है जो दो या तीन पम्पिग सेटों के लिये काफ़ी होती है। यदि हम आगामी 15 वर्षों में 'फ़्यूल सैल' बना सकें तो छोटे ग्रामों की आवश्यकता पूरी की जा सकेगी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बिजली घर स्थापित करना बहुत आवश्यक है और हम ऐसा ही प्रयत्न कर रहे हैं। लक्कादीव से निर्वाचित सदस्य का कहना है कि वहां बहुत ऊंची दर पर बिजली सप्लाई की जाती है। लक्कादीव द्वीप बहुत दूर है। वहां डीजल ले जाना होगा। यदि वहां कोयला भेजा जा

सकता है या अधिक बिजली पैदा करने की कोई सम्भावना होगी, तो मैं उस पर विचार करूंगा । जहां तक गुजरात में एक तापीय बिजली घर बेचे जाने का सम्बन्ध है, उस बिजली घर में अतिरिक्त भाप थी जो बेकार जा रही है । यह किसी उद्योग के लिये अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती है और इसीलिये इसे बेच दिया गया है। योजना आयोग ने विजयवाड़ा तापीय बिजली घर की मंजूरी अभी नहीं दी है । तकनीकी समिति ने स्वीकृति दे दी है । मुझे आशा है कि यह मंजूरी शीघ्र दे दी जायेगी और कार्य आरम्भ हो जायेगा।

बिजली की सप्लाई का काम अभी काफ़ी बकाया है । मैंने पृथक ग्रामीण भार (लोड) सर्वेक्षण करने के लिये कहा है ताकि हम उनकी मांगों का पूरा पता लगा सकें।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैंने कहा था कि आसाम के राज्यपाल ने विधान सभा में अपने अभिभाषण में कहा था कि आसाम सरकार ब्रह्मपुत्र के बाढ़ नियंत्रण कार्य को अपने हाथ में लेने के लिये केन्द्रीय विधान के प्रारूप पर सहमत हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि उस विधेयक को कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री वीरभद्र सिंह (मंत्री) : पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश ग्रामों की जनसंख्या 500 व्यक्तियों से कम है अतः पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में वही नीति लागू नहीं की जा सकती जो मैदानी इलाकों के सम्बन्ध में की जाती है।

श्री दिनेश जोरदर : डलखोले में स्थापित किए जाने वाले तापीय संयंत्र की क्या स्थिति है ? क्या यह बात ठीक है कि इस संयंत्र को किसी अन्य स्थान पर लगाया जा रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : लोअर दामोदर के तटबन्धों की रक्षा करने के लिए बिहार में दो बान्ध बनाये जाने हैं और हमें पता चला है कि सरकार ने इस उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित कर ली है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात ठीक है ? क्या सरकार अजय परियोजना की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अजय परियोजना आरम्भ करेगी ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : May I know whether it is a fact that office of the Eastern zone of Electricity Board which is situated in Patna, is being shifted to Calcutta and if so, the reasons therefor ? What is the reaction of the hon'ble Minister to the demand of setting up a Thermal Power station in Katihar ?

श्री मोहन राज कलिंगारायर (पोलाची) : मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कावेरी जल विवाद की समस्या का कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : विद्युतीकरण के सम्बन्ध में आसाम, बिहार, उड़ीसा और बंगाल को अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ?

Shri K.M. Madhukar (Kesaria) : May I know the time by which steps would be taken to set up a Thermal Pawer Station between Muzaffarpur & Motihari in Bihar ?

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : आन्ध्र प्रदेश में विद्युत संकट दूर करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : आन्ध्र प्रदेश में कोयला भी काफी है और बिजली पैदा करने के लिए सब प्रकार का कच्चा माल भी उपलब्ध है फिर भी वह देश में दूसरे स्थान पर है। इसके क्या कारण हैं ?

श्री बसन्त साठे (अकोला) : क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड स्थापित करने का है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा।

Shri Bhagirath Bhanswar (Jhabua): I would like to know the time by which a decision is likely to be taken with regard to Narbada Project?

श्री मालजीभाई परमार (दोहद) : मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा नर्मदा जल विवाद के बारे में कब तक निर्णय दिया जायेगा ?

Shri Ram Kanwar (Tonk): There is one part or the other affected by drought or famine in Rajasthan. So whether any special plan for supply of power to that state is being formulated? Second thing is that billing system should be streamlined because farmers have been made to pay much more than actual consumption of power.

श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली (टिहरी-गढ़वाल) : क्या मंत्री महोदय को पता है कि टिहरी बांध बनाने में इसलिए बिलम्ब हो रहा है क्योंकि सभी निष्कान्त लोगों के पुनर्वास और उनको मुआवजा देने की समस्या हल नहीं हो रही है ? क्या मंत्री महोदय घोषणा करेंगे कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जायेगा और इस परियोजना की क्रियान्विति में अधिक विलम्ब नहीं होगा ?

श्री अर्जुन सेठी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा में प्रस्तावित भीमकुंड बांध परियोजना के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के लिए मंत्री महोदय एक केन्द्रीय दल को कब तक भेजेंगे ?

Shri Panna Lal Barupal : I would like to know as to when the tubewells of Ganganagar would be energised and whether Chairman of Rajasthan Electricity Board would be removed and an enquiry by C. B. I. would be held against him or not?

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : (परभणी): क्या मंत्री महोदय को पता है कि बिजली की कमी के कारण समाचार पत्रों में उनकी आलोचना की जा रही है ?

श्री सी० डी० गौतम (बालाघाट) : मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सेवनी जिले में अपर वेणु गंगा परियोजना और बालाघाट जिले में सीठाकसा परियोजना कब तक आरम्भ की जायेगी ?

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : बेहरामपुर क्षेत्र की 15 मेगावाट की आवश्यकता पूरी करने और रायगडा क्षेत्र की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए उड़ीसा में जोडा को चंदिल के साथ जोड़कर और तलचरे को मोहना के साथ जोड़कर उड़ीसा में बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री माधुर्य्य हालदार (मथुरापुर) : क्या मैं पूछ सकता हूं कि सुन्दरबन्स डेल्टा परियोजना की क्या स्थिति है जिससे उस क्षेत्र की 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : मंत्री महोदय ने पहले बताया था कि राजस्थान में इंजीनियरों ने सर्वेक्षण किया है और गंगा में बाढ़ के पानी में से 40,000 क्युसेक्स पानी की मांग की है परन्तु अब उनका कहना है कि इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है और राष्ट्रीय ग्रिड व्यवस्था पर विचार करते समय इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। क्या मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करेंगे ?

डा० के० एल० राव : जहां तक गंडक क्षेत्र में पानी जमा हो जाने का प्रश्न है, हम कुछ योजनाओं पर विचार करेंगे। सिकदाना तटबंध का निरीक्षण किया गया है और उसके लिए लगभग 5½ करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा रही है। उत्तर बिहार में ऊंचाई वाले भाग में जांच किया जाना बहुत आवश्यक है। तिरहुत नहर के बारे में हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। मैदानी इलाकों में यह कठिनाई नहीं है। हमने बिहार सरकार को उचित योजनाएं तैयार करने को कहा है। जैसे-जैसे सिंचाई का विकास होगा, यह सभी खराबियां दूर करनी होंगी। जहां तक पहाड़ों पर ग्राम्य विद्युतीकरण का सम्बन्ध है यह काम कुछ क्षेत्रों में माइक्रो-हाइडल योजनाओं के माध्यम से करना होगा परन्तु इन पर काफी धन खर्च करना पड़ेगा। इसलिए हम यथासम्भव मुख्य पारेषण लाइनों से बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न करते है। बाचेश्वर परियोजना का काम पूरा हो जाने के बाद काफी बिजली उपलब्ध होगी।

जहां तक ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र नियंत्रण आयोग सम्बन्धी कानून का प्रश्न है, हमने एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है और विधि मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है। इसके बाद इसको आसाम सरकार के पास भेजा जायेगा और उनके अनुमोदन के बाद फिर यहां आयेगा। यदि यह समय पर वापस पहुंच गया तो उसपर चर्चा की जायेगी।

डलकोला बिजली घर को आधा बिहार में और आधा पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का हमारा विचार है। भारत सरकार ने अभी इस परियोजना की स्वीकृति देनी है। मेरा सुझाव यह था कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना पर धन खर्च करे क्योंकि सम्बन्धित राज्य बहुत पिछड़े हैं। यदि यह राज्य परियोजना होती तो उसकी मंजूरी बिना कठिनाई के दे दी जाती। दामोदर और अजय नदियों के बारे में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी। उन्होंने एक अध्ययन दल नियुक्त किया था जिसने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद यह मामला हमारे मंत्रालय के पास आयेगा। यदि मुख्य मंत्रियों में मतभेद हुआ तो मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं और यदि उनमें समझौता हो जाता है तो अच्छी बात है।

अन्तर्राज्यीय कावेरी नदी जल-विवाद के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं कहना है। सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्री परस्पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय जल ग्रिड की पृष्ठभूमि में एक यह भी विचार था कि कावेरी को कुछ और जल दिया जाये ताकि यह विवाद अपने आप हल हो जाये।

मुजफ्फरपुर स्टेशन और डलकोला परियोजना को योजना आयोग ने अभी स्वीकृति नहीं दी है और इसका कारण धनाभाव है। हम चाहते हैं कि ये परियोजनाएं स्वीकृत हो जायें ताकि अधिक बिजली पैदा की जा सके।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली के संकट का कारण यह है कि राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इस प्रकार के और राज्य भी है जिन्होंने बिजली की अपेक्षा सिंचाई पर अधिक धनराशि खर्च की है। हमारी पारेषण व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम जम्मू से सीधा दक्षिण तक बिजली

भज सकते हैं। परन्तु जब तक 400 किलोवाट लाइनें न लगाई जायें तब तक हम ऐसा बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। नमंदा परियोजना के बारे में सभी पक्षों से अधिकतम अभ्यावेदन आमंत्रित किये गये हैं और अब यह मामला प्रधान मंत्री के विचाराधीन है। यदि राष्ट्रीय जल ग्रिड स्थापित किया गया तो उसका अधिकतम लाभ राजस्थान को पहुंचेगा। गंगा का पानी नर्मदा में जायेगा और नर्मदा से राजस्थानी क्षेत्रों को पानी जायेगा। इस समय राजस्थान को पानी के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश में टिहरी परियोजना को धनाभाव के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस परियोजना के लिए धन उपलब्ध किया जायेगा। भीमकुंड और रेगली के बारे में काफी विवाद है। हम इसका समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उड़ीसा में बिजली की सप्लाई में कुछ कठिनाई है। अब तालचेर बालीमेला लाइन बनाई जा रही है। थीरुबिल्ला से बालीमेला तक की लाइन शीघ्र पूरी हो जायेगी। तीस्ता परियोजना से बिहार और पश्चिम बंगाल में 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस मामले में हमें बंगला देश से परामर्श करना होगा। इसमें कुछ समय लगेगा।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिय रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

The cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखीं गयीं तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of Ministry of Irrigation and power were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
63	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	8,29,34,000
64	सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण योजनायें	12,94,81,000
65	विद्युत योजनायें	4,91,12,000

डा० सरदीश राय पीठासीन हुये

Dr. Saradish Roy in the chair

कृषि मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE

सभापति महोदय : अब सभा कृषि मंत्रालय की मांग संख्या 1–9 पर चर्चा करेगी। सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों में से जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे 15 मिनट के अन्दर अपनी पर्चियां सभा-पटल पर भेज दें। उन्हें प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा।

कृषि मंत्रालय की वर्ष 1973-74 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
1.	कृषि विभाग	1,21,88.000
2.	कृषि	70,79,90,000
3.	मीन क्षेत्र	2.63,34.000
4.	पशु पालन और डेरी विकास	2,78,30,000
5.	वन	4,84,43,000
6.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगी	28,45 94,000
7.	खाद्य विभाग	134,27,94,000
8.	सामुदायिक विकास विभाग	46,91,18,000
9.	सहकारिता विभाग	2,79,00,000

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम तथा कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4
1	9.	श्री ज्योतिर्मय बसुः- देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के प्रति सरकार का कठोर रवैया	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
1	10.	श्री ज्योतिर्मय बसुः- ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तथा-कथित हरितक्रांति का कोई प्रभाव न होना और इस हरितक्रान्ति ने गावों में सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़ा दिया है।	,,
1	11.	श्री ज्योतिर्मय बसुः- कृषि मूल्यों के स्थिरीकरण के लिये आवश्यक कदम उठाने में असफलता।	,,
1	12.	श्री ज्योतिर्मय बसुः- किसानों के हित में नये तथा चमत्कारी भूमि कानून न बनाना क्योंकि वर्तमान भूमि कानूनों (अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून समेत) का मुख्य उद्देश्य गांव में अमीर किसानों को अधिक शक्तिशाली बनाना है।	,,
1	13.	श्री ज्योतिर्मय बसुः- कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करने के लिए ठोस कदम न उठाना जबकि कृषि उत्पादन स्वतन्त्रता के 25 वर्ष बाद भी प्रकृति की अनिश्चितता पर निर्भर रहता है।	,,
7	31.	श्री ज्योतिर्मय बसुः- भारतीय खाद्य निगम के जिस के विरुद्ध सभा में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, खिलाफ कार्यवाही करने में विफलता।	,,
7	32.	श्री ज्योतिर्मय बसुः- हरियाणा सरकार को हरियाणा से महाराष्ट्र को चावल भेजने के सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्यीय कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने केलिए निदेश देने में विफलता।	,,
7	33.	श्री ज्योतिर्मय बसुः- देश में अधिकांश जनता द्वारा बार बार की गई मांग के बावजूद भी चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण न करना।	,,
7	34.	श्री ज्योतिर्मय बसुः- गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने में विफलता	,,

1	2	3	4
1	40.	श्री ज्योतिर्मय बसु:- हरियाणा राज्य सरकार को हरियाणा के गुड़गांव जिले में एक गैर-सरकारी कम्पनी, अर्थात मारूति एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम के, जो केन्द्रीय अधिनियम है, उपबन्धों का पालन करने के लिए निदेश देने में विफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
7	27.	श्री डी० के० पंडा:-देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जायें
1	39.	श्री डी० के० पंडा:- बहुत पहले से प्रस्तावित लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में विफलता।	,,
2	81.	श्री डी० के० पंडा:- अखिल भारतीय चीनी मिल मालिक संघ के देश में संकटग्रस्त चीनी मिलों का अधिग्रहण करने और उन्हें चलाने के प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार करने में असफलता।	,,
2	82.	श्री डी० के० पंडा:- चीनी सम्बन्धी एक समेकित नीति बनाने में विफलता।	,,
2	83	श्री डी० के० पंडा:- सामान्य रूप से सब राज्यों में तथा विशेष रूप से उड़ीसा में कृषि उद्योगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिया जायें
2	84.	श्री डी० के० पंडा:- उड़ीसा में नयागढ़ में एक चीनी उद्योग तथा उड़ीसा के कटक जिले में एक पटसन उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
2	85.	श्री डी० के० पंडा:- चालू सीजन के दौरान चीनी उद्योगों सम्बन्धी जांच समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता।	,,
2	86.	श्री डी० के० पंडा:- प्रत्येक राज्य में जहां भी संभावना हो कृषि उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता।	,,
2	87	श्री डी० के पंडा:- चालू सत्र मे उड़ीसा भूमि सुधार संशोधन विधेयक को उसके मूल्य रूप में तुरंत पुन: स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
2	88.	श्री डी० के० पंडा:- लोक प्रिय समितियों के माध्यम से उड़ीसा में 20 लाख एकड़ सरकारी परती भूमि का भूमिहीन आदिम-वासियों और हरिजनों में वितरण करने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4
2	42.	श्री रामवतार शास्त्री:- दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध वितरण केन्द्रों पर टोकन वालों को पूरी मात्रा में 'टोंड' दूध सप्लाई करने में विफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें
2	43.	श्री रामावतार शास्त्री:- दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 'घर पर वितरण व्यवस्था' आरम्भ करने में विफलता।	,,
2	44.	श्री रामावतार शास्त्री:- दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध वितरण केन्द्रों पर दूध के वितरण संबंधी शिकायतों की जांच करने में विफलता।	,,
2	45.	श्री रामावतार शास्त्री:- दिल्ली दुग्ध योजना के वितरण केन्द्रों के कर्मचारियों के द्वारा किये जाने वाले कदाचारों को रोकने में विफलता।	,,
2	46.	श्री रामावतार शास्त्री:- दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा टोकन वालों को समय पर दूध की सप्लाई करने में विफलता।	,,
1	47	श्री के० सूर्यनारायण:- देश में तम्बाकू उत्पादकों के लाभ के लिए अविलम्ब तम्बाकू बोर्ड गठित करने में विफलता।	,,
2	48.	श्री के० सूर्यनारायण:- विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार योजनाओं को लागू करने में विफलता।	,,
2	49.	श्री के० सूर्यनारायण :- किसानों में समय पर उर्वरकों का समुचित वितरण करने में विफलता।	,,
2	50.	श्री के० सूर्यनारायण :- आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में कोल्लेरु क्षेत्र में भूमिहीन कृषक परिवारों में सरकारी भूमि का वितरण करने में विफलता।	,,
2	51.	श्री के० सूर्यनारायण :- छोटे तथा सीमांतक किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधायें प्रदान करने में विफलता।	,,
2	52.	श्री के० सूर्यनारायण :- किसानों के लाभ के लिए फसल तथा पशु बीमा कम्पनी स्थापित करने में विफलता।	,,
7	53.	श्री के० सूर्यनारायण :- देश में चीनी कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता।	,,

1	2	3	4
9	54.	श्री के० सूर्यनारायण :- निर्माणाधीन नये सहकारी चीनी कारखानों को अपेक्षित सामग्री जैसे लोहा और इस्पात तथा सीमेंट की सप्लाई करने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
9	55.	श्री के० सर्यनारायण :- सहकारी चीनी मिलों का प्रबन्ध करने के लिए राज्य सरकारों की तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्ति भर्ती करने की सिफारिश करने में विफलता ।	,,
9	56.	श्री के० सूर्यनारायण :- कार्यचालन पूंजी की कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चावल मिलों के कार्य संचालन में विफलता ।	,,
9	57.	श्री के० सूर्यनारायण :- कुप्रबन्ध तथा राज्य सरकारों द्वारा समुचित देखभाल के अभाव में सुपर बाजारों के कार्य संचालन में विफलता ।	,,
9	58.	श्री के० सूर्यनारायण :- निर्माणाधीन नये सहकारी चीनी कारखानों के लिए अधिक राशि नियत करने की आवश्यकता क्योंकि जिस समय उनकी योजना बनायी गई थी, उसकी तुलना में अब सामग्री की लागत बहुत बढ़ गई है।	,,
9	59.	श्री के० सूर्यनारायण :- सब राज्यों में सहकारी श्रम समितियां संगठित करने में विफलता ।	,,
9	60.	श्री के० सूर्यनारायण : देश में उत्पादक एवं उपभोक्ता सहकारी समितियां गठित करने में विफलता ।	,,
2	61.	श्री गदाधर साहा :- अशिक्षित और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूख और भुखमरी से बचाने के लिए, उन्हें रोजगार प्रदान करने में असफलता ।	,,
2	62.	श्री गदाधर साहा :- पश्चिम बंगाल के पिछड़े बीरभूमि जिले और अन्य जिलों के लिए सरकार की अपना तथा उसी के द्वारा चलाई गई योजना तथा ऋण योजना में कम गहरे नलकूप बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लघु सिंचाई योजना तथा धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4
2	63.	श्री गदाधर साहा :- पश्चिम बंगाल के पिछड़े बीरभूमि जिले और अन्य जिलों के लिए गहरे नलकूप और नदी उद्वाहक सिंचाई योजनायें बनाने हेतु पश्चिम बंगाल के लिए छोटी सिंचाई योजनायें और वित्तीय सहायता के आवंटन में वृद्धि करने की वांछनीयता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
2	64.	श्री गदाधर साहा :- मध्यम तथा छोटे किसानों को उचित (निश्चित) दर पर रासायनिक उर्वरक तथा समय पर अधिक उपजाऊ किस्म के बीज (गेहूं और धान) और ऋण देने में असफलता	,,
2	65.	श्री गदाधर साहा :- बटाईदारों की बेदखली को रोकने तथा बेदखली के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने में असफलता।	,,
2	66.	श्री गदाधर साहा :- चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले मे खोले गये तथा खोले जाने वाले मुर्गीपालन खण्ड एककों मुर्गीपालन ग्राम एककों, मत्स्यपालन खण्ड एककों और मत्स्यपालन ग्राम एककों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
7	67.	श्री गदाधर साहा: - खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं में चोरबाजारी तथा अपमिश्रण को रोकने में असफलता।	,,
7	68.	श्री गदाधर साहा :- खाद्यान्नों की मूल्य-वृद्धि रोकने में असफलता।	,,
7	69.	श्री गदाधर साहा :- पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में अहमदपुर स्थित बन्द हुए चीनी मिल को फिर से चालू करने तथा वहां पर बेरोजगार मजदूरों को बहाल करने में असफलता।	,,
8	70.	श्री गदाधर साहा :- सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज संबंधी परामर्शदात्री समिति को सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता।	,,
8	71.	श्री गदाधर साहा :- भूमि अर्जन अधिनियम, जो केन्द्रीय अधिनियम है, के अनुसार बीरभूमि जिले में शिवनगर के लिए वर्तमान सड़क के विस्तार हेतु भूमि अर्जन के मामले में लापरवाही तथा मनमाने रवैये का त्याग करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के पंचायत विभाग को सलाह देने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4
8	72.	श्री गदाधर साहा :- वर्ष 1972-73 के लिए ग्रामीण रोजगार के लिए बृहद योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्य सरकारों को आवंटित धनराशियां देने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
8	73.	श्री गदाधर साहा :- चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सूखा से पीड़ित पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के समस्त क्षेत्रों के लिए विशेष पोषाहार तथा व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत एककों और खण्डों के आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
8	74.	श्री गदाधर साहा :- पश्चिम बंगाल के पिछड़े बीरभूमि जिले और अन्य जिलों के लिए ग्रामीण रोजगार हेतु बृहद योजना के अन्तर्गत शीघ्र अधिक धनराशि के आवंटन और अधिक योजनाओं की मंजूरी देने की आवश्यकता।	,,
8	75.	श्री गदाधर साहा :- पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में स्कूलों में दाखिल होने की आयु से कम उम्र वाले बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आहार-पोषण कार्यक्रमों के लाभ प्रदान कराने के लिए इन कार्यक्रमों का विस्तार करने की आवश्यकता।	,,
8	76.	श्री गदाधर साहा :- पश्चिम बंगाल में पंचायती राज निकायों के नियमित चुनाव कराने तथा वहां के सभी पंचायती राज निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आरम्भ करने में असफलता।	,,

***श्री बी० एन० रेड्डी** (निरयालगुडा) : आज कृषि उत्पादन की स्थिति यह है कि हमें अमरीका से अनाज आयात करना पड़ता है। 25 वर्ष के कांग्रेस शासन के बाद भी देश के अधिकांश भाग में अकाल और सूखे का प्रकोप है। आज देश की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना भी मुश्किल है। सरकार की तथाकथित समाजवादी नीति बुरी तरह असफल हो गई है।

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Telegu.

आत्मनिर्भरता और ग़रीबी हटाओ के नारे प्रचार मात्र रह गये हैं। मंत्री महोदय द्वारा दिया गया कोई वचन पूरा नहीं किया गया है उन्होंने कहा था कि हम सभी प्रकार का रियायती आयात बन्द कर देंगे। यह वचन भी पूरा नहीं किया गया। हमारी सरकार अपनी असफलता के लिये वर्षा को दोषी ठहराती है। गत 10 वर्षों से सरकार का कहना है कि वह आत्मनिर्भर होती जा रही है। आज सिंचाई की स्थिति यह है कि कृषि योग्य भूमि के 21 प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। सरकार की वर्तमान नीतियों से जमींदारों के हितों का संरक्षण होता है। वह अभी तक ग़रीब किसानों को पूंजीपतियों के चंगुल से नहीं छुड़ा सकी है।

कृषि उत्पादन का लक्ष्य 1120 लाख टन निर्धारित किया गया जो पूरा होता दिखाई नहीं देता है। देश के $\frac{3}{4}$ भाग को अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में बहुत गंभीर स्थिति है। उसे मजबूर हो कर अन्य राज्यों से अनाज लेना पड़ रहा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में चारे, अनाज और पेय जल का अभाव है जिसके कारण वहां की जनता को अपने घरबार छोड़ कर अन्यत्र जाना पड़ रहा है। मंत्री महोदय का कहना है कि वह इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए राहत देने हेतु आवश्यक उपाय कर रहे हैं। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी गई ? इससे सरकार की नीतियों की असफलता सिद्ध होती है।

कुछ समय के लिये हरित क्रांति का नारा लगाया जाता रहा परन्तु आज यह नारा उतना जोरदार नहीं रहा है। इसका यह कारण है कि हरित क्रांति का छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। हमारे शासकों को सारी स्थिति का अध्ययन करना चाहिये जिसमें हमारे देहाती भाइयों को रहना पड़ता है इनका कहना है कि फ़ालतू भूमि ग़रीब भूमिहीन व्यक्तियों को दी जायेगी परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि सरकार की निहित स्वार्थों की रक्षा करने की नीति के कारण छोटे किसान भूमिहीन कृषि श्रमिक बनते जा रहे हैं। वर्ष 1961 में काश्तकारों की प्रतिशतता 53 थी जबकि वर्ष 1971 में वह घट कर 41 रह गई। इसी प्रकार वर्ष 1961 में कृषि श्रमिकों की संख्या 16.1 प्रतिशत थी जो वर्ष 1971 में बढ़ कर 25.8 प्रतिशत हो गई। इससे सिद्ध होता है कि आज भी पूंजीपति जमींदार छोटे किसानों का शोषण कर रहा है। फिर बेरोज़गारी प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार कहती है कि जितना अनाज उपलब्ध है, सरकार ने वसूल कर लिया है। परन्तु प्रश्न यह है कि उपलब्धता में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। 'इकनामिक सर्वे' 1972–73 के अनुसार वर्ष 1956 में 430 ग्राम अनाज उपलब्ध था परन्तु वर्ष 1972 में यह 428 ग्राम है। इससे सिद्ध होता है कि अनाज की उपलब्धता कम हुई है। सरकार इस बात का दावा कैसे कर सकती है कि वह जनसाधारण को उचित दामों पर अनाज उपलब्ध करेगी। देहातों में उचित मूल्य की कितनी दुकानें खोली गई हैं ? उचित मूल्य की दुकानों पर उस मूल्य पर चावल नहीं मिलता है जिसकी घोषणा आकाशवाणी तथा अन्य साधनों से की जाती है। भूमि सुधार केवल उपहास बन कर रह गये हैं। श्री शिन्दे ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि बांटने के लिये 50–60 लाख एकड़ भूमि उपलब्ध होगी जबकि योजना आयोग का कहना है कि इस प्रयोजन के लिये 4 करोड़ एकड़ भूमि उपलब्ध होगी। आंध्र प्रदेश और बिहार में सत्ताधारी दल के परस्पर संघर्ष के कारण भूमि सुधारों का काम खटाई में पड़ गया है। हमारे शासक किसी न किसी प्रकार सत्ता संभालने के चक्कर में रहते हैं।

गत जुलाई में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये थे। इन सिद्धान्तों के अनुसार ग़रीब और छोटे किसानों को बेदखल किया जा सकता है और बड़े जमींदारों के हाथ मज़बूत होते हैं। इस समस्या का हल यह है कि जमींदारी प्रथा समाप्त कर

दी जाए और गरीब किसानों को इन जमींदारों के चंगुल से छुड़ाया जाए। मैं सरकार को आश्वासन देता हूं कि वह जनता को अधिक देर तक धोखे में नहीं रख सकती।

Shri Chandra Bhall Mani Tiwari (Balrampur): The Government should take necessary steps to increase the production of fertilizers so that it may not fall short of requirement. More fertilizer factories should be set up and distribution system should also be streamlined.

The Government have undertaken various irrigation projects but a large amount is still required to be spent on this item. Besides the problem of waterlogging has to be solved by constructing channels and drains or setting up pumps so that the water could be taken out of such land. In this manner, we shall be able to use the land properly because we can utilise that water for irrigational purposes and also cultivate the land. As a result of ceiling, the production has been declined whereas we wanted to increase the production.

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें। अब आधे घण्टे की चर्चा होगी।

सदस्य की गिरफ्तारी

Arrest of Member

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को उज्जैन के पुलिस अधीक्षक से 15 अप्रैल, 1973 का निम्नलिखित तार मिला है :—

"श्री फूलचन्द वर्मा, सदस्य, लोक सभा को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अधीन खाद्यान्नों के एक जिले से दूसरे जिले में लाने ले जाने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 15 अप्रैल, 1973 को 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया। सदस्य को सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन न्यायिक हिरासत में रखा गया और उन्हें भडेरोगढ़ जेल, उज्जैन में रखा गया।"

*शा वैलेस एण्ड कम्पनी शेयरों की खरीद

*Purchase of Shares of Shaw Wallace and Company

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : शा वैलेस एंड कम्पनी के अंतर्गत 4 फ़र्में आती हैं

(1) आर० जी० शा एंड कंपनी लिमिटेड,

(2) शा डर्बी एंड कंपनी लिमिटेड,

(3) शा स्काट एंड कंपनी लिमिटेड,

(4) थामस राइस मिलिंग कंपनी लिमिटेड।

कंपनी का बोर्ड ने आदेश पास किया था कि यदि उपरोक्त कंपनियों के शेयरों का स्थानान्तरण किया गया तो वह तीन वर्षों के लिये मान्य नहीं होगा। सरकार ने सदन को गुमराह किया है। उपरोक्त 4 कंपनियां शा डरबी ट्रेडिंग लिमिटेड की सहायक कंपनियां थीं और इन चार कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया था। यह काम नाटकीय ढंग से किया जा रहा था। इस प्रयोजन के लिये एक कंपनी स्थापित की गई और इसके लिये लक्ष्मवर्ग को चुना गया और श्री कल्याण बसु नामक व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त की गई जिसकी मानसिक स्थिरता के बारे में कनाडा सरकार के पत्र दिनांक 12-6-1972 में संदेह व्यक्त किया गया था। कल्याण बसु इस काम के पूरे हो जाने के

---

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half an hour discussion.

बाद लंदन में रहना चाहता था और उसने शिकायत कर दी। उसने सोचा था कि उसका पर्याप्त धन मिल जायेगा और वह लंदन में रह सकेगा। इस कांड में श्री एम० देव, श्री जी० डी० कोठारी और श्री के० के० बिड़ला शामिल थे। इस बुराई का मूल कारण विदेशों में लेखा-ग्राह्य विदेशी मुद्रा का जमा हो जाना है और इसकी अच्छी प्रकार जांच की जानी चाहिये।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tiwari in the Chair

कल्याण बसु 8 जुलाई, 1972 को भारत से गया था परन्तु 27-8-72 को वह दिल्ली वापस आया था। क्या वह किसी मंत्री से मिला था? फिर वह 21 सितम्बर, 1972 को भारत से गया और 4 नवम्बर, 1972 को लौटा था। गिरफ़्तारी से पूर्व वह तीन बार गया और लौटा था। कनाडा, फ्रांस और जर्मनी में भी वह धोखाधड़ी के कई मामलों में अंतर्ग्रस्त था। इन्टरपोल ने वर्ष 1972 में इसके विरुद्ध वारंट जारी किये थे। कनाडा सरकार का कहना है कि धन संबंधी मामलों में हेर-फेर करने के अपराधों में श्री बसु सिद्धहस्त थे। बैंक में 76 करोड़ रुपये के हेर-फेर की कहानी घड़ी गई है। इस राशि में 5 करोड़ डालर तथा 2.15 करोड़ स्विस फ्रैंक थे। यह तो सारी घटना पर पर्दा डाला गया है। उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? भारत का काला धन विदेशी मुद्रा में बदल दिया गया है। तरीका यह है कि विदेशी मुद्रा में काला धन किस ढंग से एक बैंक में जमा करा दिया जाता है और दूसरे से 'ओवर-ड्राफ्ट' ले लिया जाता है। ऐसे सहयोगी चार्टर्ड बैंक को भारत में कारोबार नहीं करने देना चाहिये। पंजाब नेशनल बैंक, दि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया और सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया को दंड दिया जाना चाहिये क्योंकि उन्होंने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है।

कलकत्ता के एक समाचार पत्र में लिखा था कि प्रधान मंत्री कल्याण बसु से परिचित थी। हम इस संबंध में एक वक्तव्य चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि डिप्टी डायरेक्टर श्री गुह का जिसके मकान से चोरी हुई थी, स्थानान्तरण क्यों किया गया है? उसके मकान में क्लोरो फ़ार्म फैलाया गया और वे 2 घंटे तक सोते रहे और काग़ज़ात को निकाल कर फाड़ दिया गया। क्या इस मामले की जांच की गई है क्योंकि इस बात का संदेह है कि इस मामले में किसी सरकारी एजेंसी का हाथ है? इसके साथ ही चार स्टर्लिंग कंपनियों के मताधिकार समाप्त कर दिये जाएं क्योंकि कल्याण बसु का दावा है कि पहले ही उनका नियंत्रण उसके हाथ में है। निदेशकों के 4 रिक्त स्थान हैं और इन स्थानों को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भरा जाना चाहिये और इसके बाद एक अतिरिक्त सरकारी निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिये। इस कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में क्यों नहीं ले लिया जाता? निम्नलिखित मामलों की जांच अत्यन्त आवश्यक है:

(1) श्री बी० पी० पोद्दार को दो कोयला कंपनियों का बेचा जाना;

(2) आर० जी० शा के शेयरों की शा वैलेस कंपनी को बिक्री;

(3) शा वैलेस एंड कंपनी द्वारा अवैध रूप से एकत्र की गई विदेशी मुद्रा का राशि, अथवा यूनाइटिड किंगडम में शा वैलेस कंपनी का खाता। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि निदेशकों का वर्तमान बोर्ड उसी साइम डर्बी/आर० जी० शा ग्रुप, जिसमें श्री हेवर्ड स्वयं भी शामिल हैं, के कर्मचारियों द्वारा नाम निर्देशित है। क्या 18 दिसम्बर को शेयरों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध का अर्थ यह भी है कि अब आगामी तीन वर्षों तक शा वैलेस का यह बोर्ड बना रहेगा? और इसलिये वे मताधिकार के माध्यम से

आगामी तीन वर्षों तक सभी प्रकार के गुप्त कार्यकलापों पर नियंत्रण रख सकते हैं ? एक और आदेश जारी करके मताधिकार समाप्त क्यों नहीं कर दिये गये ? सरकार की इस संबंध में क्या नीति है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डॉ० आर० चव्हाण) : यह मामला चार कंपनियों द्वारा-- नान रेज़ीडेंट कंपनियों द्वारा शॉ बैलेश एंड कंपनी के शेयरों के स्थानान्तरण के बारे में है । इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि शेयरों का हस्तान्तरण रद्द कर दिया गया था । यदि कंपनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेश के बाद तीन वर्ष तक कोई हस्तान्तरण किया जाता है, तो उसे अवैध माना जायेगा ।

दूसरे यह पूछा गया था कि क्या धारा 250(3) के अंतर्गत कोई कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है । मेरे पास कंपनी विधि पुस्तक है । यदि हस्तान्तरण हो चुका है तो धारा 250(3) के उपबंधों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है । परन्तु इस मामले में हमें यह पता नहीं कि हस्तान्तरण हो चुका है या नहीं । हमें यह भी नहीं पता कि प्रवर्तन निदेशालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है या नहीं। जब तक प्रवर्तन निदेशालय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, तब तक शेयरों का हस्तान्तरण रद्द करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है ।

जहां तक शा बैलेस एंड कंपनी के एक निदेशक श्री बी० पी० पोद्दार द्वारा शॉ बैलेस एंड कंपनियों की दो कंपनियों के शेयर खरीदे जाने का संबंध है, मैं यह बताना चाहूंगा कि कंपनी की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है । इस पर विचार कर लिया गया है और अब यह रिपोर्ट कंपनी विधि बोर्ड के विचाराधीन है ।

शॉ बैलेस कंपनी के निदेशक बोर्ड में सरकारी निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव भी कंपनी विधि बोर्ड के विचाराधीन है और इस मामले में 8-10 दिन के भीतर निर्णय कर लिया जायेगा ।

तीन वर्ष की अवधि काफ़ी लम्बी होती है और हमें आशा है कि इस अवधि में उपरोक्त कंपनी अपना कार्य ठीक ठाक कर लेगी । कर्मचारियों द्वारा शेयर खरीदे जाने की पेशकश पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो, रिज़र्व बैंक आदि द्वारा समय पर कार्यवाही न करने का जो आरोप लगाया है । मैं उसका उत्तर चाहता हूं ।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो का इस मामले के साथ कोई संबंध नहीं है । विदेशी मुद्रा के उल्लंघनों की प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है । श्री कल्याण बसु को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन गिरफ़तार किया गया था और एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था । अब उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है । हमने इस मामले की जांच करने के लिये न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर ली है । यह मामला अब भी हमारे हाथ में है । विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अधीन हर संभव कार्यवाही की जायेगी ।

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 17 अप्रैल, 1973 / 27 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 17th April, 1973/Chaitra, 27, 1895 (Saka)

GIPRRND—6LSS/73—Sec. IV N.S.—II-8-73.—490.